राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 22 वां दिवस [संख्या 17

सोमवार,

दिनांक 16 सितम्बर, 1968

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[अकाल सहायता, वन, पंचायत, सिचाई, चिकित्सा, आबकारी, राजस्व, खाद्य, वित्त, उपनिवेशन विभाग]

श्री अध्यक्ष प्रश्न !

बाड़मेर में घास की नीलामी

450. **श्री बालसिंह संढ़** (जैसलमेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि बाड़मेर के जिलाधीश द्वारा हाल ही में 6,000 क्विटल घास की नीलामी 6,000 रुपयों में की गई है जब कि आज घास का भाव 25 रुपया प्रति क्विटल है और पास के जैसलमेर जिले में हजारों मन घास की आवश्यकता है और सरकार दूसरी जगह से महंगे भाव से घास खरीद रही है ? अगर हां, तो इस नीलामी का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार इसकी जांच कर रही है ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इस नीलामी को रोकने की व्यवस्था कर रही है ?

उपमंत्री, अकाल-सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी नहीं। जिलाधीश बाड़मेर द्वारा 4,966 क्विटल पुरानी कड़वी तथा घास दिनांक 24 जून, 68 को 6,500 रु० में नीलाम किया गया था। उस समय जैसलमेर जिले के लिए वन विभाग के बीड़ों से घास दिलवाया जा रहा था और किसी दूसरी जगह से घास नहीं खरीदा जा रहा था। वर्षा से पूर्व नीलामी इसलिए आवश्यक थी कि वर्षा में कहीं घास खराब नहीं हो जाय, और जितना पैसा मिलने की सम्भावना हो वह भी नहीं मिले। सन् 65-66 व 66-67 में वितरण के पश्चात् शेष चारे को अति शीघ्र नीलाम किये जाने के आदेश सभी जिलाधीशों को दिये हुए थे।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बालसिंह संढ़ा : क्या यह सही है कि बाड़मेर के 122 गांवों में गत वर्ष अकाल था और वहां पर घास की मांग होते हुए भी घास नहीं दिया गया ?

Page No. 2

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही है कि 122 गांवों में अकाल था, लेकिन वहां पर घास की मांग पिछले वर्ष नहीं थी और जो भी स्टॉक कलेक्टर के पास था वह गांवों में बिक्री नहीं हो रहा था।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि जो व्यक्तिगत रूप से कड़बी रखते हैं वह 10-10 साल तक खराब नहीं होती है और कई बरसातें हो जाती हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह अनुभव का प्रश्न है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह जो घास था वह 65-66............

श्री अध्यक्ष : जब अलग से प्रश्न हो गया तो उत्तर कहां से होता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न नहीं है। यह तो कामन-सैन्स की बात है। हरेक के अनुभव की बात है।

श्री अध्यक्ष : कामनसैन्स की यहां इजाजत नहीं होती है वह अलग अलग भिन्न 2 होती है, भिन्न 2 मति।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि बाड़मेर से आने वाले विधान सभा के माननीय सदस्य ने सरकार से अनुरोध किया था कि इस घास को नीलाम होने से रोका जाय ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के माननीय सदस्य ने यह बात कुछ रोज पहले जब इस तरह से घास को राज्य सरकार द्वारा ऑक्शन कर दिया गया था और ऑक्शन के साथ डिलीवरी दे दी गई थी, उसके बाद में उन्होंने वर्बली मुझसे कहा, और जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उसी रात को वायरलैस से घास को रुकवा दिया और रुकवाने के बाद मे आगे कार्यवाही की जायेगी वह सब जेरतजवीज है। उसकी लीगल बात पर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री केसरीसिंह हाड़ा।

जंगलात ब्लॉक शिकार बुर्ज के रॉयल्टी परमिट

451. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जंगलात ब्लॉक शिकार बुर्ज के सम्बन्ध में डिविजनल फॉरेस्ट अधिकारी, बूंदी ने रेन्ज ऑफिसर बूंदी को यह आदेश दिये थे कि इस ब्लॉक के रॉयल्टी परमिट जारी नहीं किये जायें और छोटे या बड़े कान्ट्रेक्ट्स नहीं दिये जाय ?

(2) क्या यह सही है कि सिर पर लादकर लकड़ी ले जाने और मवेशियों को इस ब्लॉक में चरने भी नहीं दिया जाय, ऐसे आदेश थे ?

(3) क्या यह सही है कि इस आदेश के बावजूद अभी हाल ही में इस जंगल के ब्लॉक बन चुके हैं और जंगल कटने की स्वीकृति होने वाली है ?

(4) क्या सरकार इस जंगल के ब्लॉक बनाकर इसे कटने नहीं देने के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी ?

वनमंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :
(1) जी हां।

(2) जी हां

(3) जी हां। स्वीकृति अभी नहीं दी गई है।

(4) जी हां, यह विषय सरकार के विचाराधीन है डिपार्टमैन्टल वर्किंग के संदर्भ में।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सी. सी. एफ. राजस्थान ने 19-4-60 को ऐसे आदेश डी. एफ. ओ., बूंदी को दिये थे कि इस जंगल को सुरक्षित जंगल रखा जाय ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सी. सी. एफ ने आदेश तो दिये हैं वह डिपार्टमैन्टल वर्किंग की नीयत से दिये हैं, लेकिन इस समय सरकार ने इस पर विचार नहीं किया इसलिए मैंने प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में कहा है कि विचाराधीन है कि वह डिपार्टमैन्टल वर्किंग प्लान के लिए दिया जाय अथवा नहीं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा और स्पष्ट है। मैं जानना चाहता हूं सदन की जानकारी के लिए कि क्या सी० सी० एफ० राजस्थान ने डी० एफ० ओ०, बूंदी को वर्बल ऑर्डर्स दिये और डी० एफ० ओ०, बूंदी ने लिखित ऑर्डर्स इश्यू किये कि इस जंगल को सुरक्षित रखा जाय ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं सी० सी० एफ० के ऑर्डर्स को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं—

"As per verbal orders of the C. C. F. given on 19-4-60 the following instructions are issued:—

(1) Permits should not be allowed for head-load in this block,

(2) No grazing of sheep, goats are allowed in this block,

(3) The forest guard such and such be put in charge of this block, and

(4) The Range Officer should also visit the block at least once a week.

श्री केसरीसिंह हाड़ा : तो यह बतलाने की कृपा करें कि इस आदेश की अवहेलना क्यों की गई ? और वर्किंग प्लान में इस जंगल को लेने का प्रश्न किस प्रकार से उत्पन्न होता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : किस आदेश की ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : जो सी० सी० एफ० ने यह आदेश निकाला कि इस जंगल को मॉडल फॉरेस्ट रखना चाहते हैं कि जंगल ऐसा होता है और इस जंगल में जानवर ही हैं, इत्यादि-इत्यादि। यह सब जो आपने अभी सदन के सामने पढ़कर पेश किया है उसके उपरान्त भी इस जंगल से हैड-लोड लकड़ी ले जा रहे हैं और भेड़, बकरी वहां पर चर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि, इसकी अवहेलना क्यों की गई ?

Page No. 4

श्री नारायणसिंह मसूदा : अवहेलना इसकी नहीं की गई है। हैड लोड इत्यादि बन्द करने के लिए और जलाऊ लकड़ी के लिए ठेका नहीं देने के लिए राज्य सरकार ने नीति अख्त्यार की है और उसके अन्तर्गत सब जगह इस प्रकार की रोक लगाने का है, परन्तु यह भी महसूस किया जा रहा है कि डिपार्टमेन्टल वर्किंग प्लान के अनुसार जब तक कटाई वगैरह नहीं होती है साईन्टिफिकल्ली वहां पर वन घनित नहीं रह सकते हैं, और इसलिए वर्किंग प्लान जरूर बनाया है। इसके लिए यह मान लेना उचित नहीं है कि यह कटाई के लिए दिया ही जायगा, नहीं भी दिया जाय। यह विचाराधीन है। नीचे से सुझाव आया है और सरकार इस पर विचार करेगी कि इसमें वर्किंग प्लान सिस्टम को कैसे लागू किया जाय, लागू किया जाय या नहीं किया जाय।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह निर्णय कब तक हो जायगा ? जब यह जंगल समाप्त हो जायगा तब उसके बाद निर्णय होगा ? मैं आपके सामने एक प्रार्थना-पत्र लेकर पेश करना चाहूंगा जहां कि जंगल बरबाद होने के कारण मुर्दों को जलाने से रोका गया है। इतने जंगल बरबाद कर दिये इस सरकार ने। कब तक सरकार इस पर निर्णय ले लेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं कि यह विचाराधीन है और दो-तीन दिन में हो सकता है कि इस विषय में निर्णय ले लिया जाय कि डिपार्टमेन्टल वर्किंग प्लान के अनुसार डिपार्टमेन्टल वर्किंग प्रारम्भ किया जाय अथवा बिल्कुल ही इसको सुरक्षित रखा जाय। यदि इस रोक को बिल्कुल ही रखा जाता है तो जिस प्रकार माननीय सदस्य ने बतलाया कि जलाऊ लकड़ी नहीं मिली और जंगल खराब होते जा रहे हैं और कम होते जा रहे हैं यह स्थिति इसकी भी होगी। इन्हीं सब आशंकाओं को देखकर यह आज्ञा प्रसारित की गई थी, और इन्हीं बातों को विचार में रखते हुए और जंगल विभाग के इस सुझाव को विचार में रखते हुए कि बिना कटाई के जंगल साईन्टिफिकल्ली बढ़ नहीं सकते इसको विचाराधीन लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, प्रोफेसर केदार।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। आपकी साईन्टिफिकल्ली जंगल बढ़ाने की जो योजना है उसके अन्तर्गत जो भी जंगल कटते हैं वे आज तक बढ़ नहीं पाये हैं जिसके कारण से मुर्दे वगैर जले रह गये इसलिए आपकी योजना कटवा तो सकती है लेकिन जंगल को सुरक्षित नहीं रख सकती है। कटवाने के लिए ठेका दिया जा सकता है, पर उसकी रक्षा करने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। काटने से जंगल सुरक्षित रहेगा तो क्या आप 20 साल में वही उसी प्रकार की स्थिति ला सके हैं जो पहले थी ?

श्री अध्यक्ष : यह सुझाव है इसको ग्रहण करें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह दृष्टिकोण का फर्क है। विभाग इस तरह से महसूस करता है और सरकार भी करती है उसके अन्दर कितना क्या दिया जाय यह केवल दृष्टिकोण का फर्क है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, सिंचाई मंत्री।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अध्यक्ष महोदय जो आर्डर सदन की मेज पर रखा है...

Page No. 5

श्री अध्यक्ष : नहीं, मालूम नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या सरकार को ऐसी सलाह मिली है कि जंगलात कटवाने से जंगलात बढ़ेगी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह तो माननीय नेता महोदय, को मालूम है कि रोटेशन में कूप्स काटे जाते हैं। काटे जाने का मतलब यह नहीं है कि जंगलात को साफ कर दिया जाये। इसका मतलब यह है कि वहां के जंगलात की सिचाई होती है।

श्री अध्यक्ष : श्री सिचाई मन्त्री !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां पर जंगलात काटे जाते हैं, वहां पर पुनः उगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह वकिंग प्लानिंग की इतनी पुरानी व्यवस्था हो चुकी है कि आज के सरकम्सटान्सेज में लागू करना निरी मूर्खता है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय नेता महोदय ने जो फरमाया राजस्थान में जंगलात कटवाने की, यह समस्या राजस्थान की ही नहीं, मैं तो यह कहूंगा कि विश्व में यह समस्या है।

एक माननीय सदस्य : क्या जंगलात कटने से आबादी बढ़ती है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर माननीय नेता महोदय कोई सुझाव देंगे तो उस पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सिचाई मन्त्री ! आॅर्डर प्लीज।

नेता महोदय स्थान ग्रहण करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आज की परिस्थितियों में माननीय मन्त्री महोदय को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। वकिंग प्लान को लागू करना आज की सरकम्सटान्सेज में 20 साल पुरानी स्कीम है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं सलाह स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट के तहत अपीलों की सुनवाई

452. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इर्रीगेशन एण्ड ड्रेनेज एक्ट राजस्थान के तहत गंग नहर और भाखरा सिस्टम की सारी अपील एस.ई., नहरी विभाग सुनता है ?

(2) क्या यह सही है कि गंगानगर जिले में इसका पालन कतई नहीं हो रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त समस्त कानूनों की अवहेलना करके, राज्य मन्त्री सिचाई विभाग ने मोगे, वाराबन्दी, भारा (सिचाई) तथा ऐसे केसेज की अपील के फैसले स्वयं दे डाले हैं तथा कई केसेज में स्वयं ने ही आदेश भी दे दिये हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे केसेज कौनसे हैं ? सूची मय कानूनी आधार के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) जी हाँ।

Page No. 6

(श्री मनफूलसिंह)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। राज्य सिंचाई मन्त्री ने बारावन्दी मोगे भाखरा की अपीलों के कोई फैसले नहीं दिये हैं।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि आपने स्टे ऑर्डर किये हैं ?

श्री मनफूलसिंह : स्टे ऑर्डर करने का राज्य मन्त्री को कोई अधिकार नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह 20-5-68 को मोगे बन्द करने का आदेश दिया है ?

श्री मनफूलसिंह : सिंचाई मन्त्री देते हैं।

श्री दौलतराम सारण : हमने अपनी आंखों से देखा है, पढ़ा है। 20-5-68 को नं० 3 डांग अमरसिंह की सब ब्रांच बन्द करने का आदेश श्री सिंचाई मन्त्री ने दिया है।

श्री मनफूलसिंह : मैंने नहीं दिया है, एस० ई० ने दिया है।

श्री दौलतराम सारण : सिंचाई मन्त्री ने दिया है, आपने नहीं दिया है। आप मन्त्री नहीं हैं।

श्री मनफूलसिंह : मैंने नहीं दिया है।

श्री दौलतराम सारण : एक पत्र जिस पर मन्त्री महोदय से आदेश करवाये गये नत्थूराम बेनीवाल, तुलसीराम, सुरजाराम और मोमिनराम के नाम से लिखा है। मोगे को बन्द करने की रिपोर्ट मांगी है। 20-5-68 को आदेश करवाया कि मोगे को फौरन बन्द किया जावे तथा सब मोगे को चालू रखा जावे। इसकी तामीली रिपोर्ट मुझे भी प्रेषित की जाये। इस कार्य को तात्कालिक प्राथमिकता दी जाये।

श्री मनफूलसिंह : प्रश्न में जो हवाला दिया है उस आधार पर जानकारी दी गई है। इस सम्बन्ध में और जानकारी करके बताया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि राज्य मन्त्री सत्ता का दुरुपयोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : सत्ता का दुरुपयोग करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न के पहले भाग में साफ लिखा है कि नियमों की अवहेलना करने के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन आप कहते हैं कि कानून के मुताबिक कोई आदेश नहीं दिया गया है, यह सही नहीं है। 20-5-68 को लड्ढा जी ने आदेश दिया है जो मन्त्री हैं।

श्री मनफूलसिंह : यह अलग से प्रश्न है। अलग से जानकारी कर लेंगे।

श्री दौलतराम सारण : अब आप कहते हैं कि जानकारी करवा लेंगे।

श्री मनफूलसिंह : जानकारी करवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय के सामने रख दी जायगी।

श्री दौलतराम सारण : 93 हरिजन परिवारों को बरबाद कर दिया गया। पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की गई। अब कहते हैं अलग से जानकारी कर लेंगे। दल [illegible] नाम के सामने [illegible] किये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, राज्य मन्त्री पर मैंने आरोप लगाया ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : हर मामले में हरिजनों पर दुर्व्यवहार किया जाता है। अनेक बार ऐसे प्रश्न आते हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया !

पंचायत समिति निवाई की जीप, ट्रैक्टर व ब्लास्टिंग मशीन

453. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति निवाई की जीप, ट्रैक्टर व ब्लास्टिंग मशीन मरम्मत के नाम से दिनांक 27-5-67 को जयपुर ले जाई गई और इनके साथ लेवलर (जमीन को लेवल करने की मशीन) को भी साथ ले जाया गया और उस समय के विकास अधिकारी की जमीन को जो सांगानेर में है, 3 रोज तक लेवल किया गया जिसकी मजदूरी का कोई पैसा समिति में जमा नहीं कराया गया है ?

(2) यदि हाँ, तो मरम्मत के नाम से लेवलर को क्यों लाया गया और इस मरम्मत में कुल कितना समय लगा और कितने रुपये खर्च हुए ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता है ।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

उप-मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जीप, ट्रैक्टर व ब्लास्टिंग मशीन जयपुर मरम्मत के लिए लाई गई । लेवलर भी ट्रैक्टर के साथ था । ट्रैक्टर और लेवलर से विकास अधिकारी की जमीन पर लगभग 6 घंटे काम लिया गया । कोई रकम पंचायत समिति में जमा नहीं पायी गई ।

(2) लेवलर की कोई मरम्मत नहीं हुई ।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह 6 घंटे विकास अधिकारी की जमीन में काम लिया गया है । फिर किराया क्यों नहीं जमा हुआ है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : किराया नहीं जमा हुआ है, इसलिए एक्शन लिया गया है उनपर कार्यवाही की गई है। उनको सस्पेंड किया गया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या ट्रैक्टर की मरम्मत की गई ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नहीं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या लेवलर की मरम्मत की गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मनोहरसिंह ।

भीलवाड़ा जिले के अस्पताल

454. **श्री मनोहरसिंह मेहता** : (मांडलगढ़) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(1) भीलवाड़ा जिले में कौनसी श्रेणी का अस्पताल किस वर्ष से है ?

(2) मौजूदा वक्त में कितने खाट स्वीकृत हैं और यह संख्या कितने वर्षों से स्वीकृत है ?

(3) इण्डोर पेशेन्ट्स की संख्या कितनी है ?

(4) खाटों के अभाव में बीमार कहाँ सोते हैं और उनके लिए दवा तथा डाईट का क्या होता है ?

(5) क्या सरकार जल्दी ही इसको 'सी' श्रेणी से 'बी' में लेने का इरादा रखती है ? यदि रखती है तो कब तक 'बी' श्रेणी में आ जायेगा ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री वृजसुन्दर शर्मा) : (1) भीलवाड़ा में महात्मा गान्धी आरोग्य सदन, चतुर्थ श्रेणी का अस्पताल सन् 1957 से चल रहा है। इसके अतिरिक्त जिले में निम्न श्रेणी के अस्पताल हैं:—

पंचम श्रेणी अस्पताल (20 रोग शैयाएं से 49)		-1
षष्ठम् ,, ,, (6 से ,, 19)		-9
प्रा.स्वा. केन्द्र	... ...	-8
अस्पताल 6 रोग शैया से कम	...	7

(2) भीलवाड़ा अस्पताल में 65 रोग शैयाएं सन् 1957 से स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त 18 शैयाएं मेटरनिटी की सन् 1940 एवं 1961 से 12 शैयाएं ई० एस० आई० की भी स्वीकृत है।

(3) सन् 1967 में कुल 3,982 इंडोर रोगियों का इलाज हुआ। रोज के रोगियों की औसत संख्या 130 है।

(4) भीलवाड़ा अस्पताल में 40 अतिरिक्त पलंग डाले हुए हैं। अन्य रोगियों को उनके घर से लाये बिस्तरों पर जमीन पर रखा जाता है। इस वित्तीय वर्ष में इस अस्पताल के रोगियों के लिए दवाईयों का 22,000 रु० व 11,000 रु. का खुराक का बजट स्वीकृत है। लगभग 70 से 80 रोगी स्वयं का खाना खाते हैं। औषधियाँ भी अधिकाँशत: बाजार से स्वयं को ही खरीद कर लानी पड़ती है।

(5) भीलवाड़ा अस्पताल को तृतीय श्रेणी (100 रोग शैया) का बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। धनाभाव के कारण सरकार के लिये इन प्रस्तावों को स्वीकार करना सम्भव नहीं होने से अब इनको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय भयंकर अकाल होते हुए भी क्या ले आऊं, बीच में मैं, भयंकर अकाल होते हुए भी नौकरों के लिए तो साढ़े तीन करोड़ का खर्चा बढ़ाया जाय और 18,00 से 25,00 तक वेतन मान लिये जायें लेकिन जो मालिक बिमार होकर आते हैं वह जमीन पर पड़े रहते हैं, वह जानवरों की तरह पड़े रहते हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या सोच रहे हैं ? एक, दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि ग्यारह साल से यह अस्पताल इस श्रेणी में है जब कि इस जिले की आठ लाख की आबादी है और बीमारों की संख्या ज्यादा है तो क्यों आप इसको चतुर्थ

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
पंचवर्षीय योजना के लिए रखते हैं, इसको क्यों नहीं जल्दी ही करवाया जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में प्रावधान नहीं है, जहाँ तक दवाईयों का सवाल है तेतीस हजार का बजट बढ़ा कर दवाईयों का प्रावधान अधिक कर दिया गया है। अब जो शैयाओं को बढ़ाने का सवाल है तो वह अगली पंचवर्षीय योजना में ही हो सकता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, दवाइयों के लिए 22 हजार रखे हैं तो 22 हजार में तो गंगा जल भी मंगा कर दें तो पूरा नहीं पड़े।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है कि गंगा जल भी पूरा नहीं पड़े 22 हजार में ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि दवाई की जगह गंगा जल दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो अनुभव नहीं है गंगाजल का, माननीय सदस्य को होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम पर आरोप लगाया जाता है, लेकिन भीलवाड़ा जिला तो आपके कांग्रेस का गढ़ है, वहाँ पर पचपन हजार में से सिर्फ पांच सौ कुओं को बिजली दें और सी श्रेणी का भी वहाँ पर अस्पताल नहीं हो। आप कृपा करके, जानवरों की तरह मरीज नहीं पड़े रहें, इसकी व्यवस्था करें। आप सके लिए क्या सोच रहे हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : गंगा जल मंगा कर रख लें तो मंत्री महोदय के काम में आ जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रोगियों को दवाई देने का और इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है इस बात की इजाजत दे दी गई है कि जितनी वहाँ जगह है उसमें जितने भी रोगी आ सकते हैं उनको प्रवेश दिया जाय और उनका इलाज करने की व्यवस्था की जाय।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि गंगा जल दवाई की जगह मंगवाया जाता है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहाँ तक शैयाओं का प्रबन्ध करने का प्रश्न है, इस प्रश्न पर अगले साल विचार किया जायगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, वहाँ जो रोगी आते हैं, वह जमीन पर नीचे पड़े रहते हैं। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप वहाँ पर पधारें और वहाँ की हालत देखें, वहाँ मरीज जानवरों की हालत में पड़े रहते हैं। मुझे अफसोस होता है, यह सरकार मरीजों की उचित चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं कर सकती है।

श्री अध्यक्ष : यह आग्रह आप मंत्री महोदय से कीजिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह स्थिति भीलवाड़ा के अन्दर ही नहीं है, करीब करीब जितने भी जिला हैडक्वार्टर पर अस्पताल हैं उनमें इस प्रकार की स्थिति है। आज जितने बीमार और रोगी आने लगे हैं हम उनकी संख्या को कोप विद् नहीं कर पा रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर) : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से आपने स्वास्थ्य विभाग सम्भाला है, आपने कितने अस्पतालों का निरीक्षण किया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न !

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न नहीं है। वहाँ पर दवाइयों और उचित इलाज का प्रबन्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : सब कुछ है, लेकिन यह प्रश्न इसमें पैदा नहीं होता है।

श्री आदित्येन्द्र !

मद्य निषेध नियमों का पालन

455. **श्री आदित्येन्द्र** (डीग) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने मद्य निषेध सम्बन्धी कोई नियम निर्धारित किये थे ? यदि हाँ, तो कब और क्या ? तत्सम्बन्धी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियमों का ठीक तौर से अनुपालन हो रहा है या नहीं, इसकी जाँच करने की क्या व्यवस्था की गई थी ? क्या जाँच के दौरान कभी कोई ऐसे उदाहरण मिले थे, जिनसे उक्त नियमों का उल्लंघन होना सिद्ध हुआ हो ? यदि हाँ, तो उक्त उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी ?

(3) क्या उन नियमों की प्रगति तथा प्रभाव की जाँच कराने हेतु कभी तत्सम्बन्धी मूल्यांकन किया गया था ? यदि हाँ, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(4) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व आबकारी मंत्री सर्व श्री हरिभाऊजी उपाध्याय तथा चौधरी रामचन्द्र सिंह जी ने पूर्ण निषेध सम्बन्धी अवधि की घोषणा इस सदन में की थी ? क्या राज्य सरकार उन पर आचरण कर रही है ? यदि हाँ, तो किस प्रकार और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, आबकारी (श्री बृजप्रकाश गोयल) : (1) जी हाँ। राजस्थान मद्य निषेध नियम, 1967, राजस्थान राज-पत्र विशेषांक, दिनांक 29 सितम्बर, 67 में प्रकाशित किये गये थे। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उक्त नियमों के ठीक तौर से अनुपालन के लिये कुछ नये पद स्वीकृत किये गये हैं। मद्य निषेध क्षेत्र में अवैध शराब के अब तक 314 (तीन सौ चौदह) मामले पकड़े जा चुके हैं इनमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) यह मूल्यांकन खोज किये हुए मुकद्मों से होता है।

(4) समय समय पर आबकारी मंत्री द्वारा घोषणायें की जाती रही हैं। विस्तृत सूचना इस विषयक एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने यह पूछा था कि क्या कोई राजस्थान सरकार ने मद्य निषेध सम्बन्धी नियम निर्धारित किये थे ? तो केवल यह उत्तर मिला है कि हाँ नियम निर्धारित हुए थे। लेकिन वह

(श्री आदित्येन्द्र)
क्या नियम निर्धारित हुए थे और क्या 1967 से पहले भी कोई नियम निर्धारित किये थे और 1967 के, 29 सितम्वर, 67 के वाद कोई नियम निर्धारित किये गये हैं?

श्री बृजप्रकाश गोयल : 1967 से पहले जब कुछ एरिया राजस्थान में शामिल हुआ था, 1-11-56 को उस वक्त से बोम्बे प्रोहिबिशन एक्ट, 1949 लागू था, उसके वाद राजस्थान के अन्य हिस्सों में 2 अक्तूबर, 1967 से, जो गुजरात से लगता हुआ क्षेत्र है, उसमें प्रोहिबिशन लागू कर दिया गया, जो पच्चीस किलोमीटर की वेल्ट है उसमें, उसके बाद में 1 अप्रेल, 1968 से बांसवाड़ा, सिरोही और डूंगरपुर, उदयपुर की तीन तहसीलों में प्रोहिबिशन लागू किया गया। जहाँ तक सवाल नियमों का है, 1967 में जो कानून बना है उसके तहत अलग अलग एरिया निर्धारित किये जा रहे हैं और वहाँ पर यह कानून लागू किया जा रहा है।

श्री आदित्येन्द्र : राजस्थान नशाबन्दी समिति के अध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट और मुख्य मंत्री जी के बीच अभी हाल ही समझौता हुआ है जुलाई के प्रारम्भ में, क्या उसके बाद भी कोई नियम निर्धारित किये गये हैं, निश्चित किये गये हैं?

श्री बृजप्रकाश गोयल : उसके तहत सरक्यूलर इश्यू किया गया है, जो रूप रेखा तैयार की गई हैं उसके तहत 1969-70 में दो दिन 1970-71 में चार दिन और 1971-72 में छः दिन सप्ताह में शराब की दुकानें बन्द रहेंगी। इसके बारे में नीति निर्धारित कर ली गई है और इसी नीति पर कार्यवाही होगी।

श्री आदित्येन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नीति के सम्बन्ध में नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि 1967 की 29 सितम्बर के पिछले कोई नियम निर्धारित किये गये हैं और क्या उनका ठीक प्रकार से अनुपालन भी होगा या नहीं ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : 1967 के बाद कोई नियम नहीं बने हैं। पहले जो नियम और कानून बना उसके तहत ही नोटिफिकेशन जारी होते हैं। उन नोटिफिकेशन के तहत पच्चीस किलो मीटर के अन्दर मद्य निषेध का डिसाईड हुआ और अलग 2 तहसीलों का डिसाईड हुआ। उन्हीं के अन्तर्गत प्रोहिबिशन लागू किया जाता और उन्हीं के तहत ऑर्डर जारी होते हैं।

प्रश्न संख्या 456

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिये।

श्री विजयसिंह !

ग्राम पंचायत हिरनोदा के सरपंच के के विरुद्ध मुकद्दमा

457. **श्री विजयसिंह** (मकराना):— क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत, हिरनोदा पंचायत समिति, दूदू जिला जयपुर के सरपंच श्री किशन मत्स्य दिनांक 5-2-68 से सेन्ट्रल जेल जयपुर में बन्द हैं ? अगर हाँ तो किस मुकद्दमे के आधार पर ?

Page No. 12

(श्री विजयसिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरपंच के जेल में जाने के बाद भी उसे अपने पद से अपदस्थ नहीं किया गया है ?

(3) क्या उप-सरपंच बनेन्द्र देवी, अशिक्षित होने के बाद भी सरपंच का कार्य भार भी सम्भालती है जो कि पंचायत एक्ट के तहत गैर कानूनी है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अपराध में ।

(2) जी हां, निलम्बित अवश्य किया गया है ।

(3) श्रीमती बनेन्द्र देवी का स्थान राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत रिक्त घोषित किया जा चुका है ।

श्री विजयसिंह : श्रीमती बनेन्द्र देवी का स्थान कब से रिक्त घोषित किया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 31-8-68 से ।

श्री विजयसिंह : यह आपके परम पूज्यनीय सरपंच जेल में विराजमान हैं यह कब से हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : यह पूछ रहे हैं कि परम पूज्यनीय सरपंच जेल में कब से विराजमान हैं ?

श्री विजयसिंह : यह भी बता दें कि यह जेल मन्दिर में विराजे हैं, इन्हें कब से सस्पेन्ड किया है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : 7-8-68 से सस्पेन्ड किया है ।

श्री विजयसिंह : वह जेल में कब पधारे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 5-2-68 को

श्रीमती प्रभा मिश्रा : 5-2-68 को ।

श्री विजयसिंह : उनको सस्पेंन्ड करने में क्यों देरी की गई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्यों कि कांग्रेस पार्टी के हैं ।

श्री अध्यक्ष : क्यों उनको सस्पैन्ड करने में देरी की गई ?

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : इतने महीने तक उन्हें सस्पैन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस पार्टी के सरपंच हैं, इनको मर्डर केस में पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, हाई कोर्ट में इनकी जमानत नहीं हुई लेकिन जेल में जाने के बाद भी उनको सस्पैन्ड नहीं किया गया । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि उनको सस्पैन्ड करने में इतनी देरी क्यों लगाई गई ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राज्य सरकार के सामने नहीं है कि उसने मर्डर कब किया है, कब नहीं किया है । राज्य सरकार के सामने यह प्रश्न आया कि उसने इस प्रकार का हीनियस ऑफैन्स कमिट किया है, उसके बाद जल्दी ही उसको सस्पेन्ड कर दिया । अब यह कांग्रेस पार्टी का है, कौनसी पार्टी का है, यह मुझे पता नहीं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे अभी जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के हैं। मुझे यह मालूम नहीं था कि कांग्रेस पार्टी के हैं या किस के हैं। वैसे पार्टी बेसिस पर पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं मान नहीं सकता कि मंत्री महोदय को पता नहीं हो कि सरपंच किस पार्टी का है सरपंच जेल में गया तो उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया गया ? यह भी अजीब केस है, इस बारे में क्या आप कोई प्रकाश नहीं डाल सकते यह पक्षपात की पराकाष्ठा नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा के लिये पूछा गया, वह तो मुझे पता नहीं। मैं कह रहा हूं कि यह सरपंच कांग्रेस का था या नहीं था यह मुझे पता नहीं था। यह कांग्रेस पार्टी का है, यह माननीय सदस्य कह रहे हैं, तब मुझे मालूम हुआ है। मैं ईमान से कहता हूं कि यह मुझे पता नहीं था। हर बात के लिए यह कहना कि मुझे पता नहीं था, ठीक नहीं है। मुझे कतई पता नहीं था। मैं सत्य कहता हूं। मैं यह दुबारा दोहरा देना चाहता हूं कि कोई भी लापरवाही करने का या देरी करने का और पराकाष्ठा का प्रश्न नहीं है। राज्य सरकार के सामने जब यह प्रश्न आया कि उसने मर्डर कर दिया है तो उसको सस्पेन्ड कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दिग्विजयसिंह !

पेंशन का मामला

458. **श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डा० (मिस) सी० एस० वर्गिस, उदयपुर जनाना हास्पिटल में जूनियर स्पेशलिस्ट के पद पर कार्य करती हुई रिटायर हुई थी ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती वर्गिस को दिनांक 4-10-61 के बाद भी उस समय के स्वास्थ्य मन्त्री राजस्थान, ने पुनः राज्य सेवा में रखने के आदेश दिये थे, जिसके फलस्वरूप वे 20-1-62 तक कार्य कर के रिटायर हुई ?

(3) क्या यह सही है कि श्रीमती वर्गिस की तनख्वाह 740 रु० माहवार थी, और जब उन्हें एक वर्ष और एक्स्टेन्शन दिया गया तब उन्हें 435) रु० ही दिये गये ? यदि हां तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि करीब 6 वर्ष हो जाने के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा उन्हें पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि श्रीमती वर्गिस द्वारा सरकार को इस विषय में अनेक बार निवेदन किया जा चुका है पर सरकार ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है ? अब इस केस को कब तक तय कर दिया जावेगा ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) जी हां। दिनांक 19-1-62 अपराह्न को।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

(2) जी हां। यह सत्य है किन्तु उन्हें पुनः नियुक्ति दिनांक 20-1-62 से दी गई और वह दिनांक 31-3-63 तक कार्य करके रिटायर हुई थी।

(3) जी हां, राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश सं० डी० 1761/59 एफ० (एफ०) (16) एफ० डी० ए० रूल्स/57, दिनांक 30-6-59 के द्वारा पुनः नियुक्ति पर रु० 435 प्रतिमाह की स्वीकृत किया गया था।

(4) डा० सी० एम० वर्गिस, जूनियर स्पेशलिस्ट, उदयपुर का पैन्शन केश तय कर पैन्शन ग्रेच्युटी का भुगतान हेतु महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा उनके पत्र क्रमांक पी०ए०सी०/5727-29, दिनांक 10-8-68 द्वारा महालेखाकार, केरल (त्रिवेन्द्रम) को भेज दिया गया है। पैन्शन केस तय कर दिया गया है।

(5) जी हां, श्रीमती वर्गिस के प्रार्थना-पत्र समय समय पर आते रहे और सरकार उनका उत्तर उन्हें देती रही है। शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिग्विजयसिंह : यह आपने रीअपोइन्टमैन्ट किया, 435 रु०पर किया, जब कि उनकी इनिशियल पे 770 रु० थी। तो यह 435रु० पर किस आधार पर रीअपोइन्टमैन्ट किया ? जब कि यह उनका एक्स्टेन्शन था।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह एक्स्टेन्शन नहीं हो कर रीअपोइन्टमैन्ट था। रीअपोइमैन्ट प्रेजेन्ट पे माइनस पेन्शन पर होता है।

श्री दिग्विजयसिंह : भूतपूर्व वित मंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने इनको आश्वासन दिया था कि जो पे उनको मिल रही है उस ही पर उनको रीअपोइन्ट किया जायेगा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पेन्शन उस पे के साथ मिल जाती है तो उतनी ही पे हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वीसिंह !

जवाई बांध की डूब में आई भूमि का मुआवजा

459. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर रियासत के विशेष अधिकारी, राजस्व ने अपने पत्र संख्या 2102, दिनांक 10-12-45 द्वारा तहसील बाली, जिला पाली के ग्राम सेणा जीवदा तथा दूदणी के कुछ खातेदार, काश्तकारों को जिनकी भूमि जवाई बांध के वाटर स्प्रेड एरिया में डूब गई थी उसके बदले में जवाई कमांडेड एरिया में भूमि आवंटन करने की तजवीज पेश की थी ? यदि हां, तो उन काश्तकारों की सूची मय भूमि किस्म एवं रकबा जो डूब गई एवं जो नई देना तय किया, सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 5 अक्तूबर, 1957 को जवाई डाक बंगले में तत्कालीन जिलाधीश महोदय, पाली की अध्यक्षता में उक्त काश्तकारों को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में एक बैठक का आयोजन किया था ? यदि हाँ, तो उस बैठक में किस 2 ने भाग लिया और क्या क्या निर्णय लिये गये ? कार्यवाही की नकल सदन की मेज पर रखें।

Page No. 15

(श्री पृथ्वीसिंह)

(3) क्या उक्त निर्णयों पर अमल हो गया है ? यदि हां, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक किया जावेगा ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) जी हां, मीटिंग हुई थी। उसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:—

1. श्री ए० ए० एस० जाफरी, जिलाधीश, पाली।
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर।
3. अधिशाषी, अभियन्ता।
4. सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड, जवाई।
5. तहसीलदार, बाली।
6. उप-जिलाधीश, बाली।
7. श्री मोती बाबा, विधान सभा सदस्य।

इसमें यह निर्णय लिया गया था कि माफीदारों को जमीन के बदले जमीन दी जाय और जो जोड़ जागीरदारों से लिये हैं उनमें से दी जाय। इसके लिये तहसीलदार, बाली को कहा गया था कि इन जोड़ों का ध्यान रख कर पहले माफीदारों व सिपाहियों को जमीन दी जाय। कार्यवाही की प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) जमीन के बदले जमीन देने का निर्णय रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट में ही होता है। अतः इसकी इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पृथ्वीसिंह : पहले प्रश्न के जवाब में आपने उत्तर दिया है कि विभाग को जानकारी नहीं है तो क्या यह समझा जाय कि जो जमीन जवाई बांध में डूब में आई, उसकी भी आपको जानकारी नहीं है ?

श्री जसराज : प्रश्न आपने पूछा था कि विशेष अधिकारी, राजस्व ने कुछ खातेदार, काश्तकारों की भूमि जवाई बांध में डूब में आ गई थी, उनको जवाई कमाण्डेड एरिया में भूमि आवंटन करने की तजवीज पेश की थी। इस तजवीज का आपने पूछा इसके सम्बन्ध में मैंने यह उत्तर दिया है, यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है इसलिये इस डिपार्टमैन्ट को जानकारी नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में आगे लिखा है "यदि हां, तो उन काश्तकारों की सूची मय भूमि, किस्म एवं रकबा जो डूब गई एवं जो नई देना तय किया, सदन की मेज पर रखें।" तो क्या जो काश्तकारों की भूमि जवाई बांध में डूब गई, उन भूमि का रकबा, किस्म और काश्तकारों के नाम आपको मालूम नहीं है ?

श्री जसराज : यह एक रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से सम्बन्धित है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से कैसे सम्बन्धित होगा, जवाई बांध में जो भूमि डूब में आई है, यह तो इर्रीगेशन डिपार्टमैन्ट से सम्बन्धित है।

श्री जसराज : मैंने निवेदन किया कि यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है, इसलिए सूची उपलब्ध नहीं हो पाई है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से कैसे सम्बन्धित हो गया, जवाई बांध के भराव के एरिया में जो भूमि डूब में आई है, उसकी जानकारी तो सिंचाई विभाग को होनी चाहिए और उनको मुआवजा या बदले में भूमि दिलाने की कार्यवाही भी सिंचाई विभाग से ही होनी चाहिए। इसका रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है। उप-मंत्री जी ने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और जो उत्तर दिया है, वह सही नहीं है।

श्री जसराज : उन काश्तकारों को भूमि आवंटन करने की तजवीज का आपने पूछा था, उसी तजवीज के सम्बन्ध में मैंने बताया कि यह रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से सम्बन्धित है। कम्पन्सेशन के पेमेंन्ट के लिए कहा, उसके लिए सिंचाई विभाग ने रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट को लिख दिया है।

श्री पृथ्वीसिंह : जवाई बांध के भराव में जो भूमि डूब में आई है, उसके बदले में भूमि देने की कार्यवाही करने का काम सिंचाई विभाग का है, उस ही के बाबत पूछा है, प्रश्न का जवाब पूरा देते नहीं, प्रश्न को पूरा पढ़ते नहीं, आपने यह गलत उत्तर दिया है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्यों नहीं आपने अपने विभाग से सूचना प्राप्त की कि कितनी भूमि किस किस काश्तकार की, जवाई बांध में डूब में आई है, और इससे किस किस काश्तकार को कितना कितना नुकसान हुआ है ?

श्री जसराज : वैसे इसका सम्बन्ध तो रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से है......

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमैन्ट से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह इरींगेशन डिपार्टमैंट से सम्बन्धित है ···

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिए।

श्री जसराज : जवाई बांध में डूब में नीचे लिखे अनुसार गांवों का एरिया आया है:—

डूबनी : 3,373 बीघा 17 बिस्वा

सेणा : 1,863.4

बेड़ा : 183

श्री पृथ्वीसिंह : यह तो टोटल बताना शुरू कर दिया, मैंने तो काश्तकारवाइज सूची मांगी है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जिस सफाई से इधर से उधर पधारे थे, वही सफाई यहां लगा रहे हो।

श्री पृथ्वीसिंह : क्या विभाग के द्वारा निरीक्षण करवाया गया है कि इनकी इतनी 2 भूमि बांध में डूब आई है, उस भूमि के बदले में भूमि देने, मुआवजा देने के बारे में विभाग ने कार्यवाही की है ?

श्री जसराज : दोनों कार्यवाही की गई हैं। सबसे पहले भूमि अवाप्ति अधिकारी को यह मामला रेफर किया गया था 56 में, उन्होंने निर्णय दिया था, उन्होंने अनुमानतः 73,964 रुपया कम्पन्सैशन का देना स्वीकार किया, उसके साथ ही डैमेजेज का खर्चा 10 परसैंन्ट ···

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं भी समझ तो लूं।

श्री जसराज : उसी प्रकार डेमजेज का 10 परसेंट इन्क्रीज करके 81,360 कम्पन्सेशन बताया। 5-7-57 को कलेक्टर महोदय ने एक मीटिंग बुलवाई जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी थे, तहसीलदार थे और भी अधिकारी थे, उनको बुला कर तय किया कि जमीन के एवज में जमीन दे दी जाय। वाली के तहसीलदार को इस बाबत जानकारी लेने को कहा, कितनी भूमि पड़ी हुई है, कितनी अलॉट की गई है। इसका निदेश 57 में दे दिया गया था।

श्री पृथ्वीसिंह : तहसीलदार ने जो जमीन पड़ी है, उसकी जानकारी आपको दे दी क्या ?

श्री जसराज : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जानकारी उन्होंने चाही थी कि वाली तहसील में किस किस जगह, कितनी कितनी जमीन पड़ी है, तो आपको इस सम्बन्ध में जानकारी करनी चाहिए थी, जमीन के बदले उन काश्तकारों को जमीन आपको दिलानी चाहिए थी, आपको अपना पुनीत कर्त्तव्य समझ कर, उनको जमीन दिलानी चाहिए थी ....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री जसराज : 1965 में उन काश्तकारों ने राईटिंग में दरखास्त दी कि हम कम्पन्सेशन नहीं चाहते, हमें जमीन के बदले में जमीन दी जाय ...

श्री अध्यक्ष : यह राईटिंग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास दिया या आपके पास ?

श्री जसराज : हमारे पास कि हमें जमीन के बदले जमीन दी जाय।

श्री दौलतराम सारण : इस केस को मुआवजे के लिए किसने भेजा ?

श्री जसराज : इरींगेशन डिपार्टमेंट ने भेजा।

श्री दौलतराम सारण : इरींगेशन डिपार्टमेंट का तो सम्बन्ध ही आप नहीं बता रहे थे।

श्री जसराज : ईरींगेशन डिपार्टमेंट से भूमि के बदले भूमि देने का लिख दिया तो भूमि कहां अवेलेबल है, कहां भूमि दी जाय, यह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही सम्बन्धित है।

श्री दौलतराम सारण : यह गलत है। प्रश्न में साफ पूछा है कि किस किस काश्तकार की कितनी कितनी जमीन डूबी है। यह स्पष्टतः सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, सिंचाई विभाग को इसका जवाब देना चाहिए। उनकी जो जमीनें डूब में आई हैं, उनकी सूची देना सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी है, इसलिए इस जिम्मेदारी से आप मना नहीं कर सकते।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : अध्यक्ष महोदय ......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री पृथ्वीसिंह : जो अफेक्टेड परसन्स थे, जिन काश्तकारों ने प्रार्थना-पत्र दिये कि जो हमारी जमीन जवाई बांध में डूब में आ गई है, वही जमीन हमें दे दी जाय, जब तक इस बारे में निर्णय नहीं हो, सारी कार्यवाही

(श्री पृथ्वीसिंह)

पूरी नहीं हो जाय तब तक हमें दूसरी जमीन दी जाय ताकि हम काश्त से वंचित नहीं रहें। हम लोग भी काश्त कर सकें।

श्री जसराज : पहले प्रश्न का जवाब था वह मैंने बताया कि कम्पेन्सेशन देने का आपने कहा उसके लिये अवाप्ति अधिकारी ने निर्णय दे दिया है कि कम्पेन्सेशन दे दिया जाय। इसके अलावा जैसा आपने कहा 65 में उन काश्तकारों ने दरख्वास्त दी कि वही जमीन दे दी जाय। वह जमीन भराव के एरिया में आ जाती है, साही फीडर के बनाने की योजना है, उसके पूरा होने के बाद तो भराव पूरा हो जायगा, वह जमीन भी पूरी तरह डूब में आ जायगी। इसलिए यह कहा है कि दूसरी जमीन दे दी जाय, इस पर कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल !

श्री विजयसिंह : मंत्री महोदय अपने सेन्स में हैं क्या ?

श्री पृथ्वीसिंह : जो जमीन उन्होंने मांगी है, जब तक उनको वह दूसरी जमीन न मिल जाये, तब तक उन्होंने यह मांग की है कि उनको वहां जमीन पर खेती करने दी जाये, उस प्रार्थना-पत्र का डिस्पोजल नहीं किया गया है और सेक्सन 91 के केसेज चालू कर दिये और उन लोगों पर हजारों रुपये का जुर्माना कर दिया गया है और वे मारे मारे फिरते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य, बहुत हो गया।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और पूछना है। क्या यह सही है कि उन काश्तकारों ने, सेना के काश्तकारों ने, 2-9-68 को और प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वे 21 तारीख से हड़ताल करने वाले हैं और अगर सात दिन के अन्दर उनके लिये फैसला नहीं किया गया तो वे बाल बच्चों सहित और सारा सामान आदि लेकर तहसील के सामने धर्ना दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ?

श्री जसराज : जैसा मैंने निवेदन किया इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। इसके अलावा·········

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, वे बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उत्तर देने दीजिये।

श्री जसराज : कम्पेन्सेशन देने के लिये जो भी आधार हैं, अगर वे कम्पेन्सेशन लेना चाहें तो 24 घन्टे के अन्दर राज्य सरकार कम्पेन्सेशन देने को तैयार है। लेकिन जहां तक भूमि देने का सवाल है, वे किस प्रकार की भूमि चाहते हैं, उस प्रकार की भूमि राज्य सरकार के पास उपलब्ध है या नहीं, यह राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। अगर कम्पेन्सेशन लेना चाहें तब तो राज्य सरकार 24 घन्टे के अन्दर देने को तैयार है।

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको प्रोटेक्ट करना सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर प्रश्न कुछ हद तक राजस्व विभाग से सम्बन्धित है तो उनको पहले क्यों नहीं बताया गया ताकि उनसे सम्बन्धित बातों का वे उत्तर दे देते।

श्री जतराज : राजस्व विभाग में कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : जिस प्रश्न का दूसरे विभाग से भी सम्बन्ध है, उसके लिये उस दूसरे विभाग को अवगत करा देना चाहिये ताकि उस विभाग का मन्त्री उसका उत्तर दे दे।

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय······

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जेलिया !

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय, वे 21 तारीख को······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, काफी हो चुका है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको काफी······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अभी बहुत प्रश्न बाकी हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : गांव के चारों ओर पानी आ गया है······

श्री अध्यक्ष : पानी भी आ गया है, उसका हल भी हो रहा है, आर्डर प्लीज।

श्री पृथ्वी सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनसे कहा जाता है कि गांव······

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य ! श्री चुन्नीलाल जेलिया।

पंचायत समिति खण्डार के सरपंचों के विरुद्ध आरोप

460. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु०) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, खण्डार के किन किन सरपंचों के विरुद्ध अब तक खयानत अथवा सार्वजनिक हित की रकम का दुरुपयोग करने के आरोप सामने आये हैं और कितनी कितनी रकमों के ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सरपंचों पर कितनी कितनी रकम का दुरुपयोग साबित हुआ और उसकी वसूली की क्या कार्यवाही अब तक की गई है ?

(3) क्या इस विषय में किसी सरपंच के विरुद्ध खयानत का मामला भी विभागीय जांच से सामने आया है ? यदि हां, तो किस किस पंचायत के सरपंच के खिलाफ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) इन खयानत के मामलों में राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(5) सरपंचों के विरुद्ध बकाया रकम के मामलों में राज्य सरकार इनसे वसूली के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में विवरण दिया गया है।

(3) सूची में विवरण दिया गया है।

(4) सरपंच फलोदी के विरुद्ध पंचायत अधिनियम की धारा 17(4) के अन्तर्गत फाईंडिंग दी गई तथा धारा 409 में सरपंच को 1 वर्ष की कैद हुई व अन्य 2 मामलों में

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
अभी पुलिस जांच कर रही है तथा विभागीय जांच भी चल रही है।

(5) सरपंच फलोदी से 2,674 रुपये की दुरुपयोग की हुई राशि वसूल करली गई तथा अन्य दो मामलों में जांच के अन्तिम परिणाम के पश्चात् वसूली के लिये कार्यवाही की जायेगी।

(कृपया परिशिष्ट I देखिये)

श्री चुन्नीलाल : आपने जो सूची दी है उसमें फलोदी के सरपंच की तरह दूसरे जो दो मामले हैं गबन के, जिनमें 1,000 रुपया और 3,254.80 रुपये का गबन है, उन केसेज में आपने सरपंचों को सस्पेंड क्यों नहीं किया ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : अभी जांच चल रही है।

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, सस्पेन्शन के लिये राज्य सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : क्या आपके डिस्क्रीशनरी पावर्स इतने ओवर राईडिंग हैं कि जो लोग रूल्स की अवहेलना करते हैं, और जिनके लिये रूल्स में विश्लेषण किया हुआ है, उनको भी आप चाहें तो कोई उनके खिलाफ कार्यवाही न करें ? इतने आपको डिस्क्रीशनरी पावर्स अगर हैं, तो अध्यक्ष महोदय, यह तो डिक्टेटरशिप हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी सस्पेन्शन किया जाता है वह मैं एक तरह की कोर्ट के प्रिजाईडिंग ऑफिसर की हैसियत से करता हूं, इसलिए मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा कि मुझसे जो पावर्स में एक प्रिजाईडिंग ऑफिसर की हैसीयत से एक्सरसाइज करता हूं, उनके बारे में प्रश्न नहीं किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राज्य सरकार ने पंचों और सरपंचों को सस्पेंड करने के सम्बन्ध में कोई नियम या प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है कि केवल इस तरह की परिस्थितियों में ही सस्पेंशन किया जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अधिनियम के अन्तर्गत सस्पेन्शन करने के नियम बने हुए हैं और नियमों में यह प्रावधान है कि यदि कोई गबन की शिकायत हो या और किसी तरह की डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में लैप्स हो तो राज्य सरकार may suspend में से डिस्क्रीशन दिया हुआ है और राज्य सरकार उस डिस्क्रीशन को जुडिशियली एक्सरसाइज करती है, न कि आरबीट्रेरीली या केप्रीशीयसली।

श्री विजयसिंह : यह जो अधिनियम है वह क्या केवल कांग्रेस सदस्यों के लिये लगता है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : एक जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं। तीन सरपंचों के खिलाफ गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं, फलोदी, कयारदा कलां और विचपुड़ी के। अब इनमें से फलोदी के सरपंच के लिये तो आपने बताया कि उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है और उनको सजा भी हो गई, तो आपने जो एक्शन लिया वह सजा होने के बाद लिया या सजा होने से पहले लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है कि किस तारीख को उनके खिलाफ ऐक्शन लिया गया। लेकिन राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो मैक्सीमम पनिशमेंट किसी सरपंच के खिलाफ सेक्शन 17 (4) के अन्तर्गत लिया जा सकता है वह फाईंडिंग रेकार्ड करने का होता है, और वह मैक्सीमम पनिशमेंट उसको दे दिया गया।

श्री दिग्विजयसिंह : एक्ट के अन्दर साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी सरपंच के खिलाफ अनैतिक व्यवहार या पैसे का दुरुपयोग आदि का चार्ज है तो राज्य सरकार सेक्शन 17 (4) के अन्तर्गत उसको सस्पेंड कर सकती है, यह अधिकार राज्य सरकार को है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने फलोदी वाले के खिलाफ जो ऐक्शन लिया वह उसको सजा होने के बाद लिया या पहले लिया।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेक्सीमम पनिशमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत दिया जा सकता है वह दे दिया।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु.) : आपने जो बताया कि कथारदा कलां और बिचपुड़ी के सरपंचों के खिलाफ पुलिस में और विभागीय जांच चल रही है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब से चल रही है?

श्री परसराम मदेरणा : तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, स्थगित प्रश्न।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल, स्थगित प्रश्न।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न है। आपने बताया कि इन बाकी के दो केसेज में प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करके डिपार्टमेंट सैटिसफाइ हो गया और दोनों के खिलाफ वसूली के आदेश दे दिये गये और पुलिस को भी सेक्शन 409 के अन्तर्गत मामले दर्ज करने को कहा गया, तो इस तरह की बात के अलावा और क्या प्राइमा फेसी केस हो सकता है सरपंचों को सस्पेंड करने का? इनके अलावा और कौन से कारण हो सकते हैं सरपंचों को सस्पेंड करने के? जब आपके डिपार्टमेंट की यह मान्यता है कि उन्होंने खयानत की है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट आफिसर उनके खिलाफ जांच कर रहे हैं और आपने वसूली के आर्डर्स दे दिये हैं, पुलिस में भी केस रजिस्टर करा दिया है, फिर क्या कारण है कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया?

श्री परसराम मदेरणा : पुलिस में जांच चल रही है, विभागीय जांच भी चल रही है। अभी तक पुलिस इनवेस्टीगेशन और विभागीय जांच पूरी नहीं हुई है, जब तक वे फाइनल नहीं हो जाती हैं तब तक कोई भी ऐक्शन लेना उचित नहीं होगा। जांच के निर्णय के बाद ही कोई कार्यवाही हो सकेगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : सस्पेन्शन तो ड्युरिंग दी कोर्स ऑफ इनवेस्टीगेशन ही होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

Page No. 22

(श्री अध्यक्ष)

श्री बालसिंह सोढ़ा !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, 263 का उत्तर दिला दीजिये।

(**स्थगित प्रश्न** 5-9-68)

सीलिंग कानून के अन्तर्गत उठाए गए कदम

263. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): [श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कृषि भूमि पर अधिकतम जोत (सीलिंग) कानून को लागू करने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाए हैं? यदि हां, तो कब कब और क्या क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) सीलिंग से अधिक भूमि वाले खातेदारों को अपनी रिर्टन देने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई अवधि नियत की थी? यदि हां तो कब की थी? क्या इस अवधि में कोई बढ़ोतरी की गई है ?

(3) अभी तक कितने लोगों ने सीलिंग से अधिक जमीन होने की रिटर्न दाखिल की है ? इन रिटर्नों के आधार पर कितनी सरप्लस भूमि सीलिंग से ऊपर निकलती है ? कृपया रिटर्नों और भूमि के क्षेत्रफल के आकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन लोगों ने सीलिंग से अधिक जमीन होते हुए रिटर्न नहीं दी है अथवा अनुचित बेचान या झूठे बटवारे के आधार पर सीलिंग से कम जमीन होने का बहाना करते हुए रिटर्न नहीं दी है उन लोगों की जांच पड़ताल करने या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाए हैं।

(5) क्या रिटर्नों के आधार पर जो भूमि सरप्लस मान ली गई है उसको अपने कब्जे में लेने के लिए राज्य सरकार ने कोई कदम उठाए है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

(6) अभी तक कितनी कितनी भूमि किस किस जिले में, राज्य सरकार ने इस कानून के तहत अपने कब्जे में ली है और कितनी कितनी भूमि का उन जिलों में भूमिहीन किसानों में बटवारा किया गया है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) सीलिंग सम्बन्धित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ० 6 (120) राज० ख० 60, दिनांक 26-11-63, एफ०6 (9) राजस्व (ख)64, दिनांक 12-5-65 व दिनांक 26-4-66 एवं आदेश संख्या एफ० 6 (9) राज.(ख.) 64, दिनांक 7-6-68 जारी की गई।

अंतिम आदेश दिनांक 7-6-68 के अन्तर्गत 90 स्टैण्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि जिस किसान के पास निर्धारित तिथि की है उस भूमि का अधिग्रहण किए जाने के आदेश दिए गए हैं। जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। राजस्थान काश्तकारी (भूमि की अधिकतम् सीमा) सरकारी नियम 1963 के नियम 9 (ख) के अन्तर्गत निर्धारित तिथि अर्थात् 15-12-63 के 90 दिन के भीतर घोषणा-पत्र प्रेषित किए जाने हेतु प्रावधान किए गए। इस अवधि को

(श्री गंगाराम चौधरी)
उक्त नियम में संशोधन कर दो बार अवधि बढ़ाई गई ।

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(4) घोषणा-पत्रों की जांच की जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 30-डी० व ई० एवं 183 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी ।

(5) राज्य सरकार ने फिलहाल 90 स्टेन्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि को ही अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है । तदनुसार भूमि को कब्जे में लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

(6) अभी तक कोई भूमि कब्जे में नहीं ली गई है अत: भूमिहीन किसानों को आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): सीलिंग कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 1963, 1964, 1965 व 1966 में नोटीफिकेशन्स निकाले । उन नोटीफिकेशन्स के अन्तर्गत सीलिंग कानून लागू होने के पश्चात् आज तक राज्य सरकार एक भी बीघा जमीन अपने हाथ में ली है क्या ?

श्री गंगाराम चौधरी: मैंने निवेदन किया है जवाब में कि अभी तक नहीं ली गई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या यह सही है कि सीलिंग से अधिक भूमि वालों ने जो रिटर्न कानून के अनुसार एस. डी. ओ. के सामने पेश किए हैं, उन पर फाइल्स बनाकर कोई छानबीन नहीं की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी: इतने डिटेल्स मालूम नहीं हैं, जांच की जा रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: सीलिंग कानून के तहत यह अनिवार्य था कि जिस खातेदार के पास सीलिंग से अधिक भूमि है उन्होंने रिटर्न्स सम्बन्धित एस.डी. ओज. को पेश कर दिए। क्या यह सही है कि उन रिटर्न्स को पेश करने के बाद आज तक उन पर फाइल्स बनाकर कोई छानबीन नहीं की गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी: फाइल्स बनाकर छानबीन की गई है या नहीं, विस्तृत जानकारी नहीं है । रिटर्न्स पेश करने की जो तिथि निर्धारित की गई थी उसके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को रिटर्न्स पेश करना आवश्यक था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि जो 90 स्टेंडर्ड एकड़ आपने तय किया है वह इर्रीगेटेड और अनइर्रीगेटेड दोनों पर लागू होता है ?

श्री गंगाराम चौधरी: जी हां ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इर्रीगेटेड के लिए 90 स्टेंडर्ड एकड़ और अनइर्रीगेटेड के लिए भी 90 स्टेंडर्ड एकड़ ?

श्री गंगाराम चौधरी: कानून में जो स्टेंडर्ड एकड़ की परिभाषा है, उसके अनुसार 90 स्टेंडर्ड एकड़ है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या यह सही है कि इस 90 स्टेंडर्ड एकड़ के आधार पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सरकार ने तहसीलवाईज खसरावाईज कोई शिड्यूल बनाकर गजट में शाया नहीं किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी: यह सही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: तो किस प्रकार से 90 स्टैंडर्ड एकड़ को आधार मानकर बाकी भूमि को जब्त करके भूमिहीनों में वितरित करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी: 90 स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक भूमि को अधिग्रहण करने के प्रशासनिक आदेश हैं, जिनको गजट में शाया करने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: सीलिंग कानून ने राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति बना दी है कि न तो किसान को कुछ मालूम है और इसी बीच में सीलिंग कानून से बचने के लिए होशियार लोग जमीन को निकाल रहे हैं और इस कारण जो भूमियों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार अनिश्चितता की स्थिति राजस्थान में सरकार ने कर रखी है। सरकार को सीलिंग कानून के बारे में अपनी स्थिति ठीक प्रकार से स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री केदारनाथ: क्या यह सही है कि राज्य सरकार, एक अप्रेल, 1966 तक जितनी जमीन की सेल परचेज हो गई, उसको रेग्यूलेराइज करने का विचार कर रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी: समझा नहीं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल: एक अप्रेल, 1966 तक जितने ट्रान्सफर्स जमीन के हुए हैं, उनको रेग्यूलेराइज करने के सम्बन्ध में, वैलिडेट करने के सम्बन्ध में, क्या राज्य सरकार विचार कर रही है ?

श्री गंगाराम चौधरी: ऐसा कोई विचार सरकार के समक्ष अब तक नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: क्या सरकार विधान सभा में यह स्पष्ट करने की स्थिति में है कि जिन्होंने सीलिंग से अधिक भूमि को बेच दिया है या ट्रांसफर कर दिया है, सरकार उनको रेग्यूलेराइज नहीं करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी: मौजूदा नियमों के प्रावधान जो हैं उन्हीं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायगी।

श्री कृष्णकुमार गोयल: स्पेसिफिक सवाल यह है कि क्या राज्य सरकार आज इस स्थिति में है कि जिन्होंने सीलिंग से अधिक भूमि को किसी प्रकार ट्रांसफर कर दिया है, उनको रेग्यूलेराइज नहीं करेगी ?

श्री गंगाराम चौधरी: अब तक के नियमों में ऐसा प्रावधान ही नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या सरकार की मन्शा यह है कि कानून की क्रियान्विति में बारम्बार देरी करके कानून की मन्शा को ही समाप्त कर दिया जाय ?

श्री गंगाराम चौधरी: नहीं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या यह सही है कि सरकार ने भूमिहीनों से सीलिंग के अन्तर्गत सरकार के खजाने में आने वाली भूमि का वितरण करने के लिए प्रार्थना-पत्र मंगाए थे ?

श्री गंगाराम चौधरी: जी हां।

श्री दौलतराम सारण : क्या राज्य सरकार ने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कई खंडों में सीलिंग कानून को लागू करने का निश्चय किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अलग 2 खंडों को लागू करने का निश्चय नहीं किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : 90 एकड़ से नीचे क्या राज्य सरकार भूमि नहीं लेना चाहती सीलिंग कानून के अन्तर्गत ?

श्री गंगाराम चौधरी : फिलहाल जो निर्णय लागू है वह है 90 एकड़ से अधिक भूमि कब्जे में ली जाय।

श्री दौलतराम सारण : 30 स्टेंडर्ड और 90 एकड़ के बीच में कानून में प्रावधान है, वह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, न तो ये सीलिंग कानून लागू करते हैं। हर समय तलवार किसान के सर पर लटका रखी है, रोज नोटिस निकालते हैं, मनमाने तरीके से भूमिहीनों से प्रार्थना-पत्र इन्वाइट करते हैं, लाखों रुपये भूमिहीनों के ठग जाते हैं, लिखवाई के और मारे मारे फिरते हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरकार ने कभी इस बात का भी असेसमेंट किया है, कोई जिलावाइज स्टेटमेंट बनाया है कि सीलिंग कानून से बचने के लिए कितने ट्रांसफर्स हुए हैं और कोई इवेल्यूएशन किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : ट्रांसफर्स हुए हैं लेकिन कितने, यह मालूम नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने अनुमान लगवाया है कि अगर 90 एकड़ से अधिक वाला नोटीफिकेशन लागू हो तो राजस्थान में कितनी भूमि सरकार को मिल जायगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : किया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जिला अधिकारियों से मालूम किया था कि करीब 70 करोड़ की जमीन ट्रांसफर हो गई है, ऐसी सूचना सरकार को मिली है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे प्रश्न का उत्तर दें।

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसी सूचना नहीं मिली है। अगर हुए हैं तो धारा 83 में कार्यवाही की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार आंकड़ा बता सकती है कि जो 1968 में नोटिफिकेशन निकाला है और निर्णय लिया है कि 90 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण की जाय, कब्जे में ली जाय तो सरकार बता सकती है कि इसके अन्तर्गत कितनी भूमि सरकार को मिल पायेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : 90 एकड़ से अधिक कितनी जमीन किस किस जिले और किस किस तहसील में है, एम० डी० ओज० और कलेक्टर्स को लिखा है, वे जांच कर रहे हैं। इसलिए तो मैंने निवेदन किया था

Page No. 26

(श्री रामकिशोर व्यास)

कि पूरा जवाब नहीं आया है इसको बाद में लें लेकिन आपका आग्रह था कि जो भी सूचना है उसके आधार पर जवाब दिया जाय इसलिए जो मेरे पास सूचना थी निवेदन कर दी।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा।

जिला जैसलमेर में समरी सैटलमैंट एवं पक्का पैमाइश कार्य

268. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में समरी सैटलमेंट पहले हुआ और बाद में पक्की पैमाइश की गई और पक्की पैमाइश के समय कहीं पर समरी सैटलमैंट को आधार माना और कहीं पर कब्जा आधार माना गया?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोहरी व्यवस्था से पक्की पैमाइश में बहुत अनियमितातायें बर्ती गई हैं और गरीब जनता को कानूनी झगड़ों में डाल दिया गया है? अगर हां, तो क्या सरकार पक्की पैमाइश को वापिस दुबारा करा कर उपरोक्त अनियमितताओं का समाधान करने का विचार रखती है? अगर नहीं तो क्यों जब कि जैसलमेर कलेक्टर की भी यही राय है?

उपमंत्री, राजस्व(श्री गंगाराम चौधरी): (1) यह बात सही है कि जिला जैसलमेर का समरी सेटलमैंट तहसील पोकरण को छोड़कर सम्वत् 2014 में हुआ था। इसके बाद सन् 1962-63 से सन् 1966-67 तक इस जिले की विभिन्न तहसीलों का बन्दोबस्त का कार्य हाथ में लिया गया जो अभी पूरा नहीं हुआ है। इस बन्दोबस्त में कब्जे को ही आधार माना गया है।

(2) कोई दोहरी व्यवस्था नहीं अपनाई गई है और न अनियमिततायें हुई हैं और काश्तकारों को कानूनी झगड़ों में नहीं डाला गया है। कलेक्टर जैसलमेर ने पक्की पैमाइश को वापिस दुबारा कराने हेतु राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं।

(12 मध्याह्न)

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि जब यह सैटलमेन्ट कराया गया तो जैसलमेर में अकाल था?

श्री गंगाराम चौधरी : वर्षों से वहां अकाल है और सैटलमैंट के दौरान भी अकाल रहा है।

श्री बालसिंह सोढा : अकाल के कारण लोग माइग्रेट हो गये, आपका सैटलमेन्ट चलता रहा, लोग अपना कब्जा नहीं बता सके सैटलमेन्ट के बाद तो क्या आप वापिस सैटलमेन्ट कराने के लिये तैयार हैं?

श्री गंगाराम चौधरी : माइग्रेट हो गये इसकी सूचना अलग से सरकार के पास नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : लोग अकाल पड़ने से चले जाते हैं............

श्री अध्यक्ष : गाड़िया साहब, प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है...............

श्री अध्यक्ष : नहीं सही है; प्रश्नकर्ता सही हैं अभी ।

श्री वालसिंह सोढ़ा : सरकार के पास यह तो सूचना नहीं होगी कि लोग माइग्रेट कर गये लेकिन सरकार यह तो जानती है कि जैसलमेर पशुपालन का क्षेत्र है और पशुपालन के लिये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी : यह अलग से प्रश्न है । पशु लेकर जाया करते हैं । अभाव ग्रस्त होने का जो भी समय था उसमें सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट और अन्य रिलीफ कार्य खोले गये थे इसलिये इस सम्बन्ध में कोई विशेष आपत्ति पैदा नहीं होनी चाहिये ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : इस सदन में यह बताया गया कि कुछ गांवों में 9 वर्ष से अकाल है, कुछ गांवों में पांच वर्ष से अकाल चल रहा है और कुछ गांवों में चार साल से अकाल चल रहा है और राज्य सरकार जो पशु वगैरह बाहर जाते हैं उनके लिये चारा और पानी आदि की विशेष व्यवस्था रखती है, आंकड़े रखती है कि कितने लोग बाहर गये हैं । इसका अकाल सहायता विभाग के पास रिकार्ड है फिर कैसे कहते है कि लोग नहीं गये ?

श्री गंगाराम चौधरी : सहायता विभाग के पास हो सकता है राजस्व विभाग के पास नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस जगह अकाल पड़ता है, और आदमी पशु वगैरह वहां से माइग्रेट होते हैं तो कलेक्टर जो उनको माइग्रेट करता है उसकी सूची राज्य सरकार के पास भेजता है ।

श्री गंगाराम चौधरी : अकाल सहायता विभाग के पास से प्राप्त होती है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह अलग अलग सरकारें हैं । सरकार उस विभाग से नहीं पूछ सकती ?

श्री अध्यक्ष : राजस्व और सहायता अलग अलग विभाग हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अकाल पड़ा और जैसलमेर से लोग चले गये और सैटलमेन्ट हो गया तो यह उन लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय है । क्या सरकार इस बात का आश्वासन देगी कि फिर से उन कागजात को खोला जाकर सैटलमेंट पूरा कराया जायगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : सैटलमेंट का कार्य पांच छः साल से जैसलमेर में चल रहा है । लम्बे अर्से से बाहर रहे हों यह सम्भव नहीं है फिर भी उनकी कोई आपत्ति रही हो उस प्रकार की कोई शिकायत सैटलमेंट विभाग के पास पेश नहीं हुई है । दुबारा इसको कराने का प्रश्न नहीं है । नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह सरकार है या......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री वालसिंह सोढ़ा : सरकार ने बताया कि सात साल से अकाल पड़ रहा है । एक तरफ लोग अकाल से पीड़ित हैं और आप कहते हैं कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे इसलिए मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अकाल के कारण वे लोग पीड़ित हैं और कानूनी झगड़ों

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
में पड़ने में असमर्थ हैं इसलिये इसको वापिस कराने के आदेश दें।

श्री गंगाराम चौधरी : इस वर्ष जैसी स्थिति है उसका विचार करते हुए विचार किया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक सिद्धान्त का सवाल है। अकाल में सैटलमेन्ट अमुमन नहीं हुआ करता है। यह एक विशेष व्यवस्था का सवाल नहीं है यह तो एक को-आर्डिनेट पॉलिसी ऑफ गवर्नमैंट का सवाल है। आपस में विभाग की समस्यायें हल नहीं होंगी तब तक सरकार का निर्णय भी इस सम्बन्ध में नहीं हो सकता। आखिरकार, अध्यक्ष महोदय, सदन में भी चर्चा हुई कि सात साल तक लगातार अकाल है, वहां सैटलमेंन्ट हेंड इन हेंड होता है यह सरकार, यह सरकार की पॉलिसी और सिद्धान्त है इसके लिये सरकार की वाहवाही ही कहूंगा और क्या कहूं, जहां पर अकाल है सरकार जानती है कि अकाल में मास माई-ग्रेस होता है वहां आप सेटलमेन्ट ऑपरेशन को स्थगित नहीं करते यह तो दुर्व्यवस्था और अन्याय है, अध्यक्ष महोदय। सरकार का पुरजोर इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जहाँ अकाल है वहाँ सैटलमेन्ट ऑपरेशन स्थगित होने चाहिए और स्थगित नहीं करते हैं तो यह दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा नहीं है तो आप इसको किस प्रकार जस्टिफाई करते हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): एबनोर्मल फेमिन इयर को शुमार नहीं करते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या कहा आपने ?

श्री रामकिशोर व्यास : एबनोर्मल इयर को कन्सीडरेशन में नहीं लेते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एबनोर्मल इयर को कन्सीडरेशन में नहीं लेते हैं तो प्रश्न-कर्त्ता का ओब्जेक्शन है एक हद तक उसको हल कर पायेंगे। माननीय उपमंत्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कोई प्रकाश नहीं डाला। क्या मैं यह समझूं कि निश्चित रूप से आप ने जो अपनी सरकार की नीति बतायी वह ठीक है या उपमंत्री महोदय ने कहा कि कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है वह ठीक है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं बता रहा हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री शङ्करलाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई भूमि

276. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) [श्री सतीशचन्द्र (अग्रवाल, जौहरी बाजार, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(1) राजस्थान के विभिन्न जिलों में भूमि की अधिकतम सीमा (सीलिंग) कानून

(श्री शंकरलाल)
के अन्तर्गत कितनी भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस कानून के तहत कुल कितनी भूमि अधिग्रहण की जायेगी ?

(3) कानून लागू करने के पश्चात् जिन भूपतियों ने जमीन को कानून के विरुद्ध हस्तान्तरित कर दी है उनके विरुद्ध किस प्रकार, कब और क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गङ्गाराम चौधरी) : (1) अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार कोई भूमि अधिग्रहण नहीं की गई। पूर्ण सूचना एकत्रित की जा रही है।

(2) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30 डी० एवं 30 ई० तथा धारा 183 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्सट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा

श्री पृथ्वीसिंह : एक सप्लीमेन्टरी।

श्री विट्ठलप्रसाद: प्रश्न संख्या 278।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

माननीय वित्त मंत्री

मेलों में बाहर के व्यापारियों से सेल्स टैक्स की वसूली

278. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान के मेलों में जो राज्य के बाहर के व्यापारी अपनी दुकानें लेकर आते हैं और वहाँ पर माल बेचते हैं उनका बिक्री कर वसूल किया जाता है या नहीं ?

(2) यदि किया जाता है तो किस आधार पर ? क्या अस्थायी मूल्यांकन किया जाता है या वैसे ही टैक्स ले लिया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि बाहर के व्यापारी सेल्स टैक्स की चोरी करते हैं और यहाँ राजस्थान में व्यापारियों के मुकाबले कम्पीटिशन करके माल सस्ता बेच जाते हैं।

उप-मंत्री, वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल): (1) मेलों में आये बाहर के व्यापारियों से कर वसूल करने का कानून में अलग से कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अतः राजस्थान के व्यापारियों से कर वसूल करने के प्रावधानों के अनुसार ही मेलों में बाहर से आये व्यापारियों से कर वसूल किया जाता है।

(2) व्यापारी द्वारा रखे गए हिसाब के अनुसार और हिसाब नहीं रखने पर बिक्री के मूल्यांकन के आधार पर कर वसूल किया जाता है।

Page No. 30

(बृजप्रकाश गोयल)

(3) ऐसी स्थिति सामने नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : मैं पूछ रहा हूं—

क्या यह सही है कि कोटा पाटन आदि मे बाहर के व्यापारी मेलों में आते हैं वे कम्पीटिशन करते हैं इससे वहाँ के व्यापारियों को नुकसान होता है। इन्स्पेक्टर कोई एडजस्टमेन्ट नहीं करते हैं, ऊपर के ऊपर पैसे ले लेते हैं जिससे कम्पीटिशन में राजस्थान के व्यापारियों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आयी है। मेलों में कोई कम्पीटिशन होता है तो वह बतादें।

श्री विट्ठलप्रसाद : आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए झालावाड़, कोटा और दूसरी मंडियां जहाँ पर मेले लगते हैं वहाँ के व्यापारियो ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : सुना नहीं, दुबारा बोल दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए व्यापारियों ने कोई प्रार्थना-पत्र दिए क्या ?

श्री बृजप्रकाश गोयल : ऐसे प्रार्थना-पत्र सामने नहीं आये और अगर होंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री शेखावत।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या 135।

श्री विट्ठल प्रसाद : लाखों रुपयों का नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : विभाग के पास प्रार्थना-पत्र आगये, अन्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। उत्तर चलने दीजिये, माननीय सदस्य।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार के खड़े रहने पर) ऑर्डर माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सरकार का अर्थ क्या है यह समझा दीजिये ?

श्री अध्यक्ष : यह बहुत बड़ा है।

भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की भूमि

135. श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भारत पाक संघर्ष के समय व उसके पश्चात् पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की किस किस तहसील में कितनी कितनी भूमि सरकार के अधिकार में कब कब आई है ?

(2) इस भूमि में कितनी भूमि का कब कब आवंटन किया गया है ?

(श्री भैरोंसिंह)

(3) शेष भूमि में काश्त के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की गई है ?

(4) कितने व्यक्तियों ने जिनकी भूमि उनके पाकिस्तान चले जाने के कारण सम्बन्धित तहसीलों के अधिकार में आगई थी तहसीलों तथा एस०डी०ओ० के यहां उस भूमि पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(5) यह आवेदन-पत्र कितनी भूमि के लिये और कब कब दिये गये और उन पर किस किस विभाग या अदालत से क्या क्या निर्णय हुए और इस प्रकार कितनी भूमि वापस लौटा दी गई ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :-(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) शेष भूमि का आवंटन प्रार्थना-पत्रों के अनुसार किया जा रहा है।

(4) 12 व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिये।

(5) आवेदन-पत्र 819 एकड़ भूमि के लिये दिये। 131 एकड़ भूमि पर पुनः अधिकार दिये गये। सन् 1965 में 2 प्रार्थना-पत्र, सन् 1966 में 4 प्रार्थना-पत्र, सन् 1967 में 6 प्रार्थना-पत्र (कुल 12 प्रार्थना-पत्र)। इनमें से 4 प्रार्थना-पत्रों पर निर्णय देकर 131 एकड़ भूमि दी गई। 4 प्रार्थना-पत्र खारिज किये गये। 4 प्रार्थना-पत्र तहसीलदार, चौहटन के पास विचाराधीन हैं।

(क्रमशः लगातार 3 बे-रेहा)

श्री भैरोंसिंह : इस भूमि को सरकार अपने अधिकार में आने से पूर्व कानूनी सारी कार्यवाही कर चुकी ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में संशोधन कुछ अर्से पूर्व किया गया था उससे पूर्व जो भी प्रावधान थे उनके अन्तर्गत कार्यवाही की गई और बाद में संशोधन आ गये तो उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी भूमि ऐसी है जो कानून के अनुसार अभी सरकार के अधिकार में नहीं आयी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : विस्तृत जानकारी नहीं है। अलग अलग आंकड़े बता दिये हैं। इतनी सारी भूमि है। कानून कितनी भूमि में अधिकार नहीं है, इस बारे को नहीं जोड़ा है।

श्री भैरोंसिंह : सूची में जो भूमि सरकार के अधिकार में आने का उल्लेख है, क्या वह भूमि पूर्णतया कानूनी तौर से सरकार के अधीन है ? और कोई कानूनी कार्यवाही बाकी नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : जब तक कोई आपत्ति न हो, ऐसा ही माना जाता है।

श्री भैरोंसिंह : किन्तु मैं इस बारे में पूछ रहा हूं। प्रश्न में उल्लेख है। क्या इस भूमि के सम्बन्ध में पूरी कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं। राजस्थान टिनेन्सी

(श्री गंगाराम चौधरी)
एक्ट में कुछ धारा को जोड़ दिया था। उससे पहले जो भी प्रावधान थे, उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। जब तक कोई आपत्ति न हो, भूमि सरकार के अधीन मानी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : जिस भूमि का उल्लेख है, क्या यह भूमि कानूनी तरीके से सरकार के अधिकार में आ चुकी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न रिपीट हो रहा है और उत्तर भी रिपीट हो रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई बात नहीं रहती है।

श्री भैरोंसिंह : जिन चार व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र पर 131 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है, क्या ये चारों व्यक्ति हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान से वापिस आने पर उनके प्रार्थना पत्र पर आवंटन किया है ? और क्या उनके पाकिस्तान चले जाने पर जो कानूनी कार्यवाही होने वाली थी, वह हो चुकी थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : इन्हें भारतीय नागरिक मानकर ही निर्णय लिया गया है। प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पाकिस्तान जाने वाले कितने व्यक्तियों की भूमि सरकार के कब्जे में थी और कितनी भूमि उनको पाकिस्तान से वापस आने पर दी गई ? आपने 12 व्यक्तियों की ऐसी एप्लीकेशन का उल्लेख किया है। उनमें से 4 की एप्लीकेशन आपने स्वीकार की और 4 की एप्लीकेशन खारिज की। जिनकी स्वीकार की क्या वे व्यक्ति पाकिस्तान जाकर वापिस आ गये थे ? और उनके आवेदन-पत्र पर आवंटन किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा साबित नहीं हुआ था। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि वे पाकिस्तान नहीं गये थे। इस लिये यह निर्णय किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस बात का फैसला क्या रेवेन्यू विभाग ने ही किया या पुलिस ने इसकी तस्दीक की थी ?

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जमीन कैसे दे दी गई ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसीलदार ने जो निर्णय लिया, उसके आधार पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब कितने ऐसे प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन के सरकार के पास में विचाराधीन हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : कितने विचाराधीन है, इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान विधान सभा द्वारा अमेण्डमेन्ट, संशोधन इस कानून में पारित किया गया था। इससे पूर्व पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की भूमि को राज्य सरकार अपने अधीन में ले, और उसे कानूनी रूप देने का राज्य सरकार ने विचार किया था ? इस पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री गंगाराम चौधरी : कोई आपत्ति न हो तब तक राज्य सरकार के अन्दर ही भूमि

(श्री गंगाराम चौधरी)
वेस्ट करती है। आपत्ति जब होगी तब उस समय टीनेन्सी कानून के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरजीराम !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निवयूना रह जायेगा। इस सदन में मन्त्री महोदय ने कहा था चूंकि इसकी कानूनी व्यवस्था नहीं है इसलिये अड़चन होती है। कोई कानूनी अड़चन न हो इसलिये पाकिस्तान जाने वालों की भूमि राज्य सरकार में कानूनी तौर पर निहित हो जाये, इस दृष्टि से यह विधेयक राज्य सरकार लाना चाहती है। उन व्यक्तियों की भूमि, सम्पत्ति को राज्य सरकार अपने कब्जे में ले सके, इसमें कोई कानूनी आपत्ति न रह सके, इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। उसको कानूनी जामा पहनाने का सरकार विचार रखती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसको एग्जामिन करवा लिया जायेगा। अगर कानूनी खामी रहेगी तो उसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरजीराम स्थगित प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरड़क : प्रश्न संख्या 133 !

पंचायत समिति, डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

133. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)** क्या पंचायत व विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना, जिला नागौर के प्रधान के खिलाफ कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो 2 अक्तूबर, 1959 के बाद आज तक कौन कौनसी शिकायतें कब कब प्राप्त हुई तथा उन पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त शिकायतों में से किन्हीं शिकायतों में सरकार ने जांच भी करवाई है ? यदि हां, तो किन किन शिकायतों में कब कब किस किस अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई ? जांच की रिपोर्ट सरकार को कब कब प्राप्त हुई तथा उनमें क्या क्या कार्यवाही सरकार ने की ? सूची सदन की मेज पर मय जांच रिपोर्ट की प्रतियों के रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य के पुलिस विभाग ने किन्हीं मामलों में उपरोक्त समिति के प्रधान के खिलाफ केस चलाने की स्वीकृति पंचायत व विकास विभाग से मांगी ? यदि हां, तो कब कब किस किस मामलों में और सरकार ने स्वीकृति दी या नहीं ? अगर दी है तो कब कब और नहीं दी तो किन कारणों से। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, पंचायत एवं विकास विभाग (श्रीमती प्रभा मिश्रा) :—(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सदन की मेज पर रखी सूची में विवरण दिया गया है।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(3) जी हां, केवल एक मामले में, जिसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

श्री हरजीराम बुरडक : विवरण के अनुसार आपने जिला परिषद् से सहमति मांगी थी। जिला परिषद् से सहमति आने के बाद में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करना बाकी रहता है ?

पंचायत एवं विकास मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : जिला परिषद्, नागौर के पास, नियमों के तहत परामर्श के लिये भेजा गया था। यह सारा रिकार्ड दिनांक 25-4-67 को जिला परिषद्, नागौर के पास भेजा गया था और दिनांक 2-7-67 को जिला परिषद्,नागौर ने यह कहकर सारा रिकार्ड वापिस लौटा दिया कि जिला परिषद् की बैठक न हो सकी इसलिये कुछ भी परामर्श नहीं दिया जा सकता।

श्री हरजीराम बुरडक : रूल्स में यह प्रोवीजन है कि जिला परिषद् को नोटिस देने के बाद भी वह 30 दिन के अन्दर परामर्श नहीं दे तो राज्य सरकार निर्णय ले सकती है।

श्री परसराम मदेरणा : हमने उनके पास रिकार्ड भेजा था ताकि वे रिकार्ड के आधार पर अपना परामर्श दे सकें। इसलिये उन्होंने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाना आवश्यक था। यह सही है कि जिला परिषद परामर्श नहीं भेजती है, तो एक महीने के बाद राज्य सरकार उस पर कार्यवाही करने से नहीं रुक सकती। परन्तु चूंकि जिला परिषद् को रिकार्ड भेजा था कि जिला परिषद् रिकार्ड देखकर राज्य सरकार को परामर्श दे परन्तु उन्होंने तीन महीने के बाद यह कहकर रिकार्ड लौटा दिया कि जिला परिषद् की मीटिंग नहीं हो सकी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिनांक 2-7-68 के बाद आपने क्या कार्यवाही की है ? अगर जिला परिषद् एक महीने के अन्दर अपनी सम्मति नहीं दे तो राज्य सरकार को यह बाउण्ड नहीं करती। तब फिर राज्य सरकार ने निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में पहले भी बता चुका हूं जब यह प्रश्न सदन में दिनांक 2सितम्बर, 1968 को उठा था। मैंने आपको यह निवेदन किया था कि इस प्रश्न की सम्बन्धित पत्रावली हमने विधि विभाग को भेजी थी परन्तु इस प्रश्न के यहां उठने से यह पत्रावली वापस मंगवा ली थी। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री गिरधारीलाल व्यास।

स्थगित प्रश्न

(10-9-68)

ग्राम नुबालिया की चरागाह की भूमि पर नाजायज कब्जे

312. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नुबालिया, पटवार सर्कल जालरिया, तहसील आसीन्द

(गिरधारीलाल व्यास)

जिला भीलवाड़ा में आराजी नं० 117/209 रकबा 314।।) बीघा 1962 में चरागाह मुकर्रर की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तयशुदा चरागाह का नक्शा व ट्रेस बनकर जिलाधीश द्वारा यह चरागाह स्वीकृत हुई थी ?

(3) क्या उक्त चरागाह पर गांव वालों ने नाजायज कब्जे कर लिये मगर तहसील ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की ?

(4) क्या यह सही है की इस चरागाह पर नाजायज़ कब्ज़ों को हटाने के सम्बन्ध में जिलाधीश व उप-जिलाधीश भीलवाड़ा व गुलाबपुरा को निवेदन किया गया ? यदि हां तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई व नाजायज़ कब्जे हटाये गये या नहीं?

(5) क्या यह सही है कि इस चरागाह के पुराने नक्शे व ट्रेस निकाल कर दूसरा फर्जी नक्शा व ट्रेश लगा दिया और मुकर्रर शुदा चरागाह का नम्बर बदल दिया है ? अगर हां तो जिन अधिकारियों ने इसके तब्दील करने में सहयोग दिया उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा चरागाह पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) ग्राम नुवालिया के खसरा नम्बर 177/208 में से 314।।) बीघा भूमि चरागाह मुकर्रर की गई थी।

(2) भाग 1 के उत्तर में बताई गई भूमि जिलाधीश द्वारा चरागाह के लिये स्वीकृत की गई थी।

(3) यह सही है कि उक्त चरागाह पर गांव वालों ने नाजायज कब्जे किये हैं। लेकिन यह सही नहीं है कि तहसील ने कोई कार्यवाही नहीं की। पटवारी की रिपोर्ट आने पर इन लोगों के खिलाफ मुकद्दमे दायर किये हैं।

(4) जी हां, चरागाह पर नाजायज़ कब्जे हटाने के सम्बन्ध में जिलाधीश को आवेदन-पत्र दिया गया जिस पर दिनांक 7-8-68 को जिलाधीश द्वारा तहसीलदार को यह निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण की गई भूमि चरागाह के लिये डिमारकेट की जावे व उसमें जितने नाजायज़ कब्जे हैं उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जावे।

(5) इस चरागाह को प्रस्तावित करते समय जो ट्रेस बनाया गया था वह उपलब्ध नहीं है। उक्त ट्रेस के स्थान पर कोई दूसरा नक्शा नहीं लगाया गया है। ट्रेस या चरागाह के नम्बर बदलने के बारे में जांच जारी है। इसके परिणामों के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नाजायज कब्जे की रिपोर्ट कलेक्टर के पास कब की है, तहसील में कब की है ? कृपया तारीखवार बताइये।

श्री गंगाराम चौधरी : पूरी डिटेल्ड में जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने नाजायज़ कब्जे किये हैं उन लोगों के खिलाफ धारा 19 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो नाजायज कब्जे किये गये हैं, वे तहसीलदार की जानकारी में थे। तहसीलदार उनसे मिला हुआ था। उसने कोई

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
कार्यवाही नहीं की। बाद में जिलाधीश को 7-8-67 को एप्लीकेशन देने पर कार्यवाही शुरू की। इसके अलावा यह बताने की कृपा करें कि नाजायज कब्जे हटाने की कार्यवाही जिलाधीश के आदेश के बाद शुरू की गई या उसके पहले से कार्यवाही चल रही थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिलाधीश के आदेश के बाद शुरू की गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चरागाह का नम्बर बदला गया, नक्शा बदला गया तहसीलदार द्वारा इन्सपेक्टर द्वारा आपने कहा है कि तीन अधिकारियों ने बदला है, नम्बर बदले हैं इस तरह से उन्होंने नाजायज फायदा उठाया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ससपेण्ड करके कार्यवाही करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): तहकीकात से साबित हो जायगा तो सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नक्शा ट्रेस बदला गया, चरागाह का नम्बर बदल दिया गया, तहसीलदार इन्सपेक्टर और पटवारी ने मिलकर नक्शा बदल दिया है जैसा कि आपके जवाब से साबित है तो आपको चाहिये कि उसको ससपेण्ड करके कार्यवाही करें ?

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब में तो यह कहा गया कि ट्रेस अवेलेबल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ससपीसियस सरकम्सटान्सेज हैं उसी के आधार पर इन्क्वायरी की जा सकती है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

(स्थगित प्रश्न)

(3-9-68 व 10-9-68)

बीकानेर जिले में अकाल राहत कार्य और मजदूरी का भुगतान

152. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1968 में कुल कितने फेमिन कैम्प चले और किस किस कैम्प पर मजदूरों की कुल संख्या क्या रही। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले में फेमिन कैम्पों पर लगने वाले मजदूरों को 2॥ महीने तक मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया ? यदि हां तो इसकी क्या वजह है ?

(3) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के फेमिन कैम्पों पर लगने वाले मजदूरों को सरकारी रेट न देकर कहीं पर 20 पैसे, कहीं पर 25 तथा कहीं पर 50 पैसे भुगतान किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

(4) बीकानेर जिले के जिस जिस कैम्प पर मजदूरी का जो भुगतान किया गया वह किस किस तारीख पर तथा किस तारीख से किस तारीख तक का किया गया है और किस किस कैम्प पर किया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि नापासर से जसरासर रोड़ वाया हमामदेशर व साधासर न बावतु इन कैम्पों को खुलवाने के लिये

Page No. 37

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

सरकार ने व जिलाधीश ने कोई आदेश दिया ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(6) क्या यह सही है कि इन फेमिन कैम्पों को खुलवाने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत, बाधनू, साधासर व सनीवाला द्वारा राज्य सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी इन कैम्पों को नहीं खोला गया ? यदि हां, तो इसकी क्या वजह है ?

(7) क्या यह सही है कि जिला अकाल सहायता कमेटी ने उपरोक्त कैम्पों को खुलवाने की मांग की ?

(8) क्या यह सही है कि उक्त फेमिन कैम्प खुलवाने के सम्बन्ध में जिला परिषद् बीकानेर व पंचायत समिति, नोखा द्वारा प्रस्ताव पारित करके मांग की गई थी ?

उप-मंत्री अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी): (1) बीकानेर जिले में सन् 1968 में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभिकरण से 35, राजस्व अभिकरण से 3, वन विभाग के अभिकरण से 1 कुल 39 कैम्प चलाये। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां, यह सही है कि बीकानेर जिले में राहत कामों में लगने वाले मजदूरों को कुछ कैम्पों पर कुछ अवधि के लिये 20 न. पै. कहीं पर 25 न. पै. कहीं पर 50 न. पै. तक भुगतान किया गया है। इस का कारण यह है कि श्रमिकों ने जितना कार्य मौके पर किया, उसके अनुपात के अनुसार उन्हें भुगतान किया गया है। सामान्यतया पूरा चुकारा किया गया है।

(4) बीकानेर जिले से जिन 2 कैम्पों पर जिन 2 तारीखों को भुगतान के लिये अभिदर्शकों को धनराशि दी गई, उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। उसके बाद कैम्प पर चुकाने का 2.3 दिन का समय और लगा है।

(5) सहायता विभाग द्वारा अपने पत्र सं० 7805, दिनांक 2-5-68 तथा जिलाधीश द्वारा पत्र सं० 1869-72, दिनांक 13-5-68 से उक्त कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति दी गई थी।

(6) अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र सं० 11981, दिनांक 5-7-68 द्वारा जिलाधीश से धनराशि के आवंटन की मांग की एवं सहायता विभाग की स्वीकृति की मांग की। जिसका उन्हें दिनांक 15-7-68 द्वारा जिलाधीश का उत्तर मिलने पर सहायक अभियन्ता को दिनांक 20-7-68 को तखमीना तैयार करने के आदेश दिये गये। चूंकि सहायता कार्य 31-7-68 तक बन्द हो जाने थे अतः कुछ समय के लिये इस कार्य को चालू नहीं किया गया।

(7) जी हां।

(8) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जहां तक सूची का सवाल है मेरे को नहीं दी गई है काले कारनामों की सूची देकर छिपाया गया है। आज भी जो जवाब दिया गया है वह सन्तोषजनक नहीं है मैं सरकार से चाहूंगा कि जहां जहां पर 20 पैसा दिया गया उसकी सूची मुझे दी जाय और जहां 20 पैसा

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
मजदूरी का दिया गया क्या वहां पर मजदूर काम नहीं कर रहे है सरकार के अनुसार किसी ने काम नहीं किया तो क्या वे मजदूर वहां पड़े पड़े ही खा रहे हैं ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): जहां तक सूची का प्रश्न है माननीय सदस्य को तारीख 10 को ही दे दी गई थी उस सूची में कोई तरमीम नहीं की गई इस लिये दुबारा सूची नहीं दी गई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: मेरे को सूची नहीं दी अंग्रजी में थी वह मैंने उसी वक्त लौटा दी।

श्री परसराम मदेरणा: उसकी हिन्दी कापी करवाकर माननीय सदस्य को दे दूंगा। अब रहा यह प्रश्न कि वहां पर लोग काम नहीं करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं या नहीं। इस सम्बन्ध में शिकायतें राज्य सरकार के पास आयी एडीशनल कलेक्टर आदि ने जहां जहां काम हो रहा था वहां जाकर देखा है उन्होंने शिकायत की है कि कुछ सड़कें ऐसी है जहां पर पेमैन्ट का प्रश्न है मजदूरों को कम वेतन क्यों दिया जा रहा है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद हमने इस सब मामले की जांच के लिये कलेक्टर बीकानेर को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया। राज्य सरकार इस पर सिम्पेथिटिकली विचार करेगी। जो मजदूरी प्राप्त करने का जायज हक है उसमें किसी प्रकार से कमी न की जाय यह हमारा ध्येय है चूंकि इसमें प्रश्न मेजरमैन्ट का है, मेजरमैन्ट के आधार पर मस्टररोल के आधार पर जो अमाउन्ट निर्धारित किया है वह अमाउन्ट चार्ज करने के बारे में इन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की है उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार फैसला करेगी।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़): मजदूर कानून के अन्दर रिलीफ के मजदूरों को कम दिया जाय यह प्रावधान है क्या? या उसमें कितना काम किया जाय काम का मेजरमैन्ट उसमें है क्या?

श्री परसराम मदेरणा: तीन मजदूरों में एक खोदने वाला एक लेजाने वाला और एक बच्चा होता है। इन तीनों को तीन प्रकार की मजदूरी दी जाती है। फेमीन में जो काम करते हैं उनको थोड़ा टास्क पूरा करना होता है।

मजदूरी क्या देते हैं वह फेमीन कोड में दिया हुआ है वहां पर मिनीमम वेजेज लागू नहीं होते।

श्री हीराभाई: उनको बीस पैसा चुकाया किनने है ?

श्री परसराम मदेरणा: फेमीन में जिन्होंने काम किया है उनको चुकाने का प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण: 20 पैसा और 15 पैसा जो काम के अनुसार आप देते हैं क्या सभी जगह इसी हिसाब से पेमैन्ट किया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा: सभी में किया गया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: स्थिति यह है कि आपको जानकारी देना चाहता हूं। सरकार के बिल्कुल ध्यान में नहीं है जिस तरह से अधिकारियों ने बरताव किया है वे पूरा पैसा उनको देना नहीं चाहते हैं।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

पूरे बीकानेर जिले में किसी भी मजदूर को पूरी मजदूरी किसी भी काम की नहीं चुकाई गई। बीस पैसा जो चुकाया गया इस आधार पर चुकाया गया बीकानेर जिले के मजदूर का नाम उस लिस्ट में नहीं मिलेगा बाहर से दूसरे जिलों से मजदूरों के नाम लेकर मस्टर रोल में लिखा गया और पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारियों ने उनका शोषण किया है मजदूरों की गाढ़ी कमाई के पैसे को खा गये मस्टररोल की जाँच कराई जाय। क्या सरकार उनकी गाढ़ी कमाई और खून पसीने की कमाई का पैसा दिलाने के लिए तैयार है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार इन्क्वायरी के लिये तैयार है। प्रश्न के सम्बन्ध में आपने जानकारी चाही वह दे दी गई। इस समय सप्लीमैन्टरी में ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जिनकी बिना जानकारी उत्तर नहीं दिया जा सकता। दूसरे जिले के मजदूर काम कर रहे थे फर्जी मस्टररोल बनाये आदि ऐसी बातें हैं जिनके बारे में राज्य सरकार जांच करवायेगी।

श्री दौलतराम सारण : आपने जवाब में कहा था इसी सदन में कलेक्टर बीकानेर ने राज्य सरकार को सूचना दी थी कि मस्टर-रोल में गड़बड़ियां की गई क्या इस प्रकार की शिकायत की है ? और अध्यक्ष महोदय, फरजी मस्टररोल बनाये गये हाजरियां गलत बनाई गई। हाजिरों की संख्या बढ गई तो औसत काम स्वाभाविक रूप से कम आया और मजदूरी कम मिली। क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सब जांच में आ जावेगा। पहले और जिले को बात कह रहे थे दूसरे जिले की नई बात आई है, इसको भी जांच में शामिल कर लेंगे।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह प्रश्न पहले भी सदन में आया था और सप्लीमैन्टरी प्रश्न इस पर मैंने पूछा था। माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर में मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे स्वयं बीकानेर जाकर इसकी जांच करावेंगे। यह बहुत जटिल और कठिन समस्या है। मैं मानता हूं। पर मुझे थोड़ा बहुत डूंगरपुर के दुष्काल का अनुभव है। फरजी मस्टररोल और फार्म बनते हैं, पेमेंट बराबर नहीं होता, पेमेन्ट आधा पड़ा होता है। फरजी मस्टर रोल में मैंने एक नाम लिखा हुआ देखा धोतिया वल्द पोतिया। तो धोतिया पोतिया के नाम के भी आदमी हुआ करते हैं। तो यह ऐसी समस्या है जिसका अध्ययन स्वयं माननीय मन्त्री महोदय वहां जाकर करें और उसका हल निकालें। जाने का बड़ा भारी असर पड़ेगा एक तो जो लोग थके भूखे बेचारे परेशान हैं उनको मन्त्री के आने का सुन कर भी तसल्ली होगी। आखिरकार आप जनता की सरकार हैं। वहां अपना मुंह बतावें कि मैं आया हूं, फिक्र मत करो, तुम्हारी उचित व्यवस्था होगी, उनको इससे ही कुछ तो दिल जमई होगी। स्वयं जांच करेंगे तो पता भी लगेगा और कर्मचारी भी डरेंगे। पर ये तो यहां बैठे थर्ड हैवन में बैठे आदेश देते हैं जांच करो। वहां तो जांच करने वाले ही गुनाहगार हैं, गद्दार हैं, एन्टी सोशल एलीमेन्ट हैं। स्वयं जाकर कुछ करियेगा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : जांच अधिकारी कलेक्टर बीकानेर को नियुक्त किया

Page No. 40

(श्री परसराम मदेरणा)

है। बीकानेर कलेक्टर सुभाषचन्द्र जिसके बारे में निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति है इसलिये उसके लिये यह कहना कि गद्दार है, एन्टी सोशल एलीमेन्ट है बात मेरी समझ में नहीं आई कि विरोधी पक्ष के नेता क्या कह रहे हैं।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : मैं कलेक्टर पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाता। मैं जिम्मेदार आदमी हूं। अमूमन आदत नहीं है इस तरह के आक्षेप लगाने की। पर आपके कर्मचारी बेईमान हैं, यह आप अनुभव नहीं करते हैं और अगर यह अनुभव नहीं करते हैं तो इस कुर्सी पर बैठने के योग्य भी नहीं हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी योग्यता का निर्णय मैं आपसे नहीं करवाना चाहता।

(शोरगुल : अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : सुखाड़िया जी से ही करवाओ।

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह : मैं तो समझता हूं कि यही नीति है आपकी और यही सोचने करने का तरीका है तो यह आपकी केवल अपनी हिलती हुई कुर्सी कायम रखने की नीति है जनता फिर जाए जहन्नुम में।

श्री परसराम मदेरणा : जांच तो कलेक्टर बीकानेर को दी है और विरोधी पक्ष के नेता महोदय सभी राज्य कर्मचारियों की बात करते हैं। मैंने राज्य कर्मचारियों की ईमानदारी की बात नहीं कही। मैंने कलक्टर बीकानेर की ईमानदारी के बारे में कहा है। ऑनेस्ट और इन्टेग्रिटी का आदमी है यह। इस जगह पर कुछ कैलीबर का आदमी भी होना चाहिये वह भी वह है साथ ही लगन से काम करने वाला व्यक्ति है। स्वयं ने उनको डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस की तौर पर काम करते हुए देखा है। वे ही स्पाट पर कलक्टर हैं। इन सब मुद्दों को देख कर ही उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया है। अब जांच तो जांच अधिकारी ही करेगा। मैं तो जाकर बयान नहीं ले सकता। अब स्वयं उस एरिया में जाकर देखने की बात से मैंने पहले भी इन्कार नहीं किया। यह हैवन वैवन में रहने की बात कहते हैं तो मैं नम्रता पूर्वक निवेदन कर दूं कि जब कभी फेमीन पड़ा है मैं उस इलाके में गया हूं। मैं खुद उस इलाके का रहने वाला हूं। चाडी का रहने वाला हूं। और फेमीन के वक्त काम करने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शुरू शुरू में शिकायतें आने लगी तो हमने पी० डब्ल्यु० डी० के डिप्टी मिनिस्टर को भी भेजा था कि क्या मामला है। डिले क्यों होती है पेमैन्ट में और देरी होती है तो फिर तो राहत का जो उद्देश्य देने का राज्य सरकार का है वही डिफीट हो जाता है। इसके बाद भी जो यह मसला सामने आया है इसकी भी जांच करने का मामला जांच अधिकारी के सुपुर्द कर दिया है। जहां तक मजदूरों के बीच में जाने और उनकी हालत देखने का सवाल है मैं इस सदन के समाप्त होने के बाद बीकानेर जाऊंगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : जिन मजदूरों की मजदूरी बकाया है वह अमुक समय में एक हफ्ता में या दस दिन में चुका देंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : यही तो प्रश्न है। यही तो वे कह रहे हैं कि मजदूरी कम दे रहे हैं और कम देने के बारे में पी०डब्ल्यु० डी० के अधिकारी कह रहे हैं कि मेजरमेन्ट से मजदूरी दे रहे हैं जो इतनी ही बनती है। दूसरी तरफ से इसे नहीं लिया गया। तो ये ही मुद्दे एन्क्वायरी के हैं।

श्री दौलतराम सारण : बीकानेर के कैम्प में ढाई-तीन महीने में पेमेन्ट हुआ है और एक कैम्प का तो आज तक नहीं हुआ। छः महीने हो गये। आज भी वही स्थिति है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसको गहराई से मालूम करें, ये अकाल में रोजी-रोटी के लिये काम करें और उनको बीस पैसा मिले तो इसमें वे कैसे गुजारा करेंगे, समझ में नहीं आ सकता, सोचिये, गौर करिये थोड़ा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक सवाल।

श्री हीराभाई : पी०डब्ल्यु०डी० मेजरमेन्ट में गड़बड़ी करती है,······

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक मिनिट, अध्यक्ष महोदय। स्थिति बड़ी गम्भीर है। यह किसी एक कैम्प का सवाल नहीं है, सभी कैम्पों में यही हाल है। मजदूर ईमानदारी से काम करता है···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ये सब गड़बड़ियां, ये सरकारी कर्मचारी जानबूझ कर करते हैं। काम नहीं देते। पैसा भी काट लेते हैं। अपने झूठे मस्टर रॉलों में गलत आदमियों के नाम दर्ज कर के पांच पैसे पेमेन्ट किया गया है। और आज भी लगातार छः महीनों से पेमेन्ट नहीं किया है। दो-दो, तीन-तीन, चार-चार महीने का लोगों का बकाया पड़ा है। बीस पैसे भी बकाया पड़े। मैं पूछता हूं ये सब सरकार और इसके कर्मचारी उन गरीब मजदूरों से क्या चाहते हैं? गरीबों का खून वे क्यों चूसते हैं। उनकी मेहनत की कमाई का पैसा ईमानदारी से उनको क्यों नहीं देते। और यह सरकार भी एन्क्वायरी का ढोंग रचती है। क्या एन्क्वायरी करवायेगी? वर्षों इसी में लग जावेंगे। यह तो ऊपर से नीचे तक सब एक ही थैली के हैं।

(शोरगुल : कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो चुका। प्रश्न समाप्त हुए।

(फिर शोरगुल : अश्रव्य)

आॅर्डर ! आॅर्डर प्लीज।

नहीं लिखें यह उनका वक्तव्य।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर ! (बहुत जोर की आवाज में)।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : प्रश्न यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, 5 नये पैसे में चाय का प्याला नहीं आता । पाँच नये पैसे में कोई चीज नहीं आती है । आप कहते हैं कि एन्क्वायरी करा लेंगे । एन्क्वायरी में ढाई महीने लग जायेंगे । उनको पेमेन्ट नहीं हो रहा । उनके पेट में इससे क्या पड़ेगा, अध्यक्ष महोदय ? अगर यही सुस्ती रहेगी, यही व्यवस्था रहेगी जैसे उदयपुर में भील हथियार उठा रहे हैं । इसी तरह की स्थिति रही तो भुखमरी कैसे चलेगी ? इस सुस्ती से राज्य सरकार का काम चलने वाला नहीं है । अकाल की छाया पड़ रही है । आप चाहें विधान सभा को स्थगित करें या नहीं, मन्त्री जी वहां जा नहीं सकते । मुख्य मंत्री जी वहाँ जा नहीं सकते । लोग भूखों मर रहे हैं……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूरी व्यवस्था करें, नहीं कर सकते हैं तो मन्त्री महोदय……

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! (बहुत जोर की आवाज में) ।

श्री रामकिशन (वैर): यह प्रश्न बड़ा गंभीर है अध्यक्ष महोदय । सदन में व्यवस्था रहे या नहीं रहे । हम लोग अव्यवस्था पैदा करने वाले नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं सरकार के विवेक को क्या हो गया है ? 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे मजदूरों को मजदूरी मिल रही है । अनेक बार यह प्रश्न सदन में आया है । आपका जवाब होता है हम एन्क्वायरी करा लेंगे । अकाल में आप मिनिमम वेजेज का पालन नहीं कर रहे हैं । जो रेट निर्धारित हैं 1 रु० 20 पैसा वह रेट उनको मिलनी चाहिये । आज उनको 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे और 20 पैसे मिल रहे हैं । वे लोग 10-10 मील से चलकर आते हैं वे कैसे अपना जीवनयापन करेंगे, अध्यक्ष महोदय ? मृत्यु लोगों को पुकार रही है । मैं मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि इसको इस दृष्टि से नहीं रखा जाय । आज 45 रु० मन गेहूं का भाव हो गया है, 30-40 रु० मन आज बाजरे का भाव हो गया है । इस मामले में मन्त्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें । अकाल की जो तनख्वाहें हैं वह हर स्थिति में मिलती रहेंगी, अध्यक्ष महोदय, और राज्यों में ऐसा नहीं है । यू० पी० हमारा पड़ौसी है, वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं है । राजस्थान में इस तरह की हालत हो । बेईमानी से गलत मस्टर रॉल भरे जा रहे हैं । ये सारी बातें अलग अलग हैं लेकिन यह प्रश्न है । इस पर हम शान्त नहीं रह सकते । सरकार को अपना विवेक काम में लेना चाहिये । 20 नये पैसे में क्या चीज आती है ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है जो रिलीफ वर्क के मजदूर काम कर रहे हैं उनको टास्क बेसिस पर मजदूरी दी जाय या डेली अटेन्डेन्स के बेसिस पर मजदूरी दी जाय । जितना काम करेंगे, उतनी मजदूरी मिलेगी इस प्रकार का प्रॉविजन फेमीन कोड में है । माननीय सदस्य कह रहे मजदूरी ज्यादा हो अगर टास्क बेसिस पर लागू नहीं करेंगे तो फेमीन के कामों पर अधिक पैसा आता है और वह कॉन्ट्रैक्टरों को जाता है । राजस्थान में हमेशा अकाल बना रहता है और बनी हुई स्थिति में हमेशा एक करोड़ कभी कभी 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ तक खर्च हो जाता है । उसमें जो मजदूर काम करते हैं उसमें 20 तरह के

(श्री परसराम मदेरणा)
ऑडिट ऑब्जेक्शन होते हैं। प्रश्न मौलिक जो है वह यह है कि फेमीन कोड की धारा 78 को लागू रखा जाय या डेली अटेन्डेन्स के आधार पर वेजेज का पेमेन्ट किया जाय। यह मौलिक प्रश्न है। मैं माननीय सदस्य की भावना को समझते हुये इसको दुबारा मन्त्री मण्डल में ले जाऊंगा कि राज्य सरकार को अन्त में क्या निर्णय लेना चाहिये। आज जो रिलीफ वर्क हो रहे हैं वह टास्क बेसिस पर होते हैं। टास्क बेसिस पर जितना काम करते हैं उतना पेमेन्ट करने का अधिकार है ज्यादा नहीं।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय 5 तारीख को मांग की गई, 5 मई को राज्य सरकार ने कोई आदेश नहीं दिया। राज्य सरकार के आदेश देने के बाद 13 तारीख तक कलेक्टर ने कोई आदेश नहीं दिया और उसके बाद पी० डब्ल्यू० डी० ने कोई काम नहीं किया पूरा साल यों ही निकल गया। एक तरफ यह स्थिति दूसरी तरफ जो काम चालू किया गया उसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे और 20 पैसे मजदूरी के दिये गये। मंत्री महोदय कहते हैं काम के हिसाब से मजदूरी दी गई है। हमारी आपत्ति यह है कि काम के हिसाब से मजदूरी कतई नहीं दी गई है। यह गलत उत्तर है, तथ्यों से परे है, बेईमानी के आधार पर मजदूरी दी गई है। उनकी रोजी-रोटी का सवाल है। आप खुद सोचें क्या वे मजदूर जो अकाल के काम पर आते हैं 5 नये पैसे का काम करेंगे? यह बिलकुल निराधार है, गलत है......

श्री अध्यक्ष : अब कृपया आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दौलतराम सारण : 2-2, 3-3 मील से चलकर वे मजदूरी करने आते हैं और क्या वे 5 नये पैसे की मजदूरी करेंगे? क्या यह मानने वाली बात है भूख से मर रहे हैं। डूब मरने की बात है इसमें परसराम जी मैं आपसे कहूंगा कि आप......

श्री अध्यक्ष : बार बार नहीं डूबा जाता है, एक बार डूबा जाता है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, उनको मजदूरी......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर! माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (बहुत जोर की आवाज में)।

श्री रामकिशन : आप कृपया अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह मामला बहुत गंभीर है, अध्यक्ष महोदय......

(बराबर बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य बराबर बोलते रहे) रेकार्ड नहीं किया जाय।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की बुद्धि की बात है दिमागी काम करने वालों को 80, 90 रुपया और श्रम से काम करने वाले को 20 नये पैसे। अध्यक्ष महोदय, मेरे मन में हजारों

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
भयंकर रोष है और मैं इस पर बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : आप (श्री मनोहरसिंह मेहता) इसको बड़े सस्तेपन से ले लेते हैं आपने कोई प्रकाश तो डाला ही नहीं।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि मैं इसको मंत्री मण्डल के समक्ष धारा 78 का संशोधन कराने ले जाऊंगा। मुझे खेद है उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया कि मनुष्य फेमीन कोड के लिये है या फेमीन कोड मनुष्य के लिये है।

श्री अध्यक्ष : बहिर्गमन है।

श्री नत्थीसिंह : गैर जिम्मेदारी का जवाब है इस के फ स्वरूप हमारा दल बहिर्गमन करता है।

(बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, बर्बरता की चरम सीमा है। भूखे मरते इन्सान के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। आज अकाल से पीड़ित इन्सान रोजी-रोटी के लिए तड़फ रहा है। आप कानून का सहारा ले रहे हैं और बेईमानों को पनाह देते हैं। मैं अपने दल के साथ साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सब जगह आज भूख से मर रहे हैं। चाहे हमको आज मरना पड़े...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर ! माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : (श्री चुन्नीलाल इंदलिया के बराबर बोलते रहने पर) इनका भाषण नोट नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : (श्री चुन्नी लाल बराबर बोलते रहे) आप बहिर्गमन कर रहे हैं ?...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया :

× × ×

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सदन छोड़ें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का भाषण नहीं लिखा जाये।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : × × ×

माननीय सदस्य को अब मैं **नाम से** पुकारता हूं। या तो स्थान ग्रहण करें या फिर बाहर जायें।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : × × ×

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा सदन से बहिर्गमन)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ह्यूमन प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं एक हद तक सरकार की

[× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण नहीं लिखा गया।]

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

फमनेस भी इस मामले में ग्रनजस्टीफाइड नहीं है। लेकिन यहां पर ऐसे गम्भीर ग्रारोप ग्रापके ऊपर लगाये गये हैं दुर्भाग्य की बात यह है कि ग्रापके ग्रोर से कोई कार्यवाही नहीं होती। दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा हो चुकी है। 20 पैसे लोगों को ग्राप उजरत के दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो लोग ग्रंगूठे मस्टर रोल के ऊपर लगाते हैं मंत्री महोदय सब की बातें सुनकर इस ह्यूमन प्रॉबलम के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए फेमिन कोड की टेक्नीक्लिटीज की बाल की खाल निकालते हैं मेरे ख्याल से इससे घोर ग्रसन्तोष प्रकट करते हुए मैं ग्रौर मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

(बहिर्गमन)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकार की ग्रोर से जैसा रवैया इस चर्चा पर हमेशा रहा है वह कोई संतोषजनक नहीं रहा है ग्रौर ग्राज भी जब यह चर्चा गंभीर रूप में उठी ग्रौर उसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने केवल जांच की कह कर संतोष दिलाना चाहा सदन को मैं समझता हूं कि सदन को उससे सन्तोष नहीं है। सरकार को गंभीरता से इस प्रकार के प्रश्न को लेना चाहिए था ग्रौर ग्रभी जितने प्रश्न सदन में उठे हैं मैं समझता हूं कि जो मंत्री महोदय प्रश्न के समय उत्तर दे रहे थे यहां पर ग्राकर कहना चाहिए था कि जांच करली गई है ग्रौर दोषी व्यक्तियों को दण्ड दे दिया गया है ग्रौर जिनकी बकाया है वह चुका दी गई है। मैं समझता हूं कि इसका उत्तर ग्रसन्तोषजनक है ग्रौर इस प्रश्न पर मैं ग्रपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री ग्रध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि उदयपुर जिले के ग्राम फलासिया, भाडोल, भोमट, जूड़ा मानरवा ग्रादि क्षेत्रों में हजारों ग्रादिवासी भील द्वारा भूखमरी एवं ग्रकाल की स्थिति के कारण लूट-पाट करने तथा पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें निम्न माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं···

महारानी श्रीमती शिवकुमारी (खानपुर): ग्रध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि इस सत्र में बीकानेर जिले के ग्रकाल के प्रश्न को लेकर गम्भीर चर्चा चल रही है ग्रौर इस विषय का मस्टर रॉल, मजदूरी ग्रौर दूसरे छोटे मोटे प्रश्नों की ग्राड़ में टाल दिया जाता है। मैं यह जानना चाहती हूं कि यह ग्रकाल पीड़ित लोगों को राहत के लिए काम दिया जाता है, जिसके लिए सड़कें बनाई जा रही हैं, या सड़कों के लिए लोगों को मजदूरी दी जा रही है। इस गम्भीर प्रश्न को टाला जा रहा है। पिछले कई सालों से बीकानेर, जैसलमेर ग्रौर रेगिस्तान के ग्रन्य क्षेत्रों में ग्रकाल पड़ रहे हैं ग्रौर उसके लिए गवर्नमेंट बिलकुल उदासीन रही है। पुराने जमाने में जब ग्रकाल पड़ते थे या ब्रिटिश जमाने में, रियासतों के जमाने में, ग्रकाल जब जब भी घोषित हुए थे तब तब ठोस ग्रकाल राहत कार्य खोले गये ग्रौर उसमें सड़कों ग्रौर बंधों ग्रौर तालाबों का का निर्माण कराया गया था, तो ग्रब भी यही होना चाहिए। मुख्य प्रश्न तो यह है कि ग्रकाल पीड़ित क्षेत्रों में लोगों को राहत कार्यों के जरिये, उनको जिन्दा रखने के लिए उनको जो मजदूरी दी जा रही है वह पूरी मिलनी चाहिये। इन्हीं परिस्थितियों की गम्भीरता को सामने नहीं रख कर 25 पैसे या

(महारानी श्रीमती शिवकुमारी)

20 पैसा दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। मैं समझती हूं कि यह बड़े क्षोभ का विषय है। इसकी सरकार बिल्कुल उपेक्षा कर रही है। उसको बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये और इस दिशा में आगे सख्त कदम उठाने चाहिये। माननीय सदस्य हमेशा इस प्रश्न को लेकर सदन के सामने आते हैं। इसको हर बार टाल दिया जाता है। यह बड़े रोष का और आक्रोश का प्रश्न है। मैं भी इस प्रश्न को लेकर सदन से वाक आउट करती हूं।

(बहिर्गमन)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम इस्लामपुर में कब्रिस्तान की दीवार हटाने का आदेश

456. **श्री रामनारायण** (मंडावा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के आदेश संख्या 2 (111) राज.(ख.)68, दिनांक 3-8-68 के द्वारा ग्राम इस्लामपुर, जिला झुंझुनूं में कब्रिस्तान की दीवार को हटाने का आदेश दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विषय का मुकद्दमा न्यायालय सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं में रिलीजियस बिल्डिंग एक्ट की धारा 11 और 12 के अन्तर्गत चल रहा है तथा मुलजिमानों के बयानों के लिए दिनांक 26-8-68 नियुक्त थी ?

(3) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिलीजियस एक्ट की धारा 12 के तहत अनधिकृत तामीर को तुड़वाने का अधिकार है तो फिर राज्य सरकार को इसी मामले में आदेश जारी करने की ऐसी कौनसी परिस्थितियां उपस्थित हो गई थीं जिनके कारण उसे उपरोक्त आदेश देने पड़े ?

(4) राज्य सरकार ने यह आदेश किस व्यक्ति के आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर जारी किए ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने धारा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अधिकार तहसीलदारों को दे रखे हैं? यदि हाँ, तो फिर सरकार ने किन अधिकारों के तहत उपरोक्त कार्यवाही के आदेश प्रसारित किए हैं जिनके कारण उस क्षेत्र का जनजीवन क्षुब्ध हो उठा है ?

(स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विज्ञापन देने की नीति व नियम

509. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान परिवार नियोजन विभाग द्वारा विज्ञापन एवं प्रकाशन हेतु कुल कितनी कितनी धनराशि सन् 65 से 68-69 तक स्वीकृत की और उसे किस किस प्रकार से खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) विज्ञापन मद में स्वीकृत धनराशि को खर्च करने का अधिकार किस अधिकारी को है?

(3) क्या सरकार ने विज्ञापन देने की कोई नीति व नियम बनाये हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हैं? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार ने विज्ञापन देने के लिये कोई कमेटी बनाई है या बनाने का कोई विचार है?

(5) क्या सरकार ने इस विभाग द्वारा राजस्थान के एवं राजस्थान के बाहर के दैनिक समाचार-पत्रों को सन् 65 से 14 अगस्त, 68 तक कोई विज्ञापन दिये हैं? यदि हाँ, तो किस-किस समाचार-पत्र को कितने रुपयों के विज्ञापन दिये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञापन एवं प्रकाशन हेतु अलग से आय-व्ययक (बजट) में प्रावधान नहीं है। केवल प्रचार एवं प्रकाशन हेतु वर्ष 1965-66 से 1968-69 तक के आय-व्ययक में रखे गये प्रावधान तथा सम्बन्धित वर्गों में इस मद से जो व्यय हुआ उसका व्यौरा निम्न प्रकार है:—

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत धन राशि	व्यय
1965-66	1,41,600	1,41,600
1966-67	1,50,500	1,50,000
1967-68	2,37,000	2,67,000
1968-69	14,53,500	15,562

नोट:—(1) उपरोक्त व्यय मुख्यतया प्रचार हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के समाचार पत्रों में विज्ञापन देने, हेण्ड बिल्स, चार्ट्स एवं पोस्टर्स के छपवाने, प्रचार हेतु प्रोजेक्टर्स तथा जनेरेटर्स व अन्य यंत्रों की खरीद आदि पर हुआ है।

(2) वर्ष 68-69 के प्रावधान में होडिंग बोर्ड्स बनवाने का 3.50 लाख तथा यंत्र खरीदने का 5.00 लाख भी सम्मिलित हैं। केवल प्रचार तथा प्रकाशन के लिये 6.03 लाख ही स्वीकृत है।

(2) विज्ञापन देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के गृह विभाग ने नियम बनाये हुए है। इस विभाग द्वारा गृह विभाग से परामर्श करके यह व्यवस्था की हुई है कि राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो की सिफारिश पर जनसंपर्क निदेशालय विज्ञापन जारी करता है। प्रकाशन के बाद बिल्स जन सम्पर्क निदेशालय में प्राप्त होते हैं। वहाँ से उन पर सत्यापन कर उन्हें राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो में भुगतान हेतु भेज दिया जाता है। अतः विज्ञापन रिलीज तो निदेशक, जनसंपर्क विभाग करते हैं और बिल्स का भुगतान परिवार नियोजन के बजट से किया जाता है। भुगतान राज्य सरकार की स्वीकृति के आधार पर राज्य परिवार नियोजन अधिकारी करते हैं।

(3) इसका उत्तर प्रश्न 2 में ही निहित है। गृह विभाग ने इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये हैं उनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

Page No. 48

(जनसम्पर्क मंत्री)

(4) जी नहीं ।

(5) दिनांक 14 अगस्त, 1968 तक जिन जिन समाचार पत्रों को जितने जितने रुपये के विज्ञापन दिये हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बूंदी में परिवार नियोजन पखवाड़ा

510. श्री केसरी सिंह हाडा (हिण्डोली) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में परिवार नियोजन पखवाड़े में कहां-कहां, कितने-कितने नसबन्दी व लूप आदि कार्य किए गए ?

(2) इनमें से कितने कामयाब हुए और कितने बिगड़े ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य में जिला परिवार नियोजन अधिकारी बूंदी ने नसबन्दी कराने वाले को 14) रु० फी केस, लूप लगवाने के 5) रु० फी केस दिए और नसबन्दी केस को लाने वाले को 2) रु० और लूप के केस को लाने वाले को 1) रु० दिया ?

(4) डाक्टरों के टी. ए. व डी. ए. का व जीप का क्या खर्चा आया ?

(5) केम्प के आयोजन में क्या खर्चा आया ?

उत्तर

(1) इस ब्यूरो की स्थापना माह अगस्त, 67 में हुई थी और इसके पश्चात् इस जिले में कुल चार परिवार नियोजन पखवाड़े आयोजित किए गए हैं व उनमें कहां कहां व कितने कितने नसवन्दी व लूप प्रविष्टी के केस हुए हैं वह निम्न प्रकार हैं:—

प्रथम पखवाड़ा दिनांक 16 से 31 सितम्बर, 1967 तक ।

नाम स्थान	संख्या नसवन्दी ऑपरेशन	संख्या लूप प्रविष्टी
बूंदी	18	6
लाखेरी	131	3
नैनवा	8	2
हिण्डोली	22	5
तालेड़ा	21	9
योग ...	200	25

द्वितीय पखवाड़ा दिनांक 16 से 31 दिसम्बर, 1967 तक ।

नाम स्थान	संख्या नसबन्दी ऑपरेशन	संख्या लूप प्रविष्टी
बूंदी	14	8
दवलाना	3	3
लाखेरी	10	0
इन्दरगढ़	10	0

(स्वास्थ्य मंत्री)

1	2	3
देई	14	4
तालेड़ा	26	2
योग...	77	17

तृतीय परिवार नियोजन पखवाड़ा, दिनांक 16 से 31 मार्च, 1968 तक।

नाम स्थान	संख्या नसबन्दी ऑपरेशन	संख्या लूप प्रविष्टी
बूंदी	1	1
गुड़ा	7	1
देई	4	0
नैनवा	0	1
खटकड़	2	0
हिण्डोली	4	3
डाबी	6	2
लाखेरी	11	0
योग...	35	8

चतुर्थ पखवाड़ा जून, 68, दिनांक 16 से 30 जून तक।

नाम स्थान	संख्या नसबन्दी ऑपरेशन	संख्या लूप प्रविष्टी
बासी	8	1
उमर	4	15
हिण्डोली	6	10
तालेड़ा	10	13
के०पाटन	2	2
बूंदी	14	10
योग	36	51

(2) कुल ऑपरेशन कामयाब हैं, और कोई ऑपरेशन नहीं बिगड़ा है।

(3) जी हां, दिनांक 19-12-67 से पूर्व इसी दर से धनराशि चुकाई जाती थी लेकिन दिनांक 19-12-67 से निम्न प्रकार प्रेरणा स्वरूप धनराशि चुकाई जाती है:—

पुरुष नसबन्दी के लिए	16) रु०
महिला नसबन्दी के लिए	16) रु०
लूप प्रवष्टी के लिये (ट्रांसपोर्टेशन व्यय सहित)	7) रु०
प्रेरक पुरुष व महिला नसबन्दी	7) रु०
प्रेरक लूप प्रविष्टी	2) रु०

(4) डाक्टर को टी० ए० व डी० ए० इस ब्यूरो द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्यूरो के स्वीकृत पदों पर कोई डाक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिन डाक्टरों ने इन

(स्वास्थ्य मंत्री)

पखवाड़ों में कार्य किया है उनका टी० ए० व डी० ए० उनके कार्यालय द्वारा ही दिया गया है।

इन पखवाड़ों में जीप गाड़ियों पर 3,163.25 रु० व्यय हुए।

कैम्पों के आयोजनार्थ कोई अलग से व्यय नहीं किया जाता है। कैम्पों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन व यात्रा भत्ता गाड़ियों के लिये पेट्रोल आदि का व्यय सम्बन्धित मदों में पड़ता है— केवल क्षतिपूर्ति की धनराशि अधिक व्यय होती है जो कुल गत वर्ष 6,825) हुई है।

चेचक से मृत्यु

511. श्री जयनारायण सालोदिया (निबाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन्, 66-67 व 67-68 में हर जिले में माता (चेचक) के कारण कितनी मौतें हुई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सच है कि माता (चेचक) निकलने पर ग्राम लोग शफाखाने में व औषधालयों में नहीं ले जाते हैं और न ही दवाई आदि दिलाते है ? यदि हाँ, तो फिर सरकार के पास आँकड़े इकट्ठे करने की क्या एजेन्सी है ?

(3) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना में हर साल कुल कितने रुपये खर्च होते हैं ?

उत्तर

(1) सन् 1966-67 व 67-68 में माता (चेचक) के कारण हुई मौतों की जिले वार सूची संलग्न है।

(2) जी हाँ। अज्ञानता एवं अन्धविश्वास के कारण कुछ लोग अब भी चेचक निकलने पर शफाखानों व औषधालयों में नहीं ले जाते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रिय (फील्ड) स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जैसे वैक्सीनेटर, निरीक्षक, मलेरिया उन्मूलन योजना, रोहें नियन्त्रण योजना, परिवार नियोजन आदि के कार्यकर्त्ता के माध्यम से ये आँकड़े इकट्ठे किये जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों व अध्यापक एवं शहरी क्षेत्र में नगरपालिकायें इस कार्य में सहयोग देती हैं।

(3) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन योजना में हर साल किए गए खर्चे का विवरण निम्न प्रकार है—

वर्ष	खर्च (लाख रु.में)
1962–63	7.15
1963–64	12.90
1964–65	22.63
1965–66	27.26
1966-67	16.07
1967-68	12.09

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

फूड इन्सपेक्टर के विरुद्ध शिकायतें

512. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(1) चुरू जिले में कितने फूड इन्सपेक्टर हैं और कौन कौन और कब से ?

(2) श्री माँगीलाल फूड इन्सपेक्टर इस जिले में कितने वर्षों से है ? इस अर्से में उसके कितनी बार स्थानान्तरण के आदेश हुए हैं और कितनी बार रद्द हुए तथा क्यों और किसके द्वारा ?

(3) क्या श्री माँगीलाल के विरुद्ध डूंगरगढ़, छापर, सरदार शहर, चुरू आदि जिले के कई कस्बों और गाँवों से आपत्ति-जनक, अनुचित एवं गलत ढङ्ग से कार्य, व्यवहार और आचरण करने की शिकायतें समय समय पर विभाग को मिली हैं ? यदि हाँ, तो वे क्या थीं ? किसके द्वारा उन पर पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि यहीं की गई, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या श्री माँगीलाल के विरुद्ध सेवा नियमों के विरुद्ध राजनैतिक पार्टीबाजी में पड़ने की भी शिकायतें हैं ?

(5) क्या पार्टीबाजी से या किसी निहित स्वार्थ से झूठे चालान कराने और मुकद्में बनाने की भी शिकायतें मिली हैं ? क्या उनके विरुद्ध स्थानीय किसी अधिकारी ने भी लिखा है ?

(6) क्या सरकार ने प्राप्त शिकायतों की जाँच करवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? और करवाई गई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अलवर जिले में औषधालय

513. **श्री गंगासहाय** (कठूमर मु०) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 10 वर्षों में कितने औषधा-लय राजस्थान में स्वीकृत हुए ?

(2) अलवर जिले में कितने औषधा-लय खुले और कहाँ-कहाँ खुले ?

(3) लक्ष्मणगढ़ तहसील में कितने औषधालय खुले ?

(4) यदि नहीं खुले तो, क्यों नहीं खुले हैं ?

उत्तर

(1) 52 औषधालय व 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये।

(2) अलवर जिले में एक औषधालय किशनगढ़ वास में खोला गया था इसके अतिरिक्त 4 औषधालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के कारण निम्न स्थानों पर स्थानान्तरित किए गए थे—

क. सं.	खोले गए प्राथमिक स्वा० केन्द्र के नाम	औषधालय स्थानान्तरित करने के स्थान
1.	गोविन्दगढ़	बड़ोदामेव
2.	कठूमर	बाहतू
3.	कोटकासिम	हरसोली
4.	नारायणपुर	गढ़ी

(चिकित्सा मंत्री)

(3) कोई नहीं खोला गया। गोविन्द गढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुल जाने के कारण यहां का औषधालय बड़ोदामेव में स्थानान्तरित किया गया।

(4) धनाभाव एवं स्थानीय मांग के अभाव के कारण नहीं खोला जा सका।

जेसलमेर शहर अस्पताल

514. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जैसलमेर शहर के अस्पताल में दो डॉक्टर रखने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति है ? अगर हां, तो आज तक वहां एक ही डॉक्टर काम क्यों करता है ? और भविष्य में कब तक दूसरा डॉक्टर भेजा जावेगा ?

(2) उपरोक्त अस्पताल में वर्ष भर के लिये दवाइयों के खर्च का कितना प्रावधान है ?

(3) क्या यह सच है कि जैसलमेर अस्पताल में पागल कुत्तों के इन्जेक्शन नहीं रखे जाते हैं इसलिये मरीज को जोधपुर जाना पड़ता है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में महिला चिकित्सकों का अत्यधिक अभाव के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है, ज्योंही महिला चिकित्सक उपलब्ध होगी प्राथमिकता के अनुसार दूसरा पद भर दिया जावेगा।

(3) उपरोक्त अस्पताल में दवाइयों के मद में वर्ष 1968-69 में वहां के आउट-डोअर एवं इन-डोअर रोगियों की दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए रेशनेलाईज्ड पैटर्न के अनुसार 5,500) रु० की धनराशि का प्रावधान है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गंगापुर जिले के सिनेमा मालिक के खिलाफ मनोरंजन कर की चोरी के मामले

515. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन सु०) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि गंगापुर के सिनेमा मालिक के खिलाफ मनोरंजन कर की चोरी के मामले में एस० डी० एम० गंगापुर के यहां चालान पेश किया गया था ? यदि हां, तो इस मामले में अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

महेश टाकीज, गंगापुर के विरुद्ध दिनांक 24-2-65 को केस बनाया गया था जिसका दिनांक 24-4-65 को एस० डी० एम० कोर्ट में चालान पेश किया गया था जिसे दिनांक 29-3-66 को खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त और कोई कर चोरी का केस इस सिनेमा के विरुद्ध चालान नहीं किया गया।

शहरों में राज्य कर्मचारियों को किराया देने का आधार

516. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गंगासहाय)

राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कुछ शहरों (जैसे जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर आदि) में रहने वाले राज्य कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता स्वीकार किया है उसका आधार (काइटेरिया) क्या है ?

उत्तर

मकान किराया भत्ता स्वीकार करने के लिये, किराये के मकानों में रहने वाले **कर्मचारियों की** संख्या, मकानों की उपलब्धि, किराये की दरें इत्यादि को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है।

अनुदान प्राप्त मंदिर

517. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन मु०): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने ऐसे देवस्थान हैं जो राज्य सरकार के अधीन चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या जो जो मन्दिर राज्य सरकार के अनुदान से कार्य कर रहे हैं उनमें पूर्णतया हरिजन आजादी से प्रवेश कर रहे है? ऐसे मंदिरों की जिलावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के अधीन 458 मंदिर हैं। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) सरकार द्वारा अनुदान उन्हीं मंदिरों को दिया जाता है जो कि सार्वजनिक है और उनमें किसी जाति विशेष के लिये दर्शन करने की रोक नहीं है। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बूंदी जिले की चारागाह

518. **श्री ईशरी सिंह हाड़ा** (हिण्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी में दूसरे प्रदेशों व दूसरे जिलों से भेड़ व बकरी चार सालों से बराबर हिण्डोली, नैनवा, बूंदी तहसीलों में आ रही हैं ?

(2) यह भेड़-बकरी कहां-कहां से आती है और तादाद में कितनी आती हैं ?

(3) क्या यह सरकार को चराई देते हैं ? अगर चराई देते हैं तो चार सालों में कितनी चराई डी. एफ. ओ. कार्यालय में जमा हुई ?

(4) क्या यह सत्य है कि जिला बूंदी चारागाह प्रायः बाहर की भेड़ें खा जाती हैं और यहां की मवेशी भूखों मरती हैं ?

(5) क्या इस विषय की शिकायत जनता की ओर से डी. एफ. ओ., बूंदी व वन मंत्री को भी की गई थी ?

(6) क्या कच्छी लोग जो हजारों की तादाद में भेड़ें रखते है वे फसलों को चरा देते हैं और लोगों के रोकने पर गोफन से हाथ पैर तोड़ देते है ? यदि हां, तो क्या विभाग इस प्रकार की हरकतों को रोकने का प्रबन्ध कर रहा है ?

(वन मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गुजरात राज्य के कच्छ-भुज क्षेत्र तथा नागौर जिले से आती हैं। तादाद लगभग 50 हजार से एक लाख तक होती है।

(3) ये कोई चराई नहीं देते हैं क्योंकि इनको चराई के परमिट नहीं दिये गये हैं और इनको पुलिस की मदद से बाहर निकाला जाता है।

(4) इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है।

(5) जी हां।

(6) इस प्रकार की शिकायतों पर पुलिस की सहायता से भेड़ों को बाहर निकालने की कार्यवाही की जाती है।

वन संरक्षण कार्य पर व्यय

519. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वन संरक्षण कार्य में अब तक जिला बूंदी में कितनी रकम खर्च हुई है ?

(2) इसमें विभाग द्वारा कितनी कामयाबी हॉसिल की गई ?

(3) यह काम जिले में कहां 2 पर किया गया है और कहां कहां पर अभी भी चालू है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में 5,303) रुपये वन संरक्षण पर खर्च किये गये हैं।

(2) वन संरक्षण कार्य में वनों की सुरक्षा हेतु वनों को आग से बचाने के लिये फायर लाइन्स का निर्माण किया गया है तथा पर्याप्त सफलता हुई है।

(3) वन संरक्षण का कार्य बूंदी जिले के हिन्डोली व बल्धन रेंजों में किये गये हैं जहां पर यह कार्य अब भी चालू है।

पंचायतों द्वारा आबादी भूमि-वृद्धि के प्रस्ताव

520. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है की तहसीलदारों के लिए ऐसी कोई अवधि निर्धारित की हुई है कि पंचायतों द्वारा आबादी भूमि-वृद्धि का प्रस्ताव प्राप्त होने पर अमुक समय में तहसीलदार जांच करके अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजेगा? यदि हां, तो वह अवधि कितनी है और इसका पालन कहां तक हुआ है और अवधि के बाद कितने प्रस्ताव कहां कहां पर तहसीलदारों के पास रहे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, तहसीलदारों के लिये एसी अवधि नहीं निश्चित की गई है अलबत्ता आबादी के प्रस्तावों पर सम्पूर्ण कार्यवाही की जाने के सम्बन्ध में परिपत्र संख्या प० 6 (6) राज/ख/64, दिनांक 12-3-65 द्वारा 2 माह की अवधि निर्धारित कि गई है?

'बी' श्रेणी की तहसीलों में नाजिर का पद

521. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दिग्विजयसिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान की 'बी' श्रेणी की तहसीलों में नाजिर का पद वरिष्ठ लिपिक के बजाय लेखा लिपिक में परिवर्तित कर दिया गया है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस निर्णय की पालना हर जिलाधीश द्वारा अपनी 'बी' श्रेणी की तहसील में किया जा रहा है

(3) यदि नहीं, तो क्यों तथा कहां कहां ? कृपया जिलेवार तहसीलों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह सही है कि तहसील उनियारा, जिला टोंक में भी यह अमल लागू नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । इस निर्णय की पालना प्रत्येक जिलाधीश द्वारा 'बी' श्रेणी की तहसील में की जा रही है

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(4) यह सही नहीं है । वहां भी यह अमल लागू है ।

बीहड़ों का खेती के लिए आवंटन

522. श्री जूझारसिंह (रामगंजमण्डी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने चम्बल, कालीसिन्ध, पारवती, परवन आदि नदियों के बीहड़ों को खेती के लिये आवंटित करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इनका उपयोग किस प्रकार और किन के निरीक्षण में किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा और कोटा के आस-पास भारी मशीनों की सहायता से बीहड़ों को समतल किया गया है ? यदि हां तो किन-किन स्थानों पर कितना-कितना रकबा समतल किया जाकर उपयोगी बनाया जा सका है और उस पर कितना रुपया फी एकड़ खर्चा पड़ा है ?

(3) बीहड़ों को खेती के लिये उपयोग करने का फैसला करने से पूर्व क्या सरकार ने इस नदियों पर स्थित बीहड़ों को आबाद करने की दृष्टि से सर्वे करवाया है ? यदि हां, तो यह भूमि अधिकतर कहां-कहां उपलब्ध है ?

(4) बीहड़ों को खेती के उपयोग में काम लेने का फैसला करने से पूर्व क्या सॉइलकन्जरवेशन एक्सपर्ट की राय ले ली गई थी ? यदि हां, तो कृपया उनकी राय से सदन को अवगत करने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सही है कि इससे पूर्व भी चम्बल क्षेत्र के बीहड़ों का सर्वे हुआ है । यदि हां, तो उस वक्त इनके यूटिलाइजेशन के लिए सरकार को क्या राय दी गई थी और उस पर सरकार ने कितना अमल किया है ?

उत्तर

(1) जी हां राजस्थान बीहड़ भूमि आवंटन नियम, 1967 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

(2) कोटा के आस पास टेकनीकल ट्रेनिंग सेन्टर, कोटा द्वारा 30 एकड़ बीहड़

(राजस्व मंत्री)

भूमि को भारी मशीनों से समतल किया गया है। खर्च का हिसाब अभी नहीं लगाया गया क्योंकि यह कार्य प्रशिक्षण का अंग था।

(3) सर्वे बीहड़ भूमि को आबाद कराने की दृष्टि से नहीं कराया गया।

(4) विशेषज्ञों की राय नहीं ली गई।

(5) सर्वे नहीं हुआ।

ग्राम देसमी में रेगर भूमिहीन लोगों को भूमि का अलॉटमेन्ट

523. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मालपुरा के ग्राम देसमी में करीब 20 रेगर भूमिहीन अनसूचित जाति के लोगों को जमीन अलॉट की गई थी? यदि हां, तो किस सन् में व कितने लोगों को किस खसरा नम्बर से कितने 2 बीघा? अलग 2 नाम वार सूचि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सच है कि गत तीन साल से उन गरीब हरिजनों की खड़ी फसल गांव देसमी के कुछ लोग जानवरों को खिला कर बर्बाद कर देते हैं? यदि हां, तो नियमानुसार अलॉट की गई भूमि के बर्बाद करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील मालपुरा के ग्राम देसमी में मालपुरा कस्बा निवासी 25 रेगरों को 10 बीघा प्रति भूमिहीन रेगर परिवार 250 बीघा भूमि अलॉट की गई। यह अलॉटमेन्ट तहसीलदार द्वारा ता० 19-10-62 को किया गया था। इस आवंटन के विरुद्ध ग्रामवासियों ने अपील की। अपील स्वीकृत की जाकर आवंटन निरस्त कर दिया गया परन्तु ता० 30-6-63 को उन्ही व्यक्तियों को वही भूमि पुनः तहसीलदार द्वारा अलाट की गई। ग्रामवासियों ने 25 व्यक्तियों में से 16 व्यक्तियों के विरुद्ध अपील की और ता० 16-3-66 को राज्य सरकार ने 16 व्यक्तियों के आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया। ता० 28-6-66 को पुनः यही भूमि इन्ही व्यक्तियों को अलॉट की गई आवंटिती और रकबा व खसरा नम्बरान की सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि इस अलॉटमेन्ट को लेकर ग्रामवासियों तथा अलॉटीज के बीच काफी विवाद रहा और सन् 1966 में केवल एक बार इन रेगरान ने अपनी फसल ग्रामवासियों के द्वारा ढोरों को चरा देने की शिकायत स्थानीय पुलिस में की और बाद में उनके आपसी समझौता हो जाने पर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सवाई माधोपुर की तहसीलों में बन्दोबस्त का कार्य

524. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर सब-डिवीजन की तीनों तहसीलों—सवाई-माधोपुर, मलारना चौड़ा (बोंली) एवं खण्डार के बीस साला बन्दोबस्त की अवधि कब समाप्त हो चुकी है?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(2) यह अवधि समाप्त होने पर भी राज्य सरकार द्वारा पुनः बन्दोबस्त का काम क्यों नहीं आरम्भ किया गया और अब इन तहसीलों में बन्दोबस्त का काम आरम्भ करने के विषय में राज्य सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) इन तहसीलों की बन्दोबस्त अवधि दिनांक 30-6-67 को समाप्त हो चुकी है।

(2) पुनः बन्दोबस्त का कार्य पिछले बन्दोबस्त की अवधि समाप्त होते ही शुरू नहीं कर दिया जाता है। जहां नहरी जमीन है और बन्दोबस्त की मियाद खतम हो गई है उन क्षेत्रों में पुनः बन्दोबस्त का कार्य पहिले आरम्भ करने की योजना को प्राथमिकता दी जा रही है नहरी क्षेत्रों का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विचार किया जावेगा।

ग्राम रामगंज में कीरों को अलॉट की गई भूमि

525. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी तहसील नैनवा के ग्राम रामगंज में 80 बीघा भूमि बांसी के कीरों को छः साल पहिले तहसील द्वारा अलाट की गई थी ?

(2) क्या यह सत्य है कि इन कीरों द्वारा इस जमीन को तीन साल में भी आबाद नहीं करने से रामगंज के भूमिहीनों ने उन्हें जमीन देने के लिये तहसील में प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

(3) यह जमीन ग्राम रामगंज के भूमिहीनों को न दी जाकर दूसरे स्थानों के काश्तकारों को क्यों दी गई है ?

(4) क्या सरकार यह जमीन रामगंज के काश्तकारों को देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) ग्राम रामगंज अलग से ग्राम न होकर ग्राम बांसी का ही मजरा है। अतः दूसरे स्थानों के काश्तकारों को देने का प्रश्न ही नहीं है। रामगंज के निवासियों द्वारा प्रारम्भ में भी कोई प्रार्थना-पत्र पेश नहीं किये गये।

(4) चूंकि भूमि आवंटित की जा चुकी है ऐसी सूरत में पुनः देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत ग्राम सलोनियों की बैठकें

526. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

ग्राम सलोनिया, पंचायत समिति, पिडावा के सरपंच ने पिछले छः महिनों में कितनी बार किन किन दिनों में मीटिंग्स की हैं ? यदि नहीं, तो इन्हें सरपंची से अलग नहीं करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

सरपंच ने गत छः महीनों में निम्न बैठकें आयोजित की हैं:—

(श्री पंचायत मन्त्री)

दिनांक	पूर्ण कोरम की मीटिंग	अपूर्ण कोरम की मीटिंग
13-2-68	—	1
20-2-68	—	1
27-2-68	—	1
19-3-68	1	—
2-4-68	1	—
9-4-68	1	—
4-6-68	1	—
8-6-68	—	1
11-6-68	—	1
4-7-68	—	1
23-7-68	1	—
30-7-68	—	1
13-8-68	—	1
28-8-68	1	—
29-8-68	1	—
	7	8 कुल 15

सरपंचों से अलग करने का इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंचायत समिति, लाडनू के पास विचाराधीन अपीलें

527. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, लाडनू के पास पंचायतों के फैसलों के खिलाफ अब कितनी अपीलें कब कब से विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) पंचायत समिति, लाडनू ने सन् 1965 के बाद से अब तक कुल कितनी अपीलों का फैसला किया और उनमें से ऐसी कौन कौनसी अपीलें है जिनके साथ न तो पंचायत के फैसले की नकलें हैं न पंचायत से मूल मिसल ही प्राप्त हुई है और न पंचायत के फैसले की तारीखों का ही पता है, फिर भी उन अपीलों का फैसला पंचायत समिति, ने कर ही दिया है ? सूची सदन की मेज रखने की कृपा करें ।

(3) उपरोक्त समय में पंचायत समिति, लाडनू के प्रधान ने बिना स्थायी समिति की बैठक के ही यदि अपीलों का फैसला किया हो तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(2) 1965 के पश्चात् अब तक कुल 93 अपीलों के फैसले किये शेष विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत बाकलीया को विभिन्न कार्यों के लिए दी गई रकम

528. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री हरजीराम बुरडक)

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत वाकलीया, पंचायत समिति, लाडनू, जिला नागौर को पंचायत समिति द्वारा निर्माण कार्यों, विकास कार्यों व पानी की व्यवस्था तथा सांडघर आदि के लिए किसी प्रकार का अनुदान सन् 1965 के बाद दिया है ? यदि हां, तो कितनी कितनी राशि कब कब किस किस कार्य के लिए दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राशि में से कोई ऐसी राशि भी है जो जिस कार्य के लिये दी गई थी उसमें खर्च नहीं करके दूसरे कार्यों में खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो कौन कौन सी राशि किस किस कार्य के लिए मिली थी और उसको किस कार्य में खर्च की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त रकम जो पंचायत को दी गई व उसको उपयोग में लाने का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस किस कार्य के लिए कब कब दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उपरोक्त समय के बाद इस पंचायत का ऑडिट हुआ है ? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) केवल हरिजनों की घडोई श्यामपुरा का कार्य आरम्भ नहीं किया गया। रकम मय दण्डनीय व्याज के वसूल करली गई है।

(3) उपयोगिता प्रमाण-पत्र देने का विवरण भी सूची में दे दिया गया है।

(4) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

प्रधान, पंचायत समिति, उमरैण की तरफ बकाया रकम

529. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रधान पंचायत समिति, उमरैण श्री रघुवीर सिंह की तरफ पंचायत समिति, उमरैण की कुछ रकमें बकाया हैं ? यदि हां, तो वे रकमें कितनी कितनी हैं, वे कब दी गई थी और कब वाजिब अदा हुई, किस किस मद की रकमें हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या पंचायत समिति के अन्तर्गत ग्राम बीजवाड़ की सहकारी समिति की तरफ भी कुछ रकमें बकाया हैं ? यदि हां, तो वे रकमें कौन कौन से मद का हैं और कब से बकाया हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्री रघुवीर सिंह प्रधान पंचायत समिति, उमरैण भी इस सहकारी समिति के सदस्य हैं।

(4) क्या प्रधान श्री रघुवीरसिंह और सहकारी समिति बीजवाड़ से इस बकाया रकमों की वसूली के लिए कोई कदम उठाये गए हैं? यदि हां, तो कब 2 और क्या क्या ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
और उनका क्या परिणाम निकला ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(2) जी हां। सन् 1966-67 के बीज की बकाया 6,580) रु० 65 पै० तथा खाद की बकाया 1,299) रु० 52 पै० है।

(3) जी हां।

(4) श्री रघुवीरसिंह से वसूली के लिए तहसील को डिमान्ड दिनांक 29-4-68 को व सहकारी समिति से वसूली के लिए डिमान्ड तारीख 15-4-67 को भेजी गई। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

मेले से पंचायत को आय

530. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) धौलागढ़-पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) मेले से पंचायत को प्रति वर्ष कितनी आमदनी होती है?

(2) क्या सरकार ने इस धौलागढ़ माता के प्रसिद्ध मेला स्थान के विकास के लिये अभी तक कोई प्रयत्न किये हैं? यदि हां, तो क्या और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई ? किस साल में और किस किस कार्य पर ? . . . . .

उत्तर

(1) धौलागढ़ पंचायत को मेले से निम्नलिखित आय हुई है:—

वर्ष	आय
1964	8,429.93
1965	10,216.00
1966	11,257.00
1967	8,592.95
1968	11,058.85
	योग:—49,554.73

(2) जी हां। निर्माण कार्य कराया गया उनकी सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

कोटा जिले में लेवी में इकट्ठा अनाज

531. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में गत 2-3 वर्षों में लेवी के रूप में प्रतिवर्ष किस किस प्रकार का गल्ला कितना कितना इकट्ठा किया गया और किस किस भाव में खरीद किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) कोटा जिले में खरीद किये गये गल्ले को राजस्थान के किस किस हिस्से में कितना कितना किस यातायात साधनों से भेजा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। . . . .

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(3) जो सरकारी गल्ला जनता में वितरण किया गया किस भाव वेचा गया तथा प्रति क्विण्टल कितना रुपया खर्चा जोड़ कर भाव निर्धारित किया गया ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) जिला कोटा में सरकारी गल्ला जनता में जिस जिस माह में वितरण किया गया है उसकी सूची मय क्रय विक्रय दर संलग्न है । जिन महीनों में यह वितरण किया गया है क्रय तथा विक्रय दर में जो अन्तर प्रति क्विन्टल दर्शाया गया है वही खर्चे के रूप में जोड़ा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

राजगढ़ से चीनी का ब्लेक

532. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु.) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ पंचायत समिति की पंचायतों की अधिकतर चीनी का कोटा ब्लेक मार्केट में बिकता है ?

(2) क्या यह सही है कि 2 क्विण्टल 15 किलो चीनी राजगढ़ के श्री भजनलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल बजाज को झूठा परमिट डोरोली ग्राम के किसी व्यक्ति के नाम दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चीनी को ले जाते समय पुलिस ने 30-6-68 को पकड़ लिया तथा चीनी थाने में जमा है ?

(4) क्या सरकार राजगढ़ में हो रहे चीनी के काले बाजार की जांच कराने का विचार रखती है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बूंदी में खाद्यान्न के भाव

533. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी में 1947 में खाद्यान्न का क्या भाव था ?

(2) राजस्थान का संयुक्त राज्य बनने के बाद क्या भाव हुआ है ?

(3) राजस्थान के निर्माण के बाद हर साल गेहूं का क्या भाव रहा ?

उत्तर

(1) खाद्यान्न का निम्न प्रकार भाव सन् 1947 में था (भाव प्रति क्विन्टल)

वर्ष	1947
गेहूं	26.75
ज्वार	9.37
मक्का	13.37 से 14.71
जौ	20.06 से 21.40
चना	21.40

(2) वर्ष	1948
गेहूं	26.75

Page No. 62

(श्री खाद्य मंत्री)

ज्वार	9.36
मक्का	13.37 से 14.71
जौ	20.06 से 21.40
चना	21.40

(3) वर्ष	कीमत प्रति क्विन्टल
1949	27.00
1950	32.43
1951	32.43
1952	32.43
1953	32.43
1954	32.43 से 44.47
1955	32.43 से 41.47
1956	32.43 से 44.47
1957	32.43 से 44.47
1958	32.43 से 44.47
1959	48.75
1960	51.75
1961	45.16
1962	48.06
1963	45.44
1964	61.02
1965	60.26
1966	75.82
1967	103.58
1963	89.57

तहसील सरदारशहर क्षेत्र में सस्ते अनाज की दुकानों पर सेलसमैनों की नियुक्तियां

534. श्री रावतराम (छापर-सु.) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1964-65 में तहसील सरदारशहर (चूरू) क्षेत्र में अकाल सहायता के अन्तर्गत सरकार द्वारा सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई थीं तथा अस्थायी तौर से 60) रु. माहवार के हिसाब से अस्थायी सेलसमैन की नियुक्तियां दो हजार रुपये जमानत लेकर की थी ? यदि हां, तो ऐसी दुकानें व सेलसमैन की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त दुकानों का किराया व सेलसमैन का जब अनाज लेने सरदारशहर आते थे तथा बैंक में रकम जमा कराने आते थे उसका आने-जाने का किराया आदि का पैमेन्ट कर दिया है ? यदि हां, तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो कब तक पेमेन्ट कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची संलग्न है ।

(2) सैलसमैनों द्वारा अपनी दुकानों के किराये के बिल तथा यात्रा बिल प्रस्तुत न करने के कारण उनको भुगतान नहीं हो पाया है । उनके द्वारा बिल पेश होने पर नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

Page No. 63

डी. सी. एम. फैक्ट्री कोटा के रेस्ट हाउस की जमीन

535. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि डी. सी. एम. फैक्ट्री ने दाहिनी नहर रायपुरा टैंक के किनारे एक गैस्ट हाउस बनाया है ? अगर हां, तो यह जमीन कब व कैसे दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि रायपुरा टैंक चम्बल दाहिनी नहर के दाहिनी ओर स्थित पुलिया से डाढ़ देवी तक की सारी भूमि सरकारी है ?

(3) क्या यह सही है कि इस भूमि पर फैक्ट्री द्वारा योजनाबद्ध ढंग से अतिक्रमण किया जारहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह भूमि सरकार के आदेश के अन्तर्गत जिलाधीश, कोटा की आज्ञा क्रमांक 4228/राज०/क०/63, दिनांक 19 जून, 1963 से डी. सी. एम. को 99 वर्षीय लीज पर दी गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि पुलिया से डाढ़ देवी तक की सारी भूमि 97।।3 बीघा भूमि को छोड़ कर शेष सरकारी है।

(3) जी नहीं।

सतवाड़ी बांध की मरम्मत

536. श्री मजलिस खां (कामां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सतवाड़ी बांध, पंचायत समिति, कामां की मरम्मत तथा सिंचन का प्लॉन बनाया गया है ? यदि हां तो उस पर कितना व्यय होगा और क्या यह प्लॉन मंजूर हो गया है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, केवल मरम्मत का काम 1943) का मंजूर हुआ है व कार्य माह जुलाई, 1968 से प्रारम्भ हो गया है।

मोतीपुरा बांध

537. श्री केशरसिंह हाड़ा (हिण्डोली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नैनवां के मोतीपुरा बांध का काम किस तारीख को शुरू किया गया था ?

(2) इसका काम कब तक पूर्ण हो जावेगा ? क्या नहरों का कार्य पूर्ण हो गया है ?

(3) इसकी नहर लोहरपुर से आगे क्यों नहीं बढ़ाई गई ?

(4) इस बांध का कमान्ड ऐरिया क्या है और क्या उस कमान्ड ऐरिया में नहरों व माइनरों का काम पूरा कर लिया गया है ?

(5) इसके निर्माण में कितनी धनराशि लग चुकी है और कितनी रकम और लगनी है ?

उत्तर

(1) मिट्टी का कार्य जून 63 में शुरू किया गया। वेस्टवीयर व मोरी का कार्य मार्च सन् 64 में शुरू किया गया।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(2) इस बांध का कार्य पूर्ण है। बांध से एक नहर निकाली गई है, जो भी पूर्ण है।

(3) योजना के तखमीने के अनुसार जो कमान्ड चाहिये वह पहले ही प्राप्त हो गया है। अतः नहर को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही।

(4) इस बांध का कमाण्डेड एरिया 971 एकड़ है इस बांध के कमाण्डेड एरिया में नहर और माईनरों का काम पहले ही पूरा करा दिया गया है।

(5) इस बांध के निर्माण में कुल 4,59,257 रुपया खर्च हुए हैं। अब कोई रकम खर्च नहीं करनी है।

साही नदी को जवाई बांध में डालने की योजना

538. श्रीपृथ्वीसिंह (बाली): क्या सिंचाई मंत्री तह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या साही नदी को जवाई बांध में डालने की योजना स्वीकृत हो गई है ?

(2) यदि हां, तो इस योजना का कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है प्रशासनिक स्वीकृति होना बाकी है।

(2) योजना की स्वीकृति होते ही।

लूणकरणसर तहसील में राजस्थान नहर की भूमि का आवंटन

539. श्रीभैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान नहर क्षेत्र में लूणकरणसर तहसील में 1 अप्रेल, सन् 67 से लेकर अब तक किन किन व्यक्तियों को कितनी भूमि का आवंटन किया गया है? कृपया नाम, पते सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

अलवर जिले के बांध

540. श्री गंगासहाय (कठूमर सु०): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में कुल कितने बांध हैं उनमें से कितने सिंचाई योग्य हैं ?

(2) प्रत्येक बांध से कितनी भूमि की सिंचाई होती है ?

(3) सिंचाई से सरकार की कितनी आमदनी प्रतिवर्ष होती है तथा सरकार प्रतिवर्ष प्रत्येक बांध पर कितनी धनराशि खर्च करती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या सरकार ने इन बांधों की सिंचाई क्षमता बढ़ाने का कोई उपाय किया है ?

उत्तर

(1) कुल 102 बांध हैं जिनमें से एक हरसोरा बांध टूट जाने के कारण सिंचाई करने योग्य नहीं है।

(श्री सिंचाई मंत्री)

(2) प्रत्येक बांध से भूमि की सिंचाई के आंकडे सन् 1966-67 के संलग्न सूची में अङ्कित है।

(3) सन् 1966-67 की हर बांध की सिंचाई कर की आमदनी व खर्चा संलग्न सूची में अङ्कित है।

(4) जिन बांधों की सिंचाई क्षमता कम हो जाती है उनकी Feeder Channel की silt clearance कराई जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डी. सी. एम. फैक्ट्री को रायपुरा टैंक से पानी की सुविधा

541. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल की दाहिनी मुख्य नहर के रायपुरा टैंक से डी० सी० एम० फैक्ट्री को पानी की सुविधा दी गई है ? अगर हां, तो कब से व इसका मूल्य किस हिसाब से लिया गया है ?

(2) उक्त फैक्ट्री प्रतिदिन कितना पानी उपयोग करती है ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त टैंक से उक्त फैक्ट्री को अपनी सीमा में माइनर नहर खोद कर ले जाने की अनुमति दी गई है ? अगर हाँ, तो कब व क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि इस माइनर के बनने से रायपुर टैंक की दीवारों व अन्य नहरों के पानी के प्रवाह पर असर पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सुविधा अप्रेल, सन् 1962 से है और पानी का मूल्य 25 पैसे प्रति हजार घनफुट के हिसाब से लिया जाता है।

(2) लगभग 13 लाख घनफुट पानी प्रतिदिन उपयोग करती है।

(3) जी हां, यह अनुमति दिनांक 17-6-67 को दी गई है। नहर बन्दी के समय या तालाब की पाल में मरम्मत करते समय जब पानी की सतह बहुत नीची हो जाती है तब फैक्ट्री को पानी की सुविधा देने में कठिनाई होती है। इस प्रकार के प्रबन्ध से नहर बन्दी के समय भी पानी फैक्ट्री को दिया जा सकता है।

(4) जी नहीं।

कोटा डेम पर प्रथम कंक्रीट बकेट लेइंग सेरेमनी का उद्घाटन

542. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा डेम पर दिनांक 23-11-67 को प्रथम कांक्रीट बकेट लेइंग सेरेमनी का उद्घाटन किसने किया था ?

(2) जो मारबल पत्थर लगाया गया है, उस पर उद्घाटनकर्ता में किसका नाम लिखा गया है ?

उत्तर

(1) श्री हरिदेव जी जोशी, उद्योग, जन सम्पर्क एवं विद्युत् मन्त्री की अकस्मात अनुपस्थित में शासन सचिव सिंचाई विभाग,

(श्री सिचाई मंत्री)
राजस्थान, जयपुर ने प्रथम कंक्रीट बकेट डाली थी।

(2) श्री हरिदेव जी जोशी, उद्योग, जन सम्पर्क एवं विद्युत मन्त्री, राजस्थान।

चित्तौड़ ग्रिड सब-स्टेशन पर ट्रान्समिशन टावर्स

543. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ सब-स्टेशन पर ट्रान्समिशन टावर्स लगाये गये थे? अगर हां, तो कब व कितने व उन पर कुल कितना व्यय हुआ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टावर्स उखाड़ कर अलवर भेजे जा रहे हैं? अगर हां, तो क्यों व कितना अतिरिक्त व्यय इस कारण होगा?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

डूंगरपुर जिले के टूटे तालाबों से क्षति

544. **महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष डूंगरपुर जिले में कितने तालाब टूटे हैं? कृपया सूची देने की व्यवस्था करें।

(2) उक्त तालाबों का निर्माण कब हुआ था और उनकी लागत क्या थी? कृपया पृथक पृथक निर्माण खर्च देवें।

(3) उक्त तालाबों के टूटने से पूर्व कितनी वर्षा हुई थी? कृपया इंचों में वर्षा का माप सूचित करें।

(4) उक्त तालाबों के टूटने से कितनी हानि किस किस रूप में हुई है? क्या क्षतिग्रस्त लोगों को समुचित मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है? यदि हां, तो विवरण देवें एवं यह भी बतावें कि किस किस को कितनी कितनी सहायता दी गई है।

उत्तर

(1) केवल दो तालाब:—

(i) परसेला (गैणी तालाब)

(ii) अगरघोठी तालाब।

(2) (अ) परसेली बहुत पुराना है जिसकी लागत का पता नहीं।

(ब) अगरघोठी का कार्य चालू है जिसकी अनुमानित लागत 4.39 लाख रुपये है।

(3) 11.7″

(4) कोई जान व माल की हानि नहीं हुई। इस कारण मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(श्री सिंचाई मंत्री)

सिंचाई कार्यों का नुकसान

(1) 7,000) रु०

(2) 52,500) रु०

स्थगित प्रश्न

(6-9-68)

ग्राम भराना का प्राईमरी स्कूल

274. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत, मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम भराना पंचायत समिति, टोंक, जिला टोंक में प्राईमरी स्कूल स्थापित था ? यदि हाँ, तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि अभी हाल ही में उस स्कूल को तोड़ दिया गया है और वहाँ से स्कूल किसी और जगह स्थापित कर दिया है ? यदि हाँ तो क्यों ?

(3) क्या यह सत्य है कि भराना की जनसंख्या करीबन, पन्द्रह सौ है ? यदि हाँ, तो स्कूल वहाँ से हटाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति, टोंक द्वारा यह निर्णय लिया गया है ? यदि हाँ, तो कब लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हाँ, दि० 2-10-59 से।

(2) जी नहीं।

(3) जी हाँ। स्कूल नहीं हटाया गया।

(4) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(2-9-68) व (9-9-68)

एस. डी. एम. हिण्डौन द्वारा दौरे

140. **श्री श्रवणलाल** : (हिण्डौन मु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) एस. डी. एम., हिण्डौन ने जब से हिण्डौन एस. डी. एम. का चार्ज कार्यभार सम्भाला तब से दिसम्बर, 1967 तक कितने दिन हैडक्वार्टर से बाहर रहे हैं और कहाँ कहाँ ?

(2) क्या यह सच है कि उपरोक्त समय में वे अधिकत्तर महुआ व टोडाभीम के दौरे पर रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सच है कि उनके हर समय बाहर रहने से किसानों व अन्य लोगों को बहुत परेशानी हुई है ? यदि हाँ, तो इसका कौन जिम्मेवार है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) माह जुलाई, 1967 से दिसम्बर, 1967 तक 51 रात्रि विश्राम एवं 66 दिन दौरे में रहे जहाँ जहाँ रहे उसकी सूची संलग्न है ?

(2) महुम्रा करीब 9 दिन एवं टोडा-भीम करीब 7 दिन रहे। दोनों ही तहसील हेडक्वार्टर हैं जहाँ तहसीलदारों से विचार विमर्ष ग्रावश्यक रहता है। इसके अलावा यह माह नवम्बर 1967 में महुम्रा तहसील में बन्द हेंडुला, जमराजपुरा एवं खेड़ला-गदालिया में कूवों पर दो फिरकों में झगड़ा होने एवं शान्ति भंग होने के कारण उन्हें विशेष जाना पड़ा। दिसम्बर, 67 में टोडाभीम जल योजना के भवन को कुछ लोगों ने नुकसान पहुंचा दिया था जिसके फलस्वरूप शान्ति व्यवस्था को कायम रखने के लिए उन्हें विशेषरूप से जाना पड़ा।

हिण्डौन सब-डिवीजन का ½ भाग महुवा एवं टोडाभीम तहसीलों में ही है। इस कारण वहाँ का भ्रमण विशेष करना पड़ा। ग्रौर महुम्रा एवं टोडाभीम होकर ही जाना पड़ता है जहाँ एक दो घण्टे तहसीलदार एवं थानेदार ग्रादि से मिलकर समस्याग्रों की जानकारी लेना ग्रावश्यक रहता था।

(3) जी नहीं। बल्कि क्षेत्रिय ग्रधिकारियों का इलाके में दौरा करने से जन साधारण को सुविधा रहती है क्योंकि उनका बहुत सा कार्य मौके पर ही हो जाता है। इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने छुट्टियों में भी दौरे किये हैं। इस प्रकार कोर्ट के वाद की ऐसी परिस्थितियों में किसी को ग्रसुविधा का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(2-9-68) व (9-9-68)

सांकड़ ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के राशन कार्ड

128. **श्री ग्राईदानसिंह** (भीनमाल) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जालौर के सांकड़ ग्राम पंचायत के करीब 27 व्यक्तियों के राशन कार्ड सन् 1967 में एन्फोर्समैण्ट ग्रॉफिसर, भीनमाल ने फर्जी रजिस्टर में दर्ज करने के कारण ग्रपने कब्जे में लिए थे ? यदि हां, तो उस पर खांड के लाइसेन्सदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। जुलाई, 67 में एन्फोर्स-मैण्ट ग्रॉफिसर, भीनमाल ने सांकड ग्राम पंचायत के 25 व्यक्तियों के राशन कार्ड उन व्यक्तियों के द्वारा दिये जाने पर लिये थे। इन कार्डों पर जुलाई, 1967 में शक्कर देने का इन्द्राज नहीं था तथा उनमें से कतिपय कार्डों पर जुलाई, 67 से पूर्व 3-4 महिनों में दी गई शक्कर का भी इन्द्राज

(श्री खाद्य मंत्री)

नहीं था। जाँच हेतु दुकानदार के रजिस्टर एन्फोर्समैण्ट ऑफिसर द्वारा स्वयं मांगे गये तथा नोटिस भी दिया गया परन्तु रजिस्टर अभी तक भी प्राप्त न होने से जाँच नहीं हो पाई है। रेकार्ड प्रस्तुत न करने के कारण डीलर को दिये जाना वाला कोटा बन्द कर दिया है।

स्थगित प्रश्न
(9-9-68)

डेजर्ट डेवलपमेण्ट बोर्ड

303. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमण्डी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डेजर्ट डेवलपमेण्ट बोर्ड की स्थापना कब हुई और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप क्या है ?

(2) अब तक डेजर्ट को डेवलप करने के क्या क्या प्रयास किये गये थे और उनका क्या नतीजा रहा है ? कृपया यह भी बतावें कि विभिन्न स्कीम्स् के तहत इन पर क्या खर्चा किया जा चुका है ?

(3) केनाल्स के नीचे आने वाली जमीनों में वन विकास के लिए क्या योजना चलाई जा रही है और इसमें जमीन का कितना प्रतिशत हिस्सा लेने का विचार है ? अब तक कितने रकबे में किन-किन स्थानों पर वन विकास का काम किया गया है और उन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया ?

(4) सिंचित व असिंचित डेजर्ट क्षेत्र में वन विकास के लिए क्या एक ही एजेन्सी काम कर रही है या भिन्न-भिन्न विभागों व एजेन्सियों द्वारा यह काम किया जा रहा है ? अलग-अलग विभागों द्वारा वन विकास का काम चलाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

1. इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है। यह केन्द्रीय सरकार का संस्थान है।

2. इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं है।

3. वन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें चलाई जा रही हैं:—

(1) नहरों के किनारे वृक्षावली (शेल्टर बेल्ट) लगाना।

(2) नहर क्षेत्र में आने वाली सड़कों के किनारे वृक्षावली लगाना।

(3) नहर क्षेत्र में रेतीले टीबों का स्थिरिकरण।

(4) नहर क्षेत्र में ब्लॉक प्लॉन्टेशन का का कार्य।

4. अभी यह निश्चय नहीं हुआ है कि जमीन का कितना प्रतिशत हिस्सा वन विकास हेतु उपलब्ध कराया जा सकेगा। अब तक निम्नलिखित कार्य किया गया।

(1) तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस क्षेत्र में सिर्फ एक नरसरी बनाई गई व 48 हैक्टर भूमि में प्लॉन्टेशन का कार्य किया गया।

(श्री वन मंत्री)

(2) वर्ष 66-67 व 67-68 में नीचे मुजब कार्य हुआ:—

योजना का नाम	जगह का नाम	66-67		67-68	
		एरिया	खर्चा लाख में	एरिया	खर्चा लाख में
1	2	3	4	5	6
1. नहरों के किनारे वृक्ष मेखला लगाने का कार्य		100 हैक्टर	0.55	350	1.071
1. प्लॉन्टिग	हनुमानगढ़	...	...	...	...
2. एडवांस सोईल वर्क	,,	350 हैक्टर	0-70	...	...
3: सड़कों के किनारे वृक्ष मेखला लगाने का कार्य		...	...	...	...
1. प्लान्टिग	हनुमानगढ़	10 कि० मी०	0.30	20	0.399
2. एडवांस सोईल वर्क	,,	20 कि० मी०	0.34	...	...
3. ब्लॉक प्लॉन्टेशन एडवांस सोईल वर्क	,,	60 हैक्टर	0.21	...	...
4. रेतीले टीबों का स्थिरी करण एडवांस सोइल वर्क	,,	...	...	60	0-157

(3) नयी नरसरियें खोलने, पुरानी नरसरी व प्लॉन्टेशन का संधारण का कार्य, स्टॉफ व नये भवन बनाने आदि कार्यों पर वर्ष 66-67 में कुल खर्चा 4.07 लाख व वर्ष 67-68 में कुल खर्चा 5.98 लाख रुपया हुआ।

(4) विभिन्न विभागों द्वारा राजस्थान नहर मंडल के निर्देशानुसार वृक्षारोपण तथा रेतीले टीबों का स्थिरीकरण व गोचर सुधार कार्य अलग 2 क्षेत्रों किए जा रहे हैं। वन विभाग के अलावा अन्य विभागों द्वारा उनके

(श्री वन मंत्री)
अपने कार्य क्षेत्र में ही ये कार्य किए जा रहे हैं जैसे नहर परियोजना तथा सिंचाई विभाग नहरों के किनारे वृक्षावली लगाते हैं। कृषि विभाग की भू-संरक्षण शाखा रेतीले टीबों के स्थिरीकरण का कार्य महाजन (बीकानेर) जिला में कर रही है। गोचर सुधार का कार्य कृषि विभाग के सुपुर्द है।

स्थगित प्रश्न

(9-9-68)

जिला नागौर में अकाल राहत कार्य

293. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):—क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर में सं० 2023 में कुछ अकाल राहत कार्य ऐसे क्षेत्र में भी किया गया जो क्षेत्र अकालग्रस्त नहीं था? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से कार्य थे और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) संवत् 2023 में नागौर जिले में कितने अकाल सहायता कार्य किये गये और उन पर किस माह में कितना रुपया खर्च हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सम्वत् 2023 में नागौर जिले में अकाल सहायता कार्यों के रूप में सड़क कार्य एवं भू-संरक्षण कार्य किए गये। इनमें से कुछ सड़क कार्यों का कुछ अंश गैर अभाव ग्रस्त क्षेत्र में से निकलता था। किन्तु अभाव ग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने के लिए जो कार्य लिए गये थे उस बीच में थोड़ा सा गैर अभाव ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार अधुरा नहीं छोड़ा जाकर पूरा किया जाना आवश्यक था।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(9-9-68)

अनधिकृत कब्जे

294. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में अनधिकृत मान कर बाड़े, मकान, कुण्ड या कुई हटाने के लिए कितने नोटिस दे रखे हैं? तहसीलवार बतलाया जाय।

(2) इनमें कितने गोचर, जोहड़, बीड़ में अनधिकृत कब्जे के हैं? कितने आराजी राज पर अनधिकृत कब्जे के हैं? तहसीलवार बतलाया जाय।

(3) ऐसे नोटिस सबसे पहले कब दिए गए थे? और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(4) अनधिकृत कब्जे नियमित कराने के लिए कितने प्रार्थना-पत्र कुल आए? उन

(श्री दौलतराम सारण)

पर क्या कार्यवाही की गई ? तहसीलवार बतलाया जाय ।

(5) अनधिकृत कब्जे नियमित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

(6) कितने अनधिकृत कब्जे हटाये गये ? व कहां कहां और कब कब ?

(7) क्या यह सही है कि चूरू जिले की एक फसली रेगिस्तानी भूमि गांवों के पास पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है ? तथा गत वर्षों में हुई पैमाइश में बसी हुई आबादी को भी आबादी भूमि में नहीं लिखा गया ? पक्के गांवाई कुए, कुन्ड, कुईयां, स्कूल भवन और पक्के वर्षों से बने मकान भी आबादी में दर्ज नहीं किए गए और उन्हीं को अब अनधिकृत मान कर तंग किया जा रहा है ?

(8) क्या यह सही है कि चूरू जिले में सन् 57 व 59 में दो बड़े विकास सम्मेलन हुए थे ? जिसमें जिले के कलेक्टर, एस. डी. ओज. व तहसीलदार, नायब गिरदावर, पटवारी और समस्त पंच, सरपंच इकट्ठे हुए थे और तीन दिन तक विचार करके गांवों के विकास का कार्य-क्रम बनाया था ? उस कार्य:क्रम में गांवों की आबादी भूमि के नक्शे बना कर कागजात तैयार करके कलेक्टर के पास भेजने की ज़िम्मेदारी एक निश्चित समय के अन्दर तहसीलदारों और एस० डी० ओज० पर डाली गई थी ?

(9) क्या यह सही है कि तहसीलदारों और एस० डी० ओज० ने वह जिम्मेदारी अदा नहीं की ? जिससे आबादी के झगड़े आज भी मौजूद हैं ?

(10) अनधिकृत कब्जों को नियमित कराने की जो फीस रखी गई है वह इस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक है इस कारण भी उन्हें नियमन में कठिनाई है ? क्या यह सही है कि यहां हर परिवार के पास पशु अधिक होते हैं अतः उन्हें बांधने के लिए बड़े बड़े बाड़ों और छप्परों की और उनके लिए घास संग्रह के लिए भी लम्बे चौड़े स्थान की आवश्यकता होती है और जो घर व बाड़ों के लिए भूमि की सीमा रखी गई है वह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही कम पड़ती है, वहां के किसानों का काम इससे नहीं चल सकता ? यदि हां, तो स्थानीय परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए क्या राज्य सरकार प्रति परिवार अधिक भूमि मामूली दर पर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची (क) संलग्न है ।

(2) सूची (ख) संलग्न है ।

(3) सूची (ग) संलग्न है ।

(4) अनधिकृत कब्जे नियमित कराने के लिये कुल 1,098 प्रार्थना-पत्र आये थे उन पर तहसील द्वारा जो कार्यवाही की गई है, वह सूची (घ) में अङ्कित है ।

(5) कब्जे वर्तमान नियमों के अनुसार नियमित किये जाते हैं ।

(6) तहसील तारा नगर व चूरू में क्रमशः 96 व 61 अनधिकृत कब्जे हटाये गये हैं, जिनकी सूची (ङ) संलग्न है ।

(7) जी हां । तहसीलदार, राजगढ़ व सुजानगढ़ के प्रतिवेदनानुसार सैटिलमैन्ट विभाग

(श्री राजस्व मन्त्री)

द्वारा पूर्ण रेकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि नई बसी हुई आबादी का आवंटन आबादी भूमि में दर्ज किया गया या नहीं। अन्य तहसीलों व उपरोक्त तहसीलों में गांवाई, कुंए, कुन्ड, स्कूल भवन आदि को नहीं हटाया गया है। उन्हें किसी भी तरह तंग नहीं किया गया है।

(8) सन् 1957 में एक बड़ी विकास गोष्टी दिनांक 7-11-57 से 10-11-57 तक हुई थी तथा सन् 1959 के विकास सम्मेलन का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। सन् 1957 के विकास सम्मेलन में गांवों की आबादी भूमि के नक्शे बनाकर कागज तैयार करके कलेक्टर के पास भेजने की जिम्मेदारी निश्चत समय में तहसीलदारों और एस० डी० ओज० पर डालने के निर्देश दिये जाने का रिकार्ड में कोई उल्लेख नहीं है ?

(9) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(10) यह कहना कठिन है कि नियमित कराने की जो फीस रखी गई है वह इस क्षेत्र के लिए अधिक है चूंकि यह ठीक तरह विदित नहीं है कि फीस से किस फीस का मतलब लेते हैं। जिले की कई तहसीलों में अधिक पशु होते हैं जिनके लिए बाडों, छप्परों व चौड़े स्थानों की जरूरत होती है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। घर व बाड़ों के लिए भूमि की निर्धारित सीमा की बढौतरी का सवाल अभी विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न (9-9-68)

मृत सैनिक परिवारों को काश्त की भूमि

298. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अब तक कितने मृत सैनिक परिवारों को काश्त की कितनी कितनी भूमि दी जा चुकी है ? और कितने मृत सैनिक परिवारों को भूमि दी जानी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि चीन-भारत युद्ध के समय शहीद हुये कई सैनिक परिवारों को भी अभी तक काश्त की भूमि नहीं मिली है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को नहीं मिली और किन कारणों से ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान के 234 मृत सैनिक परिवारों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित की गई है। 52 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

इसके अतिरिक्त 131 राजस्थान के मृत सैनिक परिवारों को विभिन्न तहसीलों में भूमि आवंटित की गई है।

(2) आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर के यहां 52 राजस्थान के मृत सैनिक परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटन के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

(श्री राजस्व मन्त्री)

इनमें से 23 आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों पर भूमि आवंटन के आदेश हो चुके है परन्तु वे कब्जा लेने के लिऐ उपस्थित नहीं हुऐ हैं।

अन्य 29 प्रार्थना-पत्रों के आवेदकों को लिख दिया गया है कि वे सुरक्षित क्षेत्र में से भूमि पसन्द कर सूचित करें। पसन्द की गई भूमि की सूचना प्राप्त होने पर आवंटन शीघ्र कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

(12.55 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि उदयपुर जिले के ग्राम फलासिया, झाडोल, भोमट, जूडा, पानरवा आदि क्षेत्रों में हजारों आदिवासी भील द्वारा भूखमरी एवं अकाल की स्थिति के कारण लूट-पाट करने तथा पुलिस द्वारा स्थिति पर नियंत्रण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चार स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें निम्न माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री नन्दलाल।

(2) श्री हीराभाई व श्री विट्ठलभाई।

(3) श्री विद्यासागर, श्री देवीलाल सराड़ा, श्री देवेन्द्रकुमार मीणा व श्री नाथूराम।

(4) श्री कृष्णकुमार गोयल।

(विरोधी दल के माननीय सदस्यों का सदन में पुनरागमन)

मेरी मान्यता थी कि जल्दी से जल्दी माननीय सदस्य आवें और उसकी पूर्ति हुई। मैं अब धीमे बोलूंगा।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री भैरोंसिंह सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि राजस्थान पुलिस द्वारा रेलवे कर्मचारी श्री श्रीपाल जैन एवं अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कारण तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है तथा ये गिरफ्तारियां 19-9-68 की प्रस्तावित हड़ताल के सिलसिले में की गई हैं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्न स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोकमहत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(1) गंगानगर जिले के कस्बा भादरा से हिसार जाने वाली सड़क के बीच चार मील की सड़क टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री केदारनाथ द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) टेम्पो चालकों के परमिट रिन्यू न किये जाकर रद्द किये जाने तथा नये परमिट

(श्री अध्यक्ष)
इश्यु न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री शिवनाथ सिंह, श्री नथमल चोंहला, श्री नाथूराम व श्री महेन्द्रकुमार द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) 6 वर्ष के एक बच्चे की लाश दौसा से दो मील दूर माधो हरियाणा ब्राह्मण के कुएं में बरामद करने तथा पुलिस द्वारा दबाव में आकर मुलजिम को छोड़ देने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री बालसिंह, श्री प्रेमसिंह सिंघवी, श्री गंगासहाय व श्री महेन्द्रसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति सज्जनगढ़ की हिम्मतगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच के चुनाव के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश का पालन न किए जाने के बारे में श्री हीराभाई द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) जवाई बांध से सिंचाई के लिए पानी न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री फूलचन्द बाफना व श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जो उदयपुर जिले के अन्दर आदिवासी भीलों में बेकारी, बेरोजगारी और भुखमरी के कारण उस क्षेत्र में अकाल के कारण से भीलों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलने के कारण······

श्री अध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं ? उसके ऊपर मैंने जानकारी की है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, स्थिति बहुत विषम है

श्री अध्यक्ष : स्थिति विषम है इसलिए तो कह रहा हूं कि जानकारी आज प्राप्त कर ली जाये।

ऑर्डर, ऑर्डर (श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर)

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब सदन में कोई सदस्य इतने गम्भीर प्रश्न पर बोल रहा हो तो जैसे हम आसन का सम्मान करते हैं तो हम भी अपेक्षा करते हैं कि ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस ने गोली चलाई, लाठी चार्ज किया······

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : चाहिए तो यह था, अध्यक्ष महोदय, कि आप उसी समय···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मंत्री जी आज ही वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में गृह मंत्रीजी कल वक्तव्य देंगे। समाप्त होता है प्रश्न।

(1 म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, 19 सितम्बर को राज्य कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश निकाला है उसके अन्तर्गत राज्यों में कुछ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। हमें इस बात का बड़ा खेद है कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अभी 5 दिन हड़ताल के हैं और हड़ताल होगी या नहीं, कर्मचारियों ने अन्तिम तौर से कोई फैसला किया नहीं है उस सम्बन्ध में। वार्तालाप यद्यपि असफल हो गया है, ऐसा समाचार-पत्रों में समाचार आया है, परन्तु दुःख इस बात का है कि राज्य सरकार और राज्य सरकार की पुलिस अभी से कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है जैसा कि 14 सितम्बर की रात को 4 बजे रेलवे के दो कर्मचारी, श्री श्रीपाल जैन और झालानी को गिरफ्तार करके, कर्मचारियों में उत्तेजना फैलाने की कार्यवाही, उकसाने की कार्यवाही राज्य सरकार की पुलिस ने की है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा निन्दनीय राज्य कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का रवैया और यह सलूक जो राज्य सरकार कर रही है, मैं समझता हूं कि इसकी सर्वदृष्टि से और सभी ओर से भर्त्सना की जानी चाहिए। इसके कारण, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान भर में स्थिति उत्तेजनात्मक बनती चली जा रही है। कर्मचारियों के नेताओं और कर्मचारियों को इतने दिन पूर्व गिरफ्तार करके ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को उकसाना चाहती है, उनको भड़काना चाहती हैं और वे किसी प्रकार शान्तिपूर्ण ·········

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विचार कर सकें तो वह विचार नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में इतनी जल्दी इस प्रकार कदम उठाने की क्या आवश्यकता थी यह बताएगें कि जिसके कारण से दो यूनियन के कार्यकर्त्ताओं को गिरफ्तार करने से कर्मचारियों में जो रोश पैदा हुआ है और कर्मचारियों को उकसाया जा रहा है, उनमें उत्तेजना फैलाई जा रही है तो इस अशान्ति और अराजकता की स्थिति पैदा करने की सारी जिम्मेदारी राज्य की सरकार और पुलिस पर होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 19 सितम्बर से पहले अशान्ति और अराजकता की स्थिति पैदा हो जाय तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय कर्मचारियों पर नहीं होगी, बल्कि राजस्थान राज्य की पुलिस पर होगी ···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन्होंने इस प्रकार का अदूरदर्शिता पूर्ण कदम उठाया है और उन नेताओं को गिरफ्तार किया है तो गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई है, कार्यवाही की जा रही है और जो कार्यवाही की जाने वाली है उसके सम्बन्ध में इस सदन को अवगत करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रतापगढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में धरना देने वाले मामले में······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): यह वक्तव्य कब होगा ?

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री भैरोंसिंह : इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में।

श्री अध्यक्ष : मैं एक का कहना चाहता हूं और दूसरे पर जाकर कहूंगा कि कब वक्तव्य हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब आप कब जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप कब जाने वाले है। (विराम) और प्रश्न पूछ लें। प्रतापगढ़ नगरपालिका में जो ···

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि 19 सितम्बर की हड़ताल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने जो अध्यादेश निकाला है और उस पर जो पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है, मैं निवेदन करना चाहाता हूं कि यह बहुत ही खेदजनक घटना है। एक तरफ तो भारत सरकार ने मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार दिया, उनको अपनी तनख्वाहों, जीवन-स्तर तथा मांगों को सामूहिक रूप से रखने का अधिकार दिया, और सरकार उनसे वार्तालाप कर रही है उनके कहने पर पै कमीशन नियुक्त करती है······

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय, आपने जब इस पर इस प्रकार का निर्णय दिया है कि इसके सम्बन्ध में आप जो भी सोच-विचार कर निर्णय लेंगे और उससे सदन को अवगत करायेंगे···

(1.02 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन)

ऐसी हालत में जो बहस की जा रही है उसको रुकवाया जाना चाहिए और दूसरी कार्यवाही को लिया जाय ताकि जो सदन की आज की कार्यवाही जरूरी है मिनिमम वेजेज का बिल आज आने वाला है जिससे सारा राजस्थान प्रभावित होगा और तमाम मजदूर वर्ग इससे सम्बन्ध रखता है, और उसमें देर होने के कारण बहुत बड़ा इस पर असर पड़ेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कानून में इस प्रकार का प्रावधान है कि एडजोर्नमैन्ट मोशन पर जब तक निर्णय स्पीकर नहीं लेते हैं तब तक बहस नहीं हो सकती है, और आप बराबर बहस चालू रख रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब इसके सम्बन्ध में निर्णय लेकर अवगत करायेंगे तो इसको रुकवाइयें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि माननीय मन्त्रीजी जब इस पर वक्तव्य देंगे तो मैं इस बात को इंगित करना चाहता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने मजदूर संगठनों से इस प्रकार का समझौता किया है कि जहां तक सम्भव हो सके आपस में टकराव न हो और आपस में मिल बैठकर फैसला करें। भारत सरकार ने खुद ने प्राइवेट इण्डस्ट्रियलिस्ट्स और मजदूरों के बीच में यह स्थिति पैदा करने की कोशिस की अगर वास्तविक रूप से आपस में कन्सीलियेशन नहीं हो सके तो हर मामले को आर्बीट्रेशन में रेफर कर दिया जाय, लेकिन खेद की बात है कि तमाम केन्द्रीय कर्मचारियों ने भारत सरकार को यह कहा कि इस मामले को आर्बीट्रेशन को रेफर कर दिया जाय, गजेन्द्र गड़कर को रेफर कर दिया जाय तो भारत सरकार ने आर्बीट्रेशन के लिए इन्कार कर दिया और इसको गैर कानूनी करार कर दिया। सरकार ने जिन सिद्धान्तों को संविधान में स्वीकार किया है उन्हीं सिद्धान्तों को सरकार स्वयं इनकार करना चाहती है केवल उनके हाथ में सत्ता है इस बुनियाद पर।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय उपाध्यक्ष, दौसा में एक को 6 साल के बच्चे को उठा कर ले जाया जाय और उसकी हत्या कर दी जाय और उस पर पुलिस मौन रहे और जिस परिवार के बच्चे की हत्या हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, दौसा की पुलिस के द्वारा उस परिवार को धमकी दी गई है कि इस प्रकार की कार्यवाही की तो उनको गिरफ्तार कर लिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी पहले एक नर बलि हुई है बच्चे की और दूसरी इस प्रकार की बलि दी गई है और हत्यारों को पकड़ कर छोड़ दिया गया है, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, माननीय सदस्य! इस पर व्यवस्था अध्यक्ष महोदय ने दे दी है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस संबन्ध में सदन के अन्दर वक्तव्य दें और जिन हत्यारों को पुलिस के अधिकारियों ने छोड़ा है उनको सस्पेन्ड करके उनको पुनः गिरफ्तार करके इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाय।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बीच में बात दूसरी आ गई है। कर्मचारियों की गिरफ्तारी के आर्डिनेंस के सम्बन्ध में बात हो रही थी, उसके बारे में सवाल यह है कि राजस्थान में शांति-भंग की कार्यवाही पुलिस की ओर से हो रही है उस सम्बन्ध में गृहमंत्री जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए था। हम जानना चाहते थे कि आखिर इस प्रकार से मजदूरों को पकड़ कर क्यों उकसाया जा रहा है? क्यों न जो उनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाय और सहयोग दिया जाय? यह एक स्थिति है, लेकिन वहां उनकी मांगों के सम्बन्ध में कुछ कहा न जाय और उनको इस तरह से गिरफ्तार किया जाय, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और राजस्थान की पुलिस उसमें आगे बढ़कर हाथ बटाये। नरबलि के सम्बन्ध में हमारी प्रधानमंत्री आगे बढ़ी और गृह मंत्री जी सो रहे थे, लेकिन मजदूरों को दबाने के सम्बन्ध में ये सबसे आगे बढ़ते हैं। (शेम, शेम) राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति क्यों है? स्पष्टीकरण दें इस सम्बन्ध में।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, सारे देश के सामने······

श्री उपाध्यक्ष: भाषण किस पर हो रहा है? किस बात पर चर्चा हो रही है?

श्री दौलतराम सारण: उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्राब्लम देश के सामने आया है कि सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त होने की स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसा अध्यादेश जारी कर दिया है जिससे सारे समाज की शान्ति का सवाल पैदा हो गया है···

श्री उपाध्यक्ष: इस पर अध्यक्ष महोदय ने·········

श्री दौलतराम सारण: देश में अराजकता का सवाल पैदा हो गया है और आप पूछ रहे हैं कि क्या सवाल है?

श्री उपाध्यक्ष: इस पर अध्यक्ष महोदय ने यह फर्माया था कि इस पर व्यवस्था दी जायेगी तब वाद-विवाद हो।

श्री दौलतराम सारण: हम अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के लिए ही अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय ···

श्री उपाध्यक्ष : इस स्टेज पर बहस नहीं हो सकेगी।

श्री दौलतराम सारण : जब एक संगठनात्मक रूप से कर्मचारियों के संगठन अपनी असुविधाओं को, अपनी कठिनाइयों को अपनी समस्याओं को शासन के सामने पेश करते हैं और शासन की तरफ से उन से वार्तालाप होता है और वार्तालाप किन्हीं स्थितियों में सफल नहीं होता है उसके बाद अध्यादेश जारी करके उनका मुंह बन्द करने की चेष्टा की जाती है तो एक तरफ तो उनको इस तरह से संवैधानिक अधिकार दिये जाते हैं, एक तरफ तो उनको शान्तिमय वैधानिक तरीके से अपनी मांगें रखने के अधिकार दिये जाते हैं और दूसरी तरफ उनको डंडा दिखाकर उन पर दबाव डाला जाता है। 19 तारीख तो आई नहीं और शान्तिपूर्ण तरीके से वैधानिक तरीकों से सारे देश में कर्मचारियों ने अपनी मांगे पेश की हैं तो अशान्ति पैदा करने के लिए सरकार उनको यहां से मजबूर कर रही है। उनके पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके इस प्रकार की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार की स्थिति पैदा की है शासन ने कि जिससे जन-जीवन में अव्यवस्था पैदा होने वाली है तो उसके लिए शासन जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि अदूरदर्शिता के साथ इस प्रकार के कदम नहीं उठाये जायें और कर्मचारियों को शान्तिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे सरकार को पेश करने का अवसर दिया जाय। संगठनात्मक तरीके से प्रदर्शन करने का उनको वैधानिक हक है उस हक को इस तरह से बन्द नहीं किया जाय, यह मेरा आपकी मारफत निवेदन है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो सरकार ने अध्यादेश निकाला है उस अध्यादेश·······

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आपके दल की तरफ से माननीय नत्थीसिंह जी ने बात कर ली है।

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्षजी, ऐसा है कि अगर सरकार अध्यादेश निकालती है तो यह मैं मानता हूं कि जहां काला बाजार और महंगीवारी बढ़ रही है, महंगीवारी रोजमर्रा बढ़ रही है तो उन पर सरकार अध्यादेश निकाल कर कन्ट्रोल कर दे तो हम समझते कि महंगीवारी पर रोक लगी है।

अगर इस प्रकार कन्ट्रोल करते तब तो हम समझते कि मजदूरों को सहूलियत मिलने वाली है। सरकार पूंजिपतियों की मुनीम बनती जा रही है। गरीबों का हक है। उनको गिरफ्तार करने के लिए अध्यादेश निकाले जाते हैं। प्रजातन्त्र की शोभा के परे है यह चीज।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं·········

श्री फूलचन्द बाफना : महत्वपूर्ण विषय पर है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द !

श्री फूलचन्द बाफना : एक स्थगन प्रस्ताव दिया है । जवाई बांध पूरा भरा हुआ है । हजारों मन अनाज पैदा होगा । इस पर विचार होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है । आप उसका कोई और रास्ता बता दीजिए ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वैसे इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से सभी जगह यह हिदायत कर दी गई है कि जहां जहां फसलें सूख रही हैं वहां वहां उनको पानी दिया जाये । अगर जवाई बांध में ऐसा नहीं हुआ है तो उनको आदेश दे दिये जायेंगे ताकि उनका पालन किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रतापगढ़ नगरपालिका के 5 सदस्यों द्वारा विधान सभा के समक्ष धरना देने सम्बन्धी मामले पर स्वायत्तशासन मन्त्री एक वक्तव्य देंगे ।

प्रतापगढ़ नगरपालिका के 5 सदस्यों द्वारा विधानसभा के समक्ष धरना देने सम्बन्धी मामले पर स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

श्री भीखाभाई (स्वायत्तशासन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह शेखावत, कृष्णकुमार गोयल, सतीशचन्द्र अग्रवाल, ओम्‌दत्त भाटी, गंगा-सहाय, नन्दलाल, हरलालसिंह, लाभचन्द वैद्य व अन्य सदस्यगणों ने, नगरपालिका प्रतापगढ़ के पांच सदस्यों के विधान सभा के समक्ष धरने पर बैठने के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उसमें जो तथ्य उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि·········

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आवाज नहीं आती है ।

श्री भीखाभाई : मेरा नम्र निवेदन है कि नगरपालिका में 14 सदस्य हैं परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि किस किस दल के कितने सदस्य हैं । नगरपालिकाओं के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जनसंघ के कितने सदस्य हैं व अन्य दलों के कितने ।

श्री रामकिशन : अच्छा यह दिक्कत पड़ रही है । अरे भीखा भाई, बुढ़ापे में यह क्या कर रहे हो ?

श्री नत्थीसिंह : आप जानकारी कर लीजिए । हनुमान जी को साक्षी रख कर ।

श्री भीखाभाई : जहां तक अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना व सदस्यों को निलम्बित करने का प्रश्न है, सम्बन्धित अधिकारियों व राज्य सरकार ने नियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही की है । इस सम्बन्ध में गत विधान सभा के बजट सत्र में भी सर्व श्री देवीदत्त गाड़िया व भैरोंसिंह शेखावत ने प्रश्न पूछे थे । प्रश्नों के उत्तर व अनुपूरक सूचनाओं की जानकारी में विस्तृत रूप से जानकारी करा दी गई थी । जिन पांच नगरपालिकाओं के सदस्यों ने विधान सभा के समक्ष धरना दे रखा है उन्होंने अन्य पालिका सदस्यों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सदस्यों को निलम्बित करने व अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए रिट

(श्री भीखाभाई)

चिका सं० 541/1967 प्रस्तुत कर रखी है। रिट याचिका में स्वायत्त शासन विभागमन्त्री श्री हरिदेव जोशी, राज्य सरकार, जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, अध्यक्ष, नगरपालिका व सदस्यगण नगर पालिका पार्टियां है। इन प्रार्थियों की तरफ से रिट याचिका के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और रिट याचिका विचाराधीन है, तो ऐसी परिस्थिति में अब इन तथ्यों पर सदन में विचार करना कहां तक उचित है। इस याचिकामें वे ही तथ्य अंकित है जिन पर स्थगन प्रस्ताव आधारित है। स्थगन प्रस्ताव में गत 18 माह से नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा का न बुलाना बतलाया गया है, इसके सम्बन्ध में निवेदन है कि राज्य सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। बोर्ड की बैठक कब कब बुलाई गई, इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी जिलाधीश, सब-डिविजनल ऑफिसर एवं म्यूनिसिपल बोर्ड से करली जावेगी। वैसे टेलीफोन के जरिये जानकारी करने के प्रयत्न किये गये किन्तु लाईन खराब होने से जानकारी नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने विज्ञप्ति सं० दिनांक 6-8-1962 के अन्तर्गत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 67 (जी) की पालना हेतु नगरपरिषदों व जिले की पालिकाओं को छोड़ कर अन्य पालिकाओं की बैठक सम्बन्धी कार्यवाही का विवरण भेजने के लिये सम्बन्धित सब-डिवीजनल ऑफिसर को अधिकृत किया गया है। प्रतापगढ़ नगरपालिका इस तरफ से अपनी बैठक की कार्यवाही सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सब-डिविजनल ऑफिसर को भेजती है वह राज्य सरकार को नहीं भेजी जाती है। विधान सभा में मेरे कक्ष में एक डेपुटेशन मुझ से मिला और उन्होंने अपना प्रतिवेदन भी प्रतापगढ़ नगरपालिका के सम्बन्ध में पेश किया। मैंने डेपुटेशन के प्रतिनिधियों से कह दिया था कि आवश्यक जानकारी करने के बाद ही आगे कार्यवाही की जानी संभव होगी। इस प्रतिनिधि मण्डल में नगर पालिका के सदस्य भी थे जो कि धरना देने में सम्मिलित हैं। सदस्यगणों को आश्वासन देने के बाद भी धरने पर बैठ गये। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

अधिनियम की धारा 70 के अनुसार महीने कम से कम एक बार बोर्ड की साधारण बैठक बुलाया जाना चाहिए जिससे कि बोर्ड के साधारण काम निबटाये जा सकें परन्तु जब बोर्ड ने अपने प्रस्ताव दिनाँक 25-4-67 द्वारा अपने समस्त अधिकार चैयरमेन को प्रदान कर दिये और चैयरमेन विधिवत् रूप से बोर्ड का दिन प्रतिदिन का कार्य कर रहा है तो इससे बोर्ड के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो रही है। सम्बन्धित अधिकारियों से बैठक न बुलाने के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर जैसी भी स्थिति होगी. कार्यवाही की जा सकेगी।

नगरपालिका, प्रतापगढ़ का वर्ष 1968-69 का बजट जो बगैर नगरपालिका की बैठक में रखे ही अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार को भेजा जाना व स्वीकृत कर देना बतलाया गया है, यह तथ्य सही है। अध्यक्ष नगरपालिका ने वर्ष 1967-68 के बजट में पुनर्नियोजनार्थ प्रस्ताव भिजवाये थे जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई थी जब कि यह मामले बोर्ड की बैठक में रखे बगैर ही राज्य सरकार को भिजवा दिया

(श्री भीखा भाई)
गया था। नगरपालिका ने अपने प्रस्ताव दिनांक 25-4-67 द्वारा समस्त अधिकार अध्यक्ष को धारा 78 के अन्तर्गत प्रदान कर दिये और अध्यक्ष ने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बजट राज्य सरकार को भिजवा दिया। विधि विभाग की राय के अनुसार अध्यक्ष का कार्य वैध है और इसी वैधता के आधार पर राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी व वर्ष 68-69 का बजट भी इसके अनुसार ही स्वीकृत कर दिया गया।

सरकार मूल रूप से यह धारणा कर चुकी है कि बोर्ड द्वारा धारा 78 द्वारा प्रदत्त हस्तान्तरित अधिकारों के उपयोग पर सुनियोजित रूप से नियंत्रण रखा जाय तथा इस दशा में दिनांक 13-9-68 को राजस्थान नगरपालिका (शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा प्रबन्धात्मक कृत्यों के प्रत्यायोजन पर प्रतिबन्ध, मर्यादा व शर्तें निर्धारित करने सम्बन्धी)···

श्री श्रवणलाल : जय बजरंग बली !

श्री भीखा भाई : नियम 1968 भी बना दिये हैं, जिसकी एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है, जिसके अन्तर्गत अनेकों महत्वपूर्ण धारायें हैं, जिनके अधिकार, बोर्ड अब किसी को प्रदान नहीं कर सकेगा, भविष्य में, इनमें धारा 277 भी है जो कि आय-व्ययक अनुमान बनाने से सम्बन्धित है व धारा 310 भी है जो कि पालिका के कर्मचारियों की नियुक्ति आदि से सम्बन्धित है, आदि

उपरोक्त तथ्यों से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार ने कोई भी नियम विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्ष के विरुद्ध जो भी अनियमितता की शिकायत पेश होगी सरकार उसके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी करने का प्रयत्न करेगी। मैं माननीय सदस्य से, जिन्होंने कि स्थगन प्रस्ताव को टेबल किया है और साथ-साथ उन सदस्यों से, जो धरने पर बैठे हैं, निवेदन करूंगा कि वह कोई वैधानिक तरीके अपनायें और धरने की चीज को समाप्त कर दें। मैं निवेदन करूंगा जब कि यह मामला उच्च न्यायालय, राजस्थान के उच्च न्यायालय सस्पेन्शन को चुनौती देते हुए, अवैधानिक कार्यवाही को चुनौती देते हुए प्रस्तुत हुआ है तो उच्च न्यायालय को मौका देना चाहिए और उसका जो निर्णय होगा वह न्यायसंगत होगा। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों से और जो हमारे सदस्य हैं प्रतापगढ़ नगरपालिका के, जिन्होंने धरना दिया है, यह निवेदन करूंगा कि शान्तिपूर्ण तरीके और वैधानिक तरीके अपनाये जायें ताकि इस पर आगे कार्यवाही करने में सहूलियत हो, राज्य सरकार को सहूलियत हो।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ नगरपालिका के पांच सदस्यों के द्वारा जो धरना दिया गया और उसके सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, मैं समझता हूं, उस पर जो स्वायत्त शासन मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया है वह अपने आपके अन्दर बिल्कुल असत्य और तथ्यों से परे है। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनसे पहले प्रतापगढ़ की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नगरपालिका के पांच सदस्यों का डेपूटेशन मिला था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पहला अवसर नहीं था जब कि नगरपालिका के सदस्यों का डेपूटेशन आकर मंत्री महोदय से मिला है। इससे पूर्व भी प्रतापगढ़ की नगरपालिका में जितनी घटनायें हुई हैं, जितनी भी अनियमित्तायें हुई हैं, और कानून को एक कोने में रख कर इस नगरपालिका के अध्यक्ष ने जिस प्रकार का रवैया अपनाया है, उस सबकी सूचना नगरपालिका के सदस्यों ने डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को और मन्त्री महोदय को समय समय पर भेजी है। इसलिए आज मन्त्री महोदय का यह कहना कि जो तथ्य यहां पर रखे गये हैं उनकी जानकारी उन्होंने करनी चाही लेकिन टेलीफोन खराब होने के कारण, लाइन के काम न करने के कारण वह सूचना प्राप्त नहीं कर पाये हैं—गलत है। मैं निवेदन करूंगा कि यह सरासर सरकार का एक बहाना है। जहां तक मन्त्री महोदय का प्रश्न है, मैं उनके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि वह अपने आपको बिल्कुल असमर्थ पाते हैं। जब भी उनसे डेपूटेशन मिले, और उन डेपूटेशन के सम्बन्ध में जिस प्रकार का रवैया अपनाया गया, जिस प्रकार से बहाने बनाये गये वह अपने आप में इस बात के द्योतक थे कि स्वायत्त शासन मन्त्री जी राजनैतिक दबाव के कारण निष्पक्षता के साथ में कोई निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं कर सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मन्त्री महोदय को जानकारी देना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि 25-4-67 से, जिसको कि आज सत्रह महीने हो गये, आज तक भी प्रतापगढ़ नगरपालिका के अन्दर एक भी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई गई है? क्या यह सही है कि 16-1-68 को एक स्पेशल मीटिंग की नगरपालिका के सदस्यों ने और जो नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, श्री नन्दकिशोर जी, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया? उनके अधिकारों को छीनने के बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, श्री नन्दकिशोर वहां के चेयरमैन हैं और उनके अधिकारों को छीनने के बाद भी वह मनमाने ढंग से कार्य करते चले आ रहे हैं। क्या यह सही है कि 1-4-68 को···

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जिस मीटिंग की बात कह रहे हैं कि इस तरह की मीटिंग बुलाई और चेयरमैन के अधिकारों को छीन लिया, तो जो मीटिंग बुलाई वह अध्यक्ष ने बुलाई या मेम्बर्स के द्वारा बुलाई गई?

श्री कृष्णकुमार गोयल: मेम्बर्स के द्वारा।

श्री रामनारायण चौधरी: क्या मेम्बर्स को मीटिंग बुलाने का अधिकार है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: है, है।

श्री रामनारायण चौधरी: कोई अधिकार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आपको कानून का ज्ञान नहीं है, रामनारायण जी! आपने पंचायत समिति में कार्य किया है, नगरपालिका का कार्य नहीं किया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): कानून पढ़ कर आइये!

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह मामला उठाया था तब मैंने एक आपत्ति प्रस्तुत की थी कि प्रतापगढ़ नगरपालिका के पांच मेम्बर्स के सस्पेन्शन का मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है और जो मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन है, राजस्थान की हाई कोर्ट जैसे उच्च न्यायालय के अन्दर विचाराधीन है उसके ऊपर इस सदन में विचार करें—यह सदन की परम्पराओं के और सदन की गरिमा के विपरीत है। मैंने कल यह निवेदन किया था, उपाध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जिस वक्त इस पर विचार होगा उस वक्त मैं यह ध्यान रखूंगा कि उन बातों का जिक्र नहीं किया जाय, उन बातों पर बहस नहीं की जाय जो हाई-कोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर व्यवस्था दें। यह मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और जिसका मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है। शायद उस वक्त माननीय सदस्य इस सदन में नहीं बैठे थे। और झुंझनूं में बैठे थे। उनको पता नहीं है, इस स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध दो प्रश्नों से है, एक तो नगरपालिका के सदस्यों के सस्पेन्शन का प्रश्न है और दूसरे जो प्रतापगढ़ नगरपालिका में अनियमितायें हुई हैं—वह प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्पष्ट किया गया है उसमें जो राज्य सरकार के द्वारा वक्तव्य दिया गया है। इसी कारण इस सम्बन्ध में पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाया गया है। जिन पॉइन्ट्स पर सस्पेन्शन हुआ है उन्हीं पॉइन्ट को इस स्थगन प्रस्ताव में उठाया गया है और जिन पॉइन्ट्स को इस स्थगन प्रस्ताव में उठाया गया है उन्हीं पॉइन्ट्स पर रिट याचिका चल रही है। इसलिए उन पॉइन्ट्स के ऊपर इस हाऊस के अन्दर, इस सदन के अन्दर विचार नहीं किया जा सकता। यह सदन की गरिमा और सदन की परम्पराओं के विपरीत है। मैं चाहूंगा कि आप इस पर डिबेट अलाऊ नहीं करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय......

श्री उपाध्यक्ष : इसमें उचित यह होता कि माननीय मन्त्री यह कह देते कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह मामला सबजुडिस है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और जिस समय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था उस समय यह एतराज करते। सो-सो कर जाग-जाग कर एतराज करते हैं—यह बात गलत है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर देकर सस्पेन्शन को जस्टीफाई किया है। बिल्कुल जस्टीफाई किया है कि जो भी कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार की गयी है। प्रतापगढ़ नगरपालिका का प्रश्न उठाया है इस पर वक्तव्य दिया गया है और इस पर विचार भी किया गया है......

श्री रामनारायण चौधरी : सस्पेन्शन करने का अधिकार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको पता नहीं है, रामनारायण जी, मंडावा में क्या हो रहा है। जो भी अविश्वास का प्रस्ताव उठायें उनको उठा कर सस्पेन्ड कर दें। इस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
प्रकार की अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार की अनियमितताये कोई छाती पर बैठ कर करे उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता । उस पर ही अटेंशन खींच रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं मंडावा की चिन्ता नहीं करता । कोई भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे उसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती । उसका सस्पेन्शन किया जाना चाहिए ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उसके सम्बन्ध में आपने अपना निर्णय नहीं दिया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं है कि मई और जून में कांग्रेस पार्टी को···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ···केवल दो स्थान मिले थे । दो स्थान से ज्यादा नहीं मिले । जनसंघ को दस स्थान मिले ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उस पर आपका निर्णय होना नितान्त आवश्यक है । इस पर बहस नहीं होनी चाहिए ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह स्वतंत्र पार्टी की मेहरबानी है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जो मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है उस पर इस हाउस में बहस नहीं की जा सकती ।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की प्रवृत्ति इनकी बनी हुई है कि जब भी विरोधी दल के कोई सदस्य बोलते हैं तो कांग्रेस दल के चीफ व्हिप इस प्रकार जोर जोर से बोलते हैं । मैं चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार की व्यवस्था करें ताकि इस प्रकार व्यवधान न डाला जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया है उसके बारे में निर्णय दिया जाय । यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि······

श्री देवीदत्त गाड़िया : उस पर व्यवस्था हो गई है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है हम उसके सम्बन्ध में व्यवस्था चाहते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : उस पर व्यवस्था दी जा चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! जो पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया गया था उस पर

(श्री उपाध्यक्ष)

यह व्यवस्था दे दी गई है कि अगर इस प्रिविलेज को क्लेम करना चाहते थे तो गवर्नमेंट को यह कहना चाहिए था कि यह मामला अदालत के विचाराधीन है इसलिए हम इस पर कोई वक्तव्य नहीं देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हिअर ! हिअर ! राइट !

श्री भीखा भाई : मैं निवेदन करूं······

कई माननीय सदस्य : बैठिये। आप बैठिये।

श्री नरसीसिंह : आपने तो आधे घण्टे तक वक्तव्य दे दिया है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बोलें तो उनको खड़े होकर बोलना चाहिए। बैठे बैठे नहीं बोलना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भीखा भाई जी, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप हाथ में हनुमान चालीसा रख कर कहिये। आपको यही पता नहीं कि प्रतापगढ़ नगरपालिका में कितने कांग्रेस के सदस्य जीते हैं। कितने स्वतंत्र पार्टी के जीते हैं और कितने जनसंघ के जीते हैं। आज बादशाह तो सुखाड़िया जी हैं, आप उनके गुलाम बन कर बोलते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर इस नगरपालिका के अलावा एक भी उदाहरण नहीं जहां चौदह में से बारह सदस्य विरोधी पक्ष के हैं और कांग्रेस के केवल दो जीते हैं······

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलत है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी वहाँ पर चैअरमैन कांग्रेस का बनता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह माननीय सदस्य क्या हनुमान चालीसा हाथ में लेकर बोल रहे हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : जो चुनाव हुए उसमें जनसंघ······

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है······

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज स्थान ग्रहण करें। श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था को सुना, आपकी व्यवस्था को स्वीकार करते हुए मैं जानकारी चाहूंगा कि जिस बात का सरकार ने प्रविलेज क्लेम नहीं किया और स्टेटमेंट दे दिया तो क्या उन पॉइन्ट्स पर, आज जो पॉइन्ट्स हाई कोर्ट के अन्दर विचाराधीन हैं, आप डिबेट अलाऊ कर सकते हैं ? किसी मेम्बर को स्पष्टीकरण के तौर पर कहने की अनुमति दे सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : इस सदन को सब विषयों पर चर्चा करने का अधिकार है।

(विरोधी पक्ष की ओर से हियर, हियर की ध्वनि)

मैंने पूरा नहीं कहा है, मेरी बात सुन लें।

लेकिन कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं, जो किसी अदालत में विचाराधीन हों तो यह

(श्री उपाध्यक्ष)

शासन के ध्यान में लाया जाना चाहिये कि यह यह पॉइन्ट्स अदालत के विचाराधीन हैं, इसलिये उस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच करटेल होगी। आपकी तरफ से यह स्पष्ट नहीं आया है कि अदालत में कौनसे मुद्दे विचाराधीन हैं। आपकी तरफ से यह दिया जाय कि यह यह पॉइन्ट्स अदालत के विचाराधीन हैं, तो उस सम्बन्ध में शासन से व्यवस्था दी जा सकती है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह सरकार की तरफ से दिया है कि इन पॉइन्ट्स पर अदालत में रिट पिटिशन है।

श्री उपाध्यक्ष : हम को यह नहीं दिया गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि जिन प्रश्नों पर सस्पेन्ड किया है, उसी आधार पर हाई कोर्ट में रिट पिटिशन चल रही है। तो क्या इस प्रकार का प्रिविलेज केवल मंत्री महोदय ही क्लेम कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में जिन पॉइन्ट्स पर रिट पिटिशन चल रही है, उन पॉइन्ट्स पर डिस्कशन नहीं किया जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सरकार का रुख बता दिया, बार बार इस प्रश्न को बीच बीच में उठाना उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, 25 अप्रेल, 67 से आज तक 17 माह हो गये, बोर्ड की एक भी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई गई है। मंत्री महोदय का यह कहना कि हमें जानकारी नहीं है. यह बिलकुल असत्य है। समय समय पर प्रतापगढ़ के सम्बन्ध में जहाँ डायरेक्टर को सूचना दी है तारों के द्वारा, पत्रों के द्वारा, वह सारी की सारी सूचना मंत्री महोदय को दी है। 17 महिने हो गये, एक भी मीटिंग नहीं की गई है। 16-6-67 को चेयरमैन के अधिकार एक स्पेशल मीटिंग में बहुमत से छीन लिये पर चेयरमैन उन अधिकारों को अभी तक काम में ले रहा है। जहाँ तक रजिस्टर्स, फाइल्स का सम्बन्ध है, कागजात का सम्बन्ध है सारे के सारे रजिस्टर आदि चेयरमैन नन्दकिशोर ने सारे रजिस्टर्स, प्रोसीडिंग्स अपने घर पर ला कर रखे हैं, आज तक चेयरमैन नगरपालिका के दफ्तर में नहीं बैठा है, वे कहते हैं कि सारे के सारे अधिकार नगरपालिका के सदस्यों ने मुझे दे दिये हैं, झूठ-मूठ डायरेक्टर को लिखकर भेज रहे हैं। 27-8-67 को सब सदस्यों ने मीटिंग बुलाकर जो पहले नन्दकिशोर जी को अधिकार दिये थे वे सब अधिकार बहुमत से समाप्त कर दिये, जितनी समितियाँ थीं, उनको भी बहुमत से भंग कर दिया, फिर भी वही चेयरमैन काम कर रहा है। आज मंत्री महोदय अपने पापों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टी के कितने 2 सदस्य हैं, यह उनको मालूम नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के चुनावों में पार्टीज के सिम्बल नहीं होते, पार्टी के सिम्बल पर चुनाव नहीं होते, पर आज हर एक जानता है कि राजस्थान की प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्येक पार्टी ने अपने अपने सदस्य खड़े किये थे, प्रतापगढ़ में भी सब पार्टियों ने अपने अपने सदस्य खड़े किये थे, जो 1964 में चुनाव हुए उसमें कॉंग्रेस के 2 सदस्य, जनसंघ के 8 सदस्य, स्वतन्त्र पार्टी के 3 सदस्य और निर्दलीय 1 सदस्य प्रतापगढ़ की नगरपालिका में चुने गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सब कॉंग्रेस के हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : और चुनाव होने के बाद बहुमत के आधार पर श्री नन्दकिशोर जो कि स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य थे चेअरमैन चुने गये, पर कांग्रेस पार्टी का यह रवैया है खरीद फरोख्त का, कांग्रेस पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास करती है, कांग्रेस ने श्री नन्दकिशोर को खरीद लिया और इसी प्रकार स्वतन्त्र पार्टी के तीन सदस्यों को खरीद लिया···

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : जो माननीय सदस्य यहां नहीं है, उनके लिये कहना कि खरीद लिया, आप जैसे चुनावों से आते हैं, उसी प्रकार वे भी चुनावों से आयें हैं, जो चुनावों से आये है और जो यहां आकर कुछ कह नहीं सकते। उनके लिये इस प्रकार कहना उचित नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल नियमों के विपरीत है। जब तक प्रीवियस नोटिस नहीं दें, मन्त्री महोदय, क्या जवाब देंगे ? उन लोगों के लिये जो यहां आकर बोल नहीं सकते उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा दें खरीद फरोख्त का यह गैर वाजिब है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सुखाड़ियाजी के सामने पेंडिंग लिस्ट पड़ी ही रहेगी, कितनी ही खुशामद करो। जिनको जो संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिये। प्रतापगढ़ की नगरपालिका में जनसंघ के आठ सदस्य, कांग्रेस के केवल 2 सदस्य, स्वतन्त्र पार्टी के 3 सदस्य, 1 निर्दलीय सदस्य, और स्वतन्त्र पार्टी के एक सदस्य जनसंघ में आकर मिल गये तो जनसंघ के 9 सदस्य हो गये, स्वतन्त्र पार्टी के दो सदस्य कांग्रेस में मिल गये फिर भी बहुमत जनसंघ के साथ ही रहा। नन्दकिशोरजी कांग्रेस में मिल गये तो उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव के लिये सबसे पहले 26-11-66 को बैठक रखी। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी और उसके लिये एस० डी० ओ० को नियुक्त किया गया था वह समय पर नहीं पहुंचा और इस तरह उस मीटिंग में कोई निर्णय नहीं ले सके। उसके बाद 29-12-66 को दूसरी मीटिंग अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिये रखी, उसमें ए० डी० एम० को नियुक्त किया गया था पर ए० डी० एम० भी उस रोज समय पर नहीं पहुंचे और मीटिंग स्थगित हो गई। इसके बाद 23-1-67 को जनसंघ के 5 सदस्यों को अचानक ही बिना किसी कारण के सस्पेन्ड कर दिया······

(विरोधी पक्ष की ओर से शेम, शेम की ध्वनि)

इस तरह अचानक सस्पेन्ड कर देने से जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिये था वह नहीं हुआ, वह गिर गया। उसके बीच राजस्थान के अन्दर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और जिन 5 माननीय सदस्यों को सस्पेन्ड किया गया था उन्होंने अपने अपने उत्तर पेश किये और पांचों ही सस्पेन्डेड सदस्यों को राष्ट्रपति के शासन काल में ही रीइन्स्टेट कर दिया गया······

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं······

श्री कृष्णकुमार गोयल : सस्पेन्ड करने के बाद······

श्री भीखा भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। मन्त्री महोदय!

श्री भीखा भाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जिन मुद्दों को माननीय सदस्य आज उठा रहे हैं, उस बारे में एक रिट चल रही है। मैंने पढ़ कर स्टेटमेंट सुनाया, स्थगन प्रस्ताव आया इस कारण स्टेटमेंट दिया और यह निवेदन किया कि अविश्वास प्रस्ताव और निलम्बन आदि के जितने ये प्रश्न हैं, ये सारे के सारे कोर्ट के विचाराधीन हैं। हरिदेव जी जोशी को भी पार्टी बनाया गया है, 18 पेज की रिट पेश हुई है, इसलिये इसके बारे में यहां डिस्कशन का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक दूसरे मामले हैं, उनके बारे में मैंने निवेदन किया कि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। मैंने यह भी निवेदन किया कि उसके बारे में जानकारी की जायगी। मैंने सारे सवाल को दो भागों में बांटा है। जहां तक धरना देने की बात है, मैंने उनसे कहा कि धरना देने की आवश्यकता नहीं, जो कार्यवाही हमारी तरफ से की जा सकती है, वह हमारी तरफ से की जायगी, फिर भी धरना दिया। जो आदेश दिये गये थे बिना पूछे ही कि स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इसलिये इस सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य दिया और मैंने निवेदन किया कि "जिन 5 नगरपालिका के सदस्यों ने विधान सभा के समक्ष धरना दे रखा है, उन्होंने अन्य पालिका सदस्यों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सदस्यों को निलम्बित करने व अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए रिट याचिका नं० 541/167 प्रस्तुत कर रखी है। रिट याचिका में मंत्री-स्वायत्त शासन विभाग, श्री हरिदेव जी जोशी, राज्य सरकार, जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश, अध्यक्ष, नगरपालिका व सदस्यगण नगरपालिका पार्टियां हैं। इन प्रार्थियों की तरफ से रिट याचिका के सम्बन्ध में प्रत्युत्तर उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है और रिट याचिका विचाराधीन है, तो ऐसी परिस्थिति में अब इन तथ्यों पर सदन में विचार करना कहां तक उचित है?"

कुछ तथ्य हो सकते हैं, जिनको माननीय सदस्यों ने नहीं माना है पर माननीय सदस्य चाहते हैं कि यहां कोई ऐसा कमिटमेंट किया जाय कोई ऐसी बात निकल जाय और वे हाई कोर्ट में पेश कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : यहां पर अविश्वास प्रस्ताव और निलम्बन करने के प्रश्न पर न कहा जाय।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जिस प्रकार का मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है और घोटाले और गड़बड़ी प्रतापगढ़ में हुए हैं, वहां जनसंघ का बहुमत होते हुए भी उसको ठुकरा कर अल्पमत के आदमी को चेयरमैन बनाया है उस पाप को छिपाने के लिए उन्होंने झूठ बोला है। यह सत्य है कि नगरपालिका के अन्दर राजनैतिक आधार पर चुनाव लड़े गये। उसके परिणाम स्वरूप बहुमत जनसंघ को प्राप्त हुआ था और उसके कारण जब एक व्यक्ति बेईमान बना और दल बदला तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और फिर सरकार ने सस्पेन्शन का सहारा लिया। तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ लाया गया। सरकार ने वहां पर लोगों को सस्पेन्ड किया ताकि वे लोग वोटिंग में भाग नहीं ले सकें और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाय। यह कहानी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जून, 1966 से चल रही है और सरकार बार बार लोकतंत्र की दुहाई देना चाहती है।

मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आप लोकतन्त्र का गला घोंट रहे हैं, बहुमत को ठुकरा कर अल्पमतके व्यक्ति को चेयरमैन बनाया है, यह राजस्थान की जनता बरदाश्त नहीं करेगी ? राजस्थान की जनता चुपचाप बैठने वाली नहीं है। यह केवल प्रतापगढ़ नगरपालिका का ही सवाल नहीं है, बल्कि सारी नगरपालिकाओं का सवाल है। सरकार ने केवल नगरपालिकाओं में ही अपनी टांगें नहीं लगाई हैं. पंचायत और पंचायत समितियों में भी ऐसा आपने किया है। कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान को भी गिराने के लिए आपने षड़यन्त्र रचा कि विरोधी सदस्यों को ससपेंड किया जाय। तो सस्पेन्शन का सहारा सरकार लेती चली आ रही है, हम उसको बरदाश्त नहीं करेंगे। सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। 17 मई को जनरल मीटिंग हुई उसके अन्दर बजट पास नहीं हुआ। उसके बाद सरकार की इस पर स्वीकृति लेकर मोहर लगाते हैं इसको हम बर्दास्त नहीं कर सकते इसलिए केवल यह कह कर कि हम किसी प्रकार टेलीफोन से सम्पर्क नहीं कर पाए हैं, आप बच नहीं सकते। 4-5 दिन पहले भी आपसे डेपूटेशन मिला है, क्यों नहीं टेलीफोन के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना प्राप्त की ? क्यों नहीं आज आप इस स्थिति में आए कि आप संतोषजनक उत्तर दे सकें ? हम बरदाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने जो आरोप लगाया है कि कानून के विरुद्ध बजट पास कराया है और बोर्ड की जनरल मीटिंग नहीं बुलाई, सारे अधिकार छीनने के बाद, पैसे का उपयोग कर रहे हैं, सब बातों का सवाल है तो वापस टेलीफोन से सम्पर्क स्थापित करें और कल उत्तर दें लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप टाल दें।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा): पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। मेरी प्रार्थना-पत्र यह है कि प्रतापगढ नगरपालिका के बारे में यहां बोला गया। स्थगन प्रस्ताव नामंजूर होगया। मंत्री महोदय ने अपना विवेचन दिया। प्रक्रिया संचालन ने नियमों में कहीं भी नियम नहीं है कि सबजुडिस केस के पॉइंट को छोड़कर कहीं भी नियम नहीं है कि उसके बाद उस पर यह कहा जाय कि मंत्री महोदय झूठ बोल रहे हैं, मंत्री महोदय गलत विचार दे रहे हैं। उनका केवल स्टेटमेन्ट हुआ है, उस स्टेटमेन्ट से सदन को संतोष करना चाहिए। उस पर क्या काऊंटर स्टेटमेन्ट है, कहीं भी प्रक्रिया संचालन के नियमों में नहीं है कि इस तरह स्टेटमेन्ट को आगे रखा जाय।

श्री भैरोंसिंह : प्रक्रिया के सम्बन्ध में माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि वह इस विधान सभा में लगभग डेढ़ साल से यहां बैठे हैं। कोई ऐसा नियम वह बता दें जिस नियम का स्ट्रीक्टली पालन होता है। आज परम्परायें हैं, परम्परायें इस प्रकार बनी हुई हैं जिनके अनुसार मंत्री महोदय ने स्टेटमेन्ट दिया, उसके बाद में माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दे रहे है, रूल्स बहुत पुराने समय से बने हुए हैं। एक दिन आयेगा विधान सभा में तो क्या अन्य विधान सभाओं में और लोक सभा में इन नियमों के अन्दर यह बात आयेगी कि नियमों के अन्दर संशोधन किया जाय और परम्पराओं को एडजस्ट करने की व्यवस्था की जाय। जो नियम हैं

(श्री भैरोंसिंह)

सारे के सारे ऑबसोलीट हो चुके हैं। इन नियमों की बात को लेकर किस प्रश्न पर विवाद किया जाय, किस पर नहीं इसका निराकरण करना चाहेंगे तो न तो शासन को सुविधा होगी और न माननीय सदस्यों को। आज आप हमारे अधिकार छीनने की कोशिस करते हैं, कल आपके अधिकार भी छीने जा सकते हैं, मैं समझता हूं म्यूचूअली इस प्रकार के प्रश्नों को एडजस्ट करना चाहिए।

श्री यशवंतसिंह नाहर: मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि गलत चीजों की परम्परा होती है या नहीं। रात-दिन गालियां सुनते हैं और गालियां देने का अधिकार सदन में किसी को मिलता है तो कहां से ये परम्परायें बनती हैं। यह तो दोष की बात होगी। इसलिए ऐसी चीजें बहुत क्लियर-कट नियमों में बंधी होनी चाहिए कि गालियां न दी जाय। माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय के लिए कहा कि झूंठ बोले हैं। इसलिए अगर हम अपनी सीमाओं में रह कर बोलें तो अच्छा होगा।

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय श्री कृष्ण कुमार गोयल के भाषण को मैंने बराबर सुना है, उन्होंने तीन शब्दों का बराबर उपयोग किया है। पाप को छिपाने के लिए बेईमानी की है। झूंठ को छिपाने के लिए बेईमानी की है, तो पाप, झूंठ और बेईमानी, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया है। मैं आपसे इस बात की जानकारी चाहता हूं कि सदन में इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है क्या?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! जिस स्थिति में इन शब्दों को लेकर जो कहा गया है, ऐसी स्थिति में और कौन से दूसरे शब्द हैं?

श्री गिरधारी लाल व्यास: झूठ शब्द असंसदीय है। इस सम्बन्ध में कई बार निर्णय दिया जा चुका है कि झूठ शब्द का प्रयोग न किया जाय। इसलिए झूठ शब्द को दैनिक कार्यवाही में से निकाला जाय।

श्री दौलतराम सारण: मूलतः कोई भी शब्द असंसदीय नहीं है, उसका प्रयोग असंसदीय हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आपत्तिजनक जरूर हो सकते हैं, लेकिन असंसदीय तब हो सकते हैं जब उस हिसाब से उनका उपयोग किया जाय। तो इस बात का बराबर ध्यान रखा जाता है कि असंसदीय है या नहीं। जैसे किसी माननीय सदस्य के सामने कोई कहे कि आप झूंठ बोल रहे हैं तो वह असंसदीय होगा लेकिन कोई कहे "उस व्यक्ति ने झूंठी रिपोर्ट दी" तो यह असंसदीय नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: कैसे इन लोगों को समझाना पड़ता है?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय नाहर साहब ने अपना पॉइंट उठाया था वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां कुछ परम्परायें ऐसी बनी हुई हैं, सूचना के नाम पर, प्रश्न पूछने के नाम पर, कुछ चर्चा जरूर चलाई जाती है। इसमें मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि वक्तव्य होने के बाद में कम से कम समय लिया जाय। अगर शंका रह जाय तो स्पष्टीकरण के तौर पर पूछा जा सकता है लेकिन लम्बे भाषण नहीं होने चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाहर साहब को तो हाजिरी दर्ज करानी थी, वह तो चले गए।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं यहीं हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार का टाल मटोल का रवैया हम बरदाश्त नहीं करेंगे। आपका कहना कि जानकारी नहीं है, तो आपको फोन से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए यह तो केवल आपका बहाना मात्र है। अगर इस प्रश्न पर सरकार गंभीर है तो वास्तव में न्याय करना चाहिए। तो मैं मन्त्री महोदय से आशा करता हूं कि विधान सभा 18 तारीख तक चल रही है, वह जानकारी प्राप्त कर लें और 17 तारीख तक अपना वक्तव्य दे दें या 18 तारीख तक अपना वक्तव्य दे दें, लेकिन यह कहना कि इसकी जांच के लिए कह दिया है, यह केवल टालने का प्रयास है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कि यह केवल प्रतापगढ़ का ही सवाल नहीं है बल्कि राजस्थान का सवाल बनकर रहेगा और आज तो केवल 5 व्यक्तियों के धरने का सामना कर रही है, समय आने पर राजस्थान के प्रत्येक नगरपालिका केन्द्र पर हर जगह धरना होगा। इसलिए इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचें, दुबारा समय रखें, कल वक्तव्य देना चाहें कल दे दें परसों देना चाहें तो परसों दे दें, लेकिन इसको हम अधिक समय तक टालने नहीं देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज ! मंत्री महोदय।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, पहले हम सूचनायें स्पष्टीकरण ले लें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय मंत्री महोदय का वक्तव्य आया जब ही कि विरोधी दल के सदस्यों ने स्पष्टीकरण मांगा। सूचनायें हम भी सीक करने के अधिकारी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी कहिये। कौन इन्कार करता है।

श्री रामानारायण चौधरी : डिबेट नहीं कर सकते लेकिन सूचनायें तो सीक कर सकते हैं।

प्रतापगढ़ नगरपालिका के सस्पेन्डेड़ सदस्यों को लेकर चर्चा चल रही है। वह मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है। यहां उस सम्बन्ध में चर्चा आई है और ऊंची आवाज से धमकी तक दी गयी है कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से मौअत्तिल कर दिया तो फिर हाईकोर्ट से वहां जाने पर भी स्टे क्यों नहीं मिला ? अनेक मामलों में स्टे मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप बिलकुल डाइरेक्टिली सबजुडिस मैटर में जा रहे हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर ! हीयर !)

श्री रामानारायण चौधरी: मैं आसन को जानकारी देना चाहता हूं जो मैम्बर्स हैं हाईकोर्ट में गये हैं और उनको स्टे नहीं मिला है.........

श्री उपाध्यक्ष: स्टे अलाऊ करना या नहीं करना यह हाईकोर्ट के अधिकार में है।

श्री रामानारायण चौधरी : यदि उनको गैर कानूनी तरीके से सस्पेन्ड किया होता तो हाईकोर्ट उनको स्टे देती।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक सूचना प्राप्त करना चाहता हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : अभी मैंने समाप्त नहीं किया है ।

जो मेम्बर्स सस्पेंन्ड किये गये हैं उनके खिलाफ शिकायतें आयी हैं, उसी पर उनको सस्पेंन्ड किया गया है । बिना जांच के किये ही तो उनको सस्पेंन्ड कर सकते हैं । जांच होने के बाद तो सस्पेंन्शन का सवाल नहीं होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसी लिये हम नगरपालिका के चेयरमैन को सस्पेन्ड करने की बात करते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : वे अध्यक्ष की मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते । मैम्बर्स मीटिंग नहीं काल कर सकते । मीटिंग के नोटिस तो चेयरमैन के द्वारा ही निकाले जावेंगे । मैम्बर्स गैर कानूनी मीटिंग कर लें तो वह उचित नहीं माना जा सकता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मंत्री महोदय से मैं एक जानकारी चाहूंगा ।

प्रतापगढ़ म्युनिसिपैलिटी के पांच सदस्य थे, वे किस बिना पर सस्पेन्ड किये गये और क्या क्या चार्जेज थे ? यह जब तक आप नहीं बता देते हैं तब तक आगे की कार्यवाही नहीं चल सकती । उनको सही तौर पर सस्पेन्ड किया गया या गलत तौर पर किया गया यह मालूम हो जावेगा । आप नहीं बतायेंगे तब तक माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी दूसरे माननीय सदस्य अपनी राय नहीं बना सकेंगे और न ही कुछ कह सकेंगे । इसलिये इसका पूरा स्पष्टीकरण किया जाय कि आपने सस्पेन्ड क्यों किया ?

श्री उपाध्यक्ष : सबजुडिस ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत यह जानना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के लिये आप एक तरफ यह घोषणा करते हैं कि हमने उनको स्वायत्ता दी है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का हम स्वागत करते हैं लेकिन इस मामले में यह स्थिति मालूम होती है कि चेयरमैन 17 महीने तक मीटिंग न बुलाये, बजट पास न हो और फिर भी नगरपालिका का कार्य वैध माना जाय, चेयरमैन के खिलाफ कार्यवाही न हो और अविश्वास आए तो सदस्यों को सस्पेन्ड कर दिया जाय, मतदान का उपभोग करने का अधिकार न हो, सारे अधिकार छीन लिए जांए चेयरमैन के और चेयरमैन अपने अधिकारों का फिर भी उपभोग करे, एक बार नहीं दो-दो बार उप-समितियां भंग कर दी जायं और फिर भी कार्यवाही करते रहे जो कानून में वैधानिक हैं, जो स्थितियां बतायी गई वैसी सूरत में चेयरमैन को अधिकार नहीं है कि कानूनी ढंग से अपने कर्त्तव्यों का सम्पादन कर सके । ऐसी स्थिति में चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास आने पर सदस्यों को एक बार नहीं दो बार सस्पेंन्ड करना किसी प्रकार न्याय-संगत नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों को दलीय दृष्टिकोण के आधार पर सस्पेन्ड किया गया, अगर इस प्रकार की निर्वाचित संस्थाओं को अनुचित तरीकों से कानून को ताक में रख कर चलने दिया गया और निहित स्वार्थों के लोगों को खुली छुट्टी दे दी गई है, बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी जांच नहीं

(श्री दौलतराम सारण)
की गई हैं और जांच करने की बात कही तब जांच करने वालों को सस्पेन्ड कर दिया जाय ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सबजुडिस नहीं है।

(शोरगुल)

(बैठजाओ! बैठजाओ! की आवाज)

श्री दौलतराम सारण : ...यह तो लोकतन्त्र का मखौल है। निर्वाचित प्रतिनिधियों का......

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य बोल रहे हैं वह क्या सबजुडिस नहीं है?

(व्यवधान) (शोरगुल)

श्री दौलतराम सारण : जनतन्त्र का, लोकतन्त्र का सम्मान करना है तो......

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष जी, आप उस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह रहे हैं।

(श्री दौलतराम सारण एवं श्री व्यास दोनों साथ साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : लेकिन गैर कानूनी और गैर वाजिब तरीकों पर कानूनी रोक लगाना चाहिये और शासन के दायित्व को निभाना चाहिये। इस मामले में यह स्पष्ट नजर आता है कि शासन ने दलीय दृष्टिकोण से, दल दल में पड़ कर कानून का और अपने अधिकारों का उपभोग लोकतन्त्र के हित में नहीं किया है (विरोधी पक्ष द्वारा हियर! हियर!) (करतलध्वनि!) इसलिये मेरा निवेदन है कि शासन गैर कानूनी की गई बातों पर अफसोस प्रकट करें। दरख्वास्तें सुने नहीं, प्रतिनिधि मंडल को सुने नहीं, उनके सामने बातचीत हो उससे वह इंकार कर दे, झूंठ बोल जाय ..

श्री गिरधारीलाल व्यास: फिर वह का वही।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री गीरधारीलाल व्यास: "झूंठ बोला जाय" यह अन्पार्लियामेन्ट्री है।

श्री उपाध्यक्ष : आपसी बातचीत नहीं की जाय।

श्री दौलतराम सारण : यहां तक स्थिति आगयी है कि अपनी बातों को सुनाने के लिये धरना देते हैं, प्रतापगढ़ से तीन जिले पार करके यहां आये, धरना देने के बाद उनकी बात न सुने यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की इस सरकार का दृष्टिकोण है! इतना ही नहीं विरोधी पक्ष की तरफ से.........

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : बिलकुल संक्षेप में।

लोकतन्त्र, लोकमत की दृष्टि से वाजिब तरीकों से गौर करने के लिये निवेदन किया जाता है तब मैटर सबजुडिस कह कर मुंह बन्द करने की कोशिश की जाती है हाईकोर्ट में बार बार जायं, एक सदस्य कोर्ट की बात कह कर उनकी उपेक्षा करे, उनकी शिकायतों

(श्री दौलतराम सारण)
की उपेक्षा करें यह रवैया आपका उचित नहीं। मैं यही कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार को इस मसले पर पुनर्विचार करना चाहिये।

भरतपुर की कुम्हेर पंचायत समिति, का मामला आया···

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : विषयान्तर नहीं हो रहा हूं उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार टोड़ा भीम का प्रश्न आया। सस्पेन्ड किया वहां पर भी। यह प्रतापगढ़ की नगरपालिका का सवाल नहीं वह तो राजस्थान में लोकतन्त्र के अस्तित्व का सवाल है। अगर लोकतन्त्र के प्रति निष्ठा रखना

(विरोधी पक्ष द्वारा करतलध्वनि!)

है और निर्वाचित संस्थाओं का आदर करना है और प्रतिनिधियों का सम्मान बढाना है तो आपको वाजिब बातों को सुनना पड़ेगा, आप इस प्रकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते यदि आप इसी प्रकार उपेक्षा करते हैं तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।, राजस्थान की जनता इसको वर्दाश्त नहीं करेगी और हम संघर्ष करने की स्थिति पैदा करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में दो तीन प्रश्न मंत्री महोदय से आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों का यह विचार नहीं है कि कार्य सूची में जो कार्यवाही है उसको लिया जाय ?

श्री नत्थीसिंह : यह स्थिति ऐसी है···

श्री उपाध्यक्ष : सब ही स्थिति ऐसी है। आप खड़े होंगे तो उसका महत्व नजर आ जावेगा। कार्य सूची के कार्य भी लेने हैं।

श्री नत्थीसिंह : विरोधी पक्ष में बैठने वाले लोगों की मजबूरी हो जाती है। उनके ऊपर जो प्रहार होते हैं वे रातदिन हम देखते हैं। सदन में यह मामले नहीं उठाये जायें, क्या इत्तला की गयी, सारी कहानियाँ आपके सामने आयी हैं कि दलीय आधार पर ये सब होते हैं। मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के सम्बन्ध में इस प्रकार का दखल सरकार के अधिकार में रहे या ज्युडिशियल बॉडी बनायी जाय। सीधा सवाल पूछता हूं। प्रतापगढ़ का सवाल है। हम कई बार कहते हैं, मंत्री महोदय से मिलते हैं तो कहते हैं कि मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत हूं लेकिन मजबूर हूं इसलिये कि आगे बैठने वाले मंत्री कन्ट्रोल कर रहे हैं। यह स्थिति है, आप सही सही कहते हैं, आप इस बात को जानते हैं कि आदेश नहीं देना चाहिये था। आपकी मजबूरी है। प्रतापगढ़ के पास से आने वाले मंत्री महोदय ने दखल दिया था इसमें और इस प्रकार के आदेश किये। यह मखौल आगे वर्दाश्त नहीं की जा सकती।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जनता के प्रतिनिधियों के साथ यह मखौल। क्यों दखल देते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं यह जानकारी चाहूंगा कि पहले तो यह बतावें कि हाईकोर्ट में क्या रिट याचिका चल रही है। सरकार को इस बात के लिये पाबंद कर रखा है कि सस्पेन्शन हो जाने में सरकार आगे इन्क्वायरी नहीं करेगी। कानून के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था है। किन्हीं सदस्यों को सस्पेंन्ड करती है तो उसके तुरन्त बाद उनके मामले एक ट्रिब्यूनल को रेफर किये जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश नहीं था, तो उस हालत में इन सस्पेन्डेड मेम्बर्स के केसेज ट्रिब्यूनल में रेफर क्यों नहीं किये गये ? दूसरे जिस जाँच रिपोर्ट का हवाला दिया है। सस्पेन्शन के पहले इस प्रकार की क्या कोई जाँच कराई गई थी ? जांच कराने का किस अधिकारी को अधिकार दिया था और क्या जांच रिपोर्ट को देखकर ही इस प्रकार के निलम्बन की कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि जिस विषय को लेकर दो सदस्यों को सस्पेन्ड किया गया है, उसी विषय से सम्बन्धित सत्तारूढ़ दल के दो सदस्य और है जो इस प्रकार चार सदस्यों पर आरोप लगाये जा सकते थे। क्योंकि उस कार्यवाही पर इन चार के हस्ताक्षर हैं किन्तु दो को सस्पेन्ड कर दिया गया और दो को आज तक नहीं किया गया है। इस प्रकार क्या ये दो दोषी नहीं हैं जब कि इन चारों व्यक्तियों के उस प्रोसिडिंग्स पर हस्ताक्षर हैं। इन दो को आप सस्पेन्ड क्यों नहीं करना चाहते हैं। एक जानकारी और चाहूंगा। सस्पेन्शन की जो कार्यवाही आज तक कर रखी है, उसको गवर्नमेन्ट को रेफर नहीं किया गया है। जिस अध्यक्ष को बचाने के लिये आपने यह किया है, उस अध्यक्ष के रिश्तेदारों के खिलाफ पुलिस में केसेज़ आज तक दर्ज है। इन सारे केसेज को विदड्रा करने के प्रलोभन दे कर श्री नन्दकिशोर को आपने अपनी तरफ मिलाया है। बाकी और कोई कारण इसके पीछे नहीं है। चेयरमैन को इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि वह कानून के अन्तर्गत अधिकार लेकर उनका दुरुपयोग करे और अनियमित कार्यवाही कर जनता को परेशान करें। इन सब प्रश्नों के सम्बन्ध में आपकी क्या सम्मति है ?

श्री मूलचंद डागा : यह तो सारा सब-जुडिस है।

श्री भीखा भाई : स्टेटमेन्ट देते वक्त मैंने निवेदन कर दिया है। जो याचिका पेश हुई है...............

श्री भैरोंसिंह : वह याचिका नहीं है।

श्री भीखा भाई : सस्पेन्शन के बारे में, नोटिस के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो प्रश्न उठाये गये हैं, इन के सम्बन्ध में मैंने वक्तव्य देते हुए निवेदन किया था। इस के अलावा और भी कई बातें कही हैं। बजट नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था उसमें दो बातें उठाई गई थीं। स्थगन प्रस्ताव में याचिका के सम्बन्ध में, निलम्बन के सम्बन्ध में तथा अविश्वास के बारे में पूछा गया था। इसके बारे में रिट याचिका हाई कोर्ट में चल रही है दूसरी बातों के बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई ? बजट कैसे पास हुआ ? इस सारे के बारे में मैंने स्टेटमेन्ट में बता दिया है। इस बारे में अब मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं। बजट के नये रूल्स बना दिये हैं कि भविष्य में ये पावर डेलीगेट नहीं होंगे। इसके बाद इन बातों का जवाब देना जरूरी

(श्री भीखा भाई) नहीं है। जितना कम हम कहें उतना अच्छा है। क्योंकि यह मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिये सबजुडिस है। हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो वह यहां डिसकस नहीं होना चाहिये अदरवाइज इटविल प्रीजुडिस दी प्रोसिडिंग्स ऑफ दी हाईकोर्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया: माननीय उपाध्यक्ष.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य······

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं आपका······

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप स्थान ग्रहण करिये······अब इस पर चर्चा समाप्त हुई। मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे। पंचायत मंत्री जी।

श्री देवीदत्त गाड़ीया : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा एक आधे घन्टे की चर्चा का प्रस्ताव था। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने कल यह व्यवस्था दी थी कि वे आपस में चर्चा करके, जिसमें सम्बन्धित विभाग के मंत्री महोदय, को और मुझको अध्यक्ष महोदय अपने चेम्बर में बुलाकर सम्बन्धित कागजों को देख कर अपना निर्णय देंगे······

श्री उपाध्यक्ष : यह अध्यक्ष महोदय की जानकारी का प्रश्न है। आप कृपया उनसे मिल लें। मैं इस पर कुछ भी निर्णय नहीं दे सकूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं चाहता हूं कि आप मंत्री महोदय को बुलायें। कल, कोर्ट के द्वारा जो स्टे ऑर्डर दिया गया, उसकी प्रतिलिपि देखी गई, किन्तु मुझे बताया नहीं गया। मैं जानना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया चेम्बर में जाकर अध्यक्ष महोदय से अभी मिल लीजिये।

श्री विजयसिंह (मकराना) : राजस्थान में लोकतन्त्र नहीं है। यह सही है। राजस्थान सरकार स्तीफा नहीं दे सकती तो उपाध्यक्ष महोदय का कर्तव्य है कि वह इसको डिजोल्व कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

पंचायत मन्त्री महोदय।

भरतपुर जिले की कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में पंचायत मंत्री का वक्तव्य।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, पंचायत समिति, कुम्हेर के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय नत्थीसिंह जी और श्री मुकुटविहारीलाल तथा श्रीराम भूषण सदस्य विधान सभा द्वारा·········

श्री उपाध्यक्ष : सदस्यगण आपस में बात न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक जानकारी दें। वक्तव्य ···

श्री उपाध्यक्ष : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के द्वारा डिवेट को डिस्टर्ब न करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने वक्तव्य दिए जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आज ये काफी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किन किन के हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य सभी मीनिस्टर्स के हैं। कृपया शान्ति से सुनिए।

श्री परसराम मदेरणा : ......प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में तथ्य निम्न प्रकार से है।

(1) जिलाधीश, भरतपुर ने राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रधान, पंचायत समिति, कुम्हेर के विरुद्ध प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने हेतु पंचायत समिति की बैठक दिनांक 28-9-68 को आयोजित की है। इसके लिए जिलाधीश पूर्णतया सक्षम हैं। पंचायत समिति के कुल 33 सदस्य हैं जिनको नोटिस दिए जाने चाहिए। दो स्थान रिक्त हैं इन सभी सदस्यों को दिनांक 9 व 10 सितम्बर को नोटिस जारी किए गए हैं। नियमों के अनुसार 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य को निर्धारित अवधि का नोटिस दे दिया गया है। यह गलत है कि इन दो सदस्यों को नोटिस नहीं दिया गया है।

(2) यह सही है कि ग्राम पंचायत, पपरेरा के उप-सरपंच का चुनाव कराने हेतु 17-9-68 को पंचायत की बैठक बुलाई है। ग्राम पंचायत पपरेरा द्वारा उप-सरपंच न चुने जाने पर राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत 23-2-65 को उप-सरपंच मनोनीत किया था। इस प्रकार मनोनीत उप-सरपंच केवल 6 माह याने 23-8-65 तक ही कार्य कर सकते थे लेकिन उक्त प्रावधान के विपरीत 6 माह की अवधि के बाद भी वे कार्य करते रहे इस पर जैसे ही जिलाधीश को जानकारी प्राप्त हुई उन्हें 23-8-65 से उप-सरपंच पद से हटा देने के आदेश दिनांक 7-9-68 को जारी कर दिये।

अब उक्त अधिनियम की धारा 20 के परन्तुक के अन्तर्गत उसका चुनाव 17-9-68 को कराया जा रहा है। अब जिलाधीश से टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई है कि रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी ने इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है।

(3) पंचायत समिति, कुम्हेर के 2 सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है। श्री कैलाबक्स के विरुद्ध जांच पूरी हो गई है। अब मामला अन्तिम सुनवाई के लिये रखा हुआ है। श्री बनेसिंह के विरुद्ध तस्करी व्यापार करने का आरोप है और मांग की गई है कि इसे नियमों के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया जावे। यह मामला भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) विकास अधिकारी, कुम्हेर के पास केवल दो सदस्यों के त्याग-पत्र उक्त अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अभी तक प्राप्त हुये हैं। इन्हें भी बैठक का नोटिस दिया जा चुका है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत सभापति पदासीन)

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदया, यह जो मन्त्री महोदय ने वक्तव्य

(श्री नत्थीसिंह)

दिया है वह बच बचकर दिया गया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं मैंने अपने स्थगन प्रस्ताव में तीन मुद्दे उठाये थे पहला मुद्दा यह था कि 28 तारीख से पहले कुछ सदस्यों को निलम्बित करना चाहते हैं। दो को आपने नोटिस दिये हैं। स्थगन प्रस्ताव का नोटिस मिलने के बाद उनको नोटिस दिया गया। पंचायत समिति और विकास अधिकारी के पास उनके स्तीफे प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन है इस प्रकार की सूचना है। मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं दो सदस्यों के स्तीफा दिये जाने के आधार पर नोटिस देने से रोका गया था। मेरे स्थगन प्रस्ताव पर कलेक्टर महोदय से जो सूचना चाही गई है उस पर कलेक्टर महोदय ने लिखा है स्तीफा सही नहीं गलत बनाया गया है।

यहां के विकास विभाग के द्वारा जिलाधीश को पूछा गया है कि तुम्हारे पास इत्तला आने के बाद आपने दोनों को नोटिस कैसे दिया ? 28 तारीख से पहले दो सदस्यों को नोटिस दिया गया, मीटिंग में भाग लेने के लिये रोकी जाने की कार्यवाही की जावे।

दूसरा आपने बनेसिंह और कादिरवक्स के खिलाफ इस तरह के दो मामले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कादिरवक्स पंचायत समिति का सदस्य नहीं स्थायी समिति का सहवरित सदस्य है। जो बनेसिंह है जिसके लिये कहा गया कि इसके ऊपर डकैती तस्करी का मामला है। जो डीग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है। डकैती के मामले में सैशन्स कोर्ट में कमिट किया जा चुका है। दोनों सरपंच कांग्रेस के हैं एक सरपंच के खिलाफ 28 तारीख के पहले खिलाफ कार्यवाही की जाय और जो डकैती में कमिट हो चुका है, जिसके खिलाफ तस्करी का आरोप चल रहा है उसके बारे में चर्चा करने की चिन्ता नहीं।

माननीय मन्त्री महोदय को स्टे ऑर्डर आ गया इसकी जानकारी हो सकती है लेकिन मैं पूछना चाहूंगा जो स्टे ऑर्डर की बात कहते हैं उसमें राज्य सरकार की मन्शा क्या है। यह स्टे ऑर्डर 17 तारीख के लिये आ सकता है। इस पर विवाद नहीं करना चाहता। यह 28 तारीख के लिये लागू नहीं होगा। इस कानून के अन्तर्गत जब 15 दिनों का नोटिस जरूरी है तो 28 तारीख को उप-सरपंच का चुनाव कराना चाहते हैं। जो स्थान 65 में रिक्त हो गया था। 65 में अगस्त में नियुक्ति हुई तो वह स्थान रिक्त हो जाना चाहिये। कानूनी धाराओं को आपने पढ़ा होगा धारा 13 में यह साफ लिखा है कि इतने दिनों तक पद धारण करेगा उसका उप-चुनाव नहीं करा देते उसकी जिम्मेदारी 6 महिने की होनी चाहिये उसके बाद में 7-9-68 को उनका पद रिक्त हुआ है। कानून की धारा मन्त्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं इनको उसमें गलत फहमी नहीं होगी। विधि विभाग को यह मामला भेजा इसमें जो कानूनी शब्द है वे बहुत साफ हैं धारा 20 में जो प्रावधान है उसमें कहा गया है: —

> The foregoing provisions of this Act shall apply to Panch, Sarpanch so elected and shall hold office for the remainder of the term......

आप इसका दूसरा प्रोवीजो है इसकी आड़ लेना चाहते हैं:—

(श्री नत्थीसिंह)

"Provided that such a vacancy shall not be filled up if the said term of six months has expired from the date of such occurence."

यह बिल्कुल साफ है टर्म जो बकाया रही है यह छः महीने से अधिक नहीं उसका उप-चुनाव नहीं कराया जायगा। अगस्त सन् 65 में जो जगह रिक्त हुई थी 7 सितम्बर, 68 में वेकेन्सी हुई थी। पांच महिने की अवधि शेष है 17 तारीख के बाद में चुनाव करके छः महिने से ज्यादा दिन शेष नहीं रहते अर्थात् छः महिने से कम हैं आपने इस स्थान को रिक्त घोषित किया। 7-9-68 के बाद में 6 महिने शेष नहीं रह जायेंगे। धारा 20 के अनुसार जिस दिन आप चुनाव करादेते हैं उस पद पर रहते रहते छः महिने होने चाहिए। 17 तारीख या उसके बाद कराना वर्तमान जो कानून है पंचायत की मियाद पांच महिने से कम की शेष रह गई है आप रिमेन्डर टर्म का इन्टरप्रेटेशन इस प्रकार नहीं कर सकते। 17 को चुनाव होने के बाद अगस्त 65 से कपरेल के उप-सरपंच बने रहे उतने टर्म तक सरपंच रहेगा जब तक चुनाव नहीं हो जाता। यही एक ऐसा उदाहरण नहीं है हमारे जिले में 40 ऐसे चुनाव शेष हैं जिनमें छः महिने से शेष रहे उनके चुनाव नहीं कराये गये। इस तरह से एक नहीं 40 चुनाव रोके हुए हैं। केवल एक उप-सरपंच के चुनाव के लिए आप इतने व्यग्र हैं जिससे चुनाव 28 तारीख से पहले कराये जाने चाहिए। माननीय मंत्री महोदय टालने की कोशिश न करे मेरे तीन बातों का स्पष्ट उत्तर दें।

जो मैंने कहा है, आप स्टे आॅर्डर की आड़ मत लीजिये। जो टेलीफोन आपके कोटा तक घूमे हैं। तार घूमे हैं। परसों टेलीफोन घूमा है अब वह क्या है यह तो भगवान जाने या आप जानें। 17 तारीख को 28 से पहले उप-प्रधान का चुनाव करावें इसके लिये कलक्टर को पावन्द न करिये। 28 तारीख तक जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस न हो जावे। अगर आपने चुनाव करा भी दिये अविश्वास प्रस्ताव पास कर भी दिया तो उप-सरपंच पंचायत समिति में बैठता है। आप चाहते हैं 15 दिन के नोटिस पर अदालत में लटकाना चाहते हैं कि नोटिस इनको 15 दिन पहले इश्यू नहीं हुआ था। यह लीगल कम्पलीकेशन खड़ा करना चाहते हैं।

दूसरा, स्तीफे हैं नहीं। इसके बाद स्थगन प्रस्ताव आने के बाद नोटिस दिये हैं। आप कलेक्टर के डिस्क्रेशन में इन्टरफीयरेन्स करेंगे या ये नोटिस बदस्तूर जारी रखेंगे। उनको पंचायत समिति की मीटिंग में भाग लेने दिया जावेगा ?

एक का तो कह दिया। दूसरे का मामला आप तय नहीं करना चाहते। दोनों का साथ करें तो हमें कुछ नहीं कहना है। या फिर 28 तारीख के बाद इन दोनों पर एक्शन लें। फिर 28 तारीख तक जिनको नोटिस निकाल दिया है उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सके। यह आप करें। ताकि सभी उस बैठक में भाग ले सकें 28 तारीख को। इसका स्पष्ट उत्तर दें आप। टालम टोल बयान देने में काफी दिन लगाये हैं आपने। इधर उधर कोई कमिटमेंन्ट न हो ऐसा होशियारी से जवाब दिया है। साफ साफ बात कहें।

(श्री नत्थी सिंह)

आपकी आदत तो साफ साफ बात करने की है। स्पष्ट तौर से जो मन में हो आप कहदें। किसी ने कुछ कहा हो आपको तो। राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी का टेलीफोन जिले के अन्दर तक पहुंचा है यह तो गिराना है ही। यह बात हो तो साफ बता दें। आपका भी और सदन का भी समय फिर क्यों लूं। आपको हुक्म मिल गया होगा। जैसी हुक्म की पाबन्दी भीखा भाई कर रहे हैं उनके लिये कुछ नहीं कहना। पर आप में हिम्मत हो सकती है। पर बड़े आका के हुक्म के खिलाफ आप भी नहीं जा सकते। उसके हुक्म को पालना होगा। ऐसा है तो यह भी साफ साफ बतादें। हम अपनी दूसरी कार्यवाही करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): बड़े आका कौन हैं?

श्री नत्थीसिंह: बड़े आका बड़े मुख्यमंत्री जी और कौन? तो सही तौर से सारे मामले को साफ करें।

श्री परसराम मदेरणा: चेयरमेन महोदया, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो तीन मुद्दे उठाये। मैं पूर्व ही स्पष्ट कर चुका हूं उन मुद्दों को जो स्थगन प्रस्ताव में उठाये गये हैं। एक तो यह था कि पंचायत में 33 सदस्य हैं पर 31 को नोटिस दिया है। मैंने उत्तर दिया 33 को दे दिया गया है। दो को देने में इसलिए देर हुई कि 9 तारीख को कलक्टर ने दिया 31 को तो उस वक्त ऐसे दो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए थे दो सदस्यों के एक श्रीमती अन्ता देवी और दूसरा सरपंच मिट्ठूसिंह जिन्होंने त्याग-पत्र दे दिये हैं इस लिये उनको नोटिस नहीं दिया जावे। पर श्रीमती अन्तादेवी ने कलक्टर को लिखा कि मेरे से किसी ने खाली कागज पर परीक्षण के लिये हस्ताक्षर करवाये थे। मैंने स्तीफा नहीं दिया है। मिट्ठूसिंहजी ने भी यही कहा कि मैंने विकास अधिकारी के पास कोई रेजिग्नेशन नहीं भेजा है। इसके बाद कलक्टर ने इन दो को भी नोटिस दे दिये। इस तरह 33 सदस्यों को नोटिस दे दिये गये हैं।

तीसरा यह मुद्दा उठाया गया कि जो स्टे ऑर्डर है वह हो गया। पर वह वेकेट हो सकता है और पोजीशन यह है कि 15 दिन का नोटिस आवश्यक है। मैं भी मानता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव किसी भी प्रधान के खिलाफ लाया जाता है तो धारा 39 के अन्तर्गत 15 दिन का नोटिस जरूरी है और वह आवश्यक है। पर इसके साथ ही कलक्टर ने एक पंचायत पपडेला के उप-सरपंच की चुनाव 17 तारीख की तिथि निश्चित की थी। कलक्टर ने यह तथा उनके आदेश 7-9 के अनुसार उन्होंने उसको वेकेट माना और जो पोस्ट वेकेट थी उसको फिल-अप किया जा सकता है और वेकेट पोस्ट को फिल-अप करने के लिये जो पंचायत एक्ट की धारा 20 का प्रोविजो है उस की मंशा यह है:

"Provided that such vacancy shall not be filled up if the said term of six months has expired from the date of such occurrence."

मैं जानकारी के लिये आपका ध्यान राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा 13 (3)

(श्री परसराम मदेरणा)

की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें स्पष्ट लिखा है। अगर कोई सरपंच, उप-सरपंच का पद रिक्त हो गया और उप-सरपंच का चुनाव कराने में फेल हो जावे तो 6 महीने के लिये नोमीनेट कर सकते हैं और विदिन सिक्स मन्थ्स में चुनाव कराना होगा। सिक्स मंथस का चुनाव ओब्लीगेटरी है। छ: महीने में चुनाव नहीं होता है तो 6 महीने के बाद नोमिनेट किया हुआ एक दिन भी नहीं रह सकता। इसलिये पपरेड़ा का उप सरपंच 23-8-65 को नहीं रहा। उसकी वेकेन्सी अकर हो गई। तो इसके बाद में धारा 20 के प्रोविजो लागू नहीं होते हैं। इसलिये कलेक्टर ने उप-चुनाव कराने का आदेश दिया है। वह इन दोनों धाराओं के अनुकूल है और विधि विभाग की भी यही राय है। सरकार भी इसे ला का सही इन्टरप्रिटेशन मानती है।

दूसरी बात यह कही कि पंचायत का चुनाव नहीं कराने के आदेश हैं। डाइरेक्ट इलेक्शन के लिये हैं। इनडाइरेक्ट के लिये नहीं है डाइरेक्ट में पंच, सरपंच और प्रधान के लिये भी इलेक्शन का रखा गया है। लेकिन जहां तक उप-सरपंच का प्रश्न है, निर्वाचन विभाग के पत्र सरक्यूलर 30 जून, 68 के अनुसार स्पष्ट किया गया कि यह स्थगन आज्ञा इन-डाइरेक्ट उप-चुनाव पर उप-सरपंच इत्यादि पर लागू नहीं होगा। अतः ऐसे स्थान ज्यों-ज्यों रिक्त हों उप-चुनावों से भर लिये जावें ताकि कार्य सुचारु रूप से चलता रहे। यह राज्य सरकार की आखिरी आज्ञा है। दूसरी आज्ञा नहीं दी गई है।

तो भी माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य की बात नहीं समझ पाया 17 को चुनाव रक्खा। 13 (3) का इन्टरप्रिटेशन लिया है। माननीय सदस्य ने कि 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं हो सकेगा। वेकेन्सी अगर अकर होती है तो चुनाव नहीं हो सकते। पर यह वेकेन्सी जो हुई है 23-8-65 को हुई है इसलिये चुनाव हो सकते हैं। माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि अपीलेट ओथोरिटी के सामने मामला गया है। स्टे ऑर्डर लागू कर दिया। इसके बाद आज 16 तारीख है। 17 तं की है। तो 28 के बीच में चुनाव हो जाता है तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोपर नोटिस की आवश्यकता है और इसके बारे में मैं ऑफ हेंण्ड तो इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि 15 दिन का नोटिस कैसे होगा, पर मैं मानता हूं कि यह मेन्डेटरी है। पर फिर भी उप-सरपंच चुना जावे तो मेन्डेटरी नोटिस लागू होना जरूरी है या नहीं। मीटिंग की इत्तला है। स्वयं ही जाकर कोई अगर ले लेता है और उसे इस तरह इत्तला हो जाती है तो नोटिस का परपज तो पूरा हो जाता है। पर इसमें स्टे ऑर्डर है। कोर्ट का मामला है यह। सबजुडिस है। ज्यादा कहना उचित नहीं होगा।

तीसरी बात। मुझे बताई गयी। जैसा मैंने कहा एक में अन्तिम सुनवाई की तिथि मुकर्रर की गई है। मामला राज्य सरकार के विचारार्थ है। इन दोनों के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूं जो कुछ फैसला होगा माननीय सभापति महोदया हर केस का फैसला मेरिट पर किया जायगा और ज्यूडिशियल पावर एक्सरसाईज की जायगी। जैसा मैंने क्वश्चन अवर में कहा ज्यूडिशियरी के तौर पर करेंगे।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्रीजी ने जो कुछ

(श्री रामकिशन)
उत्तर दिया है उसमें 2-3 मुद्दे खड़े होते हैं। एक तो यह जानकारी चाहूंगा कि कानून की परिभाषा में क्या उचित है और क्या अनुचित है, यह तो मैं सदन पर ही छोड़ता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर तारीख तय हो गई और जिन सदस्यों ने पंचायत समिति के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिये, कलेक्टर ने निश्चित दिन तय कर दिया। इसमें राज्य सरकार की क्या नैतिकता थी वैसे मैं राज्य सरकार से कोई नैतिकता की उम्मीद नहीं करता हूं। 3 साल में चुनाव नहीं कराया गया और अब 5 दिन में कराना क्यों जरूरी हो गया? इसके पीछे क्या मंशा थी। वहां के प्रधान के अनुचित कामों में मदद देना चाहते हैं। सरपंचों के मामले जो विचाराधीन हैं, वैसे ये सब कांग्रेस के हैं और कांग्रेस में स्मगलिंग डकैती, चोरी करना ये सब काम हैं, मैं उनसे यह बात पूछना चाहता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप किनके बारे में कह रहे हैं ?

श्री रामकिशन : मैं अभी सरपंचों के बारे में कह रहा हूं, मन्त्री मण्डल के सदस्यों के बारे में या आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, अभी कल परसों से यह मामला आया है या इससे पहले यह मामला आ चुका था। 28 तारीख से पहले नहीं हो सकता था। मैं मानता हूं कि आपका निर्णय कानून संगत होगा लेकिन 28 तारीख को क्या जरूरी है......

श्री परसराम मदेरणा : किनको ?

श्री रामकिशन : जिनका दबाव डाला जा रहा है। अगर 28 तारीख से पहले करते। इसका मतलब तो यह साफ है। कि आपकी मंशा साफ नहीं थी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (खड़े होकर कुछ बोलने पर......)

श्री रामकिशन : व्यास जी आप तो बैठे रहो, आपकी सलाह मानी गई तो ये डूब जायेंगे। आप सलाह मत दीजिये। वे कम से कम जिस जमीन से आये हैं, उसका ख्याल करें। उन पर जोर क्यों दिया जा रहा है। तीसरी बात आप कहते हैं मेरी जानकारी में नहीं है। जिसका मुकदमा डीग में सैसन जजी में चल रहा है उसकी सूचना आप टेलीफोन से मंगा लीजिये। निर्णय सब का साथ हो। आखिर दिक्कत क्या है? व्यासजी (श्री गिरधारी लाल व्यास) सरपंच एक तरफ है और एक तरफ प्रधान के खिलाफ हैं, उनको करना चाहते हैं और जो खिलाफ है उसको दबाना चाहते हैं। पहले अपने चेहरे साफ करलें। मैं ज्यादा विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं। जब कलेक्टर ने कहा स्तीफा गलत है। वहां की प्रधान महिला है। वैसे तो राज्य सरकार औरतों को ठगने का काम हमेशा से करती आ रही है उनको कहीं केम्प में भेज दी जायेंगी, कभी कहीं ट्रेनिंग में भेजी जायेगी, उसका स्तीफा जिनाइन नहीं है, यह कलक्टर ने भी कहा है। क्या प्रधान और विकास अधिकारी इन दोनों ने जालसाजी का काम किया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? अगर आप करेंगे तो नैतिकता है और नहीं तो अनैतिकता तो है ही। जैसा माननीय नत्थीसिंह जी ने कहा कि इनको तो मुख्य मंत्री जी के आदेश का पालन करना है। हम तो यह समझते हैं कि राजस्थान में केवल 3-4 ही मंत्री है और बाकी के तो सब कर्मचारी है। क्या आप

(श्री रामकिशन)

व्यास जी (श्री गिरधारी लाल व्यास) चौथी श्रेणी के कर्मचारी बनना चाहते हो तो हमें बड़ी खुशी है। इन लोगों को तो खुशी होती ही है। आप थोड़े साहस से रहें, साहस का परिचय दें। मुख्य मंत्री जी तो आपसे भी गलत काम करा कर आपकी प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। अगर आप में विवेक नहीं है तो हमसे विवेक लें...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया ये किस तरह से...

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सभापति महोदया ये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को इतना घटिया समझते हैं क्या ? फिर क्या आप समाजवाद.........

श्री नत्थीसिंह : इसीलिये तो आपको चतुर्थ श्रेणी में रखना चाहते हैं।

श्री रामकिशन : आप उनको बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। वे तो मंत्रियों के दर्जे में जाना चाहते हैं। सभापति महोदया दूसरी चीज साफ नहीं है सस्पेन्शन के बारे में क्या राय है केवल यह कह दिया कि मेरा निर्णय ज्यूडिशियरी के अनुरूप होगा। 28 तारीख के पहले करना है तो यह आपका आचरण होगा। अगर आपको जनतन्त्र रखना है कांग्रेस राज्य रखना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर लोकतन्त्र चला गया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग नजर नहीं आयेंगे, दूसरे लोग ही नजर आयेंगे। हाई कोर्ट में स्टे चल रहा है, मेरी उनसे काफी मित्रता है। उन्होंने जानबूझकर लेकूना छोड़ दिया है। आप सही क्या है, कह दें। मुख्यमंत्री जी के दबाव में और टेलीफोन की बातों में न पड़ें।

(घंटी)

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कोई विशेष कहना नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो नैतिकता और अनैतिकता के बारे में कहा, इसका मैं बड़ा आभारी हूं। सरपंचों के खिलाफ एक्शन लेने का प्रश्न है यह दूसरा मामला है उस मामले में मुझे कानूनी तौर पर चलना पड़ता है। आप जानते है कि रिश्वतखोर है लेकिन तबतक कानून से सही निर्णय नहीं हो जबतक कुछ भी कहना कठिन है। अभी कुछ दिन पहिले मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के जज श्री कपूर मिले थे, वे कह रहे थे कि एक आदमी ने मर्डर किया और वह गिरफ्तार हो गया। मैं भी जानता था कि इसने मर्डर किया है लेकिन उसके खिलाफ कागजों में कुछ नहीं मिला इसलिये उसको एक्वीट किया है। कानून कानून है और मैं कानून से चलता हूं और मेरिट पर फैसला करता हूं। दूसरा प्रश्न है—

श्री नत्थीसिंह : वाह क्या कहना...

श्री परसराम मदेरणा : सरपंचों के खिलाफ जो निर्णय करने जा रहे हैं 28 तारीख के पहले। मैंने यह नहीं कहा, चुनाव हो रहा है सरपंचों के बारे में एक्स्ट्रा आर्डिनरी ऐक्शन लें, मैंने तो फेक्चुअर पोजिशन रखी है। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है और यह कहते है वैर से आने वाले माननीय सदस्य एक स्तीफा की जांच के बारे में बात कही। मैं कहूंगा कोई भी स्तीफा फाड से दिया गया है, जिनाइन नहीं है तो कोई स्टे दे सकता है तो वह कलेक्टर दे सकता है। राज्य सरकार ने कलेक्टर पर दबाव नहीं डाला है जो कुछ कार्यवाही कलेक्टर ने की है वह कुल मिलाकर आपके हक

(श्री परसराम मदेरणा)
में गई है। किसी जिले में विरोधी दल के सदस्यों की बनी है और कांग्रेस वाले लड़े···

श्री नत्थीसिंह : बिल्कुल सही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रधान कांग्रेस का है, यह न्याय का प्रश्न है। वह जितना आप उचित समझें करें लेकिन ये कहना कि मुख्य मंत्री जी मुझ पर दवाव डाल रहे हैं और आपने चतुर्थ श्रेणी की व्याख्या की है।

माननीय सदस्य बोलने में बड़े सोवर हैं लेकिन वह बोलते बोलते चुटकियों में कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो कि चुभने वाली बात होती है। मैं कहूं कि क्लास फोर की तो बहुत बड़ी बात है लेकिन मैं मिनिस्ट्री-को भी ज्यादा तरजीह नहीं देता। मैं पब्लिक का सर्वेन्ट हूं और उस हैसियत से कहूं कि मैं मुख्य मंत्री जी की भी राय लेता हूं और वह इस सदन के नेता ही नहीं है बल्कि राज्य के मुख्य मंत्री भी हैं इस नाते मैं राज्य के संचालन में उनकी राय लेता हूं। मैं उनकी केबीनेट का सदस्य हूं इसलिए बहुत सी बातों में मुझे उनसे सलाह मशविरा करना होता है और उनकी राय पर अमल भी करता हूं लेकिन ऐसे मामलों में जहाँ सरपंचों के हटाने का या उनके सस्पेन्शन का मामला हो उसके बारे में न तो मुख्य मंत्री जी ने मुझ से कहा है और न किसी तरह का दवाव ही डाला है। इसलिए उनको बीच में लाकर मुझसे आप मन्जूर कराना चाहें तो वह न तो इन्टरफियर करते हैं और न किया है। सस्पेन्शन के मामले में मैं किसी की बात नहीं मानता हूं और न किसी प्रकार के रिकगनीशन को मैं मानता हूं।

श्री नत्थीसिंह : विकास अधिकारी के खिलाफ जिसने जाली स्तीफा बनाये उसके खिलाफ जाँच करेंगे या नहीं ? एक महिला सदस्य और सरपंच का जाली स्तीफा बनाया है और कलेक्टर ने भी माना है कि यह जिनुईन स्तीफा नहीं है। आप कहें कि उस प्रधान को बचा भी लेंगे तो 6 महीने में तो हमें टाइम मिलेगा। आप कितने पंचों को मोअत्तिल करोगे ? हम तो उनको हटाकर ही छोड़ेंगे—यह आप निश्चित समझें। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि क्या आप विकास अधिकारी को जोकि जूनियर मोस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन ऑफिसर लगा हुआ है उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं ?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय मंत्री जी संक्षेप में उत्तर दें।

श्री परसराम मदेरणा : बहुत ही संक्षेप में, माननीय चेयरमैन महोदया। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहाँ तक सरपंच के स्तीफे के संबंध में जो एलीगेशन किया गया है कि विकास अधिकारी ने स्तीफे को बनाया और कलेक्टर ने उनको नोटिस दिया है इसलिए कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाया······

श्री नत्थीसिंह व श्री रामकिशन : कलेक्टर के ऊपर आरोप नहीं लगाया है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य कह रहे थे। कलेक्टर ही सक्षम है इस प्रकार का नोटिस देने में। अब एक बात कही कि यह जाँच का मामला है इसकी मैं जाँच करवाने जा रहा हूं लेकिन मैं एक बात निवेदन कर दूं कि जो कुछ कलेक्टर ने सेक्शन 16 (2) में किया है कलेक्टर को हक नहीं था कि इस्तीफा

(श्री परसराम मदेरणा)

जेनुइन था या नहीं। इसका पंचायत समिति, एवं जिला परिषद् विधेयक की धारा 16 (2) में स्टेट गवर्नमैन्ट को अधिकार है वही यह ऑर्डर दे सकती है। इसलिए यह मामला अन्तिम तौर पर आयेगा तो इसमें गवर्नमैन्ट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमैन्ट में मैं खुद ऐसे मामलों में फैसले करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : गृह मन्त्री जी अपना स्टेटमैन्ट दें।

कारोलो तहसील, आबूरोड़ में 9 व्यक्तियों की हत्या सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर गृह मन्त्री का वक्तव्य ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदया, माननीय श्री केशरीसिंह हाड़ा सदस्य, विधान सभा द्वारा हाल ही में तहसील आबूरोड के ग्राम कारौली में एक परिवार के 9 सदस्यों की हत्या का उल्लेख करते हुए अविलम्ब चर्चा हेतु स्थगन प्रस्ताव रखा था। इस विषय में जानकारी प्राप्त की गई है, स्थिति इस प्रकार पाई जाती है:—

ग्राम कारौली में राव जाति के श्री परवतसिंह, जो सरपंच भी थे व जामवन्तसिंह व उसके भाइयों के बीच जमीन के झगड़े को लेकर काफी वर्षों से आपसी वैमनस्यता थी। ऐसा बताया जाता है कि परवतसिंह बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे और उन्होंने जामवन्तसिंह व उसके भाई प्रतापसिंह को उनकी जमीन हड़पने की गरज से गाँव से निकलवा दिया था और जामवन्तसिंह व उसका परिवार करीब 3 साल से उनके खेत पर स्थित कच्चे मकान में ही रह रहे थे। इससे भी सन्तुष्ट न होकर परबतसिंह ने उक्त जामवन्तसिंह व उसके भाइयों के खिलाफ कई फौजदारी केसेज भी दर्ज करवाये थे। इन कार्यवाहियों के प्रतिक्रिया स्वरूप जामवन्तसिंह व उसके भाई प्रतापसिंह ने परबतसिंह की फागना नामक एक गरासिया द्वारा हत्या करवाना बताया जाता है। इस सम्बन्ध में एक क्रिमिनल केस नं० 8 दिनांक 23-2-68 दर्ज होकर तफतीश हुई और जामवन्तसिंह व उसके भाई प्रतापसिंह का ट्रायल सेशन्स कोर्ट में चल रहा है व ये दोनों जेल में हैं।

इस घटना के पश्चात् गांव में स्थिति सामान्य रही व दोनों परिवार के घरों में फासला काफी हो जाने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। दिनांक 10-9-68 को दोपहर परवतसिंह के लड़के डूंगरसिंह और जामवन्तसिंह के भाई नागसिंह के बीच झगड़ा हुआ जिसमें डूंगरसिंह व नागसिंह को मामूली चोटें आई। डूंगरसिंह अपने घर गया और इस घटना की सूचना अपनी माँ को दी व इस पर उसका भाई सुलतानसिंह डूंगरसिंह को लेकर थाना आबूरोड पर गया। दूसरी तरफ डूंगरसिंह की रिश्तेदार 2 स्त्रियों ने जिन्होंने नागसिंह व डूंगरसिंह के बीच झगड़ा होते देखा था, डूंगरसिंह के घर जाकर यह गलत सूचना दी कि डूंगरसिंह को नागसिंह ने मार दिया है। यह समाचार सुनते ही उसकी माँ (स्व० परबतसिंह की पत्नी) एक दम उग्र आवेश में आ गई और चिल्लाना चीखना शुरू किया व आवाजें दी जिसको सुन कर उसके अन्य रिश्तेदारान एकत्रित हो गये और वे बहुत उत्तेजित होकर जामवन्तसिंह के घर पर जाने के लिए तुरन्त कुल्हाड़ियां, धारिये, तलवार और लाठियों से सुसज्जित होकर रवाना हो गये स्वयं डेलावाई बेवा परबतसिंह के हाथ में नंगी तलवार थी वह यह हाका करती जा रही थी कि इन लोगों ने मेरे पति को मारा है,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

इस सब को खतम कर दो। जामवन्तसिंह के घर पहुंचते ही इस उग्र भीड़ ने जामवन्तसिंह की पत्नी व उसके 4 बच्चों, सुलतानसिंह की पत्नी व उसके 2 बच्चों व जामवन्तसिंह की माँ को कत्ल कर दिया। कुल 3 महिलाओं व 6 बच्चों को कत्ल किया गया। एक भैंस भी कत्ल कर दी गई। इस भयावह एवं नृशंस कार्य करने के पश्चात् इन लोगों ने जामवन्तसिंह के घर को आग भी लगा दी। जामवन्तसिंह का मकान खेत में गांव से काफी दूर था जहां पर आस पास में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इस परिवार का एक सदस्य मगनसिंह ने जो हथियारों से सुसज्जित इस क्रोधित दल की हरकतों को देख कर भाग निकलने में सफल हो गया था, लगभग 7 बजे थाना आबूरोड़ में इस घटना की इतला दी। यह इत्तला मिलते ही थाना आबूरोड़ पर मुकदमा नं० 50 हु० द० 302, 307, 436, 148, 149 ता० हि० दर्ज किया गया और पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के पश्चात् लाशों को बाहर निकाला गया और पोस्टमॉर्टम व आगे तफतीश की कार्यवाही प्रारम्भ की गांव में सुरक्षा हेतु पुलिस का प्रबन्ध किया गया सूचना मिलते ही अधीक्षक पुलिस भी घटना स्थल के लिए रवाना हुए। रात को लगभग 1 बजे मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा अब तक 20 पुरुष व 8 महिलायें गिरफतार की जा चुकी हैं और मुल्ज़िमान गिरफतार होना बाकी है जिसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं। मुलजिमान के कब्जे से तलवार, धारिये, लाठियां आदि बरामद की जा चुकी हैं।

यह घटना बहुत ही खेद पूर्ण है डूंगरसिंह व नागसिंह के बीच हुए मामूली झगड़े की अतिरंजित सूचना मिलने पर मृतक परबतसिंह की पत्नी के क्षणिक आवेश में आ जाने के कारण होना पाई जाती है।

पुलिस द्वारा तफतीश तत्परता से की जा रही है और इलाके के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा चुका है। पुलिस कार्यवाही में स्थानीय जनता द्वारा पूरा विश्वास व्यक्त किया जा रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : स्वास्थ्य मंत्री अपना वक्तव्य दें।

सीकर जिले में कॉलेरा की भयंकर बीमारी फैलने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

श्री बृजसुन्दर शर्मा : (स्वास्थ्य मंत्री) सभापति महोदया, सीकर जिले की फतहपुर और लक्ष्मणगढ़ में कॉलेरा की भयंकर बीमारी के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में निम्न निवेदन है :—

आन्तरश्रोत व हैजे की बीमारी माह रतनगढ़ के गांव में आरम्भ हुई थी जिसकी रोकथाम के लिए तुरन्त कदम उठा लिए गये थे और संक्रामक रोग अधिनियम, दिनांक 28-6-68 से लागू कर दिया गया था। बीमारी की रोकथाम पर शीघ्र ही काबू पा लिया था। इसके साथ ही साथ फतहपुर तहसील में भी जो गांव रतनगढ़ तहसील के साथ लगते थे उनमें भी हैजे के टीके लगाने और कुओं को निःसंक्रामक करने के लिये तुरन्त उपाय कर दिये गये थे। राजसीसर, नाराकावास, करंगा छोटा व किशनपुरा आदि में इलाज करने हैजे के टीके लगाने

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
और कुओं में दवा डालने के लिये कैम्प्स स्थापित कर दिये गये थे। 5 जुलाई से 16 जुलाई तक कोई भी आन्त्रशोथ व हैजा का केस इस क्षेत्र में नहीं हुआ था। इस प्रकार बीमारी की रोकथाम पूर्ण रूप से हो गई थी। लेकिन फलोदी गांव के सरपंच ने तारीख 16-7-68 को नुकता किया जिसमें सभी आस पास के गांव के लोग और बारगोड़ा के गांव के लोग भी नुकते में सम्मिलित हुये। इस नुकते के कारण आन्त्र-शोथ व हैजे की बीमारी फिर से आस पास के गांवों में दिनांक 10-7-68 से भयंकर रूप ले लिया।

जिसकी रोकथाम हेतु तुरन्त कदम उठाये गये। सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर से दिनांक 21-7-68 को ही जाकर पालरोटा, फतहपुर, मंडावा, व देवस में इस बीमारी की रोकथाम हेतु कैम्प्स खोल दिये गये थे, और बीमारी पर काबू पाने के लिए संक्रामक रोग अधि-नियम, दिनांक 30-7-68 से लागू कर दिया गया था व कॉलिज व स्कूल भी बन्द कर दिये गये थे। लगभग 50 आदमियों का स्टॉफ भरतपुर, अलवर, जयपुर व अजमेर जिलों से बीमारी की रोकथाम के लिए तुरन्त लगा दिये गये थे। लक्ष्मणगढ़ में जैसे ही बीमारी ता: 25-7-68 को प्रारम्भ हुई, उस समय सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर उसी क्षेत्र में थे। उन्होंने जिला स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भी बीमारी की रोकथाम करने हेतु बुला लिया था और साथ ही राज्य सरकार ने महा-निदेशक, स्वास्थ्य, न्यू देहली, को प्रार्थना करके दिल्ली से स्पेशल टीम इन्वेस्टीगेशन के लिए बुलाई गई थी जो 24-7-68 से 28-7-68 तक इस क्षेत्र में रही है।

इस क्षेत्र में कुल रोगी और मृतकों की संख्या इस प्रकार है:—

तहसील	प्रभावित गांव	अप्रभावित गांव	कुल रोगी को संख्या	मृतकों की संख्या	हैजे के टीके लगाये जिसकी संख्या	कुओं की संख्या जिनमें दवा डाली गई
फतपपुर	43	76	5,33	37	57,967	393
लक्ष्मणगढ़	11	132	50	6	52,469	338
सीकर	1	--	112	2	58,202	367

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने तुरन्त बीमारी की रोकथाम के हेतु हर सम्भव कदम उठाये और शीघ्र बीमारी पर काबू पा लिया। लक्ष्मणगढ़ तहसील में ता: 5-8-68 के बाद कोई केस नहीं हुआ और केस फतहपुर तहसील में ता: 28-8-68 से कोई केस नहीं हुआ।

श्री आलमअली (फतेहपुर) : माननीय चेयरमैन महोदया, आपके द्वारा मैं आ बात बताऊं के आप बतायो के लक्ष्मणगढ़ में कुल 6 मौतां हुई और फतहपुर में 37 तो 100 से कम तो फतहपुर में नहीं और आपने जानकारी लेणी हो तो म्हारेसागे हो जाओ मैं आपने बताऊं एक एक गांव में

(श्री आलमअली)

जाकर कि किए किए घर में मौत हुई। गलत बात ईयां का मामला में लोग जिका मरे हैं तो मरणआला की गलत बात पेश हुई है।

सभापति महोदया, मैं ई बीमारी का सिलसिला में बार बार ईया डाक्टर औ और सगलां सूं मिल्यो हो और दो दो बजे रात में जाकर वांने जगाया हा तो कहे के दवाई का डोज नहीं, मोटरां में पेट्रोल नहीं, मोटरों में; टायर नहीं, और जद लोग बीमारी में हुआ तो बी वक्त में आपकी मोटरां में टायर नहीं माननीय सभापति महोदया, डाक्टर ने मिल्यो तो डाक्टर कहे के दो हजार को बजट है और दो जिलों ने सम्भालूं हूं। आप देखो के दो जिलां फतहपुर और झुन्झुनू ने सम्हालण-वाला डाक्टर के कने दो हजार को बजट। जिका बीमारे से बचाणे की जिकी संस्था है बीके वास्ते अयांको बजट देखो। माननीय सभापति महोदया, इसी बड़ी बीमारी हुई बीमें लोगां ने जोर लगायो औ बीको इन्तजाम कर्यो जाय पर ये इन्तजाम नहीं कर पाया। आज भी ये कह रहया है के फतहपुर में एक केस नहीं है। फतहेपुर में एक प्राइवेट हस्पताल है बराड़िया हस्पताल नहीं होते तो राज के भरोसे तो हजरां आदमी मर्या पाता।

माननीय सभापति महोदया, बिकी रिपोर्ट दी है वा आपके सामने है। आदमी जगा जगा बिखर्या पड़्या है। 140 तो दो तहसीलां में फतहपुर और लक्ष्मनगढ़ में मर्या है। खाली एक एक गांव में जिका भाखरोटा गांव में मर्या है.........

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

माननीय मंत्रीजी, म्है आपने बताणों चाहूं के अभी ताइ जिको बिना मतबल को दिंढोरो पीटो हो तोआ पीटनो बन्द कर दो वरना जिको उदयपुर में नक्सलबाड़ी की हालत हुई जियां की हालत असैम्बली में होगी। (घंटी)

माननीय सभापति महोदया, कयां बात है के बार बार आप घंटी बजाओ हो। मैं तो आदेश से बैठ जाऊंगो।

श्रीमती सभानेत्री : आपने जो कछु कहणों है तो संक्षेप में कहो।

श्री आलमअली : मन्त्री जी कह रह्या हैं कि आज बीमारी कोनी। आज बीमारी है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने जो कहणो हो थोड़ा में कह दो नक्सलबाड़ी ने मत लाओ।

श्री आलमअली : माननीय सभापति महोदया, हालत जिकी हैं मैं नहीं कहूं, उदयपुर कहै, उदयपुर का आदिवासी कहै हैं। हत्यावां की गिणती नहीं। बीने लुटेरा लूटे हैं बीकी गिणती नहीं, पीसावाला ने खाया हैं। बीकी गलती है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

माननीय सभापति महोदया, ईयाँ की बात पर माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रकाश देगा और गलत आंकड़ा देणाला हैं वाने कठघरा में खड़ा करो।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सभापति महोदया, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि बिया 45 आदमी मर्या हैं। आज म्हारो एक प्रश्न है और बी प्रश्न के उत्तर में जो सूची दी है बीमें 42 आदमियां बताया। जिका जिका गांव में आदमी मर्या

(श्री दौलतराम सारण)

है वा गांवां की सूचि आपने दी है कि किस्यां किस्या गांव में किता आदमी मर्या हैं। सूचि में 42 आदमी हैं और आप कहो के 45 मर्योड़ा है और माननीय सदस्य कहै कि 140 आदमी मर गया । अयां की बात के है जिको जाणणो चाहूं । रोगी नें ठीक समय पे दवा मिल नहीं, न ठीक समय पे लोग वागां से सम्हाल्या नहीं, न रोग का ठीक निदान हो और माननीय मन्त्री जी ने कही के दिल्ली सूं विशेषज्ञ कमेटी आई तो वी कमेटी ने राय दी के यह रोग आन्त्रशोथ नहीं है बो हैजा है । आपके चिकित्सकों नें हैजा नहीं बनाया । आन्त्रशोथ जो बीमारी में वी में आंत सूजा करें पर मरे नहीं और हैजा में उलटी दस्त लगकर मरे हैं। भारत सरकार सूं विशेषज्ञ आया बां की सलाह हैजा की थी, आ बात कठे तक सच है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, जैसा कि बताया गया है······

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : हाड़ौती में ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 40 मौतें तो 31 जुलाई तक हुई थीं और उसके बाद तीन और हुई हैं इसलिए 45 की संख्या आज तक की है ।

जहां तक भारत सरकार की टीम का ताल्लुक है भारत सरकार की ओर से इन्वेस्टीगेशन के लिए टीम आई थी और उन्होंने जो डाइगोनिसिस किया है उसी आधार पर यह जवाब तैयार किया गया है। उनका डाइगोनिसिस आन्त्रशोथ का था । जो मृत्युएं आन्त्रशोथ से हुई हैं वे आन्त्रशोथ से बताई गई हैं और जो हैजे से हुई हैं वे हैजे से बताई गई हैं ।

जहां तक निराकरण का सवाल है बीमारी का, वह किया जा चुका है । कुओं में आज दवा डालने का कार्य-क्रम पूरा हो चुका है और इस तरह की पूरी रोकथाम हो और बीमारी फैले नहीं । उसकी पूरी रोकथाम कर दी गई है ।

जहां तक 100 मौतों का सवाल है कि 100 की मृत्यु हुई है तो वह मेरी जानकारी में नहीं है । मैंने एक लिस्ट आपके पास दे दी है उसमें जिन जिन की मृत्यु हुई है और जिस जिस गांव में हुई है उनमें से दो चार के नाम बता दें कि जो इस लिस्ट में नहीं हैं तो वहां के उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । मेरी जानकारी विभागीय अधिकारियों के आधार पर है। मैं समझता हूं कि कि जो कुछ उन्होंने दी है इन्फोर्मेशन उसको मानकर चलना चाहिए जब तक कि हम उसको झूठा साबित न करदें ।

श्री आलमअली : आप भांखरोटा गांव में किती मौतां सं बता दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भारत सरकार की जो टीम आई है तो जैसा कि माननीय दौलतराम जी ने कहा उसमें 17 केसेज तो हैजे के पाये गये हैं और बाकी के हैजे के नहीं थे । यह उनकी इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट थी, और हैजा और आन्त्रशोथ दोनों चल रहे थे । उसमें पोजिटिव केसेज 17 पाये गये ।

(3 म. प.)

श्रीमती प्रभानेत्री:—कच्ची बस्तियों पर वक्तव्य ।

राजस्थान के जयपुर व अन्य नगरों में कच्ची बस्तियों की समस्या पर स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य

श्री भीखा भाई (स्वायत्त शासन मंत्री) : राजस्थान के जयपुर एवं अन्य बड़े नगरों में कच्ची बस्तियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं और इन बस्तियों की समस्याओं के समाधान हेतु राज्य सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। विधान सभा के प्रांगण में समय समय पर विभिन्न दृष्टिकोण से यह विषय विचार हेतु आता रहा है एवं राज्य सरकार माननीय सदस्यों की इस समस्या के प्रति जो दिलचस्पी उसके प्रति पूर्ण जागरुक है। इस समस्या को नियमान्तर्गत हल करने के लिए नगर न्यासों, एवं नगरपालिकाओं के माध्यम से कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसा कि गत बजट सत्र में सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि जयपुर नगर विकास न्यास इन कच्ची बस्तियों के व्यक्तियों एवं भूमि का सर्वेक्षण 6 माह में पूरा कर लेगा। जयपुर नगर न्यास इन बस्तियों को सुनियोजित ढंग से बसाने हेतु प्रभावशील कदम उठाता रहा है व जयपुर की 64 बस्तियों में 41 बस्तियों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा बाकी बस्तियों का सर्वेक्षण निश्चित अवधि में निःसन्देह पूर्ण कर लिया जावेगा। जयपुर नगर न्यास द्वारा इन बस्तियों की योजना भी बनाई जा रही है।

जहां तक कच्ची बस्तियों के स्वरूप का प्रश्न है यह बस्तियां दो प्रकार से विद्यमान हैं। एक तो वो बस्तियां जिन्हें एक जगह से हटाकर दूसरे स्थान पर बसाया गया एवं दूसरी वो बस्तियां जिनमें वर्षा से अतिक्रमण किये गये हैं और पूर्ण बस्ती के रूप में परिणित हो चुकी हैं। पहले प्रकार की बस्तियों में एक गम्भीर समस्या यह भी है कि उन बस्तियां में भी अतिक्रमणों का मिश्रण काफी मात्रा में हो चुका है।

अतएव इस गम्भीर समस्या का हल वैधानिक दृष्टि से अधिक मानवीय आधार पर किया जाना आवश्यक है और राज्य सरकार भी अपना उत्तरदायित्व मानती है कि प्रत्येक नागरिक के लिये आवासीय भूमि का प्रबन्ध होना चाहिए। इस गम्भीर समस्या को उपलब्ध भूमि एवं आवश्यक आर्थिक साधनों की दृष्टि से समन्वय किया जाकर समाधान किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस गम्भीर समस्या के समाधान में विलम्बता एवं रुकावट का मुख्य कारण दिन प्रति दिन तीव्र गति से होने वाले अतिक्रमण हैं जिन्हें प्रोत्साहन न दिया जाये। अन्यथा आवश्यक कदम उठाने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान होना असम्भव है।

विधान सभा के चालू सत्र में दिनांक 10-9-68 को जयपुर की कच्ची बस्तियों का जुलूस विधान सभा भवन के सामने आया था और माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान आकर्षण किये जाने पर माननीय मुख्यमन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि वो दिनांक 15-9-68 को विरोधी दलों के माननीय सदस्यों एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों की एक बैठक बुलाकर इस समस्या के समाधान हेतु विचार विमर्श करेंगे। एवं इस बैठक में लिये निर्णयों को सदन के समक्ष दिनांक 16-9-68 को प्रस्तुत करेंगे। दिये गये आश्वासन के प्रति इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय निम्न हैं:—

(1) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर तथा कोटा की कच्ची बस्तियां

(श्री भीखाभाई)

का सर्वेक्षण तुरन्त करवाया जावे । इस सर्वेक्षण का दायित्व स्थानीय जिलाधीशों पर होगा । इस सम्बन्ध में आज्ञा राजस्व विभाग द्वारा प्रसारित की जावेगी । यह सर्वेक्षण कम से कम समय में होना चाहिए । यानी एक या दो दिन में समाप्त होजाना चाहिए ।

(2) सन् 1952 से पूर्व के बसे लोगों को वहां की कच्ची बस्तियों में भूखण्ड आवंटित कर देने चाहिये । ये भूखण्ड तीन महीने के अन्दर अन्दर पूर्ण निर्णय के अनुसार जो आज्ञा न० एफ. 3(59) टी.पी. 64, दिनांक, 18-9-64 द्वारा प्रसारित की गई है । भूखण्ड आवंटित किये जाने चाहिए ।

(2) उपरोक्त निर्णय के कार्यान्वित होने के बाद सन् 1952 के बाद और सन् 1957 तक के कच्ची बस्तियों में रहने वालों को भी उपरोक्त निर्णय के अनुसार तीन माह के अन्दर अन्दर भूखण्ड आवंटित कर उन को भी बसा देना चाहिए ।

(4) जिन परिवारों ने 1957 के बाद इन कच्ची वस्तयों में अतिक्रमण किया है उन्हें वहां से हटा कर अस्थायी कैम्पों में अस्थायी रूप से स्थान दे दिया जावे एवं नगर नियोजन द्वारा बनाई गई नई बस्तियों में नियमान्तर्गत क्रम में भू-आवंटन कर दिया जावे ।

(5) सभी मुख्य मुख्य नगरों में कम से कम एक पाईलेट प्रोजेक्ट कच्ची बस्तियों की समस्या को हल करने लिए तुरन्त तैयार करें । नगर न्यास अध्यक्ष इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेंगे । जयपुर नगर में नाहरी का नाका, वड़ोदिया, गंगा टाकीज की बस्तियों की योजना तुरन्त तैयार करा के नगर न्यास अध्यक्ष तीन महीने के अन्दर अन्दर भूखण्ड आवंटित करा दें । इन बस्तियों में भूखण्ड आवंटित करने के लिए निम्न सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई:—

(1) मा० श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री ।
(2) ,, श्री भैरोंसिह शेखावत ।
(3) ,, श्री सरदारमल सिंघवी ।
(4) ,, जिलाधीश, जयपुर ।

उपरोक्त सम्बन्ध में यह भी निर्णय लिया गया कि भूखण्ड आवंटित करते समय सम्मिलित कुटुम्ब की एक ही इकाई मानकर एक ही भूखण्ड आवंटित किए जावे वरना तो समस्या और अधिक जटिल हो जावेगी ।

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह आदेश दिया कि नगर नियोजन विभाग मास्टर प्लान को तुरन्त कार्यान्वित करें और इस सम्बन्ध में जो पाबन्दी मास्टर प्लान में सम्बन्धित क्षेत्रों में भवन निर्माण करने पर लगाई है और कठिनाई पैदा हुई है उसको तुरन्त हल किया जावे ।

अन्त में मैं माननीय सदस्यों से नम्र निवेदन करता हूं कि वो कृपया इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु राजनैतिक आधार न अपनाकर मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए अपना व्यक्तिगत प्रभाव काम में लाने का कष्ट करें एवं इस समस्या को अविलम्ब हल करने में राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देने की अनुकम्पा करें ।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा । यह पहले ही निर्णय हुआ

(श्री भैरोंसिंह)
था कि जयपुर के आस पास की भूमि जो कृषि भूमि है, उसका अलॉटमेंट न किया जाये। इसका समाधान नहीं किया है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो कमेटी का निर्माण किया है, उसमें कोई अनुसूचित जाति का या पुरुषार्थियों की ओर से कोई है या नहीं ? यह बहुत जरूरी है। जब आप कच्ची बस्तियों के बारे में कमेटियों की मांग करते हैं तो उसके अन्दर अनुसूचित जाति, पुरुषार्थियों को रखा या नहीं तभी दूसरों को भूमि आवंटन करना राइट होगा।

श्री भीखाभाई : जहां तक भूमि आवंटन करने का सवाल है, 1964 में नगर नियोजन विभाग की ओर से आदेश प्रसारित किए गए थे। और उसके अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स के व्यक्तियों को किस रेट से, किसको कहां पर मिलेगी। जो नियम पहले के बने हुए हैं उनके अन्तर्गत मैंने निवेदन किया कि नियमान्तर्गत क्रम से नियमान्तर्गत आवंटन किया जाय। इस शब्दावली का प्रयोग इसलिये किया है कि इसमें स्पष्ट रूप से सारी बात आ जाय।

श्री रामकिशन : समझ में नहीं आया।

श्री भीखाभाई : माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने एक प्रश्न उठाया कृषि भूमि के बारे में कि कृषि भूमि का आवंटन नहीं हो। उसके बारे में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से सलाह करके और जो माननीय सदस्य हैं उनसे बात करके ही तय कर सकूंगा क्योंकि कल हमने जो निर्णय लिये थे वह कच्ची बस्तियों के बारे में लिये थे।

श्री भैरोंसिंह : यह भी था।

श्री भीखाभाई : इसका समावेश करना है इसके बारे में मैं बाद में निर्णय ले सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि दो निर्णय हुये थे वह निर्णय इम्पार्टेन्ट थे। एक तो यह कि जयपुर के पास एग्रीकल्चर की ...

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदया, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री सभापति : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। उनके बाद आप प्रश्न करें।

श्री दौलतराम सारण : इन्हें, सभापति महोदया, अपने नेता पर भरोसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जो दो निर्णय हुए थे उनका भी इसमें उल्लेख होना चाहिये, एक तो एग्रीकल्चर लैंड पर जगह जगह पर को-ऑपरेटिव सोसायटीज के नाम पर अलॉटमैंट हो रहा है। उसको रोका जाय। दूसरा यह तय हुआ था कि जयपुर के आसपास में एग्रीकल्चर लैंड है उसका एलॉटमैन्ट उस समय तक रोक दिया जाय जब तक कि आबादी भूमि के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता है। यह नगर विकास मंडल और मास्टर प्लान बनाने वाला, टाउन प्लानिंग बोर्ड तय न कर ले। जब तक इन दो चीजों पर पाबन्दी लगाई जाय क्योंकि कई लोग कुक्कटशाला के नाम पर, अंगूर की खेती के नाम पर जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं या कई लोगों को इस नाम पर गवर्नमेंट लैंड एलॉट कर रही है। क्योंकि यहां पर आबादी भूमि की आवश्यकता है इसलिए जब तक आबादी भूमि की आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक के लिए एलॉटमैन्ट बन्द किया जाय इस प्रकार का निर्णय लिया

(श्री भैरोंसिंह)

गया था। इसलिए इस प्रकार की घोषणा मंत्री महोदय को करनी चाहिए।

श्री भीखाभाई : सभापति महोदया, इस मामले में राजस्व विभाग की जानकारी के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले से ही इस प्रकार के आदेश हैं कि दस मील के अन्दर अन्दर भूमि है, आम तौर पर कृषि भूमि, उसका आवंटन न किया जाय। जहां तक कृषि भूमि के बारे में यह प्रश्न है कि कृषि भूमि पर मकान न बनाये जायें तो यह नियम बना हुआ है। इसलिए दूसरे लोगों को कुक्कटशाला के नाम पर या अन्य नाम पर भूमि एलॉट करने का सवाल ही पैदा नही होता।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदया, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे मौन बैठी है......

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : सभापति महोदया, मैं जवाब दे दूं। माफ कीजिये। सभापति महोदया, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाया है कि कुछ आदमियों ने वहां पर गलत एग्रीकल्चर लैंड का आबादी में कन्वर्ट करवाया है और वह उसके प्लाट बना कर बेच रहे हैं। उसके लिए कल, जिस समय माननीय सदस्य भी मौजूद थे, यह बताया गया था कि इस पर पहले कैबिनेट ने फैसला कर लिया है कि इस प्रकार से जो प्लॉट बना कर बेचेगा उसको राज्य सरकार मान्यता नहीं देगी। जो डेट फिक्स कर दी गई है उस तारीख के बाद यदि कोई मकान बनायेगा तो उसको रेगूलराईज नहीं कर के गिरवाने की कार्यवाही सरकार करेगी।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीकल्चर लैंड के एलॉटमेंट के बारे में।

श्री दामोदरलाल व्यास : एग्रीकल्चर लैन्ड के एलॉटमेंट के बारे में बारह मील के अन्दर के लिए ऑलरेडी कैबिनेट में फैसला कर दिया है कि नहीं किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : केबिनेट का फैसला सेक्रेटेरियट में ही रहता है वह लागू नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पॉल्ट्री फार्म के लिए लैंड लिया है, इसी प्रकार से दो तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दो तीन वर्षों में एलॉटमेंट कराया है। तो केबिनेट का फैसला सेक्रेटेरियट में ही रहता हैं वह लागू नहीं किया जाता हैं। एक शिकायत तो यह है।

श्री रामनारायण चौधरी : मोहतरिमा चेअरमैन साहिबा...

श्री मूलचन्द डागा : मोहतरिमा क्या है?

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ठीक बोल रहे हैं। आप बोलिये।

श्री भैरोंसिंह : मोहतरिमा कहा है या मातिमा?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर देना चाहता हूं कि कच्ची बस्ती का मामला इस सदन में विचाराधीन है और माननीय स्वायत्त शासन मंत्री उस पर वक्तव्य देने वाले हैं उसके पूर्व ही मुख्य मंत्री से मिल कर माननीय भैरोंसिंह जी कच्ची बस्तियों के बारे में कोई घोषणा करायें, तो मेरा निवेदन हैं कि वह जो फैसला है उसकी बाहर घोषणा न होने के बजाय आज इस हाउस में घोषणा होनी चाहिए थी। माननीय चेयरमैन साहिबा हम इस पर प्रिविलेज क्लेम करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा उस मामले में, जो इस

(श्री रामनारायण चौधरी)
हाउस के अन्दर विचाराधीन हो, इस हाउस में ही की जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : हाउस में की है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके बजाय कल माननीय भैरोंसिंह जी ने मुख्य मंत्री से बात करके घोषणा करवाई है। यह मैं मानता हूं कि सदन के प्रिविलेज का वायोलेशन हुआ है।

श्री रामकिशन : मुख्य मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दें।

श्री भैरोंसिंह: माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है।

श्री रामकिशन : स्वायत्त शासन मंत्री और मुख्य मंत्री के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दे दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : यह घोषणा इस हाउस में हुई है।

श्री दौलतराम सारण: सभापति महोदया, मैं व्यवस्था चाहता हूं इस सवाल पर जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है। यह सवाल महत्वपूर्ण है और विशेषाधिकार का है। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य की तरफ से मुख्य मंत्री और स्वायत्त शासन मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रश्न ले लिया जाय क्योंकि उन्होंने सदन के सामने विचाराधीन प्रश्न को सदन से बाहर लीकेज किया है। सदन में घोषणा करने के बाद ही उनको बाहर कहना चाहिए था। माननीय सदस्य का प्रस्ताव वाजिब है और उसको आसन को स्वीकार करना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी: वह घोषणा है, माननीय सभापति महोदया, वह······

श्री भैरोंसिंह : पहले क्यों नहीं कहा।

श्री रामनारायण चौधरी : वह मुख्य मंत्री के नाम से नहीं हुई है, इस विधान सभा के सदस्य के द्वारा हुई है और उन्होंने पेट्रोनाइज्ड अखबार के जरिये उसकी पब्लिसिटी कराई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उनका नाम भी जोड़ दिया जाय।

श्री रामनारायण चौधरी: लैंड का बटवारा करा कर आये और आकर उन्होंने अखबारों को न्यूज दी है।

श्री दौलतराम सारण : तीसरे नाम को भी साथ ले लीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कच्ची बस्तियों के मामले में चार सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कच्ची बस्ती के रहने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं इस लिए उनमें से एक मेम्बर इस कमेटी में होना आवश्यक है। इस लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ ध्यान देकर इसमें एक मेम्बर शिड्यूल्ड कास्ट्स का रखा जाय।

श्रीमती सभानेत्री : शिक्षा मंत्री एक मिनिट।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, जो प्रस्ताव माननीय मोहनलाल मोदीने

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

रखा है वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ज्यादातर लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्-ल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, मजदूर पेशा वाले लोग हैं जो इन कच्ची बस्तियों में रहते हैं। उनमें से किसी को इसमें शामिल नहीं किया गया तो उससे यह समस्या हल नहीं होगी और बहुत सी ऐसी बातें इसमें तय हो जायें-गी जो इन लोगों के विपरीत पड़ती हो। इस लिए इस प्रकार के सदस्य को इसमें मनोनीत किया जाना चाहिए, इस कमेटी के अन्दर, जो कि इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकें कि कहां पर, किन कच्ची बस्ती में किन किन लोगों को प्लॉट दिया जाय। उसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय निर्णय लें, जिससे आवश्यक कार्यवाही करके कच्ची बस्ती के लोग हैं, गरीब लोग हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, उनको प्राथमिकता दी जाकर प्लॉट दिये जांय। सही तरह से एलॉटमेंन्ट किया जाय ताकि किसी प्रकार का फेवरिटिज्म नहीं हो, दूसरी ऊंची जाति के लोग.........

श्रीमती सभानेत्री : मंत्री जी उत्तर दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसमें फेव-रिटिज्म प्राप्त न कर सकें और गरीब लोग भूमि प्राप्त कर सकें। इसलिए जो सुझाव दिया गया है वह आवश्यक है, वाजिब है और स्वीकार करने योग्य है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सम्बन्ध में एक निवेदन है कि भीखा भाई ने जिस कमेटी को बनाया है उसमें रामकिशोर जी मंत्रिमण्डल की तरफ से हैं और हम लोगों की तरफ से भैरोंसिंह जी हैं। उनमें हमें भरोसा है। लेकिन आप इस बात से सहमत नहीं हैं और रामकिशोर जी इसमें हैं उनमें कांग्रेस के मेम्बरों को ही भरोसा नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : भरोसे का प्रश्न नहीं है। जिन लोगों को रियायत दी जानी चाहिए, जिनकी कठिनाई दूर की जानी चाहिए उनका कोई सदस्य इसमें होना जरूरी है।

श्री भीखा भाई : जो भावना माननीय सदस्य ने व्यक्त की है उसके अनुसार एक सदस्य और बढ़ा देंगे।

श्री दौलतराम सारण: क्या विडम्बना है, सभापति महोदया, भीखा भाई स्वायत्त शासन मंत्री हैं लेकिन............

श्री रामकिशन : उनका नाम नहीं, उनका गांव नहीं।

श्री दौलतराम सारण : उनका कोई इस कमेटी में स्थान नहीं, उनकी हैसियत नहीं। फिर भी वह वक्तव्य दें।

श्री दामोदर लाल व्यास : वह आखिरी फैसला करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी: वह तो कमेटी के मालिक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भीखा भाई तो स्टेपिनी हैं, पंक्चर हो जाता है तो...

श्री गिरधारीलाल व्यास : भीखाभाई अपीलेट आथोरिटी हैं, जो फैसला करेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : शिक्षा मन्त्री!

राज्य के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली (इंडियाज फाउंडेशन) पुस्तक में मीरां का गलत चरित्र-चित्रण सम्बन्धी विषय पर उप-मंत्री शिक्षा का वक्तव्य

राव श्री धीरसिंह (उप मंत्री, शिक्षा) : सभापति महोदया, माननीय रामकिशन जी

(राव श्री वीरसिंह)

ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में निवेदन यह है कि 'इंडियाज़ फाउन्डेशन' पुस्तक केवल सेंट जेवियर में पढ़ाई जाती है। महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। इस पुस्तक में मीरां के बावत हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताये गये हैं उसमें बहुत सी गलतियां हैं—इस बात की जांच सरकार ने कर ली है। यह जाँच करने के बाद में सेंट जेवियर के प्रिन्सिपल को मैंने यह आदेश दे दिया है कि जब तक आगे इस पर पूर्ण जांच करके और अन्तिम निर्णय नहीं हो जाय, इस पुस्तक को वह पांचवें स्टेन्डर्ड में पढ़ाना बन्द कर दें। और उन्होंने इस बात को मान लिया है। सेंट जेवियर का एफिलियेशन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजूकेशन से है, इसलिए राज्य सरकार सैकन्डरी बोर्ड को लिख रही है कि वह भी आदेश सेंट जेवियर के प्रिन्सिपल को जारी कर दें कि इस पुस्तक को, जो फिफ्थ स्टेन्डर्ड में पढ़ाई जा रही है, तुरन्त पढ़ाना बन्द कर दें। मैं समझता हूं कि इसके बाद में माननीय सदस्य को संतोष हो जायगा।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदया, माननीय मन्त्री जी ने जो कुछ सूचना दी है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं और यह स्टेप लिया है यह बहुत उचित और वाजिब है। मेरा आशय केवल किताब को बन्द कराना ही नहीं था। मैंने स्थगन प्रस्ताव के द्वारा यह चाहा था कि हमारा देश और राजस्थान इतिहास के मामले में बहुत ज्यादा सम्पन्न देश है, बहुत ज्यादा सम्पन्न प्रदेश है लेकिन घटनाओं के विवरण के बारे में और विवरण के कारणों के बारे में बहुत कंगाल है। इतिहास का मतलब यह नहीं होता कि मीरा बाई का पति कौन था और मीराबाई की शादी कब हुई। यह इतिहास की साधारण घटना है वैसे मीरा का पति राणा कुम्भा बताया गया है। इससे बुरा और इतिहास की नाजानकारी का काम नहीं हो सकता। मैं इन सारी बातों के बारे में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है उसका तो स्वागत करता हूं लेकिन, सभापति महोदया, इस प्रकार की किताब का चलना क्योंकि यह किताब काफी समय से यहां चल रही है, मैं राज्य के शिक्षा मंत्रालय से जानना चाहूंगा कि क्या आपके यहां इन सारी बातों की जांच पड़ताल किसी लेवल पर की जाती है कि कौन पब्लिशर क्या पब्लिश कर रहा है सभापति महोदया, हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए जिस प्रकार का ज्ञान इन पब्लिक स्कूलों में दिया जा रहा है, उससे देश के अन्दर बहुत बड़ी भ्रांति फैलने की आशंका है।

इस किताब में चाहे मीराबाई हो, चाहे तारा बाई हो, चाहे झांसी की रानी हो, इस पुस्तक के ये तीनों पार्ट मैंने पढ़े। ये इतिहास की दृष्टि से और व्याख्या की दृष्टि से भी गलत ढंग से लिखे गये हैं। इस किताब के लेखक कोई विदेशी हैं, विदेशी इतिहासकार के लिये मैं कुछ नहीं कह सकता, विदेशी लेखक की लिखी हुई अंग्रेजी को मुझे पढ़ने में ऐतराज नहीं है, कोई हिन्दुस्तानी लेखक की होती तो ऐतराज होता। पर हिन्दुस्तान के इतिहासकारों ने उस विदेशी इतिहासकार को सहयोग दिया है। ये आर. के. एल. कौन हैं ? ये एच. एन. शर्मा कौन हैं, जिनके लिये इस लेखक के द्वारा कहा गया है कि इन्होंने हमें बड़ी मदद की। यदि विदेशी इतिहासकार हमारे हिन्दुस्तानी इतिहासकारों की सलाह से इस प्रकार के इतिहास का

Page No. 118

(श्री रामकिशन)

गलत ऐतिहासिक घटनाओं को इस प्रकार गलत ढंग से देकर निर्माण करता है तो उससे हमारे देश के बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मीरां बाई राणा कुंभा की पत्नि थीं इस इतिहासकार ने इतना ही नहीं लिखा, आप उसे पढ़ेंगे तो उसने मीरा बाई के जीवन को इस प्रकार प्रस्तुत किया है जैसे ये कोई बहुत दुश्चरित्र महिला हों, उनके बारे में उनके चरित्र के बारे में बड़ी आपत्तिजनक बातें उस लेखक ने लिखी हैं। झांसी की रानी के सम्बन्ध में इस पुस्तक में मैंने एक चित्र देखा जिसमें झांसी की रानी लड़ाई लड़ रही है और उनकी पीठ के पीछे बच्चा बन्धा हुआ है। भारतीय विचार धारा से यह भावना पैदा होती है कि कितनी बहादुर महिला थीं कि जो बच्चे को पीठ पर ले कर लड़ रही हैं, मुझे एक शादी के मौके पर ग्वालियर जाने का मौका मिला ग्वालियर में झांसी की रानी की प्रतिमा बनी हुई है, उस प्रतिमा पर लिखा हुआ है हिन्दुस्तान की औरतों का गौरव। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। यह नीचता की छोटी भावना है कि झांसी की रानी को औरतों का नेता बताया गया है तो इसका तर्क यह निकलेगा कि महात्मा गांधी हिन्दुस्तान के मर्दों के नेता थे। झांसी की रानी ने जो बहादुरी का काम किया वह औरतों के लिये ही नहीं किया, वह यहां के बच्चे बच्चे को प्रेरणा देने के लिये किया।

मीराबाई के सम्बन्ध में झांसी की रानी के सम्बन्ध में, तारा बाई के सम्बन्ध में इन पुस्तकों में क्या लिखा है, मुझे दुःख है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्रालय अगर इन ऐतिहासिक चीजों को भी नहीं देखता है तो केवल ट्रान्स्फर्स और तरक्कियों को देखना बेकार है। इतिहास की कोई गलत बात इन पाठ्य पुस्तकों में हो तो, गलत ऐतिहासिक घटनाएँ बच्चों को पढ़ाई जायें तो इससे देश को कितना नुकसान होता है, इस चीज को देखना राजस्थान के शिक्षा मन्त्रालय का काम है। इस पुस्तक के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो पुस्तकें पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं, उनमें किस प्रकार की बातें दी हुई हैं उनको देखना शिक्षा मंत्रालय का काम है, शिक्षा मंत्रालय को इन सारी चीजों को देखना चाहिये।

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मुझे एक पॉइन्ट और कहना है। हम सेक्यूलरिज्म की बात करते हैं, जातियता की भावना को मिटाने की बात करते हैं पर ताराबाई के लिये इस पुस्तक में लिखा है कि औरंगजेब ने ताराबाई पर हमला मुस्लिम राज्य बनाने के लिये किया। जो इतिहास को पढ़ने वाले हैं वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हिन्दुस्तान में कभी हिन्दू का या मुसलमानों का राज्य नहीं हुआ। यहां लोदियों का राज्य हुआ, पठानों का राज्य हुआ, मुगलों का राज्य हुआ है पर हिन्दुओं का या मुसलमानों का राज्य कभी नहीं हुआ, चाहे इनमें से कोई बड़े एम्परर हुए होंगे, चाहे किसी ने बड़े इलाके पर शासन किया होगा पर वह हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, राजाओं-राजाओं की लड़ाई थी यदि हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई हुई होती तो मुराद और औरंगजेब क्यों लड़े, और चांद बीबी और अकबर के क्यों लड़ाई होती? वास्तव में हम इतिहास की तरफ नहीं गये, घटनाओं के विवरण को इतिहास समझ लेते हैं। इस तरफ शिक्षा मंत्रालय देखता नहीं है। मैं एक कांग्रेसी भूतपूर्व मंत्री के घर पर भोजन

Page No. 119

(श्री रामकिशन)
करने गया था, उनकी पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चों को इस तरह की किताबें पढ़ाई जाती हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह किताब मुझे बताई, नहीं तो शायद यह देखने में नहीं आती। भूतपूर्व मंत्री जी के दिमाग में यह बात नहीं आई, कि मीरां के लिये इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, उनकी पत्नी के दिमाग में यह बात आई।

यह किताब बन्द की, बहुत बढ़िया किया, पर मैंने कई ऐसी किताबें देखी हैं जिनमें ऐतिहासिक घटनाओं का बड़ा गलत विवरण दिया गया है। तो आपका मंत्रालय इनको देखे कि गलत ऐतिहासिक तथ्य, गलत ऐतिहासिक घटनाएँ बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं, छोटे-छोटे बच्चों के दिमाग पर इसका बुरा असर पड़ेगा, छोटे-छोटे बच्चों के आज जो संस्कार पड़ गये फिर वे मिटाये नहीं जा सकेंगे, फिर हम सेक्यूलर स्टेट का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो कदम उठाया है, उसका तो स्वागत करता हूं पर इनका मंत्रालय इस तरफ भी देखे कि इस प्रकार की गलत ऐतिहासिक घटनाएँ पाठ्य-पुस्तकों में न आयें, इसमें अंग्रेजो भी गलत लिखी है। आपके मंत्रालय पर इतना खर्चा किया जाता है ट्रान्सफर्स और पोस्टिंग्स से ही उसका मतलब नहीं है, हिन्दुस्तान के चरित्र का, इतिहास का गठन ठीक प्रकार से हो, इस तरफ देखना मंत्रालय का मुख्य काम है।

इस स्थगन प्रस्ताव से मैं यही कहना चाहता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : मंत्रीजी, माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न उठाया है, मैं सोचती हूं कि ऐतिहासिक तथ्यों को इस तरह से तोड़-मरोड़ कर रखा जाता है तो आपके मंत्रालय का काम है कि इस प्रकार की चीजों को अच्छी तरह से देखें और इन चीजों को रोकें।

इसके साथ ही मैं दूसरी बात यह कहना चाहती हूं कि सेंट जेवियर के लिये इस पुस्तक को रोक दिया है पर मुमकिन है कि दूसरी स्कूलों में पढ़ाई जाती हों, इसके बारे में भी जांच करें।

माननीय धीरसिंह जी ने एक चर्चा रखी थी।

श्री रामकिशन : मंत्री जी बोल रहे हैं।

राव श्री धीरसिंह : जो इसमें सजेशन्स माननीय रामकिशन जी ने दिये हैं कि और जहां भी स्कूलों में ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेंट जेवियर की एट्थ क्लास तक पाठ्य-क्रम गवर्नमेंन्ट के बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है, गवर्नमेंन्ट के बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको सरकार और सरकारी अधिकारियों की ओर से देखा जाता है एट्थ तक सेंट जेवियर के लोकल एग्जामिनेशन्स हैं। हायर और हायर सेकेन्डरी की परीक्षायें सैन्ट्रल बोर्ड से सम्बन्धित हैं। तो इसमें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की अकर्मण्यता या विजिलैंस में कमी की कोई बात नहीं है, यह उनके इन्टरनल मैनेजमेंट की बात है। ज्यों ही आपने स्थगन प्रस्ताव रखा तो मैंने उनको नोटिस दे दिया, इसको बन्द करा दिया।

(राव श्री धीरसिंह)
इस प्रकार की गवर्नमेन्ट की पाठ्य पुस्तकों की स्थिति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी एट्थ क्लास की पाठ्य पुस्तक में गौ मांस खाने का उल्लेख है।

राव श्री धीरसिंह : यह आप नोटिस में लाइये।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : यह हमारी ओर से नोटिस में लाने की बात नहीं आप खुद देखिये इस प्रकार की बातों को, हर चीज को हर माननीय सदस्य ही आपके नोटिस में लायेंगे तो फिर आप क्या करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : ऐतिहासिक तथ्य गलत है।

राव श्री धीरसिंह : टाड राजस्थान में अंकित है, उसी आधार पर लिखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : टाड ने पहले लिखा था, उसको बाद में संशोधित करवाया है तो फिर उसी पुरानी गलत चीज को रखे जायें और आप देखें नहीं

राव श्री धीरसिंह : पहले सुन तो लो...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य बीकानेर से आये हैं, आपके गुरु हैं यार थोड़े ही हैं जो यार कह रहे हो।

राव श्री धीरसिंह : यह फैक्ट टाड राजस्थान में लिखा हुआ है, मैजोरिटी ऑफ हिस्टोरियन्स इसको गलत मानते हैं। इसको देख लिया जायगा। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स लिखे हैं, उसकी जांच कर लेंगे और जो त्रुटियां इसमें हैं, उनको सही कर लिया जायगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यह किताबों का मामला है, बच्चों की शिक्षा के अन्दर, बच्चों की शिक्षा के अन्दर इस प्रकार का खिलवाड़ किया जाता है, हमारे देश का क्षेत्रफल देखा जाय, लम्बाई-चौड़ाई देखी

(समय-समाप्ति-सूचक-अनवरत-घंटी)

जाय मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तक का प्रकाशक है वह राष्ट्रीय मंडल, जयपुर, राजस्थान है। तो यह अपने यहाँ प्रकाशित हुआ है और सामाजिक ज्ञान में कक्षा तीन व पांच में 1967 में हिन्दुस्तान की लम्बाई चौड़ाई क्षेत्रफल कुछ और बताया है और यही किताब जब 1968 में छपती है तो उसके अन्दर बहुत ही कम मात्रा में क्षेत्रफल बताया है……

श्रीमती सभानेत्री : आज बहुत ही प्रश्न हैं, दूसरे बिजनेस को भी लेना है इसलिए आप विराजिये।

श्री श्रवणलाल : मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं सिर्फ इस बात को बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय के नोटिस में ला चुका हूं

श्रीमती सभानेत्री : आप अलग से इस सवाल को लेकर आवें। उस पर विचार किया जायगा।

श्री श्रवणलाल : क्षेत्रफल का मामला है। परसों विधान सभा स्थगित होने जा रही है। मुझे अफसोस के साथ कहना

(श्री श्रवणलाल)

पड़ता है कि 24 तारीख को मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था, आज तक जवाब नहीं दिया गया। आज जिस प्रकार से हमारे देश के क्षेत्रफल का वर्णन किया गया है उसका फायदा वह राष्ट्र उठा सकता है जिससे हमारा 1965 में झगड़ा हुआ, वह आज इस किताब को क्वोट कर सकता है इनके देश की लम्बाई-चौड़ाई इनकी किताब में यह लिखी हुई है और जो क्षेत्र हमने दबाया है वह हमारा है। इसलिए यह गंभीर विषय है। इस प्रकार बच्चों के लिए गलत बातें किताब में अंकित की जायं, एक साल में एक बात और दूसरे साल में दूसरी बात। मैं मन्त्री महोदय के नोटिस में ला चुका हूं कि इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय भैरोंसिंह जी ने कोई प्रस्ताव रखा था लेकिन आज कोई दूसरा बिल होने के कारण व समय कम होने की वजह से माननीय सदस्य ने इच्छा व्यक्त की है कि उसको कल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैंने इच्छा व्यक्त नहीं की।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे कहा गया।

श्री भैरोंसिंह : गृह मन्त्री कहते हैं कि कल......

श्रीमती सभानेत्री : आप चाहें तो कल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आप सहमति के लिए कह सकती हैं लेकिन इच्छा नहीं।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय रामानन्द जी ने एक प्रस्ताव रखा था, वह भी समय कम होने की वजह से आज नहीं लिया जा सकेगा और मुख्य कार्य को आज लिया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृह मन्त्री जी से मैं सूचना चाहूंगा कि कोटड़ा पंचायत समिति के तालाब के निर्माण के समय जो 12 वर्ष के लड़के की नरबलि...... ....

श्री दामोदरलाल व्यास : कल यह सवाल आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो इन्वेस्टीगेशन की फाइल थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आज स्पीकर की खिदमत में पेश कर दी जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा प्रस्ताव...

श्रीमती सभानेत्री : कल रख दिया जायगा। आज समय कम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल तो समय बिल्कुल नहीं रहेगा।

श्रीमती सभानेत्री : परसों ले लिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय के पास मैं गया था इस प्रकार की बात तो उन्होंने मुझ से नहीं की।

श्रीमती सभानेत्री : साढे तीन बज चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार इस प्रश्न को लगातार टालने की कोशिश करती आ रही है। हरिजनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस उनमें भागी बनी हुई है। कोई एक्शन नहीं हो, मैंने यह प्रस्ताव सेशन शुरू होते ही जिस दिन अनुसूचित जातियों की रिपोर्ट पर बहस हो रही थी, उस दिन, अध्यक्ष महोदय ने उसी दिन एड्मिट करके उसी के साथ सक्र्यूलेट करने के लिए कह दिया था लेकिन सचिव, विधान सभा, ने अध्यक्ष महोदय के आदेश के बावजूद उसको सर्क्यूलेट नहीं किया। इस संबंध में मैंने विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखा और उसके बाद अब यह प्रस्ताव आज के लिए रखा गया और फिर टालने की बात कही जाय तो इसका साफ मतलब है कि सरकार जिस तरह से कहे, सरकार को जो अच्छी बात लगे, वही यहां आ सके इसके अलावा दूसरी नहीं आ सके। आखिर कौन से नियम के तहत आपने इसको स्थगित किया है ?

श्रीमती सभानेत्री : समय का प्रश्न आ जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तो समय है, 5 भी नहीं बजे हैं, अगर 5 बज जाते तो कोई बात होती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे जो प्रश्न रामानंदजी ने रखा है, काफी महत्वपूर्ण है। शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स के साथ सरकार का दुर्व्यवहारपूर्ण रवैया है। मिनीमम वेजेज का एक ही बिल है, दो तीन क्लॉजिज हैं, वैसे इसमें समय बहुत चाहिए लेकिन आवश्यक हुआ तो अधिक समय के लिए बैठ जायेंगे। नहीं तो कल कैरीओवर हो जायगा लेकिन आज जो शिड्यूल्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसको एक एक करके निपटाना चाहिए। आधा या पौना घंटा इसमें लग सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : काफी समय खींच लेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हरिजनों का मामला है, महत्वपूर्ण है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम देर तक बैठ सकते हैं।

श्री रामकिशन : इस प्रस्ताव का अनुसूचित जातियों व आदिवासियों से संबंध है वे असुरक्षित हैं इसलिये सरकार का दृष्टिकोण भी आयेगा तो हरिजनों को भरोसा होगा, इसलिए इसको लिया जाना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस प्रस्ताव से दरअसल स्पेसीफिक बात नहीं है, इसमें कोई आरोप नहीं, किस बात को डिस्कस करना चाहते हैं, एक फिजां बनाना चाहते हैं, क्लास वारफेयर हो जाय हरिजनों और दूसरों की। इनकी कोई फर्म बात हो तो अपने प्रस्ताव में लिखना चाहिए।

श्री दौलतराम सारण : हमें सख्त ऐतराज है जब अध्यक्ष ने इसको स्वीकार किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव की सूचना दी, उसको अध्यक्ष महोदय ने एड्मिट कर लिया, लिस्ट ऑफ बिजनेस में लगा दिया, अब गृह मन्त्री की नींद खुली है, वह प्रस्ताव को टाल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसमें कोई स्पेसीफिक बात होनी चाहिए कि कौनसे इन्सीडेन्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, उन्होंने एक इन्सीडेन्ट भी नहीं लिखा सिवा जनरल बात के।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गृहमंत्री नियमों को देख लें। इसमें लिखा है कि जो भी प्रस्ताव हो, इसमें आर्ग्यूमेंन्ट्स नहीं होने चाहिए। उसमें तर्क नहीं होने चाहिए। इसलिए जनरल मोशन होता है, आर्ग्यूमेंन्ट्स एक्सप्रेशन या इन्सटान्सेज सदन की मेज पर रखे जाते हैं। यह बात दूसरी है कि राज्य सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो, नियमानुसार प्रस्ताव ठीक है, अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार किया है। मंत्री महोदय का अब यह कहना अध्यक्ष की अथोरिटी को फ्लोट करना है, उनकी कान्टेम्प्ट है, डिस्रेस्पेक्ट है, यह आपका आपस का घरेलू झगड़ा है यह सदन में नहीं आना चाहिए, उनका वैमनस्य घर का हो सकता है लेकिन अध्यक्ष महोदय से घर का बदला सदन में न लें। उन्होंने एड्मिट किया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : माननीय सदस्य का ध्यान मैं रूल 121 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है :

"121. Condition of admissibility of motion.—In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely:

(i) It shall raise substantially and definite issue." यह खास बात थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेरा निवेदन है कि जब यह मोशन एड्मिट हो गया तो उसके बाद उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में मंत्री महोदय ऐतराज नहीं उठा सकते, वह स्टेज निकल गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं दुबारा आसन से प्रार्थना करता हूं कि इस पॉइंट पर पुर्नविचार करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभानेत्री महोदया को अधिकार है कि आपके दबाव में न आएं और आपकी आपत्ति को नामंजूर कर दें।

श्रीमती सभानेत्री (श्री दामोदरलाल व्यास से) : आप अध्यक्ष महोदय से बात कर लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है कि अध्यक्ष महोदय दुबारा पुर्नविचार करें।

श्रीमती सभानेत्री : अध्यक्ष महोदय के विचार के बाद लिया जायगा।

कई माननीय सदस्य : ले लें।

श्रीमती सभानेत्री : आप अध्यक्ष महोदय से इस बारे में व्यवस्था ले लें तो बेहतर होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपका ध्यान नियम 10 की ओर दिलाना चाहता हूं:

"The Deputy Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules shall,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

when so presiding, have the same powers as the Speaker when so presiding and all references to the Speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be references to any such person so presiding."

(श्री मूलचन्द डागा से) मेरे बोलने में बाधा न डालें। इस तरह जो हमारे यहाँ 4 सभापति हैं उनमें से जो प्रजाइड करता है, सारी फुल पॉवर्स अध्यक्ष महोदय की होती है। आपको पूरी पॉवर्स हैं। आप इजाजत दे दें या नहीं। आपकी डिस्क्रेशन पर है कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसकी अनुमति दें या एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में गृह मन्त्री ने जो आपत्ति उठाई है उसको स्वीकार करें। अगर उनकी बात तर्क संगत लगती है कि यह एडमिसिबल नहीं है तो दूसरी बात है, बाकी केवल गृह मंत्री के पद के कारण ऐसा नहीं हो सकता। एडमिसिबल नहीं हो सकता रूल्स के अनुसार अगर तर्क संगत लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको पूरा अधिकार है। आसन पर बैठने के बाद आपके भी वे ही अधिकार हैं जो कि अध्यक्ष के हैं। यह श्री निरन्जननाथ जी आचार्य की गरिमा नहीं है यह आसन की गरिमा है और इस आसन पर जो भी विराजेंगे उनकी गरिमा है। इसलिये उनके ऑब्जेक्शन को रद्द करके इजाजत दी जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सभापति महोदया, माननीय गृह मंत्री जी ने यह आपत्ति उठायी है कि किसी एक घटना का इसमें जिक्र न होने के कारण इसको यहां पर नहीं उठाया जा सकता। मैं किसी विशेष घटना को लेकर यह नहीं कहना चाहता हूं कि राज्य का प्रशासन हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उनसे बचाने में नाकायाब रहा है। सारे राजस्थान में जिस प्रकार से प्रशासन चल रहा है वह तमाम का तमाम प्रशासन हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जो लूट हो रही है, उनके साथ जो मारपीट हो रही है, उनकी जो हत्याएं हो रही हैं, उनका जमीनों को छीनना, घरों को और फसलों को आग लगाना यह जो घटनाएं हो रही हैं यह एक जगह सीमित नहीं हैं बल्कि मुख्तलिफ भागों में हैं, इस सम्बन्ध में मैं मोशन मूव करूंगा कि राज्य सरकार ने न केवल उदासीन वृत्ति अपनायी है बल्कि सक्रिय होकर हरिजनों के खिलाफ एक्शन लिया है और दमन करने की नीति अपनायी है। इसलिए मैंने मांग की है कि इसके लिए एक जांच कमीशन मुकर्रर किया जाय कि जो उन बातों में जाय कि वास्तविकता कहां तक है और हरिजनों के साथ क्या क्या और कहां तक अत्याचार हुआ है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि बिलकुल ऐसा ही प्रस्ताव लोक सभा और राज्य सभा के अन्दर डिस्कस हुआ है। वहां पर हाउस की एक कमेटी नियुक्त की है, पार्लियामेंट के मेम्बर उसमें है जिनको यह दायित्व सौंपा गया है कि हरिजनों के साथ अत्याचार देश भर में हो रहे हैं उनकी जानकारी करें और दुरुस्ती करने की व्यवस्था करें। मेरी समझ में नहीं आता कि लोकसभा में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास हो और उसमें कांग्रेस के और विरोधी दलों के सदस्य हों, कांग्रेस पार्टी और दूसरों के द्वारा रखा गया था, फिर यहां किस प्रकार से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसका विरोध किया जाय। यहां पर ऐसे प्रस्ताव को गृह मंत्री जी डिस्कस भी नही करना चाहते हैं, उनकी खुद की उदासीनता रही है, कमियां रही हैं, वे सदन के सामने आने वाली हैं उनको वे खत्म करना चाहते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक घटना में सीमित हो नहीं सकता था। सामान्य प्रशासन पर है यह इसलिये 119 पर बिलकुल ठीक है और अध्यक्ष महोदय ने इसी लिये इसको एडमिट किया है।

श्रीमती सभानेत्री : आपने औचित्य का प्रश्न उठाया वह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के लिये सुरक्षित रख लेती हूं। आधा घंटे के बाद इसको उठा लिया जाय। माननीय श्रम मंत्री जी।

न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान) (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक,1968

श्री बृजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान) (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968 को विचारार्थ लिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय श्री रामकिशन जी।

श्री रामकिशन (वैर) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान) (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968 को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

सभापति महोदया, यह किस प्रकार का कानून सदन में विचारार्थ आया है इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस उद्देश्य से सरकार कानून ला रही है उसके विरुद्ध मैं नहीं हूं। एक हद तक अब तक जो गलती सरकार के द्वारा हो गयी थी उसको दुरुस्त करने जा रही है! लेकिन इस कानून के माध्यम से सारी श्रम नीति पर जब तक विचार नहीं कर लेते कानून के संशोधन की मंशा है वह अधूरी रह जावेगी।

आज राजस्थान में सरकारी और गैर सरकारी तरह तरह के उद्योग हैं, मिनिमम वेजेज क्या हों, परसों हमने राज्य कर्मचारियों को कम से कम क्या वेतन मिलना चाहिये राणावत वेतन आयोग पर बहस की और निर्णय लिये। आज हालत यह है कि अपनी मान्यताओं के अनुसार यह मानकर चलते हैं कि चाहे अध्यापक हों, चाहे ग्राम सेवक हों, बागात के कर्मचारी और पी० डब्ल्यू०डी० में काम करने वाले कर्मचारियों की जरूरत अलग अलग है। समय की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार रहन-सहन में कुछ अन्तर आया है। लेकिन जीवन निर्वाह के लिये अन्न, वस्त्र और दवाई ये साधारण नागरिक के लिये भी चाहिये इस पर कभी विचार किया है। अभक मजदूरों के लिये कुछ पैसा मिलना चाहिये यह स्वागत योग्य कदम है। सरकार खुद के कर्मचारियों के लिये नहीं सोचती कि उनको मिनिमम वेजेज क्या देने चाहिये। एक तरफ परसों हमने यह तय किया कि राज्य कर्मचारियों को 125)रु०से कम नहीं मिलें। आज की मंहगाई के मुकाबले में यह कम है। लेकिन सरकार और कर्मचारियों के लिये 125) का माप दण्ड रखते हुए पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग में जो कार्य करने वाले हैं, बागात के जो कर्मचारी हैं उनको आपको सुन कर ताज्जुब

(श्री रामकिशन)

होगा कि 52।। रुपया वेतन दिया जाता है। सरकार की सेवा में हैं। उसमें काम करने वाले कर्मचारियों का सरकार माप दण्ड तय करे। इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण अब तक स्पष्ट नहीं है इसलिये मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन को इससे सम्बन्धित ही नहीं रखें बल्कि इनका मन्त्रालय यह भी देखे कि चाहे कोई सरकारी उद्योग हो, विभाग हो, प्राइवेट उद्योग हो सब मजदूरों को कम से कम क्या मिलना चाहिये इसकी सीमा तय करके उनको घोषणा करनी चाहिये। राज्य का श्रम मंत्रालय श्रमिकों का मंत्रालय न होकर पूंजीपतियों का मंत्रालय है। सरकार का यह दृष्टिकोण क्यों हो गया, क्या कारण है ? विस्तार से इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सदन और लोक सभा में बार बार कहा जाता है कि सरकार श्रमिकों का हित करने के बजाय बड़े लोगों का हित साधने का हथियार बन गयी है। अभी मंत्री जी संशोधन इसलिये लाये हैं कि परिभाषा को लेकर हाई कोर्ट में चैलेन्ज किया गया था। जो संशोधन ला रहे हैं उसका विरोधी नहीं हूं। जब यह मामला रखा गया मिनिमम वेजेज कमेटी में इन्डिपेन्डेन्ट पर्सनल की चर्चा हुई लेकिन सरकारी अधिकारियों ने जान बूझ कर मामला रहने दिया जिससे हाई कोर्ट में जाय और उसका नतीजा यह हो कि अभ्रक के श्रमिक उससे वंचित रह जांय। सरकार का मंत्रालय श्रमिकों का हित साधने के बजाय उद्योगपतियों का हित साधने का मंत्रालय है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। हिन्दुस्तान की राजनैतिक स्थिति खराब हो गयी है। हमारे राज्य की स्थिति ऐसी हो गयी है कि यह मौजूदा सरकार विशेष उद्योगपति की कृपा से बनी है यह माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं। जिन कुर्सियों पर यह सरकार बैठी है उसको बिठाने के लिये बहुत बड़ा पैसा चन्दे के रूप में कांग्रेस को दिया, श्रम मंत्रीजी इसको जानते हैं। यह मैं बात कह रहा हूं वही सदन या माननीय मन्त्री कहते रहते हैं। आपके जो उद्योग मन्त्री हैं हिन्दुस्तान भर के, अली अहमद जी, उन्होंने पार्लियामेन्ट में माना है जिस समय चर्चा चल रही थी कि प्राइवेट कम्पनियों को राजनैतिक पार्टीज को चन्दा देने के अधिकार हों या नहीं, तो कांग्रेस में भी इस वक्त के दो तरह के विचार चल रहे हैं। एक तो छोटे लोग हैं जो गरीब तबके में से आये हैं, उनका यह विचार था कि कम्पनीज को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिये। दूसरी तरफ कांग्रेस का जो नेतृत्व है जो आज उन लोगों के हाथ में है जो पूंजीपतियों के बहुत बड़े मित्र हैं और जो पूंजीपतियों के समर्थक हैं, जिनकी यह कोशिश रही है कि हिन्दुस्तान की राजनीति को पैसे से खरीदा जा सके, उन लोगों का यह मत है कि कम्पनीज़ पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये किसी भी पार्टी को चन्दा चाहे जितना दें। तो जिस समय लोक सभा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि कौनसा उद्योग है जिसने सबसे ज्यादा चन्दा दिया तो यहाँ मैं राजस्थान की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं इसलिये राजस्थान के उद्योग के लिये ही कहूंगा, जब यह प्रश्न आया, तो यह पैट्रियट अखबार में लिखा हुआ है, जब यह प्रश्न आया कि कौनसे उद्योग ने सबसे ज्यादा चन्दा दिया, तो जहाँ दूसरे उद्योगों ने अपने मुनाफे का पाँच प्रतिशत तक ही चन्दा दिया, जो कि कानून के तहत मेक्जीमम है, वहाँ

(श्री रामकिशन)

अली अहमद जी ने बताया कि राजस्थान के जयपुर उद्योग ने कानून को भंग करते हुए क्योंकि मौजूदा कानून के अनुसार पांच प्रतिशत की ही लिमिट है, जो उनका मुनाफा था उसका 15 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को चन्दा दिया। यह पेट्रियट में छपा है कि अली अहमद जी ने बताया कि जयपुर उद्योग वालों ने मुनाफे का 15 प्रतिशत चन्दा कांग्रेस पार्टी को दिया। अब यह सवाल उठता है कि जब इन्होंने इतना चन्दा दिया, तो ये पूंजीपति कोई कर्ण तो हैं नहीं जो बिना मतलब के दान दे दें। ये शांतिप्रसाद जी और ये बिड़ला जी कोई कर्ण नहीं हैं। ये जानते हैं कि जितना चन्दा दिया उससे ज्यादा फायदा राज्य सरकार से लेंगे।

अब राजस्थान में दो-तीन तरह के मन्त्री हैं, एक तो वे जो चन्दा कम्पनियों आदि से लाते हैं और उसका हिसाब नहीं देते, दूसरे वे जो चन्दा लाते हैं और पार्टी के कोष में जमा कराते हैं, और तीसरे उस तरह के हैं, जैसे हमारे माननीय वृज सुन्दर जी है जो चन्दा लाते ही नहीं, केवल रसगुल्ले खाकर ही खुश हो जाते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कुछ लोग राजाओं से चन्दा लाते हैं।

श्री रामकिशन : राजाओं से भी लाते हैं और सेठों से भी लाते हैं। लेकिन हमारे श्रम मन्त्रालय जब इस तरह से बनते हैं तो हमारे राज्य की श्रमिक नीति में सुधार नहीं हो सकता। मैंने पी० डबल्यू० डी० के कर्मचारियों के बारे में कहा, इस सदन में कई बार पूछा गया कि सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को सवाई माधोपुर की म्यूनिसिपल एरिया में शामिल क्यों नहीं करते, भरतपुर की वैगन फैक्ट्री को भरतपुर की म्यूनिसिपल एरिया में शामिल क्यों नहीं करते, तो कभी कुछ कहकर टाल दिया और कभी कुछ कह कर। लेकिन दरअसल इसके पीछे बात क्या है कि आप शान्तिप्रसाद जी और बिड़ला जी को नाराज नहीं करना चाहते, आप उनकी मदद चाहते हैं। राजस्थान से भले ही बिड़ला जी कुछ नाराज हों लेकिन मध्य प्रदेश में तो उन्होंने कमाल कर दिया था। तो मन्त्री जी, आप काजू और रसगुल्ले का लोभ छोड़ें। अगर आप भी अपने साथियों की तरह कम्पनियों से बड़ी बड़ी रकमें लाते हों तब तो हम आपको कुछ कहें वह व्यर्थ होगा, लेकिन जहां तक केवल काजू और रसगुल्ले का सवाल है उसका मोह तो आपको छोड़ना होगा। जान भी उसको देना चाहिए जिस पर कुछ असर हो आप तो निर्जीव हो चुके हैं। आज हमारी हालत क्या हो रही है? जगह जगह श्रम अदालतों के अवार्ड हो जाते हैं लेकिन उद्योगपति उनका कोई पालन नहीं करते। यह श्रम मंत्री के नोटिस में है लेकिन कुछ भी कार्यवाही नहीं होती। यह राज्य सरकार का काम है कि अवार्ड का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। आप कह देते हैं कि श्रमिकों के लिये अदालतें खुली हुई हैं, वे अदालतों में जायें। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मजदूर लोग अपने बाल बच्चों के पालन पोषण की तरफ ध्यान दें या अदालतों के चक्कर काटें। यह तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अवार्ड का पालन होना चाहिये। प्रत्येक उद्योग के लिये अवार्ड होता है और उसका पालन नहीं होता, तो आप किस लिये श्रम मंत्रालय में बैठे हैं? अगर

(श्री रामकिशन)

उसको केवल शोभा बढ़ाने का ही आपका काम है, तो आपसे ज्यादा शोभावान इस सदन में और माननीय सदस्य बैठे हैं उनको वहां बिठा दीजिये। तो जो आपके मंत्रालय का कर्तव्य है उसका कहां तक पालन करते हैं इसके बारे में आपको मैं कुछ मिसाल देना चाहूंगा। राजकीय उद्योगों के लिये जो अवार्ड हुए हैं उनका भी आपने पालन नहीं किया और उसका नतीजा यह हुआ है कि आपके उद्योगों पर डिक्रीज हुई हैं और आप पर जुर्माने हुए हैं, इस तरह के कई मिसाल हैं। तो आप किस तरह से संशोधन लेकर सदन में प्रस्तुत करते हैं? अभ्रक उद्योग का भीलवाड़ा में बहुत बड़ा स्कोप है। आज से पांच-सात साल पहले वहां बीस हजार मजदूर काम करते थे लेकिन आज पांच हजार से अधिक नहीं। इसका कारण यह है कि वहां जिस उद्योगपति को आपने लाइसेंन्स दिया वह कच्चा अभ्रक निकाल कर बाहर भेज देता है और इस तरह से वहां पर कटाई और छंटाई पर जो मजदूर लगे हुये थे वे सब काम से वंचित रह गये। आपका यह भी तो कर्त्तव्य है कि जिस तरह का लाइसेंन्स आपने दिया उससे कोई मजदूर बेरोजगार तो नहीं होता है यह भी आपको देखना चाहिये। जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनके लिये क्या आल्टरनेटिव काम है यह भी आपको देखना चाहिए। आज जहां भीलवाड़ा में बीस हजार मजदूर काम कर रहे थे, वहां केवल पांच हजार ही रह गये। वहां पर कटाई आदि के जो दूसरे प्रोसेस होते थे, उनके बन्द हो जाने से वहां पर 15 हजार मजदूर बेरोजगार हो गये, आपने इस बात पर कभी विचार किया है? आपने तो केवल यह देखा कि हमारा काम तो केवल माइनिंग लाइसेन्स देने का है, उसके बाद माइन होल्डर अभ्रक को यहां बेचे या बाहर ले जायें, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तो हमारा जो श्रम मंत्रालय है, जिसके लिये हम हर साल बजट में इतना पैसा देते हैं वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। इसके बारे में भी कभी सरकार सोचती है?

हर उद्योग में आप मिनिमम वेजेज तय करें, लेकिन मिनिमम वेजेज की हालत क्या है? जिस प्रकार से मंहगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार से रहन-सहन का खर्चा बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है बड़े लोगों के मारफत बड़े लोग जब खर्चा करते हैं तो दूसरे जो कम आमदनी वाले लोग हैं वे भी उनकी नकल करके अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। तो सरकार इसमें क्या कर सकती है?

आज राजस्थान में श्रम संगठन है, अलग अलग-दलों के, राजनैतिक दलों के श्रम संगठन बने हुए हैं। जो-जो राजनैतिक संगठन हैं उन्होंने अपने मजदूर संगठन भी बना रखे हैं। मैं इस बात का समर्थक हूं। जो लोग कहते हैं कि मजदूर संगठनों में राजनैतिक दलों को नहीं आना चाहिये वे गलत हैं। मजदूरों को ट्रेनिंग होनी चाहिये हर राजनैतिक दल के बारे में जब हम राजनीति में रहते हैं, राजनीति से हवा-पानी तो नहीं मिलता लेकिन रोटी और दूसरी समस्याएं तो राजनीति से ही जुड़ी हुई हैं, इनके बारे में मजदूरों को भी निर्णय निकालना है। तो यह नहीं होना चाहिये कि कौनसा मजदूर संघ किस

(श्री रामकिशन)

राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखता है। उसको स्वीकार करना चाहिये, और ऐसी ट्रेनिंग उनको मिलनी चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर इन्टक है, सोसलिस्ट पार्टी वालों के मजदूर संगठन हैं, एटक है, और इसके अलावा जनसंघ से सम्बन्ध रखने वाले मजदूर संगठन भी हैं। अब किस उद्योग में किस संगठन को मान्यता देनी चाहिये यह श्रम मंत्री पर नहीं निर्भर होना चाहिये। श्रम मंत्री का केवल काम यह है कि श्रम नीति निश्चित करे, बाकी किस उद्योग में किस संगठन को मान्यता देनी चाहिये यह वहां पर सीक्रेट बैलट द्वारा तय होना चाहिये। आज मजदूरों में आपस में झगड़ा होता है या तोड़-फोड़ होती है जगह जगह, उसका केवल मात्र इलाज यह है कि सीक्रेट बैलट द्वारा मजदूर संगठन को मान्यता मिलनी चाहिये कि किस उद्योग में कौनसी यूनियन को मान्यता दी जाये और कौनसी यूनियन लेबर को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन आपकी स्थिति यह है कि आपको इस बात की चिन्ता नहीं। आपके संस्कार भी ठीक हैं, लेकिन स्थिति क्या है कि आपके दिमाग में हर वक्त यह बात होती है कि यह कांग्रेस का संगठन है, यह कांग्रेस की यूनियन है, और अगर कांग्रेस की यूनियन गई तो कांग्रेस का राज्य गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस की यूनियन जाने से कांग्रेस का राज्य खत्म नहीं होने वाला है। तो मेरा यह स्पष्ट सुझाव है कि सीक्रेट बैलट से ही रिप्रेजन्टेशन तय होना चाहिये। इसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो तय हो जाना चाहिये। सभी यूनियन्स को आजादी होनी चाहिये मजदूरों में काम करने की, लेकिन जिसके साथ बहुमत हो, जो सीक्रेट बैलट से मालूम करना चाहिये, उसको ही मान्यता दी जाये। इसमें क्या आपत्ति है?

(4 म० प०)

आपकी कमेटियां बनती हैं। बोर्ड बनते हैं कई श्रमिक सलाहकार समितियां बनती हैं। उनके अन्दर फिर वही घूम फिरकर 4-5 चेहरे कांग्रेस के आ जाते हैं। बृजसुन्दर जी मंत्री मण्डल में नहीं हो तो वे उसके मेम्बर बन जाते है। चाहें उनका मजदूर यूनियन से सम्बन्ध हो या नहीं हो इसलिये यह स्थिति घातक है। मैं श्रम मंत्री जी से आशा रखता हूं कि वे उदार विचारों से, अपने संस्कारों के मारफत इसमें जागृति लावें। वे मुझे जागृत लगते हैं। इन को मैंने बिड़ला फैक्ट्री में झंडा लगाते हुए देखा है। आज वे राज्य के श्रम मंत्री हैं। उस समय वे मन्त्री मण्डल में नहीं थे। वे बिड़ला वैगन फैक्ट्री की तरफ मजदूरों के साथ जा रहे थे। उनके बीच में बैठे हुए थे। लेकिन आज आप में ताकत नहीं हैं। 20 वर्ष के कांग्रेस शासन के कारण आप में इतनी ताकत नहीं रही है इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि आप साल में दो चार बार तो विवेक से काम करें किन्तु आपका मन तो इतना कमजोर हो गया कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है, यह विवेक आपके मन में नहीं रह गया है। आपके साथ में 5-10 आदमी भी नहीं है और आप उस यूनियन को रिप्रिजेन्टेशन दे देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह कैसे कह दिया। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जायगा कि किसके साथ कितने आदमी हैं।

श्री रामकिशन : मैं आपकी विद्वता, सूचना के लिये धन्यवाद देता हूं। यह जरूरी नहीं है कि आप बार बार बोलें। सुखाड़िया जी ने अपने फंड से दो कुरते बना दिये कि आप बोलने लगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब बात वाजिब हो तो बोलना चाहिये। रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन हर साल जांच करता है, मालूम करता है कि कितने सदस्य हैं, यह आप कैसे कहते हैं कि 5, 25 सदस्य हैं।

श्री रामकिशन : आप तो दो कुरते और भोजन पर ही काम करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसकी तो जरूरत होती है।

श्री रामकिशन : सभापति जी, सरकार के कई कारखाने हैं। राज्य के कई होटल चलते हैं। आपका स्टेट होटल कॉरपोरेशन है। श्रीमती गायत्री देवी का भी एक होटल रामबाग पैलेस में है। किन्तु आज तक इनके मजदूरों के लिये कोई स्टेन्डिग ऑर्डर्स नहीं है इसलिये उनके साथ न्याय नहीं होता है। चूंकि आप अपने यहाँ नियमों का पालन नहीं करते हैं इसलिये आप रामबाग होटल के मजदूरों के लिये, नियमों के पालन के लिये आप उनको विवश कर सकें, यह आपकी क्षमता नहीं है। जो बैरे वहां काम करते हैं, उनकी सर्विस कन्डीशन होनी चाहिये। नियमों का पालन होना चाहिये। किन्तु कोई नियम नहीं है। इसलिए मजदूर आन्दोलन धीरे-धीरे निराशा की तरफ बढ़ता जा रहा है। इस आन्दोलन को हम सही दिशा नहीं दे पायेंगे। कई उद्योग हैं। कई भूतपूर्व राजाओं के उद्योग हैं। सरकार के उद्योग हैं। बड़े पूंजीपतियों के उद्योग हैं। उनमें मजदूरों को जो उनके वाजिब हक हैं, सुविधा है, मिलनी चाहिये। आप उनके लिये जो नियम बनाते जा रहे हैं, उनका पालन हर हालत में होना चाहिये, यह श्रम मन्त्रालय का दृष्टिकोण होना चाहिए अगर यह दृष्टिकोण नहीं रहा तो भला नही हो सकेगा। आप कानून बनाकर, उसमें अमेन्डमेन्ट लाकर अपने कर्त्तव्य की इति श्री ही न समझ लें। यदि यह समझते हैं तो यह काफी नहीं है।

सभापतिजी, श्रम मन्त्रालय के बारे में एक-दो बात और रखना चाहता हूं। नगरपालिका के कर्मचारी हैं। मैं जानता हूं कि आपका स्कोप नहीं है। नगरपालिका के कर्मचारियों की स्थिति खराब है। राणावत जी ने रिपोर्ट दी कि राज्य के कर्मचारियों को किस प्रकार से वेतन मिलेगा। यह तो बताया है कि इतना मिलेगा किन्तु पंचायत समितियों के कर्मचारियों, नगरपालिका के कर्मचारियों, सरकारी उद्योग के जो कर्मचारी हैं, उनके लिये आपने कुछ नहीं बताया है। कम से कम जीवनयापन के लिये इतना मिलेगा, इसकी घोषणा भी आपने नहीं की है। चिकित्सा मंत्री के रूप में आपने स्टेटमेन्ट में यह स्वीकृति दी थी कि ब्राह्मण, बनिये के लड़कों ने महतर बनकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। इससे भी बदतर हालत जयपुर नगरपालिका की है। उसकी स्थिति के बारे में मैं कहूंगा। जयपुर नगरपालिका में सभापति जी एक गैंग रखी जाती है, सड़कों की, नालियों की सफाई करने के लिये। इस गैंग में लड़को को मजदूरों के नाम पर रख तो लिया जाता है और ये लड़के कॉलेजों में पढ़ते हैं। यह प्रवृति यदि सही होती तो मैं उसका स्वागत करता कि पढ़े-लिखे लोग सड़कों की सफाई, नालियों की सफाई

(श्री रामकिशन)
कर रहे हैं। यह एक सामाजिक परिवर्तन होता। किन्तु वास्तव में वे सफाई नहीं करते हैं। केवल उनका नाम नगरपालिका के रजिस्टर में लिखा हुआ है और वे सब के सब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं।

श्री मूलचंद डागा : नाम बतायें। नाम लेते नहीं है। बात करते हैं।

श्री रामकिशन : सभापति महोदया, यह जो मैं बात कह रहा हूं क्या वह बगैर जानकारी के ही कह दूंगा ऐसा आपका विश्वास है। सभापति महोदया, यह मुझसे बहस करते हैं। आप 5-7 साल से यहां नही रहे हैं। इसलिये कायदे-कानून भूल गये हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन सारे मामलों पर विचार करें। ऐसी शिकायतें कई बार आई हैं। उनका कोई निराकरण नहीं हुआ है। सभानेत्री जी मैं इसकी सूची आपको प्रस्तुत कर दूंगा। इस वक्त यहां नहीं लाया हूं कल या परसों में यह सूची दे दूंगा। सदन में मैं सीधा भरतपुर से आया हूं। इसकी शिकायत पहले भी हुई है। आज से करीब तीन साल, चार साल पहले यह शिकायत आपको यहाँ की थी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं श्रम मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करूंगा कि वे मजदूरों की सुविधा के लिये, उनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिये, उनका सांस्कृतिक उत्थान और सुधार के लिये समाजवादी सरकार के जो लक्ष्य हैं, उनके अनुसार एक सांस्कृतिक क्लॉस चलावें। अगर मजदूर आन्दोलन एक टैक्नीकल बनता गया तो देश का काम नहीं चलेगा। हम नया हिन्दुस्तान बना रहे हैं। एक नया राजस्थान बना रहे हैं। इस के लिये हम मजदूरों को किस तरह ट्रेन्ड कर रहे हैं। यह देखना चाहिये। यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने भीलवाड़ा में एक इन्स्टीट्यूशन शुरु किया है। इन्स्टीटयूशन में केवल लेबर-लॉज की जानकारी दी जाय यही काफी नहीं है। मजदूरों को हम इस तरह से ट्रेन्ड करें कि उनके सामने हिन्दुस्तान की भावी तस्वीर आ जाय। आगामी वर्षों में मजदूर, और किसान, ये दो ही निर्णायक होंगे। किस प्रकार के राज्य बने, किस प्रकार की राज्य व्यवस्था हो, यह वे ही निर्णय करेंगे। हम देश को, राज्य को किस तरफ लेजाना चाहते हैं, उसकी ट्रेनिंग उनको दी जानी जाहिये। पश्चिमी देशों में केवल आकर्षक नारा देकर, उनका शोषण किया जा रहा है। इसकी हमें उनको जानकारी देनी चाहिये। उनकी ट्रेनिंग में पूरा एज्यूकेशन होना चाहिये लेबर-लॉज, कानून की धाराएं ही हम उनको न बतावें। या कि ये हमारे अधिकार हैं। यह बताने के लिये वकील ही काफी है। इसके लिये यूनियनें अपने वकील एंगेज कर सकती है। हम मजदूरों को किस दिशा में तैयार करना चाहते हैं समाजवाद की क्या कल्पना है, क्या विचार हैं? मजदूरों का इसमें किस प्रकार का योगदान है? सभापति महोदया, मन्त्री महोदय और न मजदूर ही इस बात को जानते हैं कि समाजवाद क्या है? केवल नेहरूजी से इन्होंने सुना है। इसके बाद सुखाड़ियाजी ने सुना और उनसे श्री बृजसुंदरजी ने सुना है। बृजसुंदरजी चले गये तो चवन्नी छाप वाला कांग्रेसी आ गया। समाजवाद क्या है, उस का आर्थिक पहलू क्या है, यह सब वे नहीं जानते। इन सब चीजों के बारे में न तो नेताओं को ज्ञान है और न मजदूरों को,

(श्री रामकिशन)

इसका ज्ञान है और न व्यासजी आपको इस का ज्ञान ही है । सभापतिजी, क्षमा करेंगे । ये बार बार मुझे डिस्टर्ब करते है । इनका तो यही काम है कि ये अपने इलाके को अकालग्रस्त घोषित करवा लें ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर आन्दोलन में इस तरह की प्रवृत्ति घर करती चली जा रही है, उसको दूर करने की कोशिश नहीं की जा रही है । वे काम के प्रति उदासीन हैं । कम काम करते हैं । फिर भी मजदूरों का ज्ञान राज्य के मन्त्रियों के ज्ञान से कम नहीं है । उन्हें केवल एक बात सिखानी है । उनमें फिर भी यह प्रवृति घर करती जा रही है कि काम कम करें । केवल आकर्षक नारों के अलावा उनके मस्तिष्क में कुछ नहीं हैं । इसलिये उनकी ट्रेनिंग यह होनी चाहिये कि उनके मौलिक अधिकारों के साथ साथ उनके कर्त्तव्य क्या हैं ? आकर्षक नारों में बहकर वे आन्दोलन करते हैं इन आन्दोलनों के जरिये वे किस तरफ जा रहे हैं, इस बारे में आपके दिमाग खाली है और न मजदूरों को इसकी कल्पना है । उनके दिमाग भी खाली हैं । एक तरफ भूखा मजदूर है तो एक तरफ बंदूक वाला मन्त्री है हिन्दुस्तान में हमारा श्रमिक आन्दोलन सबसे पुराना है । यह आन्दोलन एक संगठित आन्दोलन रहा है किन्तु आज यह छिन्न भिन्न हो गया है । मजदूर अपने अधिकारों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं । यह अच्छी बात है । किन्तु उनको कुछ नहीं मिलता है । इस आन्दोलन में निराशा और उनका पैसा खर्च हो जाने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं आता है । सभापति महोदया, हम देखते हैं कि उद्योगपति मजदूरों को निकाल देते हैं वे बेचारे अदालतों में मारे मारे फिरते हैं जिनके फैसले दो-दो चार-चार साल तक नहीं हो पाते । सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से उद्योगपति मजदूरों को निकाल देते हैं और जिनके मामले अदालत के सामने विचाराधीन हैं उनके लिये यह होना चाहिये । जिस तरह से सरकार के सस्पेण्डेड कर्मचारी होते हैं उनको तीन-चौथाई जो वेतन मिलता है उस तरह से इन मजदूरों को भी जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता उनको भी उतनी मजदूरी मिलनी चाहिये । इस बारे में श्रम मंत्री स्पष्ट घोषणा करें यह नियम भी राजकीय एवं प्राइवेट उद्योगों में लागू होगे ।

इसी प्रकार सभापति महोदया, हमारे राज्य में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तरह तरह से शोषण चल रहा है अभी हमारे श्रम मंत्री वासी पहाड़पुर गये थे । जीप लेकर गये थे । भोजन करके चले आये थे । जिस काम के लिये वे गये थे वहां पर पत्थर मजदूरों की जो हालत है वह देखने गये थे । भरतपुर करौली और सवाई माधोपुर में पत्थरों के मजदूरों का जिस प्रकार से शोषण होता है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते संगठित उद्योगों के लिये कई तरह के प्रयत्न किये गये टैक्सटाइल मजदूरों के लिये सीमेन्ट फैक्ट्री के मजदूरों के लिये आपने प्रयत्न किये लेकिन पत्थर खान पर काम करने वाले जो ये मजदूर हैं जिनको एक ट्रक पत्थर तोड़ने का दस बारह रुपया दिया जाता है और उसी ट्रक को बेचकर ये ठेकेदार 135 और 140 रुपया कमाते हैं इतना बड़ा शोषण ये सब बातें मंत्री महोदय जानते हैं लेकिन वे वहां जाकर उन ठेकेदारों के यहा भोजन करके चले आते हैं । हमने सरकार से कहा कि मजदूरों की को-ऑपरेटिव

(श्री रामकिशन)

सोसाइटीज बनाई जाय उसका ठेका मजदूरों को दिया जाय और उसकी जिम्मेदारी मजदूरों पर डाली जाय। ये ठेकेदार कौन हैं ये सब 47 के बाद कांग्रेसी बने हैं। 47 के पहले ये कांग्रेसी नहीं थे जब राजाओं का राज था वे उनके गुलाम थे और राजाओं का राज जाने के बाद वे कांग्रेसी बन गये राजाओं के राज्य में वे मेरे खिलाफ गवाह थे एक दो को तो मैं आज भी जानता हूं। मैंने देखा जिस दिन राजाओं का राज गया दूसरे दिन ही वे सफेद टोपी लगाने लगे तो ये तो जिसका राज होता है उसी के अनुसार उसके बनकर चलते हैं। और आपके राज में तो उनको मजा आगया। ये कांग्रेस वाले इस तरह से राजी हो जाते हैं। लेकिन आप यह विश्वास रखिये अगर उनको उम्मीद हो जाय कि कल ही शासन बदलने वाला है तो रात को 12 बजे बाद आप देखेंगे वे आपको भी बता बताकर चल देंगे। आज भी इन ठेकेदारों में राज का 96 हजार रुपया बाकी है। श्रम मंत्री जी वहां भोजन करके आगये जब हम उनको कहते हैं कि इनमें जो बकाया है वह वसूल कीजिये तो उत्तर यह दिया जाता है कि जिनमें बकाया थी वे तो बयाना छोड़कर चले गये हैं। आपके विभाग द्वारा सूचना देदी जाती है कि वो तो बयाना छोड़कर चले गये। तीन-चार साल से उनका पता नहीं मिलता। मिनिस्टर लोग ठाट से इनके यहां जाते हैं वहीं भोजन करते हैं चाय पानी लेते हैं और रात में भी वहीं ठहर कर आते हैं। वहां पर गेस्ट हाउस की व्वस्था नहीं इसलिये इन्हीं के घरों में ठहरते हैं। श्रम मंत्रालय से उनके बारे में पूछा जाता है तो वे रेवेन्यू विभाग को कहते हैं कि वे तो यहां से भाग गये। जब हम कहते हैं आप असत्य बोलते हो तो वे मानते नहीं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं हम चाहते हैं कि राज्यकोष का जो पैसा है वह राजकोष में आये। लेकिन जब हम उनको यह कहते हैं तो वे उल्टे हमारे पर आरोप लगाते हैं। हमें इससे कोई ज्यादा सदमा नहीं पहुंचता क्योंकि हम आपकी बातों को जानते हैं कि आप कितने असत्य बोलते हैं।

सभापति महोदया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम मंत्री हमें बतायें कि राज्य सरकार की श्रम नीति क्या है, आम श्रम नीति क्या है प्राईवेट और सरकारी उद्योगों में श्रम नीति में किस प्रकार की समानता है और जो भेद हैं उसको आप निराकरण किस प्रकार करना चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों से डरें नहीं। दोस्ती तो निभ जायगी लेकिन सिद्धान्त छोड़कर आप दोस्ती निभाना चाहें यह उचित नहीं होगा। आप अगर सिद्धान्तों पर नहीं चलना चाहते तो यह समाजवाद का ढोंग करना व्यर्थ है। आप समाजवाद को तो कलंकित मत कीजिये। मैं मजदूरों से सबन्धित इतनी ही बातें कहूंगा।

भरतपुर में बिड़ला वैगन फैक्ट्री है। बिड़लाओं को कुछ दिनों तक तो आप पर नाराजगी रही है तीन-चार महिने से उनसे दोस्ती हुई है यह मैं नहीं कहता कि हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का कथन है अब उनसे अच्छे सम्बन्ध हो गये हैं, सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। अभी हमारे देश के मजदूर कार्यकर्त्ता श्री फरनान्डीस यहां आये थे उन्होंने मुझे सूचना दी थी कि बिड़ला जी हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर इन्दिराजी को ही बनाना चाहते थे उनके विचार से मुरारजी को नहीं होना

(श्री रामकिशन)

चाहिये। क्या मुरार जी बिड़लाओं के साथ हैं या क्या कारण था यह मैं नहीं कह सकता। उन्होंने बहुत सी प्राइवेट बातें भी कहीं जिनके विस्तार में मैं यहां जाना नहीं चाहता।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि भरतपुर में जो बिड़ला वैगन फैक्ट्री चल रही है वहां पर मजदूरों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है उसके बारे में मंत्री महोदय को समय समय पर जानकारी मिलती रही है मंत्री महोदय को यह भी पता है कि वहां किस पार्टी की युनियन है। उन मजदूरों की समस्या के सम्बन्ध में ज्यादा जिक्र न कर इस सारे मामले में मंत्री महोदय आपका क्या दृष्टिकोण है यह प्रकट करें ?

आज सारे हिन्दुस्तान के प्रमुख पत्रों में हड़ताल चल रही है इसमें जिस प्रकार का रवैया सरकार अपना रही है उससे साफ जाहिर है कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने नत-मस्तक है। आज उद्योगपति अपनी अकड़ से मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारा भारत सरकार का श्रम मंत्रालय भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आज हमें महत्वपूर्ण समाचारों से वंचित रखा जा रहा है, करोड़ों लोगों को वंचित रखा जा रहा है। हमारा केन्द्रीय श्रम मंत्रालय हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है कोई रास्ता नहीं निकाल पाता। आपकी उनके साथ सांठ गांठ है। आप उनसे दबे हुए हैं हिम्मत करके, साहस करके यदि काम लेते तो आज तक कभी की हड़ताल समाप्त हो गई होती। आज पूर्वी यूरोप में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हमें सूचना तक नहीं मिल पाई। आज पाकिस्तान और चीन के साथ किस तरह से नये सम्बन्ध कायम हो रहे हैं इसकी भी सूचना हमें मिल नहीं पा रही है। सारा लेबर विभाग इनकी मांगों के पालन व रवाने के बारे में सक्षम नहीं है।

जो मैंने सुझाव दिये हैं जिन उद्योगपतियों के बारे में मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रम मंत्री जी अपना स्पष्ट दृष्टिकोण रखकर विचार करेंगे। संशोधन आप जो लाये हैं मैं उसका समर्थक हूं आप यह अच्छे उद्देश्य से ला रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदया, आखिर मैंने जो प्रस्ताव दिया है उनको आप टालना क्यों चाहती हैं ?

श्रीमति सभानेत्री: मैं पन्द्रह मिनिट में इसका जवाब दे दूंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल: आखिर आप इस सीरियस प्रस्ताव को इतने हल्केपन से नहीं लें। गवर्नमेन्ट जिन चीजों को उचित नहीं समझती है आप उनके कहने के अनुसार न चलें। यह हरिजनों का मामला है सरकार तो इस प्रस्ताव पर डिस्कस करना नहीं चाहती। आप अध्यक्ष के आसन पर विराजमान है आप गवर्नमेन्ट के डाइरेक्शन पर अपने विचार बदलती रहीं तो यह उचित प्रतीत नहीं होता। और यह आसन की गरिमा के भी मुताबिक नहीं है। मुझे इस प्रस्ताव के बारे में गृह मंत्री महोदय ने भी कहा की आप इस प्रकार का प्रस्ताव न रखें, मुख्य मंत्री ने भी मेरे पर दबाव डाला और सचिव महोदय को भेजा कि मेरे से कहें कि वे प्रस्ताव न रखें। उनका कहना था कि इस प्रकार के प्रस्ताव से वातावरण दूषित हो जायगा। यह प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिससे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कम्यूनलिज्म का वातारण पैदा हो। यह प्रस्ताव ऐसा है जिसको लोकसभा में भी रखा गया। आज मेरे इस प्रस्ताव के रखने से सदन में बुरा वातावरण पैदा हो जायगा, मुझे आज अजीब बात लगती है। हमारा जो बुनियादी अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का है जो संविधान में दे रखा है उस पर आघात किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को नहीं लाने देने की भरसक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है।

मैं, सभानेत्री महोदया, आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रस्ताव द्वारा हम सदन के सामने ऐसे मामले लाना चाहेंगे जहां पर पुलिस ने हरिजनों पर अत्याचार किये हैं, बेगुनाह लोगों को मुलजिम बनाया गया है, हरिजनों के बच्चों को मारकर कुओं में डाल दिया। इस लिये गृह मंत्री जी चाहते हैं कि इस प्रकार के प्रस्ताव को सदन में न लाया जाय।

इस तरह का मामला है। आज हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट और पुलिस के अन्य अधिकारी और सिपाही उनको बुलाकर बेगार लेते हैं उनसे। उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। उस पर सदन में डिस्कशन न हो। इस तरह के मामले हैं मिनिस्टर के हुक्म पर कार्यवाही नहीं करके, कलेक्टर्स के हुक्म की परवाह न करके मिनिस्टर हुक्म देता है। पुलिस फोर्स भेज देते हैं। इस तरह पुलिस फौज भेजकर हरिजनों के मोंगे तुड़वा दिये जाते हैं। दूसरों के मोंगे खड़े करवा दिये जाते हैं। इस तरह के जगह जगह राजस्थान में मामले हैं और सदन में उनको डिस्कस न कर सकें, तो फिर क्या सदन का फायदा है। क्या हमारा फायदा है यहां आने का।

इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला राजस्थान में बसने वाले जो भी हरिजन-आदिवासी लोग हैं जिनके साथ निरन्तर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से ऊपर से समाजवादी बनने का ढोंग रचता है कोरे शब्दों की लफ्फाजी करता है, यह उसे शोभा नहीं देता। उनके मामलों पर यहां डिस्कशन होना लाजिमी है। इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस डिस्कशन को अलाऊ कीजिये। हम सदन में देर तक भी बैठने को तैयार हैं। इसलिये आपकी रूलिंग इस पर चाहता हूं और इजाजत चाहता हूं कि इसको शुरू करूं।

श्री जगन्नारायण सालोदिया : शुरू करो न आप तो।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य। आप क्या कहना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने तो अमेन्डमेन्ट दिया है। उस पर बोलना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : आपके ऊपर तो मैं हूं पहले।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी इजाजत हो तो शुरू करूं।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाती हूं कि इस मामले को हल्के ढंग से नहीं लिया जावेगा। यह भी

(श्रीमती समानेत्री)

विश्वास दिलाती हूं कि सरकार की आज्ञा अनुसार आसन नहीं चलता है। आसन, अध्यक्ष, की गरिमा के अनुसार ही निर्णय देगा। वे निर्णय दें तब तक के लिये श्री सतीशचन्द्रजी आप बोलें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदया, न्यूनतम मजदूरी (राजस्थान) (संशोधन एवं वैधकरण) विधेयक, 1968 जो माननीय श्रम मन्त्री महोदय ने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उसको जनमत जानने हेतु प्रस्तुत किया जावे। इस सम्बन्ध का एक प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस प्रकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए मेरे से पूर्व वक्ता जो वैर से आये हैं माननीय सदस्य, उन्होंने राज की खोखली श्रम नीति के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार सदन में प्रकट किये हैं।

सभापति महोदया, समय के अभाव का ध्यान रखते हुए अन्य महत्वपूर्ण मसलों को, जो सदन के समक्ष विचाराधीन प्रस्तुत हैं, दृष्टिगत रखते हुए मैं सूक्ष्म में कुछ बातें इस सम्बन्ध में रखना चाहूंगा।

सभापति महोदया, यह जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है यह राज्य सरकार की नियुक्तियों के सम्बन्ध में, कानून और नियमों के विरुद्ध किस प्रकार से नियुक्त लोगों को राज्य सरकार करती है, और न्यायालयों में जब उसको चुनौती दी जाती है और जब राज्य सरकार के निर्णय राज्य सरकार की घोषणाएं राज्य सरकार की आज्ञाएं और आदेश जब उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये जाते हैं तो फिर यह राजस्थान की सरकार एक वैधकरण की दृष्टि से विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत करती है। यह राज्य सरकार की बुद्धिहीनता, राज्य सरकार की, कांग्रेस सरकार की, नियमों के प्रति अनभिज्ञता और राजस्थान सरकार के प्रशासनतन्त्र की ढिलाई यह उस सबका द्योतक है। मैं राज्य सरकार की इस नीति, रुख और रवैये की निन्दा करता हूं।

यह बात सही है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद इस प्रकार का वैधकरण किया जाना आवश्यक है, परन्तु प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा क्यों हुई? माननीय सभापति महोदया, इस संदर्भ में मैं एक दो बातें इस सदन में कहना चाहूंगा। श्रम मन्त्रालय की नीति की मेरे से पूर्व वक्ता ने बड़ी कड़ी आलोचना की है। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का जो इस समय पोलिटिकल सेट अप है उस राजनैतिक दृष्टि से आज राज्य सरकार की नीतियां भारत सरकार की कांग्रेस सरकार की नीतियों से विपरीत नहीं हो सकती। भारत सरकार की जो श्रम नीति है उसके अनुरूप ही राजस्थान की श्रमनीति है और मैं तो यह कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है इस प्रदेश का और यहां की जनता का कि आज राजस्थान में राजस्थान सरकार की कोई मजदूर नीति नामकी कोई चीज नहीं है। मजदूरों के शोषण की नीति इनकी है जिसका राज्य सरकार पालन कर रही है। पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ, उद्योगपतियों के साथ सांठ-गांठ करके और पैसे की भूख पर चलने वाली हुकूमत मजदूर के प्रति कोई हितकर नीति न निर्धारित कर पाई है और न कर पावेगी।

सभापति महोदया, गत पिछले बीस सालों का इतिहास हमारे सामने है इस कांग्रेस सरकार का और उस पर अच्छी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तरह समझते हैं वे लोग निश्चित रूप से इस निर्णय पर पहुंचेंगे और मुझसे सहमत होंगे कि पिछले बीस सालों में हुकूमत ने समाजवाद का नारा अपनाया, समाजवाद का ढोंग रचा वह सरकार राजस्थान के अन्दर समाजवाद के नाम पर समाजवादी समाज रचना के नाम पर मजदूरों का शोषण पूंजीपतियों के साथ सांठ-गांठ करके उससे मिलकर और चन्द राजस्थान के उद्योगपतियों के हाथों में राजस्थान की कांग्रेस की हुकूमत बिक गई है जिसकी जितने कड़े शब्दों में निन्दा की जावे, कम होगा।

इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज सदन में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी और उसे उठाना चाहता था कि राष्ट्रपति महोदय ने 19 सितम्बर को केन्द्रीय कर्मचारियों की हिन्दुस्तान भर में होने वाली आम हड़ताल के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी किया। श्रमजीवी वर्ग की मजदूरी की मांगों को दबाने की दृष्टि से उनके आन्दोलन को कुचलने की दृष्टि से राष्ट्रपति महोदय ने जिस प्रकार का अध्यादेश जारी किया है उसकी निन्दा किये बिना मैं नहीं रह सकता। वह अध्यादेश जारी करना दमन का रास्ता खोलने के लिये है। इसके माध्यम से राजस्थान की सरकार ने, पुलिस ने इन केन्द्रीय कर्मचारियों को रेलवे यूनियन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की जो कार्यवाही की है उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। राज्य की पुलिस ने केन्द्रीय कर्मचारियों की यूनियन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके हड़ताल की दृष्टि से दमन का रास्ता अपनाया है, वह निन्दनीय है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप दमन के रास्ते से आन्दोलन को किसी भी जन-आन्दोलन को दबा नहीं सकते। दुनिया का इतिहास इसका साक्षी है, कांग्रेस का पुराना इतिहास स्वयं इसका साक्षी है, दुनियां भर के देशों में जब जब भी जिस जिस हुकूमत ने, सत्तारूढ ताकतों ने लोगों की आवाज को पुलिस के जरिये लाठी, गोली और गैस के जरिये दबाने की कोशिश की है वे सभी ताकतें हमेशा असफल ही हुई हैं यह जनता, मजदूर, किसानों का आन्दोलन, मध्यम वर्ग का आन्दोलन, अभावग्रस्तों का आन्दोलन, सत्ता के विरुद्ध होने वाले हर आन्दोलन को जो वाजिब मांगों को लेकर उठता है सरकार और सत्तारूढ़ ताकत दमन के आधार पर, लाठी-गोली के आधार पर दबाने की कोशिश करेगा तो वह आन्दोलन रबड़ की गेंद की तरह से जितना आप उसे दबावेंगे उतना ही तेजी से वह आन्दोलन उठकर ऊपर जावेगा। नतीजा इसका क्या हुआ है इतिहास इसका साक्षी है आप इतिहास से सबक लें, उसे देखें। दुनिया भर का इतिहास साक्षी है। जितना दमन का रास्ता सत्तारूढ़ ताकतों ने अपनाया है, उन ताकतों ने अपनाया है, या उन गिरोहों ने अपनाया है जो सत्ता में थे जो दुनिया का शोषण करने के ऊपर तुले हुए थे उनके विरुद्ध संघर्ष करने वाली ताकतों की जीत हुई है।

हिन्दुस्तान की कांग्रेस सरकार समाजवाद का ढोंग रचती है वह कांग्रेस की हुकूमत आज हिन्दुस्तान पर हुकूमत कर रही है। इन्दिरा गांधी, मुरारजी देसाई और इधर राजस्थान में सुखाड़ियाजी की हुकूमत ये हुकूमतें मजदूरों की नहीं है, किसानों की नहीं है, पददलित शोषित और हरिजनों आदिवासियों की नहीं है। यह हुकूमत तो बुजुर्आ पूंजीपतियों की, उद्योगपतियों की हुकूमत है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
मजदूरों और गरीबों का मध्यमवर्ग का शोषण करने वालों की हुकूमत है ।

इस हालत में आज राजस्थान में श्रम नीति की बात की जाती है । उस श्रमनीति के आधार पर मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा आसीन्द से आने वाले कह रहे थे कि राजस्थान में मजदूर क्षेत्र में इन्टक का बड़ा प्रभाव है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बिल्कुल है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह इन्टक जिस इन्टक का आप अभिमान करते हैं के पदाधिकारी कैसे हैं । इस इन्टक की हालत क्या है । उस इन्टक के महामंत्री सदन को सुनकर ताज्जुब होगा उदयपुर में महिलाविद्यापीठ है, उस महिला विद्यापीठ को लेकर केन्द्रीय सरकार से 5 लाख का अनुदान मिला.........।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सभापति महोदया, यह मामला सबजुडिस है । इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने जल्दी बोले हैं । उसकी स्पेलिंग क्या है सबजूडिस की ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपसे ज्यादा जानते है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था माननीय सभापति महोदया मैं उसके फेक्ट्स के बारे में नहीं कह रहा था मैं तो पब्लिक अकाऊन्ट्स कमेटी का हवाला देकर कहना चाह रहा था कि राजस्थान के मजदूरों की बदकिस्मती है जिसके लिये माननीय सभापति महोदया राजस्थान में इन्टक का प्रभाव है । उस इन्टक के महामंत्री श्री दुर्गाशंकर दुर्गावित अदालत के कटघरे में खड़े हुये जिसकी 20-20 हजार की जमानत दी गई । ऐसा आदमी जो फ्रॉड करता है, अपराध करता है उसको केन्द्र सरकार के केस चलाने पर कटघरे में मुलजिम बनकर खड़ा होना पड़ा है । मुझे आपकी बुद्धि पर तरस आता है । सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार जो हालत है, राज्य सरकार की जो नीतियां रही हैं उसके सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है लेकिन राजस्थान के मजदूरों की हालत देखी जाय तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि आज राजस्थान में कितने मजदूरों की बस्तियां हैं, आज भी वे कच्ची झोपड़ियों में पड़े हुये हैं । आज गोढ़ाला में जो गरीब मजदूर पड़े हुये हैं, उनको नोटिस देकर हटाया जा रहा है उनकी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है वहाँ न उनको नल की सुविधा है, न बिजली की सुविधा हैं और न सड़को की सुविधा है । मजदूरों की औद्योगिक बस्तियों में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है । आज राजस्थान के मजदूरों को नल की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, सड़के पर्याप्त मात्रा में नहीं, उनके बच्चों को स्कूलों की कोई व्यवस्था नहीं, मैड़िकल की फेसिलिटी नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं इस मंहगाई के जमाने में मजदूरों को सस्ती कीमत पर कोई चीज मिलें, इसकी कोई व्यवस्था नहीं । राजस्थान का श्रम मंत्रालय और राजस्थान के श्रम मंत्री जी उनके लिये कुछ नहीं कर पाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदया उस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण है समाजवाद का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

नाम । आपकी नीतियों में समाजवाद का अर्थ होता है समाज का शोषण लेकिन राजस्थान की सरकार और इन कुर्सियों पर बैठे हुये ये मन्त्री इस बात को नहीं भूल सकते कि इनको कुर्सियों पर बैठने का अवसर मिला है तो ये समझें कि कांग्रेस की अवसरवादी नीति है। मैं कहता हूं कि कांग्रेस की दमनकारी नीति है, लाठी और गोली का सहारा लेकर चलने वाली सरकार है, बुलेट के आधार पर चलने वाली सरकार है। राजस्थान की सरकार आज लाखों रुपया चन्दे के रूप में पूंजीपतियों से चुनाव के लिए ले रही है। मैं समझता हूं पिछले 20 सालों से राजस्थान की सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है, उद्योगपतियों के हाथ में है। यह कहने की बात नहीं है कि स्वयं भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी ने बयान दिया है कि जयपुर उद्योग से आम चुनावों में 7 लाख का कर्जा लिया गया कांग्रेस चुनाव फन्ड के लिये अब इसमें कांग्रेस चुनाव फंड में ढाई लाख जमा हुआ बाकी का खा गये। माननीय सभापति महोदया उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जयनारायण जी ने इस बात को प्रकट किया है कि ढाई लाख सीमेन्ट उद्योग से लिया, शाहू शान्तिप्रसाद के उद्योग, जयपुर उद्योग से लिया गया वह सब चन्दे के रूप में लिया गया पी० सी० सी० में जमा नहीं हुआ। एक वर्ग वह है जो चन्दा दे और दूसरा वर्ग वह है जो उस पैसे के रसगुल्ले खा जाय, आधा पी० सी० सी० में, आधा डी० सी० सी० में, आधा अपनी जेब में। मैं सदन की जानकारी के लिये कहूंगा वह पैसा पी. सी. सी. में जमा नहीं हुआ। कहां गया वह सारा पैसा, इसे ही कहते है आपका समाजवाद? स्व० श्री जयनारायण जी व्यास जो प्रदेश कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, नाथद्वारा के सिलसिले में हलफिया बयान दिया है पी. सी. सी. का सवाल आया तो उसमें जमा नहीं कराये ऐसी कांग्रेस हुकुमत जो पूंजीपतियों से चन्दा लें, पार्टी के लिए लेती है यह बात समझ में आ सकती है। आप तो पूंजीपतियों से उद्योगपतियों से पार्टी चलाने के लिये पैसा लें इतने निम्न स्तर पर जाते हैं। सरकारी नीतियों का नाम लें। चन्दा लेकर आधा पी. सी. सी. में जमा करा दें और आधा ये कांग्रेस के स्वार्थी नेता लोग खा जाये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : बिलकुल गलत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यू० पी० में चन्द्रभानु गुप्त ने खुले रूप से उद्योगपतियों से पार्टी के नाम पर चन्दा लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय श्रम मन्त्री जी कौनसी बात गलत है। व्यास जी ने जो बयान दिये है वह गलत है या सुखाड़िया जो कहते हैं वह गलत है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर :……स्टेटमैन्ट दिया है कि नये आने वाले चुनावों में एक करोड़ इकट्ठा करेंगे वह कहाँ से आयेगा…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बोले कुछ सुनाई नहीं दिया। ऐसा है इलेक्शन पीटिशन चल रही है। ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, बोला नहीं जाता है मैंने जो आरोप लगाये है और राजस्थान की बात कही है मैंने कलकत्ता, बम्बई की बात नहीं कही। मैंने वहां का उदाहरण नहीं दिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की जो हालत है उसके सम्बन्ध में आप कुछ कह सकते हैं तो कहिये और माननीय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्रम मन्त्री जी आपको तो ना करना ही है लेकिन मै आपको उनके बयानों की नकल दिखा दूंगा। आप निश्चित रूप से खुद भी जानकारी करलें जानकारी में ना करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आपकी स्थिति संकट की है। जैसी कांग्रेस की हुकुमत है आप दो रास्ते में भूल रहे हैं एक तरफ समाजवाद और दूसरी तरफ पैसा पड़ा है अब आप इस अन्तर्द्वन्द में भूल रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया जाय। एक रास्ता श्री शिवचरण जी माथुर का है और एक रास्ते पर श्री हरिदेव जो जोशी खडे है। श्री शिवचरण जी पर एक दो बीघा जमीन के आरोप लगे उन्होंने कहा मैं इस्तीफा देता हूं, एन्क्वायरी करा ली जाय इस तरह लोकतन्त्र का रास्ता साफ किया और मन्त्री मण्डल से इस्तीफा देकर चले गये और दूसरा रास्ता श्री हरिदेव जी जोशी का है जिन्होंने सांसी और कंजरों की हजारों एकड़ जमीन खा गये। इस्तीफा देने की बात नही, आरोपों का खन्डन करें, पैसे के पीछे लालायित है। इस तरह दो रास्ते है। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और श्री शिवचरण जी माथुर ने जो प्रशस्त मार्ग अपनाया है, उसको आप भी अपनायें। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद ऐसा रास्ता आप नहीं अपनायेंगे। बेशर्मी से बने हुये हैं आप सोचेंगे आपका अपना सवाल है मैं मजदूरों के इस प्रकरण में बोल गया, आज कुछ कहना नहीं चाहता था, आप कुछ बीच में बोल गये इस लिये कह दिया है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप गम्भीरता से विचार कीजिए। यह आपके बस का नहीं है। आप इन्टरनेशनल कान्फ्रेन्स में हो आये आपने क्या किया राजस्थान में नया काम। श्री नाथूराम जी और श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया आस्ट्रेलिया गये उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो किया लेकिन आपने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि आपका बाहर जाना कुछ ऐसा अपशकुन हुआ है कि रेवेन्यू का पोर्टफोलियो भी चला गया। आप लेबर के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि जब तक लेबर में काम करने वाला आदमी उनके साथ बैठेगा नहीं, उनकी समस्या को समझेगा नहीं तब तक वह लेबर का कुछ भला नहीं कर सकता। एक लेबर के नेता है मोहन पुनिमिया, वह मजदूर क्षेत्र में काम करते हैं। आप मजदूरों की नीतियों के बारे में सफल नहीं होते और इस लिए नहीं होते कि आप उनके साथ काम नहीं कर सकते आप उनके साथ बैठ नहीं सकते, आप उनके साथ बीड़ी नहीं पी सकते शायद गिरधारी लाल जी व्यास तो उनके साथ बैठ कर बीड़ी भी पी लेते हैं, खाकी सोल्जर पी लेते हैं लेकिन आप तो उनके साथ बैठना भी पसन्द नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं माननीय श्रम मन्त्री जी आप मजदूरों के हितैषी बनते हैं आपने कितने सांस्कृतिक कार्य-क्रम किये? आप तो रविन्द्र मंच पर कत्थक और घुंघरू की ध्वनि सुनेगें। कभी आपने सोढ़ाला की बस्ती में भी कोई काम किया है क्या? जो व्यक्ति रामनिवास बाग में मनोरंजन करते रहे, जो घुंघरू की आवाज में स्वयं रहते हैं, जिनका रात और दिन घुंघरू की मधुर ध्वनि और उनकी नोंक झोंक में सारा समय गुजरता रहे, जो सांस्कृतिक कार्य-क्रम में व्यस्त रहें वह कभी मजदूरों की हालत को नहीं सुधार सकता। जो इन्द्रलोक में परियों में विचरता रहे वह नरक-लोक को क्या जाने। आपके पास तो सांस्कृतिक कार्य-क्रम का विभाग, वैराइटी एन्टरटेनमेन्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
का विभाग, लोक कला मण्डल, उदयपुर के देवीलाल सांभर का जैसा विभाग हो सकता है। इस विभाग का काम तो आप यशस्वी रूप से कर सकते हो। इसमें कोई शक नहीं आप उसमें एक रस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। आपको उसमें संकोच नहीं होता मैंने आपको कोई तस्वीर मजदूरों के बीच नहीं देखी है...

श्री मूलचन्द डागा : आप भावुक हो गये हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना): बकरे की मां कब तक खैर मनायेगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे ज्यादा घुंघरू का शौक नहीं है। अगर होता है तो माननीय सदस्य को देखकर पूरा हो जाता है।......

श्री विजयसिंह : आपको (श्री मूलचन्द डागा) मजा आ रहा है क्यों कि बृजसुन्दरजी जायेंगे तो आपका नम्बर आजायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब नहीं बोलेंगे इस बात पर।

तो सभापति महोदया, इस सम्बन्ध में कि राजस्थान की सरकार की श्रम नीति क्या है। इस लिए इन सारी परिस्थितियों में मैंने कुछ बातें यहां पर रखने का अवसर इसलिए उठाया है कि यदि राजस्थान की सरकार सदन में कोई विधेयक प्रस्तुत करती है और करते समय कहती है कि हाईकोर्ट का अमुक फैसला होने पर उसको वेलीडेट करने के लिये हमने यह कानून प्रस्तुत किया है। लेकिन साथ में क्योंकि कानून पेश हो रहा है इफ एन अपॉर्चुनिटी हेज बीन अवेल्ड आफ मूविंग सर्टेन इन्सीडेन्टल अमेन्डमेन्टस उस तरह से सरकार विधेयक प्रस्तुत करती है और करते समय किसी मूल बात के साथ, किसी इन्सीडेन्टल बात के लिये कानून में संशोधन का विधेयक पेश कर देती है इसी प्रकार से मिनिमम वेजेज के सम्बन्ध में विचार प्रगट करते हुये मैंने जो मजदूरों के सम्बन्ध में नीति है, राज्य सरकार की जो श्रम नीति है जिसके लिए मैंने कहा है कि राज्य सरकार की कोई श्रम नीति नहीं है किसी श्रम नीति की आज तक राज्य सरकार ने घोषणा नहीं की है और राजस्थान में मजदूरों का शोषण हो रहा है मुझे तो जानना है और पहचानना है कि हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में ऐसा होता है या नहीं। राजस्थान का लेबर पोर्टफोलियो इसलिए ऐसे ही मन्त्री के हाथ में रहता है पहले तो भीखा भाई जी के पास था और अब बृजसुन्दर जी के पास है। दोनों ही मजदूरों के लिए काम नहीं कर सकते। दोनों ही व्यक्ति ऐसे काम में फँसे रहते हैं कि एक तो हनुमान चालीसा में और एक रवीन्द्र मंच पर। उद्योग में लगे लाखों मजदूर और उनकी अनेक समस्यायें उनकी एजुकेशन की समस्या, उनकी मेडिकल की समस्या, उनके मिनिमम वेजेज के सवाल, चीप ग्रेन के सवाल इन सारे सवालों के लिए जब तक होल टाइम आदमी काम नहीं करेगा तब तक मजदूरों की समस्यायें हल नहीं हो सकती। जब तक उनके अन्दर रहकर उनके साथ काम नहीं किया जायेगा तब तक वह व्यक्ति मजदूरों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति नहीं रख सकता। इसलिए राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया समाजवादी नीति के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को हमेशा श्रम का पोर्टफोलियो दिया है जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि बिल्कुल इनकाम्पीटेन्ट हैं। दूसरे शब्दों का उपयोग करना नहीं चाहता। आपके लिए कम से कम नहीं भीखाभाई के लिए तो यह शब्द हो सकते हैं। वह किस तरह से उनके इशारे पर काम करते हैं। इन्टक के माध्यम से हड़ताल करना, रकार का सख्ती का रुख अपनाना और विरोधियों से बातचीत करना, सौदा पट जाना, हड़ताल का विफल हो जाना यही कारण है कि जैसा इन्टक वा झगड़ा बॉलबेयरिंग कम्पनी में रहा था। क्योंकि आपने हड़ताल कराई, आप हड़ताल कराने वाले, मुख्य मन्त्री जी सौदा करने वाले, वह जेब में से पैसा निकालने वाले। पैसा निकल गया, गले का फंदा निकल गया, मजदूरों का गला घुटा। ऐसा रवैया आपका रहा है राजस्थान में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में सही माने में लेबर मूवमैन्ट का डवलपमैन्ट करना चाहते हैं तो उनको स्वस्थ आधार पर चलाना होगा। लेबर मूवमैन्ट के आधार पर जो सरकार सौदेबाजी करती है, मजदूरों के नामपर व उद्योगपतियों से सौदा करती है, हड़ताल कराती है और सौदे पटाती है यह नीति सरकार की खराब है और मैं ऐसी नीति की निन्दा करता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य की श्रम नीति के सम्बन्ध में, मजदूरों के हितों के लिए इस सरकार की नीतियों का पर्दा फाश कर सकें उतना ही मजदूरों के हित में होगा। मजदूरों के हित में काम करने वाले जो भी सदस्य यहाँ बैठे हैं वह सरकार की नीति का पर्दाफाश करके लाखों मजदूरों के लिए आने वाले समय में उनके वाजिब हकों को दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा उठाये गये हरिजनों के साथ हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्रीमती सभानेत्री : माननीय रामानन्द अग्रवाल ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय दिया है:—

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने राज्य में हाल ही में हरिजनों पर हुई कथित हत्या, मारपीट आदि के सम्बन्ध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 119 के अन्तर्गत प्रस्ताव की सूचना दी थी जिसको आज की कार्यसूची में सम्मिलित किया गया है। सदन में अभी माननीय गृह मन्त्री जी ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि यह प्रस्ताव सामान्य तरीके का है और इसमें कोई विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं किया गया है और जब तक स्पष्ट रूप से इसके अन्दर सम्बद्ध मामलों पर प्रकाश नही डाला जाये तब तक इस पर विचार किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। अतः इस पर पुनर्विचार किया जाये। जो उक्त प्रस्ताव पर पुनः विचार व्यक्त किये हैं और माननीय गृहमन्त्री जी के विचारों को सुनने के बाद मेरा यह अभिमत है कि इस प्रस्ताव पर जिस रूप में कि यह कार्य सूची में सम्मिलित किया गया है विचार नहीं किया जाना चाहिए। अतः वे इस प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। पहले जो अनुमति मेरे द्वारा दी गई थी वह सूचना की प्राइमाफेसी देखकर दी गई थी और जिसके कि सम्बन्ध में कोई भी पुनर्विचार करने का पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, अध्यक्ष महोदय ने इसके अन्दर निर्णय दिया है मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने हमेशा सदन में अध्यक्ष महोदय ने जो भी निर्देश दिये हैं उनका पालन किया है। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रस्ताव पर, जब से मैंने इस सदन में प्रस्तुत किया, जब से कि मैंने आॅफिस में दिया, जिस प्रकार से इसको धक्का देने की कोशिश की गई है, इसको दवाने की कोशिश की गई है। मुख्य मन्त्री ने गृह मन्त्री से कहकर......

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, पॉईन्ट आॅफ आॅर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे इस मोशन को......

श्रीमती सभानेत्री : पॉईन्ट आॅफ आॅर्डर आया है। सुन लीजिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, जब अध्यक्ष महोदय ने इसके सम्बन्ध में निर्णय दे दिया, आपने किसी पर्टीक्यूलर इन्स्टान्स के सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं रखा है। जिस समय हमने शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट को डिस्कस किया था। यह पर्टीक्यूलर इन्स्टान्स को डेफिनेट टर्म्स में लाकर प्रस्ताव रखना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय ने इसको अस्वीकार कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया।

श्रीमती सभानेत्री : पॉईन्ट आॅफ आॅर्डर चल रहा है।

एक माननीय सदस्य : यह पाईन्ट आॅफ आॅर्डर में नहीं आता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसके आधार पर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, इसके सम्बन्ध में रखा जाये।

श्री लादूराम मुलानियां : हरिजनों की हत्याएं हुई हैं। हरिजनों के टुकड़े कर दिये गये हैं। आपको पता नहीं है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : हरिजनों की हत्या हुई है तो लाइये आप उसको।

(भारी शोर-गुल !)

श्रीमती सभानेत्री : आप बीच में क्यों उठते हैं ? आप बाद में कहें।

(भारी शोरगुल-व्यवस्था सूचक घण्टी!)

श्री लादूराम मुलानियां : यह बिल्कुल बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।......

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे पॉईन्ट आॅफ आर्डर को सुना ही नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हरिजनों के बीच में इस सरकार ने कुछ नहीं किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दे दिया है फिर दुबारा कोई निर्णय नहीं हो सकता है।

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल व्यास : कहीं कोई बात हो उसके लिए पर्टीक्यूलर प्रश्न उठाया

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जा सकता है, या आप पर्टीक्यूलर प्रश्न लाते। आपने जनरल बात कही है।

श्री लादूराम सुलानियां : इनको भी रोको साहब, यह कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर है।

(भारी शोरगुल!)

श्री लादूराम सुलानियां : कोई पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

(लगातार शोरगुल!)

श्री जयनारायण सालोदिया : सारा हाउस का टाइम खराब करते हैं।

(पुनः शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, पहली दफा···

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य मेरी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो यह कैसे चल सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने जब यह मोशन दिया था, अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय देकर···

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदया, मेरा पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर है।

(भारी शोरगुल! अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानियां : आज भी भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर सारे क्षेत्रों में हरिजनों पर अत्याचार होता है। उनको पानी नहीं भरने दिया जाता है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया जाये। निर्णय नहीं हो और आप भाषण देने लग जायें। आप को व्यवस्था कायम करनी चाहिए।

श्री लादूराम सुलानियां : हरिजनों पर अत्याचार हुआ है। मैं आप को कहूंगा इस सरकार को पता नहीं है।

(भारी शोरगुल!)

श्री जयनारायण सालोदिया : शेम!-शेम!।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभानेत्री महोदया, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब यह रिपोर्ट बहस हो रही थी, उस वक्त मैंने कहा था कि इसके साथ यह डिस्कस कर दी जाये तो हाउस का ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय उन्होंने यह कहा कि यह रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग से सम्बन्ध रखती है और यह मोशन गृह विभाग से सम्बन्ध रखता है। इसलिये उन्होंने अलग समय निर्धारित···

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे पॉईन्ट ऑफ ऑर्डर पर निर्णय तो होने दीजिए।

(भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य!)

श्री मूलचन्द डागा : मैं निवेदन करना चाहता हूं···

(शोरगुल, अश्रव्य!)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे पहले यह वता दीजिए, क्या गवर्नमेन्ट ने आप को आदेश दे दिया है, जैसा कि पहले भी आसन छोड़ कर भागे हैं, अब की बार भी ऐसा ही करना चाहते हैं ? (भारी शोरगुल!)

श्री जयनारायण सालोदिया : आप भागना चाहते हैं तो भागिये। पहले भी यह सरकार हरिजनों के सवाल पर ही भागी थी। (भारी शोरगुल!) यह भगोड़ी सरकार फिर इस विषय पर भागना चाहती है।

(भारी शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य!)

श्रीमती सभानेत्री : यदि आप व्यवस्था नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करती हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4 बजे कर 57 मिनट पर कल मंगलवार, दिनांक 17-9-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 460 की सूची)

पंचायत समिति, खंडार के सरपंचों के विरुद्ध खयानत अथवा रकम के दुरुपयोग के मामलों की सूची।

क्रमांक	नाम	पंचायत	दुरुपयोग या खयानत की गई राशि	वसूली	विशेष विवरण
1.	श्री कंवरलाल	फलोदी	2,674)	रकम वसूल की गई	राशि का दुरुपयोग प्रमाणित होने से धारा 409 का मामला चलाया गया 1 वर्ष कैद व 500) रु० जुर्माना का दण्ड दिया गया। सरपंच के विरुद्ध धारा 17 (4) के अन्तर्गत फाइन्डिंग दी गई।
2.	श्री भंवरसिंह	बयारदा कलां	3254.80	आरोप प्रमाणित होने पर वसूली की जायगी।	अभी पुलिस तथा विभागीय जांच चल रही है।
3.	श्री केशवदेव	बिचपुड़ी	1000.00	प्रारम्भिक जांच से खयानत करना पाया गया वसूली की कार्यवाही की जा रही है।	पुलिस जांच कर रही है व विभागीय जांच भी चल रही है।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 263 की सूची)

राजस्थान सरकार

राजस्व (ख) विभाग

[आदेश]

जयपुर, जून 7, 1968

संख्या एफ. (9) राज. (ख). 64:—राजस्व विभाग के आदेश संख्या एफ. 6 (9) रेव. (बी०) 64, दिनांक 11-2-66 तथा दिनांक 26-4-66 जिसके द्वारा यह विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी कि 1 अप्रेल, 1966 से भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक जिनके पास भूमि है, वह नियमानुसार सीलिंग से अधिक भूमि अपने कब्जे में नहीं रखेंगे, के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल जिन किसानों के कब्जे में 90 स्टैन्डर्ड से अधिक भूमि निर्धारित तिथि को है, उस भूमि का तत्काल अधिग्रहण किया जावे।

आज्ञा से,
शिवराम जैन,
उप-राजस्व सचिव।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :—

1. निबन्धक, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
2. सचिव, राजस्व मंडल (भू-संग्रह), राजस्थान, अजमेर।
3. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिलाधीश।
6. संचालय, जन-संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।

ह०
सहायक राजस्व सचिव।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. सचिव, मुख्य मंत्री।

293] परिशिष्ट

2. निजी-सचिव, राजस्व मंत्री । उप-मंत्री राजस्व ।

3. समस्त विभाग सचिवालय ।

4. निजी सहायक, मुख्य सचिव ।

5. निजी सहायक, राजस्व सचिव ।

6. उप-सचिव, राजस्व ।

7. उप-सचिव, राजस्व (भूमि सुधार)

8. विशेषाधिकारी, राजस्व ।

9. मंत्री मण्डल सचिवालय, उनके मंत्री मण्डल की आज्ञा सं० 159/68, दिनांक 28/29 मई, 1968 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।

10. समस्त सम्बन्धित लिपिक ।

11. शाखाधिकारी, राजस्व (ख) विभाग

ह०
सहायक राजस्व सचिव ।

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 135 की सूची)

विधान सभा प्रश्न संख्या 106 आर० एफ० द्वारा श्री भैरोंसिंह ।

नाम तहसील	वर्ष 1965 भूमि प्राप्त	1966 भूमि प्राप्त	1967 भूमि प्राप्त	1968 भूमि प्राप्त	भूमि एकड़ में
बाड़मेर	3,029	10,584	6,829	725	
चोहटन	—	1,16,877	8,448	—	
शिव	8,232	11,997	1,06,661	16,748	
सांचोर	—	—	बीघा 2,661)15 बिस्वा	—	
जैसलमेर	—	—	—	5,311	
पोकरण	—	—	—	1,884	

भूमि आवंटन

तहसील	1965	1966	1967	1968
बाड़मेर	730	9,187	2,757	303 एकड़
चोहटन	—	44,284	73,399	— ,,
शिव	—	14,263	15,713	14,575 ,,

परिशिष्ट

(तारांकित प्रश्न

श्री चेनाराम, प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना के विरुद्ध

क्रम सं०	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	शिकायत का संक्षिप्त विवरण
1	2	3
1.	28-9-62	विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार तथा अनियमित कार्य करना।
2.	3-10-62	,, ,, ,,
3.	1-12-62	विकास अधिकारी व स्टॉफ के साथ अभद्र व्यवहार, कोष का दुरुपयोग, अनियमित कार्यवाही तथा अनाधिकृत कार्य।
4.	7-1-63	सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार तथा मनमानी कार्यवाही करना।
5.	7-1-63	नियमों के विरुद्ध मनमाना कार्य करना।
6.	11-1-63	विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार।
7.	1-2-63	,, ,, ,,
8.	19-2-63	मनमानी कार्यवाही तथा अभद्र व्यवहार।
9.	17-7-63	,, ,, ,,
10.	15-9-63	मारपीट करना, स्टाफ को धमकी देना, अथवा अभद्र व्यवहार करना।
11.	14-10-65	,, ,, ,, ,,

4 "अ"

संख्या 133 की सूची)

प्राप्त शिकायतों की सूची तथा कार्यवाही का विवरण

अंतरिम कार्यवाही का संक्षिप्त उल्लेख	विशेष विवरण
4	5
19-11-62 को जिलाधीश, नागौर को जांच के निर्देश दिए गये ।	प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन 28-1-63 तथा 15-4-63 को प्राप्त हुआ ।
,, ,, ,,	श्री चेनाराम को 30-5-63 को आरोप-पत्र दिया गया ।
11-1-63 ,, ,,	9-11-63 को विभागीय जांच के आदेश दिए व जिलाधीश, नागौर जांच अधिकारी नियुक्त किए गये ।
— — —	
— — —	
28-1-63 ,, ,,	9-1-64 विकास आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किए । जांच प्रतिवेदन 18-11-65 को प्राप्त हुआ ।
28-2-63 ,, ,,	श्री चेनाराम को 8-4-66 को अन्तिम नोटिस
,, ,,	दिया गया । 13-5-66 को स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ ।
28-2-63 ,, ,,	25-4-67 को जिला परिषद से सम्मति मांगी गई परन्तु प्राप्त नहीं हुई क्योंकि निर्धारित अवधि में बैठक नहीं हुई ।
9-1-64 ,, ,,	अब यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।
19-10-65 ,, ,,	— — — —

1	2	3
12.	15-4-65	सीमेन्ट वितरण में पक्षपात
13.	19-5-65	अनुदान राशि नहीं देना
14.	22-9-65	कोष का दुरुपयोग व अनियमित कार्यवाही करना
15.	11-10-65	,, ,, ,,
16.	13-1-66	कोष का दुरुपयोग, अनाधिकार कार्यवाही, पक्षपात तथा अभद्र व्यवहार करना।
17.	28-3-66	,, ,, ,,
18.	17-8-67	कृषि प्रसार अधिकारी के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार।

4	5
24-4-65 को जांच के लिये जिलाधीश को निर्देश दिये गये ।	क्रम 12 से 17 तक की शिकायतों में ऐसे भी आरोप थे कि जो सन् 1962-63 में प्रस्तुत आवेदन-पत्रों में अंकित थे और उनकी जांच विकास आयुक्त द्वारा करली गई ।
30-6-65 ,, ,, ,,	
11-10-65 ,, ,, ,,	
18-10-65 ,, ,, ,,	इन आवेदन-पत्रों में कुछ नये आरोप थे परन्तु शिकायत करने वाले सूचना देने पर भी जांच के लिये उपस्थित नहीं हुए ।
14-2-66 ,, ,, ,,	
19-4-66 ,, ,, ,,	
24-8-67 ,, ,, ,,	प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन 10-1-68 को प्राप्त हुआ । श्री चेनाराम को 8-2-68 को आरोप-पत्र दिया । 19-4-68 को जिलाधीश जांच अधिकारी नियुक्त किये गये । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही होगी ।

परिशिष्ट
"ब"

श्री चेनाराम, प्रधान, पंचायत समिति, डीडवाना के विरुद्ध पुलिस द्वारा चालान की स्वीकृति जिस मामले में मांगी गई उसका विवरण ।

मामले का विवरण जिसमें पुलिस ने चालान की स्वीकृति मांगी है ।	पत्र का दिनांक जिसके द्वारा स्वीकृति मांगी गई ।	स्वीकृति का विवरण
16-2-60 को धोखा देकर जबरन श्री बेगाराम निवासी अनेसरिया से 1100) रु० प्राप्त किये (धारा 420, 384, भा० दण्ड संहिता)	11-10-65	30-3-67 स्वीकृति दी गई ।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

ग्राम पचुण्डल में भूमि का एलॉटमेंन्ट

461 श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1966-67 में तहसील चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, शादी के ग्राम पचुण्डल तथा इसके पड़ौस के ग्रामों में भूमि एलॉट हुई ? यदि हां, तो कितनी भूमि किन-किन किसानों को एलॉट की गई ?

(2) क्या यह सही है कि इस एलॉटमेन्ट शुदा भूमि को अभी तक किसानों के सुपुर्द नहीं की गई है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस एलॉट शुदा भूमि पर पेड़ खड़े थे जिसे कटवाने के लिये तहसील चित्तौड़गढ़ द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका दिया था ? यदि हां, तो क्या ठेकेदार द्वारा वह पेड़ काट लिये गये हैं ? यदि नहीं काटे हैं तो अब तक उसने क्यों नहीं काटे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इस एलॉट शुदा भूमि पर जो पेड़ खड़े थे उसमें से कुछ एलॉटी किसानों ने स्वयं पेड़ काटकर काश्त की है ? क्या उन किसानों पर तहसील द्वारा मुकदमे चलाकर जुर्माने किये हैं व सजाए हुई हैं ? यदि हां, तो वे कौन किसान हैं जिन पर जुर्माना व सजा हुई और तहसीलदार द्वारा ऐसा क्यों किया गया ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बारां के घास के मामले की जांच

462. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बारां जंगलात विभाग के सन् 63-64 के घास कान्ड में सम्मिलित अधिकारियों की जांच संयुक्त रूप से किये जाने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस घास काण्ड के मुख्य अपराधी श्री ओमप्रकाश पारीक, डी. एफ. ओ. के विरुद्ध अलग से जांच करने के आदेश हुए हैं ? यदि हाँ, तो किस तारीख को व किस नियम के अन्तर्गत यह आदेश जारी किया गया ?

(3) क्या श्री ओमप्रकाश पारीक, डी. एफ. ओ. का नाम आई. एफ. एस. के फार्म में जांच सम्बन्धित कोई रिमार्क लिखा गया है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री ओम प्रकाश पारीक डी. एफ. ओ. के. आई. एफ. एस. के फार्म में उसके द्वारा कथित बलात्कार के मामले की चल रही अपीलों के सम्बन्ध में कोई रिमार्क लगाया गया था ? यदि नहीं, तो किस कारण से नहीं लगाया गया ?

उत्तर

(1) जी हां, आदेश दिनांक 9-5-67 को दिया गया था प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(वन मंत्री)

(2) जी नहीं । श्री पारीक से राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासीफिकेशन कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स की धारा 17 के अन्तर्गत दिनांक 15-5-67 को स्पष्टीकरण मांगा गया था । उनके स्पष्टीकरण को सम्बन्धित रेकार्ड से जांचने पर वे निर्दोष पाये गये ।

(3) जी हां । जांच सम्बन्धित रिमार्क लिखा गया है ।

(4) जी नहीं । श्री ओमप्रकाश पारीक पर ऐसी कोई अपील जेरकार नहीं दी ।

SECRET

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (A) DEPARTMENT

From:—

The Dy. Secretary to Government,
Revenue (A) Department,
Rajasthan, Jaipur.

To,

Shri G. K. Bora,
Chief Conservator of Forests,
Rajasthan, Jaipur.

No. F. 7 (155) Rev./A/64 Dated:—9-5-67

Sub:—Complaints against the Officials of the Baran Forest Division by Shri Dev Dutt.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F. 11 (50)/64 Estt./C.C.F./1020, dated the 6th January, 1967 and to say that the matter has been reconsidered and it has been decided to institute a separate enquiry against Shri O. P. Pareek, Dy. Conservator of Forests, for supervisory negligence.

On going through the record it has been found that Shri B. M. Agrawal is directly involved and, therefore, a joint enquiry against him along with Accountant and two Clerks is required to be instituted. Therefore, it becomes necessary to withdraw the charge sheet served on the Clerks by you without prejudice to further action. In their cases too, the statement of charges alongwith the statement of allegations may also be prepared and furnished to this Department so that the joint enquiry could be instituted by the Appointment Department.

An early action will be much appreciated.

Yours faithfully,
Sd/-
(Sheo Ram Jain)
Deputy Secretary to Govt.

अनधिकृत कब्जों के नियमन सम्बन्धी मामलों पर रोक

463. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व विभाग की विज्ञप्ति नवम्बर सन् 67 में जो भूमि के अनधिकृत कब्जों के नियमन सम्बन्धी मामलों के लिये जारी की गई है उसमें एक करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत की इन्डस्ट्री को दस मील की परिधि के अन्तर्गत नियमन पर रोक लगाने से राज्य सरकार का क्या प्रयोजन है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर एक सौ घरों की आबादी वाले ग्राम मुड़रेड़ा (तहसील सवाई-माधोपुर) के क्षेत्र में स्थापित है और यह एक करोड़ से अधिक लागत से स्थापित इण्डस्ट्री है ?

(3) इस सीमेन्ट फैक्ट्री के कारण राज्य सरकार की उक्त विज्ञप्ति के कारण तहसील सवाई माधोपुर एवं खण्डार के कितने गांव में नियमन नहीं किया जा सका है ?

(4) राज्य सरकार इस रोक को हटाने के लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 10 मील की परिधि अधिक होने से अब एक एक करोड़ अथवा इससे अधिक लागत के उद्योग के एक मील की परिधि में ही अनधिकृत कब्जों का नियमन किया जाता है। संशोधन परिपत्र एफ० 3 (50) राज/ख/64, दिनांक 28-10-67 को जारी हुआ यह रोक योजनाबद्ध विकास हो सके, इस कारण लगाई गई है।

(2) जी नहीं। केवल 11 बीघा 14 विस्वा रकबे में होकर सीमेन्ट फैक्ट्री की रेल्वे लाईन निकली है। यह एक करोड़ से अधिक की लागत की फैक्ट्री है।

(3) इस फैक्ट्री के कारण उक्त विज्ञप्ति के अनुसरण में तहसील सवाई माधोपुर के 29 ग्राम में नियमन नहीं किया गया।

(4) 28-10-67 को जारी किये गये संशोधन द्वारा लगाई गई एक मील की रोक वाजिब है।

मोठ को निकासी

464. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अक्तूबर, 1967 में राजस्थान से बाहर मोठ की निकासी 10 रु. प्रति क्विन्टल प्रशासनिक व्यय लेकर परमिट द्वारा करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो यह निर्णय किस ने लिया था, मंत्रिमण्डल ने, मुख्य मन्त्री अथवा खाद्य विभाग ने ? तथा यह निर्णय कौनसी तारीख को लिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि निर्णय की सूचना विभिन्न जिलाधीशों को वायरलेस द्वारा दि. 7-10-67 को शनिवार को लगभग 10-30 बजे सुबह दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि फर्म मुरलीधर बसन्तीलाल सादुलपुर, जिला चूरू ने इसी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तारीख को जयपुर ट्रेजरी में 1.20 लाख रुपया जमा कराकर 10,200 क्वि. मोठ की निकासी के लिए राज्य के विभिन्न स्टेशनों से ले जाने के परमिट हासिल किये ?

(4) यदि हां, तो ये परमिट किस अधिकारी ने जारी किये और कौन-कौन से स्टेशन के लिए जारी किये ? कृपया परमिट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान के दूसरे किसी जिले में भी सिवाय फर्म मुरलीधर बसन्तीलाल के मोठ की निकासी के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में 10 रु. क्वि. के हिसाब से 7-10-67 को कोई रुपया जमा नहीं हुआ ? यदि किसी भी स्थान पर मोठ की निकासी के लिए किसी ने भी इस तारीख में रुपया जमा कराया हो तो उस स्थान, पार्टी और रकम का विवरण देने का कष्ट करें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निकासी के आदेश करने पर मोठ के भाव 80रु. क्वि. से 120 रु. क्वि. 9-10-67 को हो गये थे ?

(7) क्या यह सही है कि फर्म मुरलीधर बसन्तीलाल को मोठ की निकासी करने के सरकारी निर्णय की पहले से जानकारी मिल गई थी ?

(8) क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई है यदि हां, तो किसके द्वारा और उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार अब इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने के लिये तैयार है ?

उत्तर

(1) जी हां, यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 6-10-67 को लिया गया।

(2) जी हां। अन्य जिलों को वायरलैस मैसेज द्वारा सूचना भेजी गई तथा जिलाधीश जयपुर को डाकवाहक द्वारा सूचना भेजी गई। सूचना भेजने का समय 10 से 10-30 बजे के बीच था।

(3) जी हां, फर्म ने रुपये जयपुर ट्रेजरी में जमा नहीं कराये थे, परन्तु स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में जमा करा कर पे आर्डर विभाग में पेश किये थे।

(4) यह परमिट अतिरिक्त सहायता आयुक्त एवं उप-शासन सचिव, जयपुर ने जारी किए थे स्टेशन की सूची, परमिट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखदी गई है।

(5) जी हां।

(6) मोठ के भाव निकासी खोलने पर बढ अवश्य गये थे। परन्तु तारीख 9 व 10 को 80) रु० से 86) रु० प्रति क्वि० के भाव थे।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां, सहायता विभाग के एक अधिकारी द्वारा इसकी जांच कराई गई और उसका परिणाम यह निकला कि फर्म मुरलीधर, बसन्ती लाल को मोठ की निकासी के लिये निर्णय की जानकारी पहले से नहीं मिली थी। आगे जांच करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

परिशिष्ट

राजस्थान सरकार

सहायता विभाग

राजस्थान कैटल फोडर (सेल ऑफ स्टाक्स व प्रोहिबीशन ऑफ एक्सपोर्ट) आर्डर, 1966 के क्लॉज 4 के अन्तर्गत जारी।

मैसर्स मुरलीधर, बसन्तीलाल, सादुलपुर (राज०) ने रु० 1,01,200) (अंकेन रु० एक लाख बारह सौ) दस रु० प्रति क्वि० के हिसाब से 10.120 क्वि० मोठ के निर्यात हेतु जमा करा दिये हैं। अतः एतद्द्वारा उपरोक्त को नीचे लिखे अनुसार मोठ निर्यात करने को अधिकृत किया जाता है ;-

क्र० सं०	स्टेशन का नाम जहां से भेजा जावेगा	स्टेशन का नाम जहां जायगा	तादाद क्वि० में
1.	जयपुर	दिल्ली	900
2.	जोधपुर	बम्बई	900
3.	बीकानेर	दिल्ली	480
4.	रतनगढ़	देहली	1,120
5.	नोखा	देहली	1,280
6.	सादुलपुर	देहली	160
7.	सरदारशहर	देहली	1,280
8.	राजलदेसर	देहली	640
9.	श्री डूंगरगढ़ से मोठ की दाल	देहली	160
10.	सीकर	हावड़ा	800
11.	नागौर	अहमदाबाद	800
12.	मेड़ता	अहमदाबाद	160
13.	सूरतगढ़	देहली	160
14.	सुजानगढ़	देहली	480
15.	भादरा	अहमदाबाद	320
16	नोहर	देहली	320
17.	ब्यावर से मोंठ की दाल	देहली	160

ह०

अतिरिक्त सहायता आयुक्त एवं उप-शासन सचिव।

संख्या 29397-29456 दिनांक 7-10-67

प्रतिलिपि सूचनार्थ:—

(1) चीफ कॉमरशियल सुपरिन्टेंडेन्ट, उत्तरी/पश्चिमी रेल्वे, बम्बई, न्यू देहली ।

(2) डिविजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट, उत्तरी/पश्चिमी रेल्वे, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर ।

(3) जिलाधीश, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, नागौर, गंगानगर व अजमेर ।

(4) तहसीलदार, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, रतनगढ़, नोखा, राजगढ़, सरदारशहर, राजलदेसर, श्रीडूंगरगढ़, सीकर, नागौर, मेड़ता, सूरतगढ़, सुजानगढ़, भादरा, नौहर, ब्यावर स्टेशन मास्टर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, रतनगढ़, नोखा, सादुलपुर, सरदारशहर, राजलदेसर, श्रीडूंगरगढ़, सीकर, नागौर, मेड़ता, सूरतगढ़, सुजानगढ़, भादरा, नौहर, ब्यावर ।

(5) दी सुपरिटेन्डेन्ट ऑफ पुलिस, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, नागौर व अजमेर ।

(6) दी डिविजनल कोआॅपरेटिंग सुपरिटेन्डेन्ट, उत्तरी / पश्चिमी रेल्वे, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर ।

(7) मैसर्स मुरलीधर बसन्तीलाल, सादुलपुर (राजस्थान)

ह०
अतिरिक्त सहायता आयुक्त एवं उप-शासन सचिव,

———

ग्राम पंचायत पांचू की सीमा की पैमाइश

465. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोखा, जिला बीकानेर की ग्राम पंचायत पांचू की सीमा की पैमाइश अभी तक नहीं की गई है ? यदि हां, तो पैमाइश कब तक करोदी जायेगी और पिछली पैमाइश किस सन् में की गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पांचू की सीमा का मूल नक्शा व मूल रिकार्ड किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी के इशारे पर जला दिया गया है ? यदि हां, तो नक्शा किस तारीख को जलाया गया है ? यदि नहीं, तो मूल नक्शा सदन की मेज पर रखें।

(3) ग्राम पांचू की सीमा में आराजी भूमि कितने बीघा इस वक्त मौजूद खाली पड़ी है ?

(4) क्या यह सही है कि पांचू की आराजी भूमि अलॉट करने के सम्बन्ध में सन् 1967 में माह जून से माह अगस्त, 1968 तक कितनी मीटिंग बुलाई गई और जिनमें कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई तथा किस किस मीटिंग में कितनी कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(5) ग्राम पांचू से भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने भूमिहीनों के कितने फौजियों के व कितने पिछड़ी जाति के भूमिहीन किसानों के प्राप्त हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि इस भूमि के आवंटन को रोकने के लिये सन् 1967 में सरकार ने कोई आदेश दिये थे ? यदि हां, तो ये आदेश किस तारीख से किस तारीख के लिए दिये गये ?

उत्तर

(1) जी, हां। सैटलमेंट विभाग को तहसील नोखा के ग्राम पांचू की पैमाइश कराने के लिये लिख दिया है और शीघ्र ही पैमाइश कराई जावेगी।

तहसील नोखा के ग्राम पांचू की पैमाइश पिछली बार सन् 1882 में हुई थी।

(2) जी, नहीं। ग्राम पांचू के दो नक्शे हैं जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में तहसील नोखा में मौजूद है।

(3) ग्राम पांचू में इस समय 5067 एकड़ भूमि खाली पड़ी है।

(4) ग्राम पांचू की आराजी भूमि के आवंटन हेतु जो मीटिंग बुलाई गई उसके विवरण की सूचि (क) संलग्न है :

(5) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) तहसील नोखा की आराजी भूमि के आवंटन को रोकने हेतु दिनांक 22-5-67 को आदेश दिया गया था जिसे पुनः दिनांक 9-8-67 को निरस्त कर दिया गया।

सूची— (क)

बैठक बुलाई	बैठक हुई	भूमि एलॉट
1-1-67	—	नहीं
8-9-67	8-9-67	"
2-1-68	—	"
19-6-68	—	"
20-6-68	—	"
30-6-68	—	"
10-7-68	11-7-68	"
22-7-68	—	"
23-7-68	23-7-68	"
9-8-68	9-8-68	"

सूची— (ख)

प्रश्न संख्या 128 : रा०पं० द्वारा श्री चुन्नीलाल चुन्दलिया, सदस्य विधान सभा, के भाग-5 की सूची

सन्	प्रार्थना-पत्र जो प्राप्त हुये, उनकी संख्या				
	भूमिहीन	माफी	पिछड़ी जाति	अन्य	कुल
1967	65	—	27	—	92
1968	132	3	145	175	455

कामां-पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में लिक ड्रेन की स्वीकृति

466. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धोलेट ड्रेन से कामां, पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में लिंक ड्रेन मिलाने की मंजूरी हो गई है ? यदि हां, तो कब हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ड्रेन का ठेका हो चुका है? यदि हां, तो कब और किस ठेकेदार को दिया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ठेकेदार ने काम शुरु किया था ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि वह काम शुरु करके ही छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त लिंक ड्रेन का निर्माण न होने के कारण घाटमीका धोलेट' और कनवाड़ी ग्रामों की 2 हजार बीघा कृषि भूमि सन् 58 से आज तक डूब में चली आ रही है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह आवश्यकता महसूस करती है कि उक्त लिंक ड्रेन को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जावे ? यदि हां, तो कब तक करा दी जावेगी ।

उत्तर

(1) जी हां, 1 अक्तूबर, 1967 में ।

(2) जी हां, दिनांक 1-10-67 को मैसर्स देवकीनन्दन ब्रह्मानन्द साकिन नगर को ।

(3) जी हां, दिनांक 30-11-67 को ।

(4) जी हां, जमीन पर फसल खड़ी होने के कारण ।

(5) जी नहीं केवल धोलेट तथा नांगल ग्रामों की भूमि सन् 63-64 से डूब में रही लगभग 200 बीघा से 400 बीघा तक । कार्य को फिर से चालू करने का प्रबन्ध किया जा रहा है ।

एनफोर्समैंट का स्टॉफ

467. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एनफोर्समैंट का जितना स्टॉफ सरकारी नियंत्रण और लेवी के कारण लगाया गया था वह अब वस्तुओं पर से सरकारी नियंत्रण कम होने व लेवी न होने के कारण इतना आवश्यक नहीं है ?

(2) क्या सरकार इस स्टाफ में कमी कर इस विभाग में लगे कर्मचारियों को अन्यत्र लगाने का उपाय सोच रही है ?

उत्तर

(1) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गांव ताणा में भूमि का आवंटन

468. श्री शंकरलाल (कपासन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव ताणा, तहसील कपासन में करीब 86 भूमिहीन

(श्री शंकरलाल)
व्यक्तियों को भूमि आवंटन 1962 में की गई थी ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उन सब को कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है और किन किन को नहीं और क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी नहीं । केवल 34 व्यक्तियों को सन् 1962 में भूमि आवंटन की गई थी । जब गांव ताणा तहसील, भूपालसागर में था । सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(2) जी नहीं । केवल 13 आदमियों को कब्जा दिया गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । गांव कपासन 1963 में बड़गांव प्रोजेक्ट में कोलोनी घोषित हो जाने से बाकी लोगों को कब्जा नहीं दिया गया ।

———

फहरिस्त अलॉटमैन्ट सन् 1962 मौजा ताणा या जो तहसील भूपालसागर द्वारा हुआ तहसील कार्यालय कपासन दिनांक 31-8-1968

क्रम सं०	नाम गांव	आसामियान का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5
		कब्जा नहीं दिया गया		
1.	ताणा	श्री कुंकु वेवा गिरधारी कुमार	—	3 बीघा
2.	,,	श्री जमालशाह पिता चंचलशाह	—	4 ,,
3.	गुजरों की मागल	श्री मोहन पिता खुमा कलाल	—	3 ,,
4.	ताणा	श्री रामसिंह पिता माधुसिंह राजपूत	—	5 ,,
5.	,,	श्री फूलचन्द पिता चुनीलाल घुमड़	—	3 ,,
6.	,,	श्री गणेश पिता कजोड़ खटीक	—	3 ,,
7.	,,	श्री नगजीराम पिता चुनीलाल घुमड़	—	5 ,,
8.	,,	श्री रहीमबक्स जमाल मुसलमान	—	3 ,,
9.	,,	श्री केला भील	—	5 ,,
10.	,,	श्री जोधसिंह राजपूत	—	15 ,,
11.	,,	श्री भारमल पिता फूलचन्द कलाल	—	5 ,,
12.	,,	श्री गोरीशंकर ब्राह्मण	—	10 ,,
13.	,,	श्री राज श्री ताणा	—	5 ,,
14.	,,	श्री शंकरसिंह लक्ष्मणसिंह	—	5 ,,
15.	,,	श्री सुभाण पिता कराना चमार	—	5 ,,
16.	,,	श्री हीरा पिता उदा चमार	—	5 ,,
17.	,,	श्री मूलचन्द पिता चुनीलाल घुमड़	—	3 ,,
18.	,,	श्री जमालशाह पिता चंचलशाह फकीर	—	4 ,,
19.	,,	श्री सुभाण पिता हीरा खटीक	—	2 ,,
20.	,,	श्री केला भील	—	5 ,,
21.	,,	श्री मीठूलाल	—	5 ,,
			योग	103 बीघा
		कब्जा जो दिया जा चुका है		
22.	,,	श्री खेमा पिता कसना कुमार	—	5 बीघा
23.	,,	श्री मोतीलाल पिता शोभालाल सुनार	—	2॥ ,,
24.	,,	श्री लक्ष्मीलाल पिता मोतीलाल महाजन	—	5 ,,

Page No. 168

1	2	3	4	5
25.	,,	श्री रामचन्द्र पिता हीरालाल सुनार	—	2 बीघा
26.	,,	श्री रतनलाल पिता हीरालाल सुनार	—	2 ,,
27.	,,	श्री खेमा पिता गोकल चमार	—	5 ,,
28.	,,	श्री सोहनलाल पिता हीरालाल सुनार	—	2 ,,
29.	,,	श्री रंगलाल पिता मोतीलाल महाजन	—	3 ,,
30.	,,	श्री फूलचन्द पिता हीरालाल महाजन	—	4। ,,
31.	गुजरों की भागल	श्री बाला जी फतागुजर	—	—
32.	गिलूण्ड	श्री रूपा पिता जैना कुमावत	—	5 ,,
33.	,,	श्री जीवाराम पिता फूलचन्द महाजन	—	5 ,,
34.	ताणा	श्री मोहनलाल पिता हीरालाल सुनार	—	2 ,,
			योग	42।।। बीघा

अवैध शराब के मुकदमें

469. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार-शहर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(1) जिन जिन जिलों में मद्य निषेध लागू कर दिया गया है उनमें लागू करने के बाद कितने अवैध शराब के मुकदमे किस-किस डिस्ट्रिक्ट में दर्ज हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी लागू करने से कितने करोड़ रुपये का घाटा सरकार का होगा ? और क्या वह घाटा किसी दीगर तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है ?

(3) राजस्थान में कितने मर्द और औरत शराब पीते हैं ? बताने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) राजस्थान में पूर्ण नशाबन्दी से लगभग आठ करोड़ की आय में क्षति होने का अनुमान है । इतना घाटा अन्य कर लगा कर पूरा करना संभव नहीं है ।

(3) विभाग में ये आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

323]

परिशिष्ट

मद्य निषेध क्षेत्र में अवैध शराब के जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी सूची

क्र० सं०	नाम जिला	अवैध शराब के मुकदमों की संख्या
1	2	3
1.	बांसवाड़ा	139
2.	डूंगरपुर	26
3.	उदयपुर जिले की खैरवाड़ा झाड़ोल व कोटड़ा तहसील	107
4.	सिरोही	30
5.	जालौर	8
	योग:	310 (तीन सौ दस मुकदमे)

पंचायतों को काबिल काश्त भूमि देने की योजना

470. श्री बीरबल (संगरिया सु०) : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान नहर क्षेत्र में भी प्रत्येक पंचायत को भूमि काबिल काश्त देने की मंशा सरकार की है ?

(2) अगर हां, तो राजस्थान नहर परियोजना भूमि आवंटन नियम, 1967 में पंचायत को कृषि के लिए भूमि आवंटन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है ?

(3) क्या भूल से उपरोक्त नियमों में पंचायत को भूमि काश्त हेतु मिलने का प्रावधान रह गया है ?

(4) अगर हां, तो उक्त नियमों में दुरुस्ती इस हेतु कब की जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

गांव दिवाणदी में भूमि का आवंटन

471. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव दिवाणदी, तहसील पाली में सन् 1964 से अब तक किन किन को कितनी कितनी भूमि कहां कहां पर कब कब आवंटन की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सत्य है कि गांव दिवाणदी में बेरा गोगुन्दा एलॉट कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और किन किन को और किस साल में ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि एलॉटमेन्ट गलत हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार गलत एलॉटमेन्ट करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्राम कैथून में भूमि पर अनधिकृत कब्जे

472. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या उप-निवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाडपुरा का ग्राम कैथून कोलोनाइजेशन एरिया में आता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम कैथून की आबादी भूमि बेचने का अधिकार कोलोनाइजेशन को है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मोटर स्टैन्ड पर अनधिकृत कब्जा करने पर कमरा नं० 34 द्वारा कोर्ट से संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया एवं अनधिकृत कब्जा हटाने का आदेश हुआ है ?

(4) यदि हां, तो पंचायत द्वारा बेचान करने पर पंचायत के खिलाफ अथवा

(श्री बृजबल्लभ बोहरा)
जिन्होने नाजायज कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) दौराने तहकीकात किसी भी अतिक्रमणकारी द्वारा पंचायत द्वारा बेचान का प्रमाण पेश नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में पंचायत के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता नहीं हुई। धारा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू के अन्तर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

बानसूर तहसील में सैटिलमेन्ट कार्य

473. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील में मौजूदा सैटिलमेन्ट कब से शुरु हुआ और कब समाप्त हुआ ?

(2) इस सैटिलमेन्ट के इन्दराजात के खिलाफ कितने अर्से में कितने ऐतराजात पेश किये गये, उनमें से कितने का फैसला हुआ और कितने जेर तजवीज हैं व कितने मामलों की अपीलें चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि सैटिलमेन्ट में अब भी बहुत गलतियां बाकी हैं ? यदि हां, तो इनकी दुरुस्ती के लिये सरकार क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(4) क्या अलवर तहसील में सैटिलमेन्ट समाप्त हो जाने पर बहुत सी गलतियां रह गई थीं और उसकी दुरुस्ती के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील का पुनः बन्दोबस्त दिसम्बर, 1956 में शुरु हुआ और 4 जोलाई, 1968 को समाप्त हुआ।

(2) तहसील बानसूर का कार्य भू-अभिलेख मार्च, 1962 में समाप्त हुआ था। अतः मार्च, 1962 से 3 जुलाई, 1968 तक 4,762 उजरदारियां पेश हुई, और 4,166 फैसले हुए। 596 शेष उजरदारियां उप-जिलाधीश, बहरोड़ के यहा स्थानान्तरित की गई। 23 मामलों की अपील चल रही हैं।

(3) यह सही नहीं है।

(4) जी हां, इसकी दुरुस्ती के लिये विशेष व्यवस्था की गई थी।

पंचायत समिति, मनोहरथाना को जीप

474. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना पंचायत समिति की जीप कब क्रय की गई एवं कितने रुपयों में ?

(2) उक्त जीप दिनांक 1 जून लगायत 7 जून, 1968 तक कहां कहां रही एवं किसके आदेश से उक्त जीप वहां भेजी गई थी ?

(श्री विटठ्लप्रसाद शर्मा)

(3) जिस दिन उक्त जीप मनोहरथाना से चली उसका माइलोमीटर कितने पर था एवं जब वापस आई तब माइलोमीटर कितना था ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जीप से सुनेल में होने वाले किसी किसान सम्मेलन के लिए चन्दा इकट्ठा किया गया और एस. डी. ओ., झालावाड़ ने उक्त राशि इकट्ठी की ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त सम्मेलन के लिऐ चन्दा इकट्ठा करने में डिप्टी एस. पी., झालावाड़ एवं थानेदार सुनेल ने भी लोगों को डराया धमकाया और इस प्रकार रकम इकट्ठी करायी गई ?

(6) उक्त इकट्ठी की हुई राशि कितनी थी और उसका क्या उपयोग किया गया ?

(7) क्या उक्त राशि किन्हीं रसीदों द्वारा ली गई थी ? यदि हां, तो उन रसीदों पर किसके हस्ताक्षर थे ?

उत्तर

(1) जीप दिनांक 19-4-68 को 20,007) रुपयों में खरीदी गई ।

(2) उप-जिला विकास अधिकारी के आदेश से मुख्य मंत्री जी के दौरे के सम्बन्ध में ड्यूटी पर रही ।

(3) रवानगी के समय दिनांक 1-6-68 को 3,171 किलोमीटर था व वापिस दिनांक 8-6-68 को 4,554 किलो मीटर था ।

(4) जी नहीं ।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैजे व आंत्रशोथ से मृत्यु

475. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राजस्थान में हैजे व आंत्रशोथ से कितने कितने व्यक्ति मरे ? जिलेवार संख्या दी जावे ।

(2) क्या चूरू और सीकर जिलों में ये रोग अथवा इन्हीं के लक्षणों वाले रोग ग्रामीण हल्कों में व्यापक रूप से फैल गये थे ? यदि हां, तो कहां कहां पर कितने कितने रोगी हुए और कितने कितने मरे ?

(3) रोग फैलने के क्या कारण थे ?

(4) क्या यह सही है कि समय पर उचित उपचार की व्यवस्था मौके पर नहीं की गई जिससे अनेकों नागरिकों को जान से हाथ धोना पड़ा ?

(5) क्या यह सही है कि चिकित्सक रोग का सही निदान नहीं कर सके जिससे भली भांति उपचार न हो सका और नागरिकों को मौत का मुंह देखना पड़ा ?

(6) भविष्य में इस प्रकार के रोग व्यापक स्तर पर न फैल सकें इसके लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) इस वर्ष 31 जुलाई 68 तक राजस्थान में हैजे से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है आंत्रशोथ से कुछ व्यक्ति मरे हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां। चाही गई सूची संलग्न है।

(3) उक्त रोग किटाणुओं से पैदा होता है एवं रोगियों के मल-मूत्र आदि से सीधे ही या मक्खियों द्वारा पीने के पानी और खाद्य पदार्थों के दूषित एवं कीटाणुग्रस्त हो जाने के कारण फैलता है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी के कारण पीने के पानी के बारे में पूर्ण सचेत नहीं रह पाते एवं दूषित जल को भी पीने के काम में ले लेते हैं।

(4) जी नहीं। सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंच कर आवश्यक व्यवस्था प्रचुर मात्रा में की गई, जैसे कि हैजे के टीके लगाना, पीने के पानी के स्रोतों को ब्लिचिंग पाउडर से कीटाणु रहित करना, सड़े गले फलों व सब्जियों की बिक्री पर रोक-थाम करना, मक्खी विरोधी कार्य-क्रम प्रारंभ करना, स्वास्थ्य शिक्षा-जन साधारण को बिमारी के लक्षणों व उससे बचने के उपायों से विदित कराना इत्यादि। आवश्यकतानुसार शिविर आदि का आयोजन करने के साथ साथ उपयुक्त कर्मचारीगण और साधन भी मौके पर भिजवाए गये।

(5) जी नहीं।

(6) इस विषय में स्वास्थ्य विभाग पूर्ण सजग और प्रयत्नशील है। ग्रामों में ग्राम पंचायत व पंचायत समितियों तथा कर्मचारियों को निर्देश दिये हुए हैं कि इस प्रकार के, व अन्य संक्रामक रोगों के होने के साथ ही सूचना तुरन्त निकटतम चिकित्सा संस्था को देते रहें ताकि उपयुक्त कर्मचारियों और साधनों की व्यवस्था कर, तुरन्त रोगों के उपचार व रोकथाम के उपाय किये जा सकें।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सेलवाड़ा बांध से सिंचाई

476. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि 'सेलवाड़ा' नामक बांध, तहसील रेवदर में बांधने की योजना कई वर्षों से चल रही है? अगर हाँ तो अब तक उस योजना के अन्तर्गत क्या कार्य हुआ है?

(2) क्या यह भी सत्य है कि 'सेलवाड़ा' बांध, से करीबन 38,000 एकड़ जमीन सिंचित होने का अनुमान है? क्या यह भी सत्य है कि उसमें से आधी जमीन रेवदर तहसील की सिंचित होगी? अगर हां, तो ऐसी योजना उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से शीघ्र कार्यरूप में क्यों नहीं परिणित की जा रही है?

(3) उपरोक्त योजना का कार्य कब तक शुरू करा दिया जावेगा? योजना सम्पूर्ण कब तक कराने का अनुमान है?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु सेलवाड़ा ग्राम के निकट सुखली सिंचाई योजना का सर्वेक्षण किया गया है।

(सिंचाई मंत्री,)

(2) उक्त योजना से करीब 1460 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी। योजना का तखमीना बनाया जा रहा है।

(3) योजना का कार्य तखमीना मंजूर होने के पश्चात धनराशि उपलब्ध होने पर चालू किया जा सकेगा।

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा सड़क निर्माण कार्य

477. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पंचायत समिति डीडवाना द्वारा सड़कें बनाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं ? यदि हाँ, तो कब कब किस किस सड़क की और राज्य सरकार ने उन पर क्या क्या कार्यवाही की ? यदि कोई जाँच करवाई हो तो जाँच रिपोर्ट की प्रतियाँ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार के ध्यान में यह बात भी आयी है कि उक्त सड़कों के निर्माण में अनियमित कार्यवाही या रकम का गबन या दुरुपयोग हुआ है ? यदि हाँ तो इसके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? क्या रकम किन्हीं से वसूल की गई है ? यदि हाँ, तो किन किन से कितनी कितनी तथा वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़कों में से किन्हीं सड़कों के निर्माण कार्य की जाँच किसी इंजीनियर ने और कलेक्टर, नागौर ने भी की है ? यदि हाँ, तो उनके द्वारा दी गई जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हाँ। सब ही सड़कों के सम्बन्ध में दि० 29 अप्रेल, सन् 1963 को जिलाधीश, नागौर ने रिपोर्ट की व दिनांक 27-9-63 को पंचायत समिति, डीडवाना के कुछ सदस्यों ने शिकायत की।

प्रारम्भिक जाँच से 32,000) रु० के अनुदान में से केवल 13,300) रु० ही सड़क निर्माण पर व्यय करना पाया गया। बकाया रकम मय दण्डनीय ब्याज वसूली हेतु पी० डी० आर० के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

(2) जी हां। वसूली की कार्यवाही जारी है। अभी तक कुछ भी रकम वसूल नहीं हुई।

(3) जी हाँ।

भूमि आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र

478. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अभी भी अनावंटित कृषि भूमि कितनी है और इसका अब तक आवंटन नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

(2) आवंटन के लिए कितने प्रार्थना-पत्र अभी भी पैंडिंग हैं ?

(3) क्या सरकारी आदेशों के बावजूद भूमिहीनों को आवंटन नहीं करने के अपराध

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
में किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या सरकार ने भूमिहीनों का सर्वेक्षण करवाया है ?

(5) राज्य में कुल कितनी खादर भूमि है ?

(6) क्या खादर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को 100 एकड़ तक भूमि आवंटित करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है ? यदि हाँ, तो अब तक किन किन को उक्त प्रकार की भूमि आवंटित की गई है? उनके नाम और पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

खानपुर रेन्ज में कत्थे का ठेका

479. श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पठारी लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी, शाहबाद को खानपुर रेन्ज (झालावाड़) में कत्थे का ठेका दिया गया था? यदि हाँ, तो कब और किस ब्लॉक का ? कृपया ठेके की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी का ठेका एक साल के लिये इसलिये बढ़ाया गया था कि वह अपने अधूरे काम को पूरा कर सके ? यदि हाँ, तो इस शर्तनामे की कापी भी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी द्वारा हाका खरूटिया रेन्ज कनवास में नाजायज तौर पर कत्थे का जंगल काटा गया है ? यदि हाँ, तो कितना और कितनी लागत का कत्था जब्त किया गया है ?

(4) उक्त सोसाइटी के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

भाखरा नहर क्षेत्रों में बाग लगाने के लिए भूमि की नीलामी

480. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर के आसपास भाखरा नहर क्षेत्रों में भूमि बाग लगाने के लिए नीलाम की गई थी ? यदि हां, तो कितनी दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि में आज तक पानी नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने बागान की भूमि नीलाम की थी उस समय सिंचाई भूमि के रेट पर नीलाम की गई थी? यदि हां, तो फिर इन्हें नहर से पानी क्यों नहीं दिया जाता ?

(4) क्या निकट भविष्य में सरकार इस बागान की भूमि को पानी देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

लिफ्ट सिंचाई योजना

481. **श्री केदारनाथ** (श्रीगंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान नहर का दूसरा चरण पूर्णतया समाप्त कर दिया है?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर में फ्लो सिंचाई बन्द करके लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाई गई है? यदि हां तो लिफ्ट सिंचाई में कोलायत, लूणकरणसर और नागौर क्षेत्रों में क्रमशः प्रति बीघा क्या खर्च आयेगा? तथा फ्लो सिंचाई में क्या खर्च आयेगा ?

(3) लिफ्ट सिंचाई के लिए बिजली कहां से प्राप्त होगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। लिफ्ट सिंचाई का राजस्थान नहर परियोजना में पहले से ही प्रावधान है। लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट योजना प्रथम चरण में सम्मिलित की और इसी की स्वीकृति भी दी गई है। कोलायत व नागौर क्षेत्रों में सिंचाई का प्रावधान नहीं था और न ही इन क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई है। लूणकरणसर-बीकानेर लिफ्ट योजना पर कैपिटल लागत प्रति कमान्डेड बीघा 455 रु० का अनुमान है और फ्लो सिंचाई पर प्रति कमान्डेड बीघा 340 रु० का है।

(3) लूणकरणसर लिफ्ट सिंचाई योजना के लिये बिजली राजस्थान विद्युत मंडल से मिलेगी।

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 511 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE DISTRICTWISE DEATHS DUE TO SMALL-POX REPORTED IN THE YEAR 1966-67 & 1967-68.

S. No.	Name of Districts	1966-67	1967-68
1.	Ajmer	15	14
2.	Jaipur	216	120
3.	Tonk	17	4
4.	Sawai Madhopur	5	–
5.	Bharatpur	4	51
6.	Alwar	23	15
7.	Sikar	131	42
8.	Jhunjhunun	46	9
9.	Bikaner	3	6
10.	Churu	5	8
11.	Ganganagar	11	2
12.	Jodhpur	1	—
13.	Jaisalmer	—	—
14.	Jalore	7	37
15.	Barmer	—	—
16.	Pali	3	17
17.	Nagaur	11	6
18.	Sirohi	2	15
19.	Udaipur	4	12
20.	Dungarpur	4	1
21.	Banswara	1	6
22.	Chittorgarh	7	33
23.	Bhilwara	—	2
24.	Kota	135	21
25.	Bundi	24	—
26.	Jhalawar	22	29
	RAJASTHAN	697	450

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 523 की सूची)

सूची आसामियान (रेंगरान) जिनको ग्राम देसमी, तहसील मालपुरा दिनांक 28-6-66 को भूमि अलॉट की गई ।

क्र० सं०	नाम	खसरा नं०		रकबा
1.	श्री काना पुत्र ईशरा रेंगर	141 9॥)	47 ॥)	10)
2.	श्री कवरीलाल पुत्र रामदेव रेंगर	64		10)
3.	श्री गंगाराम पुत्र श्रीलाल रेंगर	400/1		10)
4.	श्री छीतर पुत्र स्योराम रेंगर	466/11		10)
5.	श्री केसरा पुत्र मोती रेंगर	375/1		10)
6.	श्री भूरा पुत्र लादू रेंगर	64		10)
7.	श्री मोती पुत्र सुखा रेंगर	466/11		10)
8.	श्री मांगीलाल पुत्र लादू रेंगर	399/1		10)
9.	श्री मूल्या पुत्र हरला रेंगर	400/1		10)
10.	श्री रामगलाल पुत्र नारायण	466/11		10)
11.	रामदेव पुत्र भूरा रेंगर	466/11		10)
12.	श्री रामचन्द्र पुत्र भूरा	466/11		10)
13.	श्री रामचरण पुत्र बालू रेंगर	400/1		10)
14.	श्री लादू पुत्र मोती	399/1	400/1	10)
15.	श्री लाला पुत्र स्योदान रेंगर	466/1		10)
			कुल योग···	150)

सूची अलॉटमैन्ट रेंगरान मालपुरा जिन्हें ग्राम देसमी में भूमि आवंटन हुई हैं ।

क्र० सं०	नाम	खसरा नं०		रकबा
1.	श्री कवरीलाल पुत्र रामदेव रेंगर	64/6		10)
2.	श्री काना पुत्र ईशरा रेंगर	47/1 ॥)	141 9॥)	10)
3.	श्री कालू सुखा रेंगर	64/7 5)	74)7 5)	10)

1	2	3	4
4.	श्री काना पुत्र लाला रैगर	74)8	10)
5.	श्री केशरा पुत्र मोती रैगर	375)1	10)
6.	श्री गोपी पुत्र सेवा	78/2	10)
7.	श्री छीतर पुत्र श्योराम	466/ 11/8	10)
8.	श्री भूरा पुत्र लादू रैगर	64/3	10)
9.	श्री भूरा पुत्र सुखा रैगर	64/4	10)
10.	श्री मांगीलाल पुत्र धन्ना	444/3	10)
11.	श्री मांगीलाल पुत्र रामसुखा रैगर	650/ 1/9	10)
12.	श्री मोतीलाल पुत्र रामदेव रैगर	650/ 1/8	10)
13.	श्री मोती पुत्र सुखा रैगर	466/11/3	10)
14.	श्री रतना पुत्र धीस्या रैगर	17/3	10)
15.	श्री रामदेव पुत्र भूरा	466/11/5	10)
16.	श्री रामगोपाल पुत्र नारायण	466/11/9	10)
17.	श्री रामचन्द्र पुत्र भूरा	466/11/6	10)
18.	श्री रामू पुत्र ऊंकार	466/11/2	10)
19.	श्री लादू पुत्र रामा	466/11/2	10)
20.	श्री लाला पुत्र श्योराम रैगर	466/11/7	10)
21.	श्री गंगाराम पुत्र श्रीलाल रैगर	650	10)
22.	श्री मांगीलाल पुत्र लादू	651	10)
23.	श्री मूल्या पुत्र हरला	651	10)
24.	श्री रामचरण पुत्र बालू रैगर	651	10)
25.	श्री लादू पुत्र मोती रैगर	651	10)
			250

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 528 की सूची)

पंचायत समिति, लाडनूं के ग्राम बाकलया की पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों, विकास कार्यों, पानी की व्यवस्था तथा सांडघर आदि के लिए जिस प्रकार का अनुदान सन् 65 में जब जब जितनी जितनी राशि दी गयी उसकी सूची:—

क्र० सं०	नाम कार्य	प्रथम किस्त	द्वितीय किस्त	तृतीय किस्त	कुल राशि	कार्य सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र	विशेष
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भांभियों का कुआ बाकलिया	1,300) 30-3-66	1300) 14-7-66	—	2,600)	4200) 12-7-66	
2.	भांभियों के कुए पर घडोई निर्माण श्यामपुरा	250) 11-10-66	83) 19-4-68	—	333)	497) 19-4-68	
3.	सांडशाला निर्माण बादेड़	250) 12-10-66	—	—	250)	2,380) 11-10-66	
4.	भांभियों की घडोई निर्माण बादेड़	200) 8-2-67	—	—	200)	319) 21-11-67	
5.	भांभियों की घडोई निर्माण भकेरिया	200) 8-2-67	—	—	200)	307 21-11-67	
6.	सांडशाला निर्माण बालसमंद	500) 22-8-68	—	—	500)	1,775) 22-8-68	

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	हरिजनों की चढोई श्यामपुरा	200)	—	—	200)	कार्य नहीं कराया गया है। रकम वापस जमा करवा दी गई	
					——— 4283		

———

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 529 की सूची)

प्रश्न संख्या 103 पं० म०

श्री रघुवीरसिंह, प्रधान, पंचायत समिति, उमरैन की तरफ पंचायत समिति, उमरैन की जो रकमें बकाया हैं उसकी सूची:—

राशि	कार्य जिसके लिये ऋण दिया	स्वीकृति दिनांक	रकम देने का दिनांक
1	2	3	4
3,000)रु०	पम्पिंग सैट	17-11-65	22-11-65 1,500)रु० 6-12-65 1,500)रु०
2,500)रु०	पक्की नाली	31-3-67	3-4-67 1,250)रु० 20-7-67 700)रु० 25-8-67 500)रु०

Page No. 184

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न संख्या

घोलागढ पंचायत समिति, कठूमर के माता के प्रसिद्ध मेला स्थान के विकास के लिए

क. स.	वर्ष	खर्च कूप निर्माण	वन महोत्सव	संगीत कला	टांका निर्माण	रास्ता दुरस्ती
1.	1964	1,000–00	530–00	200–00	188–80	250–00
2.	1965	—	650–00	—	—	—
3.	1966	1,038–00	550–00	—	128–00	140–00
4.	1967	3,598–46	600–00	—	1,721–60	—
5.	1968	—	250–00	—	—	—
		5,636–46	2,580–00	200–00	2,038–40	354–00

10

530 की सूची ।]

जो राशि वित्त वर्ष में खर्च की गई उसका विवरण ।

ग्राम सेवक क्वार्टर	डिस्पेन्सरी निर्माण	पंचायत चबूतरा	कांजि हाउस निर्माण	शल्य चिकित्सा	कुल योग
—	—	—	—	—	2,148-80
300-00	8,500-00	—	—	—	9,450-00
—	—	250-00	—	—	2,000-00
—	14,286-52	—	460-00	1,000-00 सब सेन्टर 3,125-33	24,791-91
—	3,035-00	—	—	1,540-00	4,825-00
300-00	25,821-52	250-00	460-00	5,665-33	43,305-70

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 531 की सूची)

सूची उत्तर भाग 1

राज्य द्वारा खरीद किया गया खाद्यान्न

किस्म	वजन	दर प्रति क्विटल
लाल बाज्या	4,948-22-380	77-00
मैक्सीकन	370-50-000	79-50
गज्जर	2,708-48-000	31-00
फार्मी	2,300-40-500	85-00

खाद्य निगम द्वारा खरीद किया गया खाद्यान्न

वर्ष जिसमें खरीदा गया	क्रम सं०		खाद्यान्न का नाम	खरीद की मात्रा क्वि० में	भाव जिस पर खरीदा गया प्रति क्विन्टल
1966-67	(1)		मक्का	12,132	40 से 43) की दरों पर
	(2)		ज्वार	40,514	44) से 46) की दरों पर
	(3)	(1)	चना	2,133	55)
		(2)	रिक्वीजोशन	19,174	57) से 59-28) की दरों पर
	(4)	(1)	चनादाल	75	61)
		(2)	रिक्वीजोशन	1,074	63) से 65-28) की दरों पर
	(5)		बाजरा	37	51)
	(6)		जौ	40)	55)
1967-68	(1)		ज्वार	42,607	47-50) से 48-50)
	(2)		मक्का	18,231	48-50)
	(3)		बाजरा	556	50-00)
1968-69	(1)		ज्वार	301	47-50) से 48-50)
	(2)		मक्का	26	48-50
	(3)		बाजरा	3	50-00
	(4)		गेहूं	3,027	74) 76) व 81)

सूची उत्तर भाग 2

कोटा जिले से खरीद किया गया अनाज वर्ष 66-67, 67-68 एवं 68-69 में अन्य जिलों को भेजे गये अनाज का विवरण

नाम जिला	नाम खाद्यान्न	वर्ष 66-67	वर्ष 67-68	वर्ष 68-69
बांसवाड़ा	मक्का	11,45-55-400	10,339-27-200	—
,,	ज्वार	8,366-92-000	1,307-81-000	—
,,	चना	4,562-27-800	—	—
उदयपुर	मक्का	5,172-45-800	1938-54-900	—
,,	ज्वार	4,553-81-900	65-14-500	—
,,	चना	14,943-92-300	—	—
झुन्झुनू	बाजरा	—	170-29-200	—
,,	ज्वार	5,264-32-4 00	—	—
चित्तौड़गढ़	चना	—	3,449-31-300	—
,,	देसी गेहूं फार्मी	237-23-800	(ट्रकों से भेजा गया)	—
,,	गज्जर	163-54-00		
जोधपुर	ज्वार	3,191-03-600 (रेल)	—	—
		673-19-300	(ट्रकों से भेजा गया)	—
डूंगरपुर	,,	5,116-86-300	—	—
,,	मक्का	4,490-96-350	—	—
,,	चना	8,000-97-300	—	—
चूरू	ज्वार	12,821-24-700	—	—
बीकानेर	,,	6,107-60-500	—	—
सीकर	,,	7,290-55-900	—	—
जयपुर	,,	1,367-59-600	—	—
,,	चनादाल	78-03-200	—	—
,,	जौ	67-23-500	—	—
बाड़मेर	ज्वार	10,045-05-500	—	—
,,	बाजरा	37-08-500	—	—
जालौर	,,	5,703-91-400	—	—
भीलवाड़ा	मक्का	1,411-30-900	—	—
सिरोही	चना	912-83-300	—	—
अजमेर	देसी गेहूं बाज्या	266-00-000	(ट्रकों से भेजा गया)	—
झालावाड़	फार्मी	249-89-300	—	—
,,	गज्जर	931-00-000	—	—
,,	बाज्या	743-36-500	—	—

नक्शा क्रय-विक्रय दर मय अन्तर के उत्तर भाग 3

किस्म गेहूं		क्रय मूल्य (प्रति क्विंटल)		विक्रय मूल्य (प्रति क्विंटल)	
1		2		3	
		अक्टूबर 67	नवम्बर 67	दिसम्बर 67	जनवरी 68	फरवरी 68
लाल बाज्या (77)		87	89	90	92	94
	अन्तर	10	12	13	15	17
मैक्सीकन 79)50		—	92	93	95	97
	अन्तर	—	12-50	13-50	15-50	17-50
गज्जर (81)		91	93	95	97	98
	अन्तर	10	12	14	16	17
फार्मा (85)		96	98	100	102	104
	अन्तर	11	13	15	17	19

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 534 की सूची)

सूची सस्ते अनाज की (सहकारी) दुकानें अभाव ग्रस्त क्षेत्र वर्ष 1964-65
तहसील सरदार शहर

क्रम सं०	नाम ग्राम	नाम विक्रेता
1.	राजासर बीकान	श्री भीखम सिंह
2.	घड़सीसर	श्री हबीब खाँ
3.	भादासर	श्री कुंभा राम
4.	जैतासर	श्री मुखराम
5.	अड़सीसर	श्री मालूराम
6.	जैतसीसर	श्री भंवरलाल
7.	साड़ासर	श्री नन्दराम
8.	बादड़िया	श्री धनराज
9.	शीमला	श्री सज्जनसिंह
10.	भोजासर बड़ा	श्री रामलाल
11.	मालकसर	श्री रामचन्द्र
12.	तोलसर	श्री उमाराम
13.	रणसीसर छोटा	श्री मांगीलाल सिंह
14.	खुण्डिया	श्री बालूराम
15.	भोजासर	श्री रामेश्वरलाल
16.	भानीपुरा	श्री मेवाराम
17.	मितासर	श्री भीखनसिंह
18.	गेंग नम्बर 13 रणसीसर	श्री खेतदास
19.	सोनपालसर	श्री पन्नादास
20.	राजासर पंचारान	श्री हरीराम
21.	मालसर	श्री मोहनलाल
22.	सोमासर	श्री चिमनाराम
23.	खेलड़ा	श्री विरबलराम
24.	राजूसर	श्री सागरमल
25.	मेहरी	श्री इन्द्रचन्द

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 298 की सूची)

वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों व अपंग सैनिकों के विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की सूची

क्रम संख्या	नाम, आश्रित मय मृतक सैनिक अथवा विकलांग सैनिक	विशेष विवरण
1	2	3
	जिला जयपुर	
1.	कमलीदेवी बेवा स्व० ललूसिंह	
2.	श्री पेलोराम पिता स्व० रामभन	
3.	श्री नारायणसिंह स्व० युबादी	
	जिला चूरू	
4.	श्री मोहरसिंह पिता स्व० श्री रामस्वरूप	
5.	श्रीमती सेनी माता स्व० ग्रिनेडियर अमरसिंह	
	जिला नागौर	
6.	चम्पा माता स्व० श्री बापसिंह	
7.	श्रीमती उछबकंवर बेवा भंवरसिंह	
8.	श्रीमती हरिकंवर माता स्व० सवाईसिंह	
9.	श्री लछमनराम पुत्र श्री मेवाराम	
10.	श्रीमती भववारनी स्व० श्री पीथाराम	
11.	श्रीमती नत्थूकंवर स्व० मदनसिंह	
12.	श्रीमती सायराबानू स्व० सुलतानखाँ	
13.	श्रीमती भंवर कंवर बेवा स्व० श्री लालसिंह	
14.	श्रीमती जसूकंवर बेवा स्व० श्री सजनसिंह	
15.	श्रीमती पीमन बेवा स्व० श्री फूलमोहम्मद	
16.	श्रीमती पारवतिकंवर बेवा स्व० श्री जवकारसिंह,	
	जिला जोधपुर	
17.	श्रीमती हरकंवर बेवा स्व० श्री सुजासिंह	
18.	श्रीमती मामोल बेवा स्व० श्री सावतराम	
19.	श्री सांवलराम पिता स्व० श्री जेठूराम	
20.	श्रीमती रूपकंवर स्व० जोगसिंह	
21.	श्रीमती तीजा स्व० श्री खुमाराम विश्नोई	
22.	श्रीमती रामप्यारी बेवा स्व० श्री हरिसिंह	
23.	श्रीमती गट्टुदेवी बेवा स्व० श्री भीखाराम	

1	2	3
24.	श्रीमती रतनकंवर स्व० श्री श्यामसिह	
25.	श्रीमती विरजुदेवी बेवा स्व० श्री दुर्गासिह	
	जिला झुन्झुनू	
26.	श्री बहादुर विकलांग सैनिक	
27.	श्रीमती रुकमणी स्व० श्री घासीराम	
28.	श्रीमती राधा स्व० श्री मुन्सीराम	
29.	श्रीमती रामेश्वरी देवी स्व० श्री मेहरसिह	
30.	श्रीमती माली देवी स्व० श्री जीतराम	
31.	श्री सागरमल विकलाँग सूबेदार	
32.	श्रीमती भगवानी स्व० श्री रिछपालसिह	
33.	श्रीमती किस्तूरी देवी स्व० श्री बालाराम	
34.	श्रीमती राजा स्व० श्री हरिसिह	
35.	श्रीमती हसंई देवी स्व० श्री पोकरसिह	
36.	श्रीमती धनकारी स्व० पोकरराम	
37.	श्री कालूराम स्व० श्री बुजकाराम	
38.	श्रीमती छोटा स्व० भूरसिह	
39.	श्रीमती सीता देवी स्व० श्री रामसिह	
40.	श्रीमती पेमा स्व० श्री मालाराम	
41.	श्री भूराराम विकलाँग सैनिक	
42.	श्रीमती जैसकंवर पत्नि श्री मागूराम	
43.	श्रीमती मोहनी देवी बेवा स्व० श्री मंगलचन्द जाट	
	जिला सीकर	
44.	श्रीमती रामेश्वरी देवी बेवा स्व० श्री छतूसिह	
45.	श्रीमती सुरजी बेवा स्व० श्री भागू	
46.	श्रीमती सुप्यारकंवर बेवा स्व० श्री मालूसिह	
47.	श्रीमती उछबकंवर बेवा स्व० श्री समुन्द्रसिह	
48.	श्रीमती सोहनी देवी स्व० श्री भवंरलाल	
49.	श्रीमती सुन्दरी देवी स्व० श्री मदनलाल	
50.	श्री जेठसिह पिता स्व० श्री पोकरराम	
51.	श्रीमती अन्धी देवी स्व० श्री बीरबलराम	
52.	श्रीमती लछमडी बेवा स्व० श्री नथूराम	
53.	श्री ओमप्रकाश स्व० श्री किशोरसिह	
54.	श्रीमती कमला बेवा स्व० मांगे स्वीपर	
55.	श्रीमती दासकंवर बेवा स्व० श्री अन्तपालसिह	
65.	श्री बक्शीसिह विकलांग सैनिक	

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर, 1968)

स्तम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
1	12	श्री बालसिंह सढ	श्री बालसिंह सोढ़ा
17	अंतिम	सके	उसके
22	अन्तिम से 9	के विरूद्ध	विरुद्ध
27	9	की स्वीकृत	स्वीकृत
45	अन्तिम से 7	सरकार	सरकारने
48	9	किया है	लिया है
,,	14	यलगो	गोयल
54	अन्तिम से 12	ी	नहीं
55	,, 12	माइग्रेस	माइग्रेसन
78	3	श्री महारावल लक्ष्मण-सिंह	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
80	अन्तिम से 13	राहत का जो उद्देश्य देने का	राहत देने का जो उद्देश्य
87	15	फ स्वरूप	फलस्वरूप
90	अंतिम से 8	तालावों का	तालावों
118	,, 9	का	की
124	17	सेल्समेन का	सेल्समेन
126	अंतिम से 10	वमान्ड	कमान्ड
133	17	यद्दि	यदि
140	अंतिम से 2	2 क्षेत्रों	2 क्षेत्रों में
146	9	ि तनी	कितनी
152	2	रोश	रोष
159	17	स्वायतशासन	स्वायत्तशासन
161	1	चिका	याचिका
161	11	रप	पर
162	13	महीने	महीने में

1	2		3	4
180		9	मत्री	मंत्री
181		8	म्युचूग्रल्ली	म्युचूग्रली
186		8	स्वायत्ता	स्वायत्त
136		17	ग्रधिकर	ग्रधिकार
187	ग्रंतिम से	5	दायित	दायित्व
189				
189	ग्रंतिम से	4	उहाग्रध्यक्ष	उपाध्यक्ष
190		17	पूछ ता हूं	पूछता हूं
192		10	श्री मुलचन्द डागा	श्री मूलचन्द डागा
194	ग्रंतिम से	10	श्री राम भूषण	श्री रामकिशन
208	,,	10	फेवचुग्रर	फेवचुग्रल
,,	,,	11	सर ा र	सरकार
214	,,	13	ग्रान्तरश्रोत	ग्रान्त्रशोध
217		18	बीमारे	बीमारी
217	ग्रंतिम से	10	हजरां	हजारों
221	,,	3	वर्षा	वर्षों
234		1	मीराबाई	मीरांबाई
236		14	जातियता	जातीयता
244	ग्रंतिम से	15	से	में
248		11	उनका	उनकी
268		15	श्रीमति	श्रीमती
270	ग्रंतिम से	8	जोहरी वाजार	जौहरी वाजार
314		2	चुन्दलिया	इन्दलिया
330				
351	ग्रंतिम		65	56